(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 6] पंचम विधान सभा के सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

मंगलवार

अगस्त 13, 1974

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्नोत्तर

(कृषि, सहकारिता, वित्त, राजस्व, खनिज, विकास, आबकारी, जन स्वास्थ्य, देवस्थान, खाद्य, नगर विकास)।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री मीठालाल।

कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नई योजनायें

23. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नई योजनायें बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा ये कब तक कार्यान्वित कर दी जावेंगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : जी हां। राज्य सरकार कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जो नई योजनायें बना रही है उनके संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :

(1) उन्नत किस्म का बीज वितरण : खरीफ में 9250 क्विटल। रबी में 68000 क्विटल।

रबी में बीज वितरण कार्य राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के माध्यम से किया जाता है।

(2) फोलियर स्प्रेयिंग की पद्धति से रसायनिक खाद का अधिकतम उपयोग।

(3) रसायनिक खाद की कमी की पूर्ति के लिए कम्पोस्ट खाद का निर्माण एवं वितरण-कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए नगरपालिकाओं को भी इस कार्य में लगाया जा रहा है।

(4) उन्नत कृषि प्रक्रियाओं के उपयोग की पैकेज योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनके अन्तर्गत सूखी खेती के तरीके निराई, गुडाई आदि के उन्नत तरीके काम में लिए जाते हैं।

(5) खाद्य संरक्षण के लिए बडे पैमाने पर एरियल स्प्रेयिंग जिससे कपास, चना आदि फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

(6) उन्नत पद्धतियों के उपयोग के लिए प्रसार कार्य।

Page No 2

(2)

(श्री शिवचरण माथुर)

(7) क्षेत्रीय विकास योजना (राजस्थान नहर तथा चम्बल नहर) यह योजना इस वर्ष से प्रारंम्भ होकर 6 वर्ष में पूरी होगी ।

(8) डी. पी. ए. पी. योजना इस वर्ष से प्रारम्भ होकर पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक क्रियान्वित होगी ।

(9) लघु सिंचाई योजनाएं : ये योजनाएं 1969-70 से प्रारम्भ हुई । अलग अलग योजनाओं की क्रियान्विति की अवधि भी अलग अलग है ।

(10) मंडी विकास योजनाएं : 56 मंडियों बाबत परियोजनाएं बनाई गई हैं जिसकी क्रियान्विति वित्तीय संस्थानों से कर्ज की उपलब्धि पर निर्भर रहेगी । सभी परि-योजनाओं के संबंध में वित्तीय संस्थानों से कर्ज के बाबत कार्यवाही पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेगी तथा जैसे जैसे कर्ज की उपलब्धि हो जाएगी इन योजनाओं की क्रियान्विति हो जायेगी ।

श्री मीठालाल : मेरा सवाल पूछने का तात्पर्य था कि नई योजनाएं जो कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दे सकें, वे नई योजनाएं क्या चालू करना चाहते हैं ? जैसे बिजली के मामले में अभी भी हजारों बिजली कनेक्शन पैंडिंग हैं और कुओं के लिए एक भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है जबकि आपने बिजली विभाग से संबंध स्थापित करके इस साल जितना टार्गेट रखा उसके लिए अधिक से अधिक बिजली देकर उत्पादन बढ़ाना चाहिए । इसी तरह से रसायनिक खाद के लिए आपने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि इतना रसायनिक खाद ताकि आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, आपने जो अभी फरमाया है वह घिसापिटा फार्मूला है मैंने नई योजनाओं के बारे में पूछा है ।

श्री शिवचरण माथुर : घिसे पिटे फार्मूले का सवाल नहीं है । पुरानी आमेर में कौनसा नया डिमार्केशन करना चाहते हैं । क्षेत्रीय योजना चंबल की और राजस्थान कैनाल की बिल्कुल नई योजना है जो इस वर्ष शुरू होगी । डी. पी. ए. पी. योजना इस वर्ष शुरु होगी और 5 साल में पूरी होगी । बहुतसी ए. आर. सी. योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं, वे भी नई हैं । मैंने इसमें नई योजनाओं का भी जिक्र किया और साथ साथ उन योजनाओं का भी जिक्र किया जिनको उत्पादन बढ़ाने के लिए हाथ में ले रहे हैं ।

श्री दीपशंकर (लाडनूं) : जो आपके खाद के वितरण की व्यवस्था है, क्या आपके ध्यान में है कि खाद का जो वितरण हो रहा है यह व्यवस्थित नहीं है ? कुछ मामलों में ब्लेक मार्केटिंग भी हुआ है । जो लघु सिंचाई योजनायें आपने बनाई हैं वे केवल आपने बनाकर रखदी हैं या उनकी क्रियान्विति में बाधा आ रही है । जैसे नागौर जिले में अभी शुरू नहीं की जा रही है, कब तक शुरू करने का विचार है ?

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : मंत्री महोदय ने जो योजना बताई है क्या वह रबी सोइंग के लिए पर्याप्त है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं पहले एक का जवाब दे दूं । जहां तक लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है कि खाद में कुछ ब्लेक मार्केटिंग की शिकायतें हैं । कई जगह से शिकायतें आती हैं और उचित कार्यवाही की जाती है । अगर कोई स्पेसिफिक उदाहरण हो तो और जानकारी की जाएगी । खाद के

(श्री शिवचरण माथुर)
बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह लिखा कि हमारी हाई ईल्डिंग वैराईटीज निरंतर बढ़ रही हैं, खाद की खपत बढ़ रही है और इसलिए अधिक कोटा एलाट किया जाए और हमने भारत सरकार को यह भी निवेदन किया कि राजस्थान उन पिछड़े इलाकों में से है जहां पर पहले एक तरह से खेती को बढ़ाने का इन्फास्ट्रक्चर शुरू में तैयार नहीं था । इसलिए जैसे जैसे इन्फास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसके साथ साथ एक नए फार्मूला के आधार पर बैकवर्ड स्टेट मानकर फर्टीलाईजर का एलाटमेंट किया जाना चाहिए । मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि भारत सरकार ने राजस्थान को विशेष फुटिंग पर ट्रीट करके दूसरे फार्मूला से फर्टीलाईजर को पिछले वर्ष से अधिक इस वर्ष एलाटमेंट किया है। फर्टीलाईजर एलाटमेंट के दो तरह के सोर्सेज होते हैं एक तो जो हमारे देश में पैदा होता है और दूसरा जो विदेशों से आता है। जहां तक अपने देश का सवाल है उसमें जितनी मात्रा हमको एलाट होती है उसका काफी हिस्सा हमको मिल जाता है । लेकिन जो विदेशों का है वह उपलब्धि पर निर्भर करता है । कोशिश की जाती है कि हमारे सोर्सेज से फर्टीलाईजर हमको अधिक मिले ।

जहां तक बीज का सवाल है उसके अलग अलग सैक्टर्स हैं उनके अनुसार बीज की उपलब्धि का सवाल है । हम जो कुछ बीज वितरण करते हैं विभाग की तरफ से या राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज निगम के माध्यम से, वह केवल हाई ईल्डिंग वैराइटीज का बीज हो, करीब 80 प्रतिशत राजस्थान का है । उसको हम अपने प्रोडक्शन के हिसाब से और नैशनल सीड्स निगम के जो सोर्सेज हैं उनका प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसको मीट करने की कोशिश करते हैं । सारे के सारे बीज की उपलब्धि किसान रखता है जो लोकल वैराइटीज हैं लेकिन हाई ईल्डिंग वैराइटीज को हम अपने सोर्सेज से लेकर दूसरे सोर्सेज से इकट्ठा करके पूरा करने की कोशिश करते हैं और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उसको बढ़ाने की चेष्टा की गई है ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : इस योजना के अन्तर्गत गंगानगर में जो 50 किलो की यूरिया के थैले भेजे गए हैं · · · ·

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझा नहीं ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मैं समझा देता हूं । प्रधान मंत्री सारे राज्यों का दौरा करेंगी और यहां भी आईं । फूड प्राइसेज को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, आपकी स्पेशल स्कीम हो, व्हीट जोन कौनसा हो, काटन जोन कौनसा हो, आपने प्रधान मंत्री के सामने कोई योजना पेश की ?

श्री शिवचरण माथुर : हमने राजस्थान के इन्टीग्रेटेड विकास की पिक्चर उनके सामने रखी थी और हमारे जो लिमिटेशन्स थे उनको ध्यान में रखते हुए सारी प्रपोजल्स उनके सामने रखी थीं । भारत सरकार के जो एक्सपर्टस् थे उन्होंने हमारी प्रपोजल्स को रीयेलिस्टिक माना । हमने उनको बता दिया कि हमारा प्लान बहुत कुछ वेदर कन्डीशन्स पर डिपेंड करता है । आज कितना ही प्रयत्न करलें लेकिन कहीं टोटल रेन फेल्योर होता है उसके अनुसार हमारे उत्पादन के आंकड़ों पर भी असर पड़ता है । इसलिये हमारे जैसे भी साधन उपलब्ध

Page No 4

(श्री शिवचरण माथुर)
होते हैं उन्हें डिप्लोय करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह से काम में लिया जाय कि जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जैसे मान लीजिये हमारे यहां पर राजस्थान में 10-12 जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले साल रेनफाल का फैल्योर रहा तो ऐसे जिलों में हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर भी ज्यादा अनाज पैदा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप बाड़मेर को ही लीजिये वहां पर बाजरे की पैदावार जहां कम होने की उम्मीद थी वहां पर पिछले साल अनुमान से अधिक बाजरे की पैदावार हुई। जहां पर 20 लाख टन बाजरा पैदा होने का अनुमान राजस्थान में था वहां पर 36 लाख टन बाजरा पैदा हुआ। हमने कई प्रकार के प्रपोजल्स उनके सामने रखे वह लोग एग्रीकल्चरल एक्सपर्टस थे उन्होंने भी उन प्रपोजल्स की तारीफ की। इसके अलावा एक प्रश्न यह है कि अलग अलग जोन्स बनाये जाँय इसमें गंगानगर का सवाल आता है। उसे ह्वीट जोन बनाया जाय। यह भी सुझाव है। लेकिन इसके लिये कई बातें देखनी पड़ती हैं। इसके भी कई लिमिटेशन्स हैं। परटीक्यूलर वैराईटी का ही प्रोडक्शन किया जाय। जैसे वीट का है। तो वहां पर उसके लिये प्रपोज्ड डोजज आफ वाटर देना जरूरी हो जाता है। क्या हम उनको प्रपोज्ड डोजेज आफ वाटर इरीगेशन दे सकेंगे या नहीं, यह भी देखना होगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ह्वीट जोन बनाने के लिये राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : प्रश्न संख्या 24।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि कल प्रश्न काल में थोड़े ही प्रश्न पूछे जा सके थे। इसके लिये कई माननीय सदस्यों ने मुझे सदन में भी कहा और बाद में मुझे चेंबर में भी आकर मिले और कहा कि प्रश्न बहुत ही कम प्रश्न काल में पूछे गये। इसके लिये प्रश्न काल में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकें। मैं आपका सहयोग चाहूंगा। आम तौर पर एक प्रश्न के लिये अगर पांच मिनट दिये जायं तो एक घन्टे में 12 प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसा एवरेज निकल सकता है। लेकिन अभी पहले प्रश्न में ही 13 मिनट हो गये हैं तो इस एवरेज से तो सदन में 4-5 प्रश्न ही पूछे जा सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रश्न काल में जो जरूरी सप्लीमेन्ट्री प्रश्न हो वही पूछा जाय। इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : मैं आपको ही सहयोग देने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रश्न संख्या 24।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय अगर प्रश्न कम पूछे जाते हैं तो आप समय प्रश्न काल का बढ़ा दें। पिछले सदन में प्रश्न काल का समय बढ़ाया गया था।

श्री फूलचन्द जैन : कभी नहीं बढ़ाया गया था।

Page No 5

5

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से नहीं बढ़ाया गया था। अगर नियमों में प्रश्न काल बढ़ाने के लिये परिवर्तन हो जायेगा तो जरूर समय बढ़ा दिया जायगा। नेक्स्ट।

राजस्थान में मिनिमम लेवल आफ कन्जम्पशन की रेखा में कम खर्च करने वालों की संख्या

24. **श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : (मावली) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में मिनिमम लेवल आफ कन्जम्पशन की रेखा में कम खर्च करने वाले लोगों की संख्या कितनी है और इसमें किस किस वर्ग के कितने व्यक्ति हैं ? इनकी आर्थिक स्थिति के सुधारने का सरकार क्या उपाय कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : भारत सरकार ने चौथी योजना दस्तावेज में 1960-61 के मूल्यों पर उपभोग के निम्नतर स्तर को 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास माना है जिसका भारत सरकार की पांचवीं योजना में भी जिक्र है। इसी आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मोटे रूप में राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 64 लाख व्यक्ति उपभोग के निम्नतर स्तर के नीचे पांचवीं योजना के प्रारम्भ में आंके गये हैं। इनमें से लगभग 25 लाख शहरी एवं 1 करोड़ 39 लाख ग्रामीण होंगे।

उपभोग के निम्नतम स्तर से कम खर्च करने वाली जनसंख्या की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग क्षमता में वृद्धि के उपाय किये जाते है। इसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों के अतिरिक्त अन्तिम तीन वर्षों में विशेष रोजगार कार्यक्रमों को चलाया गया था। प्रदेश की अधिकांश जनता कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। अतः पांचवीं योजना में कृषि एवं पशुपालन के विकास के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रमों को भी उपभोग के निम्नतम स्तर को ऊपर उठाने के लिये क्रियान्वित किया जायेगा। ड्राट प्रोने एरिया प्रोग्राम तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये एक विशेष योजना भी इसी उद्देश्य से तैयार की गई है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो आपने आंकड़े अपने उत्तर में बताये हैं वह भारत सरकार ने बनाये हैं वही राजस्थान के लिये हैं या राज्य सरकार ने राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका सर्वे करके बनाये हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह कार्य भारत सरकार की एक संस्था है नेशनल सेम्पल सर्वे जो हर जगह जाकर आंकड़े उपलब्ध करती है। उसके साथ राजस्थान सरकार भी कोरोबरेट करती है। मैंने जो आपको आंकड़े बताये हैं वह 65-66, 66-67 और 67-68 के बताये हैं। ये एवरेज फीगर्स हैं। जहां तक सवाल आबादी का है यह फीगर पापूलेशन के अक्टूबर 74 के हैं। पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष क्या होगा उस हिसाब से बताया है। यह प्रोजक्टेड फीगर्स हैं। सेन्सस तो 71 में हुई थी उसके अनुसार जो फीगर्स दिये हैं वह पापूलेशन अक्टूबर 74 में 2 करोड़ 79 लाख होगी। और प्राइस लेवल के जो फीगर्स हैं वह मैंने सन् 1960-61 के हिसाब से दिये हैं। यह काम नेशनल सेम्पल सर्वे

Page No 6

6

(श्री चन्दनमल बैद)
का है जो भारत सरकार का डिपार्टमेन्ट है। यह हर जगह जा कर कार्य करता है। इसके साथ भारत सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को अपने अपने एरिया में उनको कोरोबरेट करती है और उसके अनुसार ही आंकड़े तैयार किये जाते हैं। उसी के आधार पर मैंने आपको यह सूचना दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा निवेदन मंत्री महोदय से यह है कि सन् 59 का, यानी सन् 1959 का रुपया और सन् 1974 का रुपया क्या आप बराबर ही कीमत का मानते हैं? क्या पावर्टी लाइन सन् 1974 की वही है? मैं सन् 67 के सन्दर्भ में कह रहा हूं। क्या सन् 67 के बाद पावर्टी लाइन अत्याधिक नहीं बढ़ी है? क्या प्राइस लेवल गिर नहीं रहा है?

श्री केदार नाथ : मेरा इसी के साथ में यह प्रश्न है कि क्या राजस्थान में सन् 67 के बाद में कंगाली या दरिद्रता बढ़ी नहीं है? क्या राज्य सरकार इसमें कोई इन्डिपेन्डेन्ट सर्वे करने को तैयार नहीं है?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने, जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध थे, वह बताये हैं। यह सन् 67-68 के ही हैं। हमारे राज्य सरकार द्वारा अलग आंकड़े तैयार नहीं किये जाते हैं। नेशनल सेम्पल सर्वे भी हर घर जाकर सर्वे नहीं करते हैं। उनके भी लिमिटेशन्स होते हैं। हमारी राज्य सरकार भी उनको कोलोबरेट करती है। वह एक महीने तक चलता है। इसके अलावा वे लोग वन परसेन्ट आफ दी पापूलेशन से पूछताछ करते हैं। और फिर बाद में एवरेज निकाल कर हिसाब लगाया जाता है। हर इन्डीविजुअल व्यक्ति से तो जाकर पूछताछ करते नहीं हैं। इसके अलावा यह एक महीने तक कार्यक्रम चलता है। स्टेट गवर्नमेन्ट भी उसको कालोबरेट करती है। अलग से तो राजस्थान सरकार करती नहीं है।

श्री केदार नाथ : मेरा प्रश्न है कि पिछले तीन सालों में पावर्टी लाइन बढ़ी है या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास में तो सन् 67-68 तक के ही आंकड़े हैं, उसके बाद के उपलब्ध नहीं हैं। मैं अन्दाज से तो बता नहीं सकता हूं। यहां पर अन्दाजे से आंकड़े बता कर मुझे झूठी शाबाशी तो लेनी नहीं है। जो आंकड़े मेरे पास थे वह मैंने आपकी जानकारी के लिये दे दिये हैं।

श्री केदारनाथ : उन आंकड़ों के हिसाब से किस किस वर्ग में कितने कितने व्यक्तियों में पावर्टी अधिक बढ़ी है? क्या कोई परटीक्यूलर सैक्टर में अधिक पॉवर्टी बढ़ी है? और किस किस इयर से?

श्री चन्दनमल बैद : जैसा कि मैंने कहा है कि नेशनल सेम्पल सर्वे डिपार्टमेन्ट ने सर्वे किया है वह हर जगह का तो सर्वे करती नहीं है। वह तो सेलेक्टेड एरिया ले लेती है और वहां की पापूलेशन का सर्वे करती है। इसके आंकड़े जो मेरे पास थे वह मैंने आपको दे दिये हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि अनुसूचित जन जातियों के लिये ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाये जायेंगे तो या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स् के लोग जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में रहते हैं, उनके लिये ही बनाया गया है। क्या

(श्री पी. के. चौधरी)
ट्राइबल एरिया सिर्फ़ उदयपुर, डूंगरपुर वांसवाड़ा की एरिया के लोगों के लिये ही शिड्यूल प्रोग्राम्स चलाये जायेंगे। क्या यह जो दो सौ करोड़ की स्पेशल स्कीम चालू की गयी है वह सिर्फ इन्हीं जिलों के लोगों के काम आयेगी? क्या दूसरी जगह अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग नहीं हैं? क्या दूसरी जगह यह खर्च नहीं होगा?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग ज्यादातर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जिले में ही हैं।

श्री पी. के. चौधरी : यह बात बिल्कुल ग़लत है। यह अप्रेल, 75 के बाद एबोलिश कर दिये गये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जहां पर पापुलेशन में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग 50 प्रतिशत से ऊपर हैं यह वही एरिया है।

श्री पी. के. चौधरी : यह अब समाप्त कर दिये गये हैं। इसलिये मेरा प्रश्न सीधा है जिसका जवाब आप हां या ना में ही दें। क्या यह दो सौ करोड़ रुपया सिर्फ़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में ही ख़र्च किया जायेगा और दूसरी जगह, जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उन पर ख़र्च नहीं किया जायेगा? इसका जवाब हां या ना में दें।

श्री चन्दनमल बैद : हर प्रश्न का जवाब हां या ना में नहीं होता है। आप फरमाते हैं तो मुझे भी कहना पड़ता है। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा ही नहीं है किन्तु ब्यावर की दो तहसीलें, उदयपुर की दो तहसीलें और डूंगरपुर बांसवाड़ा का पूरा एरिया शामिल है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री शंकर लाल।

जिला चित्तौडगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया गया ऋण

25. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण दिया गया है? यदि हां, तो कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अब तक सारा ऋण वसूल नहीं हो पाया है? यदि हां, तो ऋण वसूल नहीं होने का क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि जो ऋण बैंक द्वारा दिया गया है वह अधिकतर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों ने लिया है? यदि हां, तो उनसे वसूल करने में कौन बाधक बने हुए हैं?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बहुत से पदाधिकारियों ने दूसरे व्यक्तियों के नाम से फर्जी ऋण प्राप्त कर लिये हैं? यदि हां, तो उन ग्राम सेवा सहकारी समितियां के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

राज्य मंत्री (श्री बनवारी लाल): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के लिये काफी जानकारी की आवश्यकता है, इसलिये इसके लिये समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

झालावाड में सैल्स टैक्स अधिकारी का कार्यालय

26. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में सैल्स टैक्स अधिकारी का कार्यालय खोले जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त कार्यालय वहां अभी तक क्यों नहीं खोला गया और कब तक खुल जावेगा ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझार सिंह) :—

(1) जी नहीं।

(2) दिनांक 1-7-74 से यात्री एवं मालकर सम्बन्धी कार्य ट्रान्सपोर्ट विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप झालावाड़ जिले की कर सम्बन्धी आय काफी कम हो गई है। अतः अभी वहां सी. टी. ओ. का कार्यालय नहीं खोला जा सकता। भविष्य में जब भी इस जिले की आय बढेगी वहां सी. टी. ओ. कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने बजट सत्र में यह कहा था कि इसकी आमदनी झालावाड़ से ज्यादा है। यह बोर्डर एरिया है और एम. पी. से लगा हुआ है और टैक्सों की चोरी होती है और इसका कारण है सैल्स टैक्स अधिकारी का वहां पर न होना।

श्री जुझारसिंह : पहले 12 लाख की आमदनी थी, ट्रान्सपोर्ट विभाग में यात्री एवं मालकर सम्बन्धी आमदनी चली जाने से अब वहां यह आमदनी नहीं रही है, इसलिये वहां पर सैल्स टैक्स अधिकारी रखना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 27

श्री जगमोहन सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

श्री चिम्मन सिंह भाटी।

सैनिक कल्याण कार्य हेतु वेलफेयर ओरगेनाइजर

28. **श्री चिम्मन सिंह भाटी** (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर, चित्तौडगढ, डूंगरपुर एवं बांसवाडा जिलों के अलग अलग सेवारत सैनिकों व अवकाश प्राप्त सैनिकों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ तहसील के सेवारत सैनिकों व अवकाश प्राप्त सैनिकों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री चिम्मन सिंह भाटी)

(3) क्या बांसवाडा, डूंगरपुर से चित्तौड़गढ़ तक एक वेलफेयर ओरगेनाइजर सैनिक कल्याण कार्य को सुचारू रूप से देख सकता है? यदि नहीं, तो सैनिकों की संख्या के अनुपात से वेलफेयर ओरगेनाइजर की भी संख्या क्यों नहीं बढाई जाती?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द): अवकाश-प्राप्त सैनिकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जो इस प्रकार है :—

जिले का नाम	अवकाश-प्राप्त सैनिकों की संख्या
उदयपुर	953
चित्तौडगढ	54
डूंगरपुर	10
बांसवाड़ा	17

सेवारत सैनिकों की सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

(2) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ तहसील के अवकाश-प्राप्त सैनिकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है जो इस प्रकार है :—

तहसील का नाम	अवकाश-प्राप्त सैनिकों की संख्या
भीम	565
देवगढ	34

सेवारत सैनिकों की सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां, एक वेलफेयर ओरगेनाइजर कार्य को सुचारू रूप से देख सकता है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चिम्मन सिंह भाटी : प्रश्न क्यों नहीं उठता? डूंगरपुर, बांसवाडा से लेकर चित्तौड़गढ़ एरिया तक एक वेलफेयर ओरगेनाइजर है जिनके लिये यह संभव नहीं हो सकता कि वह अपनी ड्यूटी को पूरी तरह अन्जाम दे सके।

श्री मूलचन्द : हर एक ओरगेनाइजर के लिये महीने में बीस दिन का टूर रखा गया है। अधिकतर भीम और देवगढ़ तहसीलों की यात्रा करता है। इसलिये जो व्यवस्था है वह उचित है और आवश्यक है।

श्री चिम्मन सिंह भाटी : आपने आंकडे दिये हैं 565 अवकाश-प्राप्त। सेवारत, 11 हजार से ऊपर हैं। इसलिये उस ओरगेनाइजर के लिये यह संभव नहीं है। वह वेलफेयर ड्यूटीज हैं उनका सही रूप से अन्जाम नहीं दे सकता है, इसलिये उसका हैडक्वार्टर चित्तौडगढ होना चाहिये। भीम और देवगढ भी उसके नजदीक पड़ते हैं।

श्री विजय सिंह (मांडल): सेवारत सैनिकों की सूची क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों असंभव बता रहे हैं?

श्री मूलचन्द : कोई अवकाश पर आता है, कोई सेवा निवृत्त होकर आता है, इसलिये उनके एक समय में हम आंकडे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं।

श्री चिम्मन सिंह भाटी : आर्मी के पास पूरे आंकडे होते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): सेवारत सैनिकों के सम्बन्ध में जो आंकडे होते हैं वे आर्मी के पास में आते हैं और आर्मी जो अभी सर्विस में हैं ऐसे लोगों के आंकडे राज्य

(श्री परसराम मदेरणा)
सरकार को नहीं देती है, इसलिये पब्लिक इन्ट्रेस्ट में इनको डिस्क्लोज भी नहीं किया जा संकता है ।

श्री विम्मनसिंह भाटी : प्लेस और पोस्टिग नहीं बताते हैं लेकिन नम्बर तो बता सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट कारखाने को लीज पर दिये गये प्लाट

29. **श्री चेतराम** (टोडारायसिंह), **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर सीमेन्ट कारखाने (जयपुर उद्योग लि.) को सीमेंट पत्थर की क्वैरीज (खानों) हेतु किस किस स्थान पर कौन कौन से खसरा नम्बर आवंटित किये हुए हैं या कारखाने के खरीदे हुए या लीज पर हैं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटों को निर्धारित नियमों के अनुसार लीज पर नहीं दिया गया है और न इनका नियमानुसार नवीनीकरण होता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि निर्धारित प्लाटों के क्षेत्र के अलावा सीमेंट कारखाने वालों ने खानों के साथ काफी रकबे पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है जिसका उन्होंने कोई Dead Rent या Lease, धनराशि (Royalty) कभी भी सरकार को नहीं दी है ? क्या सरकार सीमांकन पर अनधिकृत कब्जे से हटायगी तथा Dead rent या Lease वसूल करने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक ? तथा डेड रेन्ट तथा रोयल्टी की कुल कितनी धन राशि बकाया है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझार सिंह) : जयपुर उद्योग लि. को सीमेंट पत्थर की एक खान निकट ग्राम दुमेद फलोदी टोडरा एवं मन्देरी जिसका क्षेत्र 12.5 वर्ग मील एवं निकट ग्राम भैरवपुरा लछीपुरा बनराखो जिसका क्षेत्र 2.17 वर्ग मील कुल क्षेत्र 14.2 वर्ग मील तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर में आवंटित है ।

(2) उपरोक्त क्षेत्र निर्धारित नियमों पर लीज दिया गया है वह नियमानुसार ही नवीनीकरण होता है ।

(3) जी नहीं ।

श्री चेतराम : मन्देरी एवं बंजरी और भी खानें चल रही हैं, क्या वे लीज पर चल रही हैं ?

श्री जुझारसिंह : जी हाँ ।

श्री चेतराम : मैं यह निवेदन करूंगा बंजरी सडक निकाली गयी है क्या वह सरकारी जमीन लेकर के निकाली गयी है, रिजर्व फोरेस्ट से निकाली गयी है ? क्या उसके लिये सरकार को पेमेन्ट किया गया है ?

श्री जुझारसिंह : सडक की जानकारी नहीं है । जो भी एरिया लीज में दर्ज है उस पर पार्टी काम कर रही है ।

श्री चेतराम : एग्रीमेंट जो हुआ, वह क्या हुआ और इस समय जो फैक्ट्री वाले वर्क कर रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा पेमेन्ट कर रहे हैं ?

Page No 11

(11)

श्री जुझारसिंह : अभी भी काम कर रहे हैं, करीब 1,38 हजार, डेफिनेट आंकडे तो नहीं हैं इस समय, वे पे कर रहे हैं ।

श्री चेतराम : एरिया कितना है ?

श्री जुझारसिंह : 14.2 स्क्वेयर मील। डेडरेन्ट 1 लाख 38 हजार के करीब ।

श्री चेतराम : एक्ट में जो प्रोविजन है उसके अनुसार डेडरेन्ट बढ़ता जा रहा है या कैसे ?

श्री जुझारसिंह : ओरिजनली एग्रीमेंट 48 में किया गया । फेज्ड मिनरल्स की मयाद 20 रु. साल की होती है । 69 में एग्रीमेंट रिवाइज हुआ और डेडरेन्ट 1 लाख 38 हजार के करीब है ।

श्री चेतराम : पहले कितना था ?

श्री जुझारसिंह : वे फिगर्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री चेतराम : क्या यह सही है कि पहले जो लीज अमाउन्ट था उसको 50 परसेन्ट रिड्यूस करके यह किया है ? क्या नवीनीकरण जो किया गया है एक्ट के हिसाब से बढ़ते हुए डैड रेन्ट के अनुसार किया है ? मंत्री महोदय इसको देखें और अवगत करायें ।

श्री जुझारसिंह : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। अभी डैड रेन्ट 1,38,211 रु. है । पहले कम था या बढा यह मैं जानकारी कर लूंगा ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : किस कारण से बढ़ा यह तो जानकारी आपको होनी चाहिये ?

श्री रामगोपाल : नोटिस दिया गया है तहसील से ?

श्री जुझारसिंह : डिपार्टमेन्ट ने तो रिकवरीज का नोटिस दिया है ।

श्री रामगोपाल : उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चेतराम : उन्होंने वहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है । जिसके लिये उनको नोटिस दिया गया है । लीज मनी पे किया या नहीं उसका यह आप देख लीजिये । डिपार्टमेन्ट उनको हर प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहा है । इसलिये इसका डिमार्केशन करवाया जाय और उसके बाद ही इजाजत दी जाय ।

श्री जुझारसिंह : आपका प्रश्न यह है कि अनओथोराइजड वर्किंग कर रहे हैं लीज एरिया में उसका उत्तर दिया गया है कि अनओथोराइज्ड रूप से लीज एरिया में काम नहीं कर रहे हैं । फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की जमीन पर कब्जा किया है तो उसका नोटिस उनको दिया गया होगा । इस डिपार्टमेन्ट से इसका सम्बन्ध नहीं है । स्पाट पर चैकिंग किया जाता है । हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी अनओथोराइज्ड वर्किंग नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने से अश्रव्य) :

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री रामगोपाल : उत्तर नहीं दिया है पूरा ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री राजेन्द्र भारतीया : एक सप्लीमेन्टरी प्लीज ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 30 ।

श्री अध्यक्ष : व्हाई शुड यू वेट एन्ड नाट आस्क दी क्वेश्चन ? यू रिमेन्ड सिटिंग एन्ड नाऊ यू आर आस्किग दी क्वेश्चन व्हेन आई हैव काल्ड दी नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री राजेन्द्र भारतीया : प्रश्नकर्ता के अलावा और किसी को मौका ही नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : आप केवल इन्तजार कर रहे थे ।

नाऊ नेक्स्ट क्वश्चन । आई हैव आलरेडी काल्ड इट ।

देशी शराब के ठेकेदारों पर बकाया राशि

30. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के देशी शराब के ठेकेदारों पर राज्य सरकार की कितनी बकाया है ? कृपया नाम एवं जिलेवार राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

आबकारी मंत्री (श्री चन्दन मल वैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पहले ही पोस्टपोन करने के लिये निवेदन कर चुका हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न दस दिन पहले ही दे दिया था । शराब के ठेकेदारों के अन्दर बकाया का सवाल है । आपके डिपार्टमेंट में आंकड़े मौजूद हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : उनको इकट्ठा करने में समय लगेगा । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि सदन के सेशन में रहते हुए यदि यह इनफारमेशन नहीं आवेगी तो बाद में स्पेशियली यह मैं उनके पास भिजवा दूंगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा निवेदन है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी देंगे लेकिन यह सदन उस जानकारी से वंचित रह जावेगा । 15 दिन के नोटिस के बाद भी हमारे प्रश्न का उत्तर सदन में न आये यह तो बडी ही अनुचित बात है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री देवीलाल ।

विकास अधिकारियों को पदोन्नति

31. **श्री देवीलाल** (सराडा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान विकास विभाग से राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में सन् 64 से 74 तक कितने विकास अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी ?

(2) वर्तमान में उक्त कोटे में कितने पद रिक्त हैं तथा किस किस वर्ष से ?

(3) यदि स्थान रिक्त हैं तो कब तक विभाग द्वारा उक्त कार्य पूरा करने की आशा है ?

राज्य मंत्री (श्री बनवारी लाल) :

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर. ए. एस.) के नियम 7 (सी) के अन्तर्गत किसी भी विकास अधिकारी को पदोन्नति नहीं दी गयी है।

(2) वर्तमान में उक्त कोटे के अन्तर्गत निम्न पद रिक्त हैं :—

वर्ष 1963	2
वर्ष 1966	1
वर्ष 1972	2
वर्ष 1973	2
योग	7

(3) नियमों में संशोधन की कार्यवाही कार्मिक विभाग में चल रही है। संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

श्री देवीलाल : यह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्री बनवारी लाल : यह कार्मिक विभाग से पहले हुए बगैर पूरी नहीं होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : संशोधन नियमों में किया है। क्या संशोधन करना चाह रहे हैं ?

श्री बनवारी लाल : इसमें विभिन्न विभागों के लोग विकास अधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं। पुराने केडर के जो विकास अधिकारी हैं उनके लिये प्रपोजल भेजे हैं वे फाइनल होंगे उसके बाद ही उस पर निर्णय किया जा सकेगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : कौनसी समिति है ? कब से भेजा और कब से कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष :

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : 147 कृषि विभाग। 145 नान केडर के हैं। 147 को कृषि विभाग में उनके पदों पर कर दिया जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा प्रश्न यह था नियमों में संशोधन का। मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे। आपने बीच में ही उनका कन्धा पकड़ कर नीचे बैठा दिया कि यह तो आपका प्रश्न है।

मेरा प्रश्न यह है कि यह संशोधन की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ हुई, किनके सम्मुख प्रस्तुत है और कब समाप्त हुई है ?

श्री बनवारी लाल : यह अपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट फाइनल कर रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह निवेदन किया था कि कब से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई, आपके जन्म काल से कितने साल पहले हुई ? और अब यह प्रक्रिया कब समाप्त होगी ? आप के साथ समाप्त होगी या आपके बाद भी रहेगी ?

श्री बनवारी लाल : हमारे रहते हुए हो जावेगी।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को ट्रेनिंग में भेज दो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

राजस्थान नहर क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में पेयजल योजना

32. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कस्बा लूणकरणसर में बीकानेर से रेल द्वारा पानी पहुंचाने में प्रति वर्ष कितना खर्चा आता है ?

(2) क्या सरकार इस चालू खर्चे को समाप्त करने के इरादे से राजस्थान नहर क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बीकानेर के इनीशियेटिव से तैयार की गई योजना को स्वीकृत करने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के पेय जल योजना के लिये 74-75 में करीब 6 लाख का प्रावधान है ? अगर हां, तो उक्त प्रावधान के उपरोक्त कस्बे की योजना की स्वीकृति में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद)

(1) जिलाधीश, बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम लूणकरणसर को बीकानेर से रेल द्वारा पानी पहुंचाने में वर्ष 73-74 में 1,46,373 रु. खर्च किया गया व वर्ष 72-73 में 1,87,730 रु. खर्च किया गया है।

(2) जी हाँ, धन की उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत की जा सकेगी ।

(3) राजस्थान नहर के नगरीय क्षेत्र में जल योजना हेतु वर्ष 74-75 में कोई राशि प्रस्तावित नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लूणकरणसर के निवासियों को पेयजल पहुंचाने के लिये 1 लाख से अधिक राशि खर्च करनी पडती है और 33 हजार रुपये केवल पानी पहुंचाने में खर्च कर रही है ? क्या इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकती कि जिससे रेकरिंग खर्चा बन जाय ?

श्री चन्दनमल बैद : यह राज्य सरकार के ध्यान में है । क्योंकि पानी का स्रोत वहाँ उपलब्ध नहीं है । राजस्थान नहर का पानी आ रहा है । ग्रामीण योजना में पेय जल उपलब्ध होगा इसकी प्रायोरिटी दी जायेगी ।

श्री गोपाल जोशी : लूणकरणसर तक पानी आ चुका है । फिर भी वहाँ वाटर सप्लाई योजना को शुरू नहीं किया गया है। कब तक कम्पलीट हो जावेगी इसका पक्का आश्वासन नहीं दे सकते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : पानी का स्रोत···

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गोपाल जोशी : बीकानेर से पानी आने का खर्चा बच जावेगा।

श्री चन्दनमल बैद : कितना बड़ा स्रोत है यह मैं नहीं जानता। तानू में इतना बड़ा नहीं है·····

श्री गोपाल जोशी : 12 मील है । कब सर्वे किया

श्री चन्दनमल बैद : इसको प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर करेंगे ।

श्री गोपाल जोशी : राजस्थान नहर का प्लान है, वहाँ पानी आ रहा है तो देने में क्या दिक्कत है ?

कई माननीय सदस्य :(एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

बाड़मेर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय

33. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय कहां कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों विशाल के क्षेत्र को देखते हुए एवं सिवाना, बालोतरा, छोटीमना और/सिणधरी पंचायत समितियों में जहां रबी की फसल होती है, के काश्तकारों को फसल अभियान में प्रोत्साहन देकर पैदावार बढाने के लिये एवं जैसलमेर जिला और बाडमेर जिलों के खड़ीनों में किसानों को पैदावार बढाने के लिये प्रोत्साहन करने के लिये बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलना आवश्यक और वाजिब समझती है ? यदि हां, तो वहां जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय कब तक स्थापित कर दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी नहीं । अर्थाभाव के कारण ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह मुझे जो लिस्ट दी गयी है बाड़मेर, जैसलमेर और झुंझुनूं जिलों के अलावा दूसरी सब जगह जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय हैं । बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में 10 दस हजार स्क्वायर मील का एरिया है । सिवाना, बालोतरा, छोटीमना और सिणधरी जो बड़ा प्रोस्पेक्टिंग एरिया है, इस क्षेत्र में बाजरा बहुत अधिक पैदा होता है, कृषि की दृष्टि से प्रोडक्शन बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है । लेवी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा मिली है । इन सारी बातों को देखते हुए कृषि प्रसार अधिकारी का कार्यालय नहीं खोलना कहां तक उचित है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन कर दूं कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की 8 पंचायत समितियों में 8 कृषि ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं । कुछ ऐसी पंचायत समितियां हैं जिनमें कृषि प्रसार अधिकारी नहीं हैं । कुल मिला कर बाड़मेर का सिंचित एरिया 14172 हैक्टर है जालौर बाड़मेर उनकी दृष्टि से एक जगह अधिकारी हो जो इतने एरिया को लुक-आफ्टर कर सके । मैं नहीं समझता जिला कृषि अधिकारी का आफिस खुलने से प्रोडक्शन बढ़ जायेगा या उसके अभाव में नहीं बढ़ेगा । यदि जिला प्रसार अधिकारी का आफिस नहीं हो तो दूसरी जगह से पहुंचाने की कोशिश की जाती है । मैं समझता हूं सही समय पर पानी आये, सही समय पर खाद बीज आये और सही समय पर दूसरी चीजें हों उसकी जानकारी किसानों को दी जाय उसमें अभाव है तो सोचा भी जा सकता है । बहुत बड़ा फैक्टर आज फाइनेन्स का है । इसलिये इन सब बातों को देखते हुये यदि और कोई आवश्यकता आप अनुभव करते हैं तो मैं पूर्ति करने को तैयार हूं केवल जिला कृषि अधिकारी का ही आफिस खुल जाय उससे कोई बात नहीं बनती है और फिर फाइनेन्स की दृष्टि से मुमकिन ही नहीं है ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आज कृषि अधिकारी का कार्यालय होता है तो इसमें सब में सुविधा हो जाती है नहीं तो जालौर से की जाती है और वह बहुत डिसटेन्स पर है। जालौर किसी वजह से उपयुक्त नहीं है। मैंने सुझाव दिया था बाड़मेर-जैसलमेर सीमावर्ती इलाके हैं। अर्थाभाव का कारण कह कर प्रोग्रेस करना नहीं चाहते हैं। एज्यूकेशन के दो माध्यम हैं, जब तक जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय नहीं हो तब तक कोर्डिनेशन नहीं हो सकता है. डवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्यों दूसरी जगह जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय हैं। उनमें भी आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री शिव चरण माथुर : बहुत सी जगह दो दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक एक जिला कृषि प्रसार अधिकारी रखे गये हैं। चूरू और बीकानेर में भी एक है.......

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वे छोटे हैं।

श्री शिव चरण माथुर : चूरू और बीकानेर छोटे हैं ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जी हां।

श्री शिव चरण माथुर : झुन्झुनूं और सीकर में एक है। और आज यहां ज्यादा आवश्यकता है कोटा में दो जिला कृषि प्रसार अधिकारी हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ में दो दो हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला कृषि अधिकारी के आफिस के खुलने से एनफोर्स करने में कोई फरक नहीं पड़ेगा। वैसे जालौर से बाड़मेर भेजना होगा तो नियरेस्ट होगा वहां से जायगा इसलिये यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहर कोठारी।

एकलिंग मन्दिर के कोष में चान्दी के कलदार रुपये।

34. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एकलिंग मन्दिर के कोष में बड़ी मात्रा में चांदी के स्वरूप शाही व कलदार रुपये तथा चढ़ावे की चांदी जमा थी ? यदि हां, तो पुरानी चांदी के स्वरूपशाही तथा कलदार रुपये कितने थे तथा चांदी सहित उसका बाजार मूल्य क्या था ?

(2) क्या यह सही है कि अब वहां के कोष में चांदी के स्वरूपशाही व कलदार रुपये उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो उनका क्या हुआ ?

श्री मूलचन्द (उप मंत्री, देवस्थान) : (1) एकलिंग जी मन्दिर पर देवस्थान विभाग का नियंत्रण नहीं है। अतः इस विभाग को इस मन्दिर के कोष की वस्तुओं की कोई जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनोहर कोठारी : मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं नियंत्रण क्यों नहीं है जबकि आपको इस बात की जानकारी है या नहीं सन् 1946 में मेवाड़ का संविधान बनाया गया था और उसी संविधान में भी शिड्यूल है उसमें एकलिंग जी मन्दिर का नाम नम्बर एक पर है और ऋषभदेव जी के मन्दिर का नम्बर 21 पर है। ऋषभदेव जी के मन्दिर का हाई कोर्ट से निर्णय हुआ। यह जैनियों का मन्दिर है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट

(श्री मनोहर कोठारी).

में गई और उसी को बेसिस बनाकर राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय हो चुका है। इसका अपना संविधान था इसलिये जो राज्य सरकार के देवस्थान निधि के अन्तर्गत जो मन्दिर आ गये थे वे किसी सम्प्रदाय के नहीं हो सकते हैं। सरकार के अधीन होने चाहिये। ऐसे ही ऋषभदेव जी का मन्दिर कब्जे में आ गया तो यह क्यों नहीं है। इसकी जानकारी क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय जो देवस्थान से सम्बन्धित मन्दिर होते हैं उनमें तीन केटेगरी होती हैं। उसमें एकलिंग जी के मन्दिर का कोई जिक्र नहीं है। सन् 55 में जो डिक्लेरेशन था हिजहाइनेस ने सूची दी थी उसमें एकलिंग जी का मन्दिर और उससे सम्बन्धित अम्बा माता का मन्दिर और आशा माता का मन्दिर, इसमें एकलिंग जी के मन्दिर की कोई जेवरात की सूची नहीं दी थी और इन दो मन्दिरों में जरूर चांदी के जेवरात बताये थे, यह सूचना तो है लेकिन देवस्थान का डाइरेक्ट कन्ट्रोल कोई नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : 1946 में संविधान बना-उसमें एकलिंग जी के मन्दिर का नाम नम्बर एक पर है और ऋषभ देव जी के मन्दिर का नाम नम्बर 21 पर है। आप पहले तो यह बतायें कि संविधान बना उसकी जानकारी आपको है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अलग से पूछिये। आपने प्रश्न पूछा है एकलिंग जी के मंदिर में चान्दी के इतने रुपये थे और गायब हो गये। आप यह पूछ लेते कि उदयपुर स्टेट का सन् 1946 का कान्स्टीट्यूशन है उसमें एकलिंग जी के मंदिर का सीरियल नम्बर कहां था और ऋषभ देव जी के मन्दिर का सीरियल नम्बर कहाँ पर था। इसका हाईकोर्ट में हवाला दिया गया था कि ट्रस्ट में रजिस्टर होना चाहिये लेकिन एकलिंग जी के मन्दिर के सम्बन्ध में पब्लिक एक्ट के अनुसार कार्यवाही की गई थी और जब पब्लिक एक्ट में 69 में कार्यवाही की गई तो असिस्टेन्ट कमिश्नर ने उसकी पंजीकृत करना उचित नहीं समझा जिसकी अपील कमिश्नर के पास गई और इसके जो प्रोविजन्स हैं उस प्रोविजन के अनुसार जांच नहीं की गई इसलिये रिमान्ड किया गया, 71 में उसके बाद नोटिसेज दिये गये। उसके बाद पंजीकृत की कार्यवाही हुई है। राज्य सरकार की पंजीकृत के बारे में जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहिये।

श्री मनोहर कोठारी : वह प्रश्न भी मैंने पूछा है। कब संविधान बना आपके पास संविधान की प्रति भी उपलब्ध नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो प्रश्न आ जायगा तब दूंगा लेकिन जो जानकारी दी है उसके लिये मैं शुक्रगुजार हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामलाल।

क्रय विक्रय सहकार समिति लि., बाड़ी की आडिट रिपोर्ट

35. **श्री राम लाल (बाड़ी)** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बाड़ी की आडिट रिपोर्ट के अनुसार 1, 19, 240 रुपये 62 पैसे के गबन की जांच में एक साल से ज्यादा हो गया ?

(श्री रामलाल)
यदि हां, तो अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई ?

श्री बनवारी लाल (उप मन्त्री, सहकारिता) : जी हां। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत दिनांक 2-5-73 से जारी है। जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कार्यवाही क्या जारी है। इसमें क्वेश्चन है एम्बेजलमेन्ट का। आडिट रिपोर्टों में जाहिर हुआ है। क्या कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री बनवारी लाल : इसमें 1966 के रूल्स के तहत धारा 74 में कार्यवाही जारी है।

श्री मीठालाल : आप यह गबन मानते हैं?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : रुपया खा गये हैं एन्क्वायरी हो रही है रुपया वसूल करने की कार्यवाही हो रही है या रुपया वसूल नहीं करने की कार्यवाही हो रही है? तीसरी बात क्या एफ. आई. आर. दर्ज की, इन तीन में से कौनसी कार्यवाही हो रही है।

श्री बनवारी लाल : किस पर क्या लायबिलिटी है, यह एन्क्वायरी हो रही है। उसके लिये राज्य सरकार ने लिख दिया है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : 1,19,200 यह कब हुआ गबन। आपने कब ट्रेस आउट किया और ट्रेस आउट के बाद क्या कार्यवाही की? इन तीन बातों का उत्तर दीजिये।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय आडिट हुआ तब ही जानकारी में आया है और जानकारी में आते ही राज्य सरकार की कार्यवाही जारी है और अतिशीघ्र सम्पन्न करने की कोशिश की जायगी।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : प्रश्न यह है कि एक लाख से ऊपर की रकम गबन हुई यह प्रश्न क्या आप उचित समझते हैं। बड़ी रकम के गबन के बाद आप केस इन्वेस्टीगेशन के लिये देते बजाय इसके अन्दर अन्दर ही कार्यवाही करते रहे और कार्यवाही को यही समाप्त कर दी। आडिट रिपोर्ट को मानते हैं तो क्यों नहीं पुलिस में दे देते हैं।

एक माननीय सदस्य : आडिट रिपोर्ट में गबन का कब मालुम हुआ था ?

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय एक साल के अन्दर रिपोर्ट में गबन नहीं हुआ है 60 से 71 तक 10 सालों की अनियमितता की रिपोर्ट्स आई हैं।

एक माननीय सदस्य : आडिट ने रिपोर्ट आपको कब दी है ?

श्री गुमानमल लोढा : किस डेट को आई ?

श्री बनवारी लाल : जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी आते ही माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह प्रश्न कोई अबकी बार ही नहीं पूछा गया है। पहले भी पूछा गया है। कितने सालों में यह उत्तर आया फिर भी अपूर्ण ही जानकारी है। किन किन व्यक्तियों ने गबन किया

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और कब कब किया, यह कब मालूम हुआ और केस रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ, रिकवरी हुई या नहीं हुई। इस प्रश्न का विस्तार से मालूम हो जाय। सदन में प्रश्न आ जाय और उसको टाल दिया जाय यह उचित नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मन्त्री) : इस क्रय-विक्रय संघ की आडिट 60 से 71 तक की 10 साल में हुई है। एक लाख 19 हजार दो सौ का गबन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा होना पाया गया है जिनकी सूची आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। उसके बाद उसकी कार्यवाही विभाग द्वारा चालू कर दी गई। राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत प्रत्येक मामले के अन्दर पूरा समय देकर उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जा रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि माननीय सदस्य ने चाहा है कि इसको पुलिस में इन्वेस्टीगेशन के लिए क्यों नहीं दे दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि पुलिस की इन्वेस्टीगेशन संस्था के हित में हुई तो पुलिस में इन्वेस्टीगेशन के लिये देने के लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रश्न यह है कि किस प्रकार से 1 लाख 19 हजार रुपया का जो तथा कथित गबन आंडिट से आया है वह संस्था के हित में वापिस प्राप्त किया जा सके, यह प्रयत्न चल रहे हैं इसमें विलम्ब हुआ है इसमें दो राय नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की जाय और हम देखेंगे कि इसमें और अधिक विलम्ब न हो।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) एक माननीय सदस्य ही बोलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि पुलिस में यह कार्यवाही के लिये दिया जाये या नहीं यह विभाग के हित में होगा या नहीं इसकी जांच की जा रही है मैं नहीं समझता कि पुलिस की जांच और क्रिमिनल्स को सज़ा दिलवाना विभाग के हित में नहीं है इसका अर्थ यह है कि जिन व्यक्तियों ने गबन किया है वह उस विभाग में बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं या उनको छिपाया जा रहा है इस बात के लिए। मैं कहता हूं कि जहां 74 की कार्यवाही हो रही है वह अलग से हो सकती है लेकिन पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवा कर और प्रोसीक्यूट करवाने में कोई बाधा नहीं पड़ती। क्या मन्त्री महोदय इस प्रक्रिया से उनको पुलिस से बचाना चाहते हैं? मैं यह पूछना चाहूंगा······

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि इसमें कोई बड़े अधिकारी इनवाल्व नहीं हैं। नम्बर 2······

श्री गुमानमल लोढ़ा : नाम बतायें।

श्री रामनारायण चौधरी : ····पुलिस इन्वेस्टीगेशन भी विभाग के हित में नहीं होगा ऐसा नहीं कहा। इस संस्था के हितों में यदि एफ. आई. आर. दिया जाना जरूरी हुआ तो सरकार को आपत्ति नहीं होगी। प्रश्न यह है कि किस प्रकार से धन की रक्षा की जाये और किस प्रकार से रिकवरी हो यह अहम प्रश्न है। तो इसका प्रयत्न किया जा रहा है और यदि आवश्यक समझा

(श्री रामनारायण चौधरी)

गया और क्लियर-कट केस बनता है तो पुलिस को देने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

एक माननीय सदस्य : पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में क्या वसूली बन्द हो जायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह : इस समिति में प्रशासक नियुक्त हुआ है या वही सोसाइटी कार्य करती चली जा रही है और कोई गबन का केस चालू है ?

श्री रामलाल (बाड़ी) : आज तक आपने क्या कार्यवाही की ? क्रय-विक्रय संघ में गबन है इसकी क्या कार्यवाही की ? यह तो नाममात्र का गबन है । उनके संबंध में आज तक क्या कार्यवाही की ? मैंने 72 में प्रश्न उठाया था, 1973 में उठाया था और अब उठाया है–आज तक कोई कार्यवाही नहीं की । आप बतायें कि क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

श्री गुमानमल लोढ़ा : नाम क्यों छिपाये जा रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : नाम तो सामने हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नाम बता दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी अनुमति से नाम की सूची को सदन के सम्मुख पढ़ देता हूं · · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : 1972 और 1974 में जवाब दिया है वह भी बता दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सूची पढ़ देता हूं ।

वर्ष	नाम गबनकर्ता	गबन की राशि
1960-61	श्री बाबूलाल कैशियर	782.22
1961-62	(कोई गबन नहीं है)	
1962-63	श्री रामनाथ गुप्ता भूतपूर्व मैनेजर	1069.56
1963-64	श्री भगवत प्रसाद, अध्यक्ष	900.00
	श्री उम्मेद सिंह, कैशियर	140.00
1964-65	श्री उम्मेद सिंह, भूतपूर्व मैनेजर	791.00
1965-66	श्री उम्मेद सिंह	2.00
	श्री बाबूलाल, कैशियर	156.00
	श्री केवलराम, मुनीम	57.34
1966-67	श्री उम्मेद सिंह	1340.00
	श्री बाबूलाल	1410.43
	श्री केवलराम	20.00

(श्री रामनारायण चौधरी)

वर्ष	नाम गबनकर्ता	गबन की राशि
1967-68	(कोई गबन नहीं है)	
1968-69	श्री बाबूलाल	4153.54
	श्री बाबूलाल एवं नवल सिंह व्यवस्थापक	3709.60
	श्री केवलराम, बाबूलाल एवं नवल सिंह व्यवस्थापक	25379.70
	श्री बाबूलाल एवं श्री केवलराम	19031.00
	श्री केवलराम	33608.60
1969-70	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, भूतपूर्व व्यवस्थापक एवं श्री प्रभुलाल	20.40
	श्री केवलराम	3921.60
	श्री नवलसिंह भूतपूर्व व्यवस्थापक	5.00
	श्री केवलराम एवं श्री बाबूलाल	4800.00
	श्री केवलराम, बाबूलाल एवं नवल सिंह	10000.00
1970-71	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	7934.03
		119240.62

यह गबन दस सालों का है । इसमें कोई बड़ा अधिकारी नहीं है और विभिन्न पदाधिकारी और मेम्बर्स इसमें इनवाल्व्ड हैं । तो उनकी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ 74 की कार्यवाही चालू है, नोटिसेज दिये जा रहे हैं और जल्दी ही नियमानुसार निर्णय कर दिया जायेगा । किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गयी है और न की जायेगी ।

श्री रामगोपाल : यह प्रश्न तीन बार उठाया जा चुका है ....

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) माननीय सदस्य यह समझते हैं कि 6 माननीय सदस्यों का उत्तर एक साथ मंत्री महोदय दे सकते हैं क्या एक समय में ? एक माननीय सदस्य एक बार में पूछें तो उत्तर आ जायेगा । एक माननीय सदस्य ।

श्री रामगोपाल : 3 बार उठाया गया है और फिर भी कहते हैं कि कार्यवाही चल रही है ।

श्री मानकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, इसमें टाइम लिमिटेशन का सवाल आने पर कितनी ही रकम बेकार हो गयी होगी ।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है आपका ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह टैक्सेशन एडवोकेट की राय है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि 1961 से लेकर 1971 तक रेगुलर अमुक अमुक व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से गबन किये । यह जानकारी राजस्थान सरकार के सामने आती रही और उनको प्रोत्साहन इसलिए मिलता रहा कि अमुक व्यक्ति ही दुबारा गबन करते रहे तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय पुलिस कार्यवाही करने के लिए आज कोई आदेश देना चाहते हैं ? क्या आप सोचते हैं और जैसा कि मंत्री महोदय ने पहले कहा कि हो सकता है पुलिस की कार्यवाही नहीं करने से गबन वापिस लाया जा सकता है तो क्या पुलिस में देने के बाद आपका गबन किया हुआ धन वापिस वसूल नहीं हो सकेगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या इस कार्यकारिणी को डिजाल्व किया है या आज भी कार्य कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी विस्तृत उत्तर देने की कोशिश की है और माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने को चेष्टा की है लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले की काफी उग्रता है । मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि जिन लोगों के अन्दर यह रुपया बकाया है तो सहकारी अधिनियम के अनुसार जिस तरीके से वसूली की कार्यवाही हो सकती है, मैं उसको एक्सपेडाइट कराऊंगा और इन दी मीन टाइम जो पुलिस के काबिलेदस्तन्दाजी कार्यवाही की जाना जरूरी है, पुलिस इन्वेस्टीगेशन के लिए देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, उसको सुपुर्द कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलते रहे अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : छोटे 2 कर्मचारियों में पांच पांच रुपये बाकी हों तो उनके हथकड़ी डाली जाती है लेकिन यदि चुने हुए सदस्य पच्चीस पच्चीस हजार का गबन करे तो भी कार्यवाही न करे और माननीय मंत्री कहें कि संस्था के हित में कार्यवाही नहीं की तो क्या सरकार इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है । एक चपरासी, एक कैशियर, एक एल. डी. सी. पांच रुपये का गबन करे तो उसके हथकड़ी डाल कर घुमाया जाता है लेकिन जिनमें हजारों रुपया बाकी है, पच्चीस पच्चीस हजार का गबन किया है उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती तो क्या इस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहती है । बारह बारह साल से मामले पड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि विचार करेंगे। इस तरह से हम भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 40 है । पांच साल में साठ लाख रुपया खर्च किया है और प्लाट अलाट किए हैं 168 । इसको स्थगित करवा दीजिए साहब ।

(कई मा. सदस्यों के साथ साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप ? मैं तो सुन नहीं पा रहा हूं आपकी बात ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा प्रश्न सं. 40 है उसके बारे में अभी समय नहीं है तो अगले समय के लिये स्थगित करवा दें । काफी इम्पोरटेंट प्रश्न है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : The question, as requested, stands postponed.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष : मैं तो सभी को महत्वपूर्ण मानता हूं और सभी को अहम मान लेता हूं लेकिन मेरे पास समय जो है उसको, आपके सहयोग के अनुसार ही समय दे सकूंगा ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी गुजारिश यह है कि ......

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें सूचना मुझे प्राप्त नहीं हो सकी है, उसको तो आलरेडी पोस्टपोन्ड कराया है । वह तो आलरेडी नेक्स्ट टर्न पर आएगा ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

छबड़ा के एनफोर्समेन्ट आफिसर के विरुद्ध शिकायतें

27. (13 । क्र. मं.) श्री जगमोहन सिंह:–क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परगना छबड़ा में तैनात एनफोर्समेंट आफिसर के खिलाफ गेहूं की लेवी वसूली के अभियान के दौरान भ्रष्टाचार किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बाबत परगना अधिकारी, छबड़ा ने जांच भी की है और जांच से आक्षेप सही पाये गये हैं ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां परगना अधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कर्मचारी (श्री अमरसिंह सवेरा) की सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से सरकार द्वारा गंगनहर की मरम्मत न करने के विषय में,

(2) सर्व श्री मूलचन्द सामरिया, मीठालाल व सुरेशचन्द्र सदस्य विधान सभा की ओर से गत 9 अगस्त को कांग्रेस द्वारा दिल्ली में आयोजित युवक रेली में भाग लेने वाले युवकों द्वारा राजस्थान के विभिन्न स्थानों

(श्री अध्यक्ष)
व स्टेशनों पर उपद्रव, लूट खसोट आदि करने के विषय में,

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से कई परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित न होने के कारण विद्यार्थियों को कालजों में प्रवेश न मिलने के विषय में,

(4) श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर में रबी की फसल खराब हो जाने के बावजूद भी किसानों से लेवी वसूल करने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(5) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा, केसरी मल, रतीराम यादव और मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के विषय में । इस विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत किया जा रहा है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री रतीराम यादव : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया........

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्ताव आये हैं, एक से ज्यादा होने से लिया नहीं जा सका है ।

श्री रतीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो.......

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि जिन माननीय सदस्यों के एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव आये हैं, दो स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनमें नियमों के तहत एक ही स्वीकार किया गया है, बाकी के लिये चैम्बर में बात कर लें ।

श्री केशरीमल : मेरा तो अलग से स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव था......

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव के मुत्तल्लिक मुझ से मिल लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पुलिस के द्वारा अत्याचार किये गये हैं उस बारे में रतीरामजी का प्रस्ताव है बाकी जो सपोर्टिंग हैं ।

श्री अध्यक्ष : उस पर चार आदमियों के दस्तखत हैं । जो दस्तखत करते हैं वे भी उस एडजोर्नमेंट मोशन के जिम्मेदार माने जाते हैं। मेरे पास आजाइएगा मैं बता दूंगा ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त को जयपुर से दिल्ली कांग्रेस की रैली के अन्दर भाग लेने के लिये राजस्थान से जगह 2 से युवक लोग जा रहे थे । 9 तारीख को करीब तीन चार बजे वे कोटपूतली पहुंचे और कोटपूतली पहुंचते ही उन्होंने वहां की सारी दुकानों पर हमला बोल दिया और जितनी खाने पीने की चीजें थीं उनको लूट लिया और दुकानों पर जितना सामान था लूट लिया । जो हमारी सरकार ने बहुत बडा ठेका शराब का लगा रखा है उस पर लम्बी लाइन लगी और उस शराब खाने को भी लोगों ने लूट लिया । अध्यक्ष महोदय, वहां पर दुकानदारों के साथ मारपीट हुई ।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
बताया जाता है कि बहुत से यहाँ के नेता भी उनके साथ वहाँ मौजूद थे। ऐसी हालत में भी अध्यक्ष महोदय, पुलिस मौके पर पहुंची नहीं और जब पुलिस पहुंची तो उसको यह आर्डर दिया गया कि दुकानदारों को गिरफ्तार किया जाय, इससे जनता में असन्तोष व्याप्त है। हालत यह है कि जहाँ एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ता है कि इससे ज्यादा लज्जाजनक बात नहीं हो सकती। कोटपूतली का उन्होंने सारा ट्रैफिक रोक दिया, दुकानदारों के साथ मारपीट की, उन लोगों के चोटें आईं, वहाँ का बाजार बन्द रहा, वहां हड़ताल हुई, लोगों में भयंकर असंतोष है। वहाँ अभी तक आतंक छाया हुआ है और पुलिस द्वारा फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम............

श्री दीपंकर : मैं आपसे यह पूछता हूं कि किसने लूटा है....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, कृपा करके आप बैठिये।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : कोटपूतली के दुकानों का सामान लूट लिया और बस में भर कर ले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी गृह मंत्री जाँच करायें और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं जो बर्बाद हो चुके हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये फिर भले ही वे किसी दल के हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के हालात देश में चल रहे हैं, गुजरात और बिहार में जो कुछ हुआ है और हो रहा है उसके लिये एक तरफ तो यह कहा जाता है कि विरोधी दल बढ़ावा दे रहे हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, लूटपाट करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार के नुमाइन्दे जिस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिये भावी कर्णधारों को जिस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, रेली में लेजाकर जिस प्रकार की अराजकता फैलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वह किस बात का प्रमाण है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के हालात से सख्ती से निपटना चाहिये। आपकी पुलिस ने मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की। वहाँ का सी. ओ. मौजूद था, पुलिस अधिकारी मौजूद थे लेकिन वे चुपचाप रहे। चाहे कोई भी क्यों न हो, इस प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये था लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करके पुलिस को यह कहा गया कि दुकानदारों को गिरफ्तार करो, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है। कोटपूतली के लोगों में इससे बड़ा भारी असंतोष है। वहाँ पर दुकानों से खाने पीने की चीजों के पैसे नहीं दिये गये हैं, उनको लूट लिया गया है और इस पर पुलिस कुछ नहीं करना चाहती है। एक तरफ आप कहते हैं कि जो अराजकता फैलायगें उनसे सख्ती से निपटना चाहते हैं जिससे अराजकता की स्थिति पैदा न हो और

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
अगर इस तरह से पुलिस काम करती है तो इस प्रकार की अराजकता को बढ़वा मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में सख्त कार्यवाही होनी चाहिये और उन लोगों को मुआवजा देना चाहिये जिन लोगों की दुकानें लूट ली गई हैं।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, जो यह चार्जेज लगाये गये हैं·······

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं कृपया वे ही बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री दीपंकर : मैं बोल रहा हूं······

(शोरगुल)······

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था,

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चैम्बर में आइये और जानकारी कर लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के योग्य है·····

श्री अध्यक्ष : मैं यह नहीं कह रहा हूं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिये उचित आज्ञा फरमावें।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे बात कर लीजिये। आप मेरे चैम्बर में पधारिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मुझे सदन मे उठाने की आज्ञा दीजिये·····

श्री अध्यक्ष : यह नहीं होगा।

मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप इस सम्बन्ध में मुझ से बात कर लीजिये। आपका प्रस्ताव मैंने अभी रिजेक्ट नहीं किया। आप पधारें तो सही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रश्न फिर आज यहाँ पर, इस सदन में उपस्थित नहीं हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे हो सकता है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रकार का कोई डेकोरम हो कि पहले ही इन्फारमेशन मिल जाये। आज हमारे विद्यार्थी इस सम्बन्ध में संकट में हैं,······

श्री अध्यक्ष : कोई संकट में नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : बिल्कुल संकट में हैं, पुस्तकें मिल नहीं रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी नहीं करना चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं·····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इस सदन का घेराव पचास हजार विद्यार्थी कर लेंगे···

श्री अध्यक्ष : मैंने आप से निवेदन किया है कि आप मुझ से मिल कर जानकारी प्राप्त करें इस मामले में। यह आपको मालूम है कि यह स्थगन प्रस्ताव अभी अस्वीकार नहीं किया गया है। आप जानकारी करें मैं आपको बता दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो स्थगन प्रस्ताव है। इस स्थगन प्रस्ताव पर सदन में बोलने की आज्ञा दीजिये। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का दूसरा महत्व है और स्थगन प्रस्ताव का दूसरा महत्व है।

श्री अध्यक्ष : आप को मैंने चैम्बर में बात करने के लिये बुलाया है। आप आइये। जानकारी मिलने पर आप सन्तुष्ट हो जायेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देश की स्थिति को देखते हुए सन्तुष्ट होने की स्थिति नहीं है·····

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इलाज करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन का इलाज है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पुस्तकों का प्रश्न है, कापियों का प्रश्न है··

श्री अध्यक्ष : आप कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप मेरे से मिल कर इस मामले में जानकारी प्राप्त करलें। जब आप मिलना नहीं चाहते हैं तो दूसरा क्या इलाज हो सकता है। आप चैम्बर में आ जाइये। आप आना नहीं चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपस्थित होने को तैयार हूं। कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेरे लिये आपका चैम्बर मन्दिर के समान है।

श्री अध्यक्ष : इस मन्दिर की आप प्रतिष्ठा बनाये रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो यह आज्ञा दें कि इस प्रश्न पर पहले विचार हो और सदन की कोई कार्यवाही न हो। यह बहुत ही इम्पारटेन्ट इश्यू है। आज विद्यार्थी जिस दिशा में जा रहे हैं, उसको देखते हुए इस पर विचार होना अत्यन्त आवश्यक है····

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से जानकारी नहीं लेना चाहते। आप मिलते नहीं। पोने ग्यारह बजे तक मैंने आपका इन्तजार किया। आप आये नहीं। अब भी आप प्रश्नोत्तर के बाद, इस घंटे के बाद मेरे चैम्बर में आ जाइये और बात कर लें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, किताबों के सवाल पर काल अटेन्शन मोशन दे दिया गया है·····

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बारे में ही तो कह रहा हूं। जानकारी मिल कर ले लीजिये····

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसको अभी अस्वीकार नहीं किया है। अस्वीकार करता तो यहां पर कह देता। इस सम्बन्ध में आप जानकारी कर लें मेरे पास आकर।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र में प्रत्येक दल को जनतान्त्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का, रैली करने का अधिकार है। यह अधिकार मैं समझता हूं सब के लिये समान है। 9 अगस्त को दिल्ली में जो रैली आयोजित हुई, यह कांग्रेस दल की या उसके यूथ कांग्रेस की रैली न होकर

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आई. टी. अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की रैली थी । पुलिस अधिकारियों के दबाव से, टैक्सेशन अधिकारियों के दबाव से लोगों को इस रैली में भेजा गया है । मैं यह कह सकता हूं कि इस रैली के पूर्व सन्ध्या को इतने ऑफिसर सड़कों पर थे जो भी व्हीकल्स वहां से गुजरती थीं, उसके कागजात ये अधिकारी ले लेते थे और उस व्हीकल के ड्राईवर को यह कहते थे कि दौसा के एम. पी. साहब के लड़के आनन्द बिहारी के पास जाओ, या स्थानीय कांग्रेसी नेता के पास जावें और वे जो आदेश दें उसके अनुसार कार्यवाही करें । तब जाकर के उनको कागजात लौटाये जायेंगे । उन सारी व्हीकल्स को रैली में भाग लेने के लिये रोक लिया गया और उनमें सवारियों को भर कर दिल्ली ले जाया गया । उनमें से कुछ को तो डीजल दिया गया और कुछ को डीजल नहीं दिया गया। कई व्हीकल्स वालों को डीजल का खर्चा भी बर्दाश्त करना पडा है····

श्री अध्यक्ष : थोडे में फरमावें, ब्रीफ में कहें ।

श्री मूलचन्द सामरिया: ब्रीफ में ही कह रहा हूं । तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके दिल्ली में प्रदर्शन कराया गया है । यह सब पुलिस के दबाव से किया गया है । यह हो सकता है कि स्थानीय नेताओं ने मुख्य मंत्री को अपना दबदबा दिखाने के लिये यह किया हो, और मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को अपनी लोकप्रियता की धाक जमाने के लिये यह सब किया हो। इन्दिराजी के सामने मुख्य मंत्री ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया परन्तु जिस तरह के लोगों को वहां पर ले गये और जिस तरीके से ले गये वह एक तानाशाही तरीका था और यह रैली उसका एक नंगा चित्र प्रस्तुत करती है । अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को मजबूरी में यह कार्य करना पड़ा है । और इस प्रकार एक विशेष दल के लिये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है जो कि किसी भी प्रकार से जनतन्त्र के हित में नहीं है । यही नहीं इस प्रकार के समाचार भी अखबारों में प्रकाशित हुए हैं कि जो रैली में भाग लेकर लौट रहे थे उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया और उसको रोकने के लिये गोली भी चलानी पड़ी और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई । यह सब बात क्यों करायी जा रही है ? दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण अहिंसात्मक आन्दोलन कर रहे हैं और उनको दबाने के लिये हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आज देश में अभाव की स्थिति पैदा हो रही है और उस तरफ से ध्यान हटाने के लिये इस प्रकार के उपद्रव कराये जा रहे हैं ताकि अहिंसात्मक आन्दोलन को दबाया जा सके । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जिन्होंने रैली में भाग लिया और किसी प्रकार की लूट की कार्यवाही की हो, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही हो जिन्होंने कि ड्राईवर्स को दबाया और उनकी व्हीकल्स को रैली में भिजवाया । पुलिस से दबाव डलवा कर नाजायज तरीके से व्हीकल्स को उपयोग में लिया गया है । अगर इन सब कार्यवाहियों को नहीं रोका गया तो यह सारी सरकारी मशीनरी एक दल विशेष के इशारे पर चलेगी और जनतन्त्र समाप्त हो जायेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय,····

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा दीजिये ..... मैं आपकी नजर में पहले से ही हूँ ...

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात कहना चाहता हूं ......

(शोरगुल)

श्री दीपंकर : 9 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन है ...

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लें ...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ... ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरे नम्बर पर मुझे भी दर्ज कर लीजिये, अध्यक्ष महोदय, ये दक्षिण पंथी पार्टियाँ खुद प्रदर्शन नहीं कर कर सकतीं ...

(शोरगुल)

श्री दीपंकर : रैली को बदनाम करने का यह तरीका विरोधी दलों ने अपनाया है ये कार्यकर्ताओं को बदनाम करना चाहते हैं ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जखीरेबाजों के खिलाफ युवकों ने प्रदर्शन किया है ...

श्री अध्यक्ष आप लोग बैठिये।

माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन कर रहा था .....

(शोरगुल अश्रव्य)

मैं इसलिये बता रहा था कि ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जयप्रकाश नारायण प्रजातन्त्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं तो प्रजातन्त्र को समाप्त नहीं करने दिया जायेगा ..

श्री रामकिशन : प्रजातन्त्र को आप समाप्त कर रहे हैं ....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपा करके बैठिये। सदन की कार्यवाही में बाधा करने से न आपका लाभ होता है और न किसी का। शान्तिपूर्वक जो कहना हो वह कहें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, हमारे पर इल्जाम लगायेंगे तो उसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था कि अगर आप बोलना चाहें तो मैं समय दूंगा ..

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमने बड़ी कुर्बानियाँ की हैं ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन्होंने कुर्बानियाँ की हैं जिन्होंने देश की आजादी में ... जय प्रकाश नारायण को गालियाँ देते हैं ... इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के एजेंट हैं ...

(शोरगुल–कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री मीठालाल मीणा : इनकी चुनौती ..

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जंगे आजादी में हमने खून बहाया है उस वक्त आप कहाँ थे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : (जनसंघ पार्टी

Page No 30

(30)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
के सदस्यों से) आप लोग माफी मांग कर आये हैं· ·

श्री अध्यक्ष : नाट टू बी रेकार्डेड ।

श्री गुमानमल लोढ़ा ++ +
श्री मोहम्मद गफ्फार अली ++ +
श्री गुमानमल लोढ़ा ++ +
श्री मोहम्मद गफ्फार अली ++ +
श्री योगेन्द्र नाथ हांडा ++ +
श्री दीपंकर ++ +

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये ।

श्री भानु कुमार शास्त्री: माननीय अध्यक्ष . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : नहीं अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश नारायण के खिलाफ सदन में अप शब्द कहे जायें और यह कहा जाय कि वे ब्रिटिश सरकार के एजेंट थे और आप इसके ऊपर· · ·

श्री अध्यक्ष : आप कृपा करके बैठिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह फ्री फार आल करना चाहते हैं तो मैं आपको 10-5 मिनट जितना आप चाहें दे दूं या इस पर नियमित रूप से कहना चाहते हैं और जो भी भाई कहना चाहते हैं और जिस किसी के लिये कहना चाहते हों तो समय एलाट कर सकता हूं । इस तरह से जितना आपने समय लिया है उसमें कोई भी बात रेकार्ड नहीं की गई । किसी ने कोई बात सुनी नहीं औरआपस में ही अपने भावों का प्रदर्शन करते रहे । कोई सुन नहीं पाया तो नतीजा क्या निकला । किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, रेकार्ड नहीं हो पाया, नतीजा क्या निकला। सब के सामने ऐसा करने से आप सब लोग देखें माले लोग हैं असेम्बली को, तो आपकी मर्यादाओं के अनुकूल बात नहीं रहती है ।

मैं निवेदन कर रहा था कि मैं रेग्यूलेट कर सकता हूं आपकी इच्छा हो तो समय भी दे सकता हू और कुछ रिलेक्स करके भी समय दे सकता हूं । वैसे तो स्थगन प्रस्ताव पर कुछ कहने का अधिकार है तो जिसका स्थगन प्रस्ताव है वह कह सकते हैं लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं को देखकर और भी समय दे सकता हूं । लेकिन उसका एक तरीका तो हो तब तो समय मिल सकता है । शोरगुल से नतीजा क्या निकलेगा ?

मैं निवेदन कर रहा था कि जहाँ तक पालिसी की बात हो तो कहें, सिद्धान्तों की बात हो तो कहें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर प्रहार करना आमने सामने। आपके लिये विचारणीय बात है कि वह कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है ।

इस सम्बन्ध में भावनायें काफी बढ़ गई हैं और इस सम्बन्ध में बोलना चाहेंगे तो एक एक दल के एक एक आदमी को समय दूंगा।

श्री दीपंकर : लड़ाई लड़ना है· · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठिये । नारमली इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहिय लेकिन रूल्स को रिलेक्स करके आपकी भावनाओं का सम्मान करके एक एक आदमी को बोलने की आज्ञा दे सकता हूं । आप सलेक्ट कर लें कि कौन बोलना चाहते हैं ।

++अध्यक्षीय आदेशानुसार प्रतिवेदन नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)]

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

सुनिये, आप बैठिये । सबसे ज्यादा बीच बीच में बोलने वाले थोड़े से ही लोग हैं । नाम आउट नहीं करना चाहता हू । वह समझ रहे हैं अपने दिल में ।

श्री शिवचरण माथुर : इधर से ज्यादा को बोलने की इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि एक एक आदमी ·····

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सदस्य संख्या के अनुपात से दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं अपनी पहली बात में संशोधन कर देता हूं । कांग्रेस दल काफी संख्या में है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इनमें दो ग्रुप हैं इसलिये दो आदमियों को दे दें ।

श्री अध्यक्ष : यह मुझ पर छोड़ दें कि किस को कैसे रेग्यूलेट करना है और किस को बोलना है ।

श्री मीठालाल मीणा : मेरा राइट है पहले बोलने का क्यों कि मेरा स्थगन-प्रस्ताव है । अगर मुझे नहीं दे तो गलत प्रक्रिया हो जायगी ।

माननीय अध्यक्ष, यह एक ऐसा मसला है और बड़ा गम्भीर है ·····

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव में दो ही नाम हैं, मूलचन्द सामरिया और मीठालाल ।

श्री मीठालाल मीणा : यह एक गम्भीर मामला है जिसमें पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिये चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के । एक मानवीय दृष्टिकोण से यह सोचना है कि यह प्रक्रिया चलती रही या जो कुछ भी दुर्घटनायें हुई हैं या बुरी बात हुई हैं, अगर यह भविष्य में भी चले तो उसका क्या परिणाम निकलेगा । विरोधी पार्टियों की तरफ से––जनसंघ या स्वतन्त्रपार्टी की तरफ से किया जाता तो आप कहते कि प्रतिक्रियावादी हैं, सामन्तवादी हैं इसलिये तोड़-फोड करते हैं । दिल्ली रैली में भाग लेने के लिये कुछ कार्य-कर्ता कांग्रेस की तरफ से गये थे । कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो इस रैली में भाग लेने के लिये गये थे मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड होंगे और कांग्रेस के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले होंगे, क्योंकि वह शांति दिवस में भाग लेने के लिये जा रहे थे । तो जो चुनिन्दा कार्यकर्ता रेलगाड़ी में जा रहे थे और अलग अलग इलाकों से जा रहे थे उनसे गंगापुर सिटी, कोटा, सवाई माधोपुर के लिये मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं । वे विशेष रेलगाड़ी से तो गये ही थे और उसको अपनी बपौती समझकर बिना टिकट के जा रहे थे सारे के सारे । जो दुर्घटनायें भवानी मंडी, सवाई माधोपुर, कोटा, गंगापुर सिटी स्टेशनों पर घटी उनके कारण अन्य दलों की तो बात ही क्या कांग्रेस के लोगों का भी उनकी बातों को सुनकर सिर लज्जा से झुक जाता है । गंगापुर, सवाई माधोपुर स्टेशन पर और और जगहों पर जितने भी ठेले वाले छोटे दुकानदार थे उनको उन्होंने लूटना शुरू किया और पैसा मांगने वालों को जूतों से मारा पीटा । गंगापुर सिटी स्टेशन के सामने बजरिया है वहां पर स्टेशन से बाहर हलवाइयों की 50 दुकानें हैं । उनको लूटा और मारा पीटा । पुलिस वाले सामने देखते रहे और कहने लगे कि हम-असहाय हैं और ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और नेताओं का

Page No 32

(32)

(श्री. मीठालाल)

दबाव है . . . पुलिस खड़ी देखती रहे । दुकानें लुटती रहें । गली में एक शराब की दुकान थी, उस पर टूटकर ऐसे पड़े कि जैसे मिठाई की दुकानों पर भी नहीं पड़े थे । स्टेशन मास्टर गंगापुर सिटी ने अगले स्टेशनों को टेलीफोन करके सूचना दी । इसमें कोई भी बात झूठ हो तो आप जानकारी करा सकते हैं । इस प्रकार से कोई भी कांग्रेसी हो सकता है । हो सकता है वह ऊपर से कांग्रेसी हो । लेकिन एक तरह से डाकुओं के गिरोह को हमारी प्रधान मन्त्री ने दिल्ली में बुलाया । पिण्डारियों और चंगेजखान की तरहसे लूटते हुए वह आ रहे थे । सूचना प्राप्त होने पर आगे आने वाले स्टेशनों से दुकानदार हटा दिये गये । यहां से गहलोत साहब और गोटेवाला गये थे । इन्होंने प्रधान मन्त्री के मधुर भाषण सुने होंगे । दिल्ली से इसी प्रकार से क्रांतिकारी शिक्षा लेकर लौटते हुए आये तो भी लूटते हुए आये । आपने पढ़ा होगा, बलसार में तो गोलीकाण्ड भी हुआ । एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मारा गया है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातों की ओर पार्टी को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये । यह पार्टी पर एक धब्बा है । कलंक है । कांग्रेस का राज ही बदनाम हो रहा है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इस बदनामी से आप क्यों परेशान हैं ।

श्री मीठालाल : इस पर आप गम्भीरता से सोचिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हमारी बदनामी से आप क्यों परेशान हैं ।

श्री मीठालाल : जो गरीब दुकानदार हैं, उन लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसकी जांच कराके मुआवजा दिलाया जाये । जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । यह भी जांच कराई जाये कि ऐसे कार्यों के लिये क्या उनको विशेष ट्रेनिंग दी गई थी । ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे कि इस प्रकार की गुरिल्ला कार्यवाहियां भविष्य में नहीं हों । सरकार इस पर विशेषतौर से ध्यान दें । सरकार को इसके बारे में विशेष जिम्मेदारी है । पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार की कार्यवाही करें यह पार्टी के लिये कलंक और लज्जा की बात है ।

श्री दीपंकर : अश्रव्य (बैठे बैठे ही कुछ बोलते रहे)

श्री मीठालाल : आपने जो बतलाया है ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की रैली के बारे में कल मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था । इसके बारे में राज्य प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ईमानदारी से चिन्ता होनी चाहिये । बात यह है कि यह रैली एक विशिष्ट दल की न होकर राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों व अन्य व्यक्तियों द्वारा इस रैली का सारा इन्तजाम कराया जाये, वाहन के साधन जुटाये जायें । अध्यक्ष महोदय, कोई विशेष दल रैली करे, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । यदि हमारी प्रधान मंत्री दिल्ली में शान्ति के लिये रैली करें, जमाखोरों के विरोध के नाम से जमा करें लोगों को या जयप्रकाश जी के विरोध में वह रैली करें हमारे संविधान में इसके लिये छूट है । लेकिन क्या यह भी छूट है कि वह लूटपाट करें । रतनगढ़ और देवली में जो कुछ भी हुआ वह

(श्री गुमानमल लोढा)
अध्यक्ष महोदय, इस बात का सबूत है कि इस रैली में ऐसे व्यक्ति गये हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या होंगे, अधिकतर ऐसे व्यक्ति गये हैं, जो दिल्ली शहर की यात्रा करना चाहते थे। उनको भोजन और वाहन की व्यवस्था की गयी। माननीय सदस्यों को यह जानकारी नहीं है कि मन्त्रियों ने भी इसके लिये स्वयं आर. टी. ओ. को फोन किये हैं। माननीय मंत्री जुझारसिंह ने फोन किया है आर. टी.ओ. को कि वाहन का इन्तजाम होना चाहिये। किसी को टायर का कोटा दिया गया। किसी को कुछ किया गया।

श्री जुझारसिंह : मैंने कोई आर. टी. ओ. को फोन नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : आप ही बता दें।

श्री गुमानमल लोढा : आप खुद झण्डा लहराते हुए गये थे या नहीं ?

श्री जुझारसिंह : इनको कोई सपना आया होगा।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, नटवर नाम का एक बस ओनर था, उसकी गाडी जब्त करली गई। इसके अलावा जो भी बस मिली उसी में जबरदस्ती बैठ गये। उस बस को ले भागे। किसी भी बस ओनर को पकड लिया और उसकी बस लेकर भागे। रेलवे में इसी प्रकार बिना टिकट चढ कर गये। इस प्रकार से यह स्थिति बहुत ही विकृत और चिन्ताजनक स्थिति है। इस प्रकार से हम दिल्ली के अन्दर शान बनाने के लिये जायें।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइंट आफ इनफारमेशन सर।

श्री अध्यक्ष : आपको समय मिलेगा। प्वाइण्ट आफ इनफारमेशन पर नहीं। अगर प्वाइण्ट आफ आर्डर हो तो रेज कर सकती हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय जुझार सिंह जी न तो दिल्ली गये हैं और न ही उन्होंने टेलीफोन किया है। माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है।

श्री गुमानमल लोढा : वह तो कोई भी मन्त्री स्वीकार नहीं करेगा।

(श्रीमती नगेन्द्रबाला और श्री लोढा साथ साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्रीमती नगेन्द्र बाला से) आपके लिये भी समय तो रखा गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनका कहना है। कि गुमानमल जी गलत सूचना दे रहे हैं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी तक कोई सही सूचना दी है, इन्होंने। जो दे रहे हैं, वह ले लो।

श्री गुमानमल लोढा : हांडा साहब ने चन्दनमल जी पर जब आरोप लगाये थे तो वह सही थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाँ, आरोप तो सही लगाये थे। लेकिन चन्दनमल जी गुमान मल जी के रिश्तेदार हैं, यह पता नहीं था।

श्री गुमानमल लोढा : हांडा जी का यह कहना है कि मेरे चन्दनमल जी रिश्तेदार हैं। उन्होंने तो झूमरदेवी को भी रिश्तेदार बताया था। इस प्रकार के झूठे आरोप सदन में वह लगा सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो अपनी बात कहिये।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, हांडा जी की बात का कोई मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने विषय पर आ जायें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह गर्मी लाना चाहते हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि समाचार पत्रों में एडीटोरियल आये हैं । लेकिन जिस प्रकार की ये घटनाएं घटी हैं । किसी की ठेली लूट लेना । किसी दूकान को लूट लेना । जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर दिल्ली में जा रहे हैं । मैं तो उनको कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं कहूंगा । मैं अध्यक्ष महोदय, इस बारे में चाहूंगा कि आवश्यक जांच कराई जाए और इसके साथ में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया व सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग किया गया—इसके बारे में जांच करना आवश्यक है । क्या यह सही नहीं है, इस सारी रैली के लिए फण्ड कहां से आया ? किसने यह सारे फण्ड सप्लाई किये ? बस वालों को किसने मजबूर किया ? कौन लोग थे जो बसों को मुफ्त में ले गये ? मैं यह सारे प्रश्न इसलिए सदन में रखना चाहता हूं क्योंकि यह पहला अवसर नहीं है कि बस मालिकों को बस देने के लिए जबर्दस्ती बाध्य किया गया हो । ट्रान्सपोर्ट के इन्सपेक्टर जाते हैं, पुलिस इन्सपेक्टर जाते हैं, मिनिस्टरों के टेलीफोन जाते हैं, एम. एल. एज. का दबाव होता है । अभी आपके सामने कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, कोटपूतली में किस प्रकार यह हुआ, यह भी बताया कि दौसा में किस प्रकार यह हुआ, जोधपुर का मैं बता सकता हूं कि नथमल बस मालिक है, उसकी छः सात बसों को सीज करके ले जाया गया, अन्य स्थानों पर किस प्रकार यह हुआ, रास्ते भर लूटपाट की गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेली के बारे में विवाद करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूं । जो आरोप लगाया गया है यहां पर जयप्रकाश नारायण पर, जयप्रकाश नारायण के समर्थन के लोग हिन्दुस्तान में एक हवा पैदा कर रहे हैं, उस हवा से देश के अन्दर एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा असत्य है, गलत बात है ......

श्री अध्यक्ष : इस विषय से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के पटल के ऊपर अभी अभी आपके सामने मैंने निवेदन किया .....

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन से इसका क्या ताल्लुक है ।

श्री गुमान मल लोढा : निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित सत्य है कि जयप्रकाश नारायण ....

श्री दीपंकर : बैकग्राउण्ड है उसका ।

श्री गुमान मल लोढा : जयप्रकाश नारायण ने देश की आजादी के आन्दोलन; देश की आजादी के लिए क्रांति की अगुआयी की थी, वही जयप्रकाश नारायण आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन की अगुआयी कर रहे हैं । बिहार के अन्दर । यह ठीक है कि कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने सिद्धान्तों के अनुसार यह चाहते हैं कि देश में मंहगाई, जमाखोरी, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो । जयप्रकाश नारायण जी ....

Page No 35

(35)

श्री श्रीराम गोटेवाला : बिहार में इस आन्दोलन ने जनसंघ को तोड़ दिया ।

श्री गुमान मल लोढा : पर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आरोप लगाया गया है

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि आन्दोलन में जनसंघ के टुकड़े टुकड़े हो जायें, इसलिए हमारे दिल में दर्द है ।

श्री गुमान मल लोढा : वह इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन की अगुआयी की है....

एक माननीय सदस्य : शरीर के टुकड़े न हो जायं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शरीर तो ऐसा है जिसके टुकड़े नहीं करवाना चाहते हैं ।

श्री गुमान मल लोढा : आज कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता भ्रष्टाचार के कारनामों से खरीद फरोख्त करने का प्रयत्न करते हैं जिससे राजनैतिक शक्ति उनके हाथ में रहे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को आज देश के अन्दर स्याह पेन्ट किया जा रहा है, उसको काला स्वरूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनको बदनाम करना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी कहां से आ गये ?

श्री दीपंकर : जयप्रकाश जी का आन्दोलन राजस्थान में चल नहीं सकता है प्रगतिशील इन्दिरा के खिलाफ ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें ।

श्री गुमानमल लोढा : मैं संक्षेप में समाप्त कर देना चाहता हूं । मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, पच्चीस साल पहले निरन्तर इस सारे हिन्दुस्तान के अन्दर . . .

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वकालत का कितना पैसा मिलेगा ।

श्री गुमान मल लोढा : कम्युनिस्ट दल के ही लोग थे, जिन्होंने सुभाष के लिए यह कहा कि यह तोजो का कुत्ता है । गांधी जी के लिए कहा कि यह ब्रिटिश साम्राज्य शाही का एजेंट है । सुभाष के लिए यह कहा कि यह जर्मनी का दलाल है, हिटलर का, नाजियों का एजेंट है . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : उस वक्त तो जनसंघ का जन्म ही नहीं हुआ था ।

श्री गुमानमल लोढा : आज जयप्रकाश जी का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन है उस आन्दोलन की पीठ पर ये लोग ही छुरा भौंकते हैं और यह रैली करा कर क्रांतिकारी बनना चाहते हैं । यह कहना चाहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया है । मैं जानना चाहता हूं कि जनयुग में क्या लिखा हुआ है, सारे अखबार जो कम्युनिस्टों के थे उन में क्या लिखा हुआ है ! गांधी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थक और साम्राज्यवादियों का एजेंट बताया । सुभाष के लिए कहा कि यह तोजो का कुत्ता है, नाजियों का एजेंट है इसलिए अंग्रेजों की मदद करो । उस वक्त अंग्रेजों की मदद करने वाले, आजादी की लड़ाई की पीठ में छुरा भौंकने वाले . . .

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बहुत लम्बा समय दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : रेलेवेंट बात कहिये । यह बन्द करिये ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कहा जाय · · ·

श्री अध्यक्ष : यह आपका विषय नहीं है ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : और वह इरिलेवेन्ट हो जाय–तो इससे बढ़ कर इस देश के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती · · ·

श्री अध्यक्ष : जो स्थगन प्रस्ताव है उसके मुतल्लिक नहीं है । जो विषय है उससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई की खिलाफत की थी। जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए कहा कि राइट आफ सैल्फ डिटरमिनेशन होना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनना चाहिए; जिन्होंने कहा था कि जिन्ना राइट आफ सैल्फ डिटरमिनेशन की बात माननी चाहिए वही कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि उन्होंने देश की आजादी के जंग में भाग लिया है । जिन्होंने इस देश के टुकड़े कराये, जिन्होंने भाई भाई को लड़ाया, इस देश के अन्दर खून खराबा करवाया वही लोग आज कहते हैं कि हमने देश की आजादी के जंग में भाग लिया है। पाकिस्तान का जन्म हुआ वह क्या आजादी की जंग थी ? जिन्ना की राइट आफ सैल्फ डिटरमिनेशन की बात थी वह क्या आजादी का जंग था · · ·

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, क्या हमें भी आज्ञा है कि हम भी भाषण देना, बोलना शुरू करें । क्या आपके आदेश हैं, बोलना शुरू करें ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं यह सारी बातें नहीं कहना चाहता था । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है · · ·

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात बोलते हैं, यह विषय के बाहर बोलते हैं, आपको चाहिए कि इन्हें बन्द करवायें ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : यह अवश्य है कि राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को राहत मिल गई, उन्होंने कहा कि 9-10 को कोई केस नहीं हुआ · · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : सारे लोग जो जुर्म करते थे, जिनके पुलिस थाने में केस रजिस्टर होते थे, जिनके पुलिस थानों के अन्दर फोटो लगे हुए थे, वह एक एक रुपया लेकर वहां पहुंच गये । इससे पुलिस अधिकारियों को राहत मिली क्योंकि कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, शांति मिल गई । लेकिन दिल्ली में जहां जहां से गुजरे, जिस जिस मार्ग पर से गुजरे वहां पर · · ·

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपको यह पता नहीं है कि इस सदन में किस पर बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए । यह कभी आजादी की बात कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं । आज 27 वर्ष की आजादी के बाद उन बातों को रो रहे हैं और हमारे दूसरे सदस्यों का टाइम वेस्ट हो रहा है · · · ·

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं अध्यक्ष बन गये हैं ।

श्री जयकिशनलाल : आप क्या बोल रहे हैं । यह पता नहीं है । कभी किसी पर बोल रहे हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें। मेरा निवेदन यह है।

श्री गुमान मल लोढा : मैं क्या यह समझूं, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायकों को छूट है कि जब विरोधी पक्ष के सदस्य बोलते हैं तो बीच में वार बार टोकें।

श्री अध्यक्ष : मैंने वार वार रोका है।

श्री गुमान मल लोढा: मैं आभारी हूं आपका।

श्री दीपंकर : विषयान्तर हो रहे हैं तो याद दिलाना हमारा फर्ज है।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि 9 अगस्त....

श्री अध्यक्ष : मुफस्सिल हो गया, संक्षेप कहां रह गया।

श्री गुमान मल लोढा: 9 तारीख को काले दिवस के रूप में इसलिए मनाया जायगा- मैं उद्देश्य के लिए कहता, उसके लिए बाद में विवाद हो सकता है, मैं यह नहीं कहता कि उद्देश्य ऐसा था इसलिए 9 तारीख काले दिवस के रूप में लिखी जायेगी, लेकिन इस लिए कि रैली करवाने के लिए लपक झपक करके सत्ता के लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। सारे राजस्थान के अन्दर बस-आपरेटर्स की, छोटे छोटे दुकानदारों की लूट पाट की है, वह निश्चित रूप से जनतंत्र के ऊपर, जनता के ऊपर, संविधान के ऊपर हमारी परम्परा के ऊपर कलंक है, और यह कलंक के रूप में रहेगा, इट वुड बी ए बिग ब्लैक डाट आन आवर डेमोक्रेसी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सारे काण्ड की जांच करनी चाहिए और जिन जिन अधिकारियों ने इसके अन्दर सत्ता का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। और यह जांच इसलिए होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो। चाहे ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर हो, चाहे पुलिस-इन्सपेक्टर हो, चाहे कोआपरेटिव इन्सपेक्टर हो, मंत्री महोदय आर. टी. ओ. निश्चित रूप से, सबने इसमें सत्ता का दुरुपयोग किया है। अध्यक्ष जी, यह हो सकता है कि पवित्र उद्देश्य था लेकिन उसकी पूर्ती के लिए साधन कलुषित अपनाते हैं, साधन ऐसे अपनाते हैं जिसके कारण हाथ पाप से भर जाते हैं, उससे आपके दामन के ऊपर इस प्रकार की छाप लग जाती है कि वह पवित्र उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : 9 अगस्त के दिन कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग हुआ और लूटपाट हुई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ,-इसकी जांच के लिए मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति बनाली जाय, उस समिति में हर दल के एक दो तीन व्यक्ति हो जायं। यह जांच कराना चाहते हैं, मैं समझता हूं, इससे प्रामाणिकता का पता लग जायगा। अन्यथा, अध्यक्ष महोदय यह होगा कि इस प्रकार से यदि कानून के रक्षक कानून के भक्षक बन जायेंगे, सत्तारूढ दल इस प्रकार से आगे होकर लूट खसौट करेगा तो जनता में आक्रोश बढेगा। जनता में जब आक्रोश बढ जाता है उसके उदाहरण गुजरात और बिहार हैं। जन आक्रोश हव के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ किस तरह उठ कर खडा होता है, इसके लिये अहमदाबाद

(श्री गुमानमल लोढा)

की सडकें गवाह हैं, पटना की सडकें गवाह हैं। फिर आप चाहें बैरीकेड लगा दें, असेम्बली के बाहर कितनी ही रोक लगा दें, इससे जनता की आवाज नहीं रोकी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर हाण्डा !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, रेगुलर, बहस के पहले दूसरा मुद्दा है, जिसे मैं रेज करना चाहता हूं। स्थिति यह है, कुछ मजदूर आए हुए हैं और भी मौजूदा अध्यादेश हैं राष्ट्रपति के, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। वे सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं। मैं मुख्य मंत्री और सरकार के मंत्री महोदयों से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि यह इस प्रकार के अध्यादेश हैं जिनका असर सारे देश में हो रहा है-अभी इसकी वैलिडिटी पर मैं बहस नहीं करना चाहता कि यह उचित हैं या अनुचित है, जब उचित अवसर होगा, तब इस पर बहस करने का मौका दिया जायगा। लेकिन इस अध्यादेश की भ्रान्ति के कारण ही भरतपुर के अन्दर गोली चलाई गई है····

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को बाद में ले लिया जायगा।

श्री रामकिशन : अध्यादेश जिस तारीख से लागू हुए हैं, उस तारीख से वेतन भत्तों में कटौती होगी ····

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं वह बता दीजिये।

श्री रामकिशन : मैं चाहता हूं, खासतौर से श्रम मंत्री, जिस सिमको वैगन फैक्ट्री में समझौते को तोडा है, नियमों का पालन नहीं किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दें। मुख्य मंत्री भी मजदूरों के प्रतिनिधियों से मिलें और बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मैं बाद में बोलूंगा। मुझे इस समय जो माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल ने स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में अर्ज करना है। अगर यह प्रस्ताव देवली के बारे में, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई गलतियों के बारे में, प्रस्ताव होता, यदि उसके पीछे यह भावना होती कि सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इसके बारे में यदि स्थगन प्रस्ताव होता, तो मैं भी उसका स्वागत करता, लेकिन 9 मार्च को हुए ····

एक माननीय सदस्य : 9 अगस्त को ····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 9 अगस्त को भारतवर्ष के स्केल पर जो यूथ कांग्रेस की, एन. एस. यू. आई. की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अथवा विद्यार्थियों की जो रैली हुई थी, उस रैली के लिये जो सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया गया, उस पर यह प्रस्ताव होता तो उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। यह प्रश्न वास्तव में एक गम्भीर प्रश्न है कि किसी आन्दोलन के लिये सरकारी तन्त्र का उपयोग किया जाये और उस सम्बन्ध में गलत तरीका अपनाया जाये।

लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे एक दूसरी भावना प्रदर्शित होती नजर आई। दिल्ली के अन्दर जब कभी भी किसी प्रगतिशील दल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का प्रदर्शन हुआ है तो माननीय सदस्य जो जनसंघ से आते हैं या जो स्वतन्त्र पार्टी से आते हैं, उन्हें बेचैनी महसूस होती है। 9 अगस्त को जो दिल्ली के अन्दर रैली हुई उसके अन्दर क्या-क्या हुआ ? अध्यक्ष महोदय उस रैली के अन्दर इस देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने युवकों को आव्हान किया कि वह जखीरेबाजों के तालों को तोड दें और मुनाफाखोरों को समाप्त कर दें। इस स्थगन प्रस्ताव के पीछे जो कष्ट है, जो बेचैनी है वह यह है कि वह ताले न टूटें। यह उन तालों के चौकीदारों ने इस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय, केवल कांग्रेस के युवकों के बारे में ही इनको बेचैनी हुई हो, यह बात नहीं है। पिछले साल मार्च के महीने में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन्स के पांच लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे दिल्ली में तब भी उन्हें बेचैनी हुई थी, और पटना में जहां प्रजातन्त्र को समाप्त करने में आप जुटे हुए हैं, वहां पर जब 75 हजार लोग पहुंच गये थे, तो उस वक्त भी आपके नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने इस बात का प्रश्न उठाया था कि यह लोग रेल्वेज से फ्री पहुंचे हैं....

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो कांग्रेस सरकार ने जो बयान दिया है, उसी से साबित हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह इन लोगों के वस की बात नहीं है कि अपने अनुयायियों को दिल्ली ले जा सकें, लेकिन प्रगतिशील दलों के लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं अपनी शक्ति पर तो इन को कष्ट होता है और बेचैनी होती है।

श्री सेवसिंह : सही बात।

श्री मीठालाल : आप तो गम्भीर मंत्री हैं, आप तो चुपचाप बैठें। कुछ शर्म करो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यहां कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में कई गम्भीर शब्द कहे गये और यह कहा गया कि सुभाष चन्द्र बोस के लिये हम लोगों ने अपशब्द इस्तेमाल किये थे। शायद गुमानमल जी को यह नहीं मालूम कि त्रिपुरा कांग्रेस के वक्त सुभाष चन्द्र बोस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का कैन्डीडेट था और जितनी भी वामपंथी कांग्रेस के लोग थे उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस को त्रिपुरा कांग्रेस तक पहुंचाया लेकिन जब महात्मा गांधी ने यह कह दिया कि कार्यकारिणी में केवल उनकी पसन्द के ही व्यक्तियों को लिया जाये, तो 27 वोटों से सुभाष चन्द्र जी हारे थे वह केवल इन सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की गद्दारी के कारण, नहीं तो सुभाष चन्द्र बोस उस वक्त कांग्रेस के प्रधान बनते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सन् 1942 में आपने अंग्रेजों की मदद की थी कि नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उस समय जन संघ था ही नहीं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : आप कहां थे उस समय ?

श्री अध्यक्ष : आप तो काफी कह चुके हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे। अश्रव्य)

(घंटी)

श्री गुमानमल लोढा : सन् 1942 में आप कहां थे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो माफी मांग कर आये थे, यह तो साबित हो चुका है

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ! जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आप पहले इनको रोकें ।

श्री अध्यक्ष : आप तो पहले बोल चुके हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय श्री गफ्फार अली और श्री केसरीमल जी ने तो सन् 1942 के मूवमेंट में भाग लिया होगा लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने तो अंग्रेजों का ही साथ दिया था ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, गुमानमल जी····

श्री गुमानमल लोढा : कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कभी नहीं चाहा कि सुभाषचन्द्र बोस प्रेसीडेंट बने । उनका हमेशा राजनीति में विरोध रहा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय जयप्रकाश नारायण का प्रश्न सदन में नहीं उठाना चाहिये था, लेकिन स्वाभाविक है उठता है । उसको रोकना चाहिये । मैंने पहले ही निवेदन किया कि वह उठना स्वाभाविक है । दिल्ली में हजारों लोग क्यों इकट्ठे हुए····

एक माननीय सदस्य : हजारों नहीं, लाखों ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: वह इसलिये इकट्ठे हुए कि पटना के अन्दर जो श्री जय प्रकाश नारायण ने कुछ दक्षिण पन्थी पार्टीज को लेकर और कुछ भ्रमित वामपन्थी पार्टीज को लेकर देश में प्रजातन्त्र के लिये खतरा पैदा कर लिया है····

श्री गुमानमल लोढा : जय प्रकाश-नारायण देश में प्रजातन्त्र की रक्षा कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सुनिये। आप दूसरों की भी सुनिये ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : जयप्रकाश-नारायण गरीब जनता के लिये मसीहा बन कर आये हैं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जब आप अपनी बात बोल रहे थे तब हांडाजी ने बीच में नहीं बोला था ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय श्री गुमानमल जी ने काफी लम्बी तकरीर दी है इसलिये मेरी गुजारिश है····

(कई सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गान्धी का खून किया था जब यह श्री जयप्रकाश नारायण और भारत सरकार ने कहा कि इस जन संघ और आर. एस. एस. जैसी संस्थाओं पर बैन लगाया जाना चाहिये ।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सदस्य को शायद यह पता नहीं है कि जब महात्मा गान्धी का खून हुआ था तब जनसंघ नामक संस्था यहां पर थी ही नहीं । माननीय सदस्य की जानकारी में शायद यह बात नहीं है ।

Page No 41

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बडे खेद के साथ कहना पडता है कि देवली में जो वा या हुआ है उससे श्री गुमानमल जी परेशान हो रहे हैं। आज जयप्रकाशनारायण, जो अराजकता फैला रहा है उसके लिये यह होना स्वभाविक ही है। आज जब अध्यक्ष महोदय, देश में एक प्रगति की लहर दौड रही है देश का हर प्रगतिशील नौजवान जब आगे बढ रहा है, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को जब समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है उस वक्त यह जयप्रकाशनारायण कांग्रेस के विरुद्ध षडयन्त्र कर रहा है। आज देश की प्रगतिशील नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश नारायण का इतिहास शुरू से ही यही रहा है। जयप्रकाश नारायण पटना विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी थे तब इनको दस रुपये महीना वजीफा पूंजीपतियों से मिलता था। जब महात्मा गान्धी ने विद्यार्थियों को अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन करने के लिये आव्हान किया तो उस समय यह जयप्रकाश नारायण अमेरिका चले गये और वहां से आने के बाद में वह बिडला जी के जनरल सैक्रेट्री हो गये। यह हमेशा से ही गद्दार रहा है। आज जब देश में जागीरदारों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, और जखीरेबाजों के खिलाफ में, बडे–बडे इजारेदारों के खिलाफ में जब आन्दोलन हो रहा है जब देश की जनता, प्रगतिशील युवक एक जुट होकर संघर्ष कर रहे हैं तब यह जयप्रकाश नारायण कह रहा है कि विधान सभा को भंग करो, विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दो। अब जयप्रकाश नारायण इन पूंजीपतियों और जखीरेबाजों के रक्षक बन कर आगे आ रहे हैं। आज वह जयप्रकाश नारायण आर. एस. एस., स्वतन्त्र-पार्टी और जनसंघ के लोगों से हाथ मिला रहा है।

(म. प. 1.05 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस सरकार प्रगतिशील नीतियों को क्रियान्वित करना चाहती है तब यह कह रहे हैं कि विधान सभा को भंग करो।

(श्री भानु कुमार, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) के एक साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप यहां से पटना कैसे पहुंच रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां पर आपके जनसंघ वालों ने तो उनका साथ देने से इन्कार कर दिया। वहां पर 5-10 जनसंघी सदस्यों ने सदस्यता से त्याग-पत्र देने से इन्कार कर दिया और कहा कि हमको बचाओ, हमको बचाओ। हम विधान सभा से त्याग-पत्र नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जयपुर में ही रहिये। आप जयपुर से पटना क्यों पहुंच रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पटना नहीं पहुंच रहा हूं। मैं पटना से जयपुर आ रहा हूं। और श्री गुमानमल जी को पटना पहुंचा रहा हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप चाहते हैं कि जयपुर पटना बन जाय तो वह भी बन जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह तो बने, न ?

(कई कांग्रेसी सदस्य, श्री हांडा तथा श्री भानुकुमार शास्त्री के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री दीपंकर : अजी आप जयपुर को पटना बनाने की भावना को छोड़ दो वह नहीं बनने वाला है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी जनसंघ वालों की पटने की बात करें तो इनकी चटनी बन जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विषयान्तर नहीं हों।

(कई सदस्य एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर प्लीज। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें। उस तक ही सीमित रहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही सीमित रह रहा हूं। लेकिन यह स्थगन प्रस्ताव सीमा विहीन है। असीमित है। इसके अलावा माननीय जनसंघ वाले सदस्य बीच बीच में इन्टरप्शन कर रहे हैं। उनको उत्तर देना भी जरूरी है। इन जनसंघ वालों को देख कर मुझे एक पंजाबी में कहावत याद आ जाती है कि

फत्तां रोवे यारानू

लेले नाम प्राबांदां।

जिस प्रकार एक प्रेमी अपने प्रेमी को याद कर कर के रोता है। उसी प्रकार देवली को याद कर कर के यह जनसंघ वाले रो रहे हैं बेचारे। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब देश के अन्दर समाजवाद आ रहा है। साम्राज्यवादी ताकतों को नेशनाबूद किया जा रहा है, पूंजीपतियों को समाप्त किया जा रहा है, तब यह लोग अमेरिका के गीत गा रहे हैं। आज जो अमेरिका हिन्दुस्तान से लेकर उत्तर ध्रुव तक एक साथ समाप्त करने वाला मिजाइल रखता है तो वहां बम्बार्डमेन्ट करना चाहता है। उस वक्त यह जयप्रकाश नारायण जनता के सामने आगे आकर कहते हैं कि विधान सभा के सदस्यों त्यागपत्र दो। आज जब देश का मजदूर वर्ग, देश का प्रगतिशील किसान और प्रगतिशील नौजवान देश में प्रगति के लिये आगे बढ रहा है तब इस समय यह जयप्रकाश नारायण प्रजातन्त्र को समाप्त करना चाहता है। उपाध्यक्ष महोदय आज अगर जब देश के प्रगतिशील लोग दिल्ली में रैली निकाल रहे हैं और उसके लिये अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर छंगाणी बसों और ट्रकों के लिये टेलीफोन कर देता है क्या....

श्री गुमानमल लोढा : परमिट भी तो एक व्यक्ति को इन्होंने ही दिये हैं। 50-50 बसों के परमिट कांग्रेस सरकार के द्वारा ही दिए हुए हैं। बिडला को लाईसेन्स दिया..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बसों के परमिट छीन रहे हैं। रूट्स नैशनलाईज हो गये हैं और उनके केसेज गुमानमल जी के पास आ रहे हैं। छंगाणीजी नैशनलाईज कर रहे हैं आप बसों वालों के केस लड रहे हो।

श्री गुमानमल लोढा: मेरे पास एक भी केस बसों वालों का नहीं है यह मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने तो शराब के ठेकेदारों के केस लिये थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो छंगाणी जी के लिये कह रहे हैं कि उन्होंने टेलीफोन किया और उसके बाद भी जरूरत पडी तो जुझार-सिंह जी ने टेलीफोन कर दिया होगा । लेकिन गुमानमलजी, इस प्रकार जखीरेबाजों और बडे इजारेदारों और पूंजीपतियों को अब नहीं पनपने दिया जायेगा । इनकी चटनी बना दी जायेगी । आज आपके जयपुर महाराजा के पास दस हजार एकड जमीन पडी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय आज आपने सांडे राव के ठाकुर के पास सात हजार एकड जमीन हडप रखी है, आज आपने जोजावर के ठाकुर की हजारों एकड जमीन दबा रखी है । मैं साम्राज्यवादियों के हिमायतियों से यह कह देना चाहता हूं कि यह सब जमीनें इनसे छीन ली जायेगी और भूमिहीन किसानों में बांट दी जायेगी । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : जमीन के तो आपके पास भी कई मुरब्बे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह मेरे मुरब्बे आपको भेंट किये । इसके साथ साथ मेरी भूख भी आपको समर्पित करता हूं लेकिन इसके बदले में जितनी प्रोपर्टी आपके पास है वह प्रापर्टी आप मुझे भेंट करें । प्रापर्टी का एक्सचेंज में आपसे करने को तैयार हूं, मैं प्रोपर्टी का एक्सचेंज स्वीकार करता हूं अगर आप स्वीकार करते हों तो ।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बोतल को एक्सचेंज में लेने को तैयार नहीं हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुमानमल जी की सम्पत्ति लेने को तैयार हूं और मेरी सारी सम्पत्ति इनको उसके बदले में देने को तैयार हूं । मैं मेरी सारी सम्पत्ति गुमानमल जी को समर्पित करने को तैयार हूं और गुमानमल जी की सारी सम्पत्ति मुझे दे दी जाय । यहां तो आप ही गवाह हैं । रजिस्ट्री तो होगी कोर्ट में ।

श्री गुमानमल लोढा : बोतलों का आदान प्रदान हो रहा है क्या ? बोतल का नशा ऐसा ही होता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बोतल तोड दी जावेगी गुमानमल जी ।

श्री गुमानमल लोढा : बोतल तोडकर ही तो आप यहां आते हैं । एक बोतल कम से कम रोज जब तक न टूटे तब तक आपको चैन कहां है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बोतल की तरह यह बढा हुआ पेट भी तोड दिया जावेगा ?

श्री गुमानमल लोढा : पेट और गाल तो तुम्हारे इन नये सामन्तों के तोडो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं नम्रता से निवेदन करूंगा राज सरकार से कि इनमें अनियमितताएं अगर कहीं हुई हैं तो उनकी जांच करावें । बाकी जो इनका कष्ट है उसके निवारण के लिये तो देश की प्रगतिशील ताकतों को चाहे वे कांग्रेस में हों बाहर हों सबको एक जुट होकर लडना पडेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष-महोदय . . .

श्री दीनकर : मेरा नम्बर था उपाध्यक्ष-महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सदस्य मूलचन्दजी, मीठालाल जी, सुरेशजी और गुमानमल जी लोढा ने सदन को कुछ जानकारी दी । इसके द्वारा 9 अगस्त को कांग्रेस द्वारा आयोजित दिल्ली की रैली के बारे में अपनी गलत जानकारी से जिस तरह से सदन को गुमराह किया गया है उसके लिये मुझे उनकी जानकारी पर तरस आता है ।

9 अगस्त का पवित्र दिन शायद इनको याद नहीं ।

श्री गुमानमल लोढा : मुझे तो याद है । आपको याद नहीं । आपका तो उस समय कहीं अस्तित्व ही नहीं था ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुझे आपका और जनसंघ का इतिहास मालूम है ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

आपकी पार्टी का इतिहास स्पष्ट है । आप उन दिनों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इतिहास की जानकारी तो आपको इतनी सी है । आप को गलत इतिहास पढ़ाया गया है यही तो हमारा कहना है । 42 में तो जनसंघ अस्तित्व में ही नहीं था । अंग्रेजों की गुलामी तो आपके ही कुछ आका कर रहे थे उस समय जो आज कांग्रेस में भरे पडे हैं । आपको यह मालूम नहीं होगा ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ये राजा महाराजाओं वाली पार्टियां जो अंग्रेजों के बलबूते पर जनता पर दमन कर रहे थे ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मीठालाल : ये नये महाराजा नवाब तो आज तुम्हारी तरफ आगये हैं । आप सभी इनकी गोद में बैठे हो आज तो । खुद नये राजा नवाब बन गये हो ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : भाई मूलचन्दजी को इस बात को जलन थी कि इतने लोग कांग्रेस रैली में कैसे चले जा रहे हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जबर्दस्ती बसों को पकड़ पकड़ कर इनसे आप लोगों ने बेगारें ली हैं पुराने सामन्तों, नवाबों, महाराजाओं की तरह ।

(निरन्तर शोर गुल : अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 9 अगस्त को नौजवानों को सम्बोधित करने के लिये इन्दिरा गांधी से प्रार्थना की गई । उन्होंने स्वीकार किया । तो इन्दिराजी द्वारा सम्बोधित होने के लिये इस रैली में सम्मिलित होने के लिये इन नौजवानों को आह्वान किया गया था । 25 हजार लोग राजस्थान से वहां पहुंचे थे । इसकी जलन इनको है । इसकी तकलीफ इनको हो रही है ।

लोढाजी को इस बात की तकलीफ है कि जोधपुर में स्टेशन से लेकर सोजती गेट तक जो इन्दिरागांधी में विश्वास रखने वालों का जमघट देखा तो वे समझ गये कि उनकी ताकत वहां उलट चुकी है । इसका डर उनको बैठ गया ।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

इन लोगों को इस बात की तकलीफ है कि बाड़मेर और गंगानगर जैसे दूर दराज इलाकों से हजारों लोग इस रैली में भाग लेने के लिये उमड़ पड़े। इसमें स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ पार्टी के लोग अपना खतरा देख रहे हैं।

अब यह जो कहा गया कि कुछ जगह लूट पाट के किस्से भी हुए, झगड़े भी हुए। मैं मानता हूं। पर यह स्पष्ट है कि इनके करने वाले कांग्रेस के नौजवान नहीं थे। बल्कि इनको इस बढ़ती हुई ताकत को किसी तरह तोड़ने के लिये और समय पर इन लोगों को दिल्ली नहीं पहुंचने देने के लिये इन पार्टियों के लोगों ने मिलकर षडयन्त्र किये और तथ्य तो यह है कि पांच पच्चीस इस प्रकार के गुन्डे बदमाश लोगों को जगह जगह भेज दिया, जिन्होंने झगडे फिसाद किये। कोटपूतली में मैंने स्वयं ने देखा है कि आर. एस. एस. के लोगों को भेजा गया और हमारी बसों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशें की गई। पर हम सतर्क थे। इनकी एक नहीं चलने दी। इसका दर्द भी इनको है। निश्चित तौर से मैं भी कोटपूतली पहुंचा था और बीच बचाव करने के बाद वहां से बसें आगे बढ़ी। ट्रैफिक ठीक हुआ। इन्होंने रात को वहां ट्रैफिक जाम करने का प्रयत्न किया। पुलिस भी वहां थी। सुरेशजी वहां नहीं थे। होते तो मैं अवश्य उनसे बात करता। चूंकि वे वहां नहीं थे इसलिये सही जानकारी उनको मिलने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं स्वयं कोटपूतली में उस रात को मौजूद था जब इस तरह की घटनाएं घटीं। कुछ बदमाश लोग झगड़ा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम दस बजे से पहले वहां न पहुंच सकें। पुलिस का प्रबन्ध भी हुआ। इसलिये जिस तरह की बदमाशी करना चाहते थे नहीं कर पाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर बदमाशों ने बदमाशी की तो आपको थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिये थी? की आपने?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह काम हमारा नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपका काम क्या है यह सब जानते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह भी कहा गया कि वहां शराब की दुकानें लूटने लग गये। स्वतन्त्र पार्टी के लोग शराब पीने पिलाने के आदी रहे हैं। वे इस तरह का संगठित प्रचार करके हम लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। उससे काम चलेगा नहीं। आप में ताकत है तो आप भी नौजवानों की रैली करिये। अब आपको यह यकीन हो जाना चाहिये कि विद्यार्थी नौजवान अब आपके चंगुल से निकल गये हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : विद्यार्थियों ने तो आपको समझ लिया है अब अच्छी तरह। और भी समझ लेंगे आगे आप सभी को वे समझते जा रहे हैं सब जगह।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप दस आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं कर सकते इसकी मैं चुनौती देता हूं। तो वह रैली सफल क्यों हो गई, राजस्थान से 25 हजार नौजवान वहां क्यों पहुंच गये इसकी जलन है आपको।

Page No 46

(46)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

इसका तो कोई इलाज हमारे पास नहीं है। प्रजातन्त्र में आप खुले हैं। आप भी रैली करिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : लाखों करोड़ों रुपया सत्ता के जोर से ब्लैक मार्केटियरों से और टैक्स चोरों से हमें नहीं मिलता। हम चाहते भी नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप रैली करें। हमें आपत्ति नहीं। पर आप सदन को गलत तथ्य रखकर गुमराह करने का प्रयत्न न करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न को लेकर यह चर्चा चल पड़ी है मेरे विचार से एजेन्डे में उसका कोई उल्लेख नहीं है।

श्री रामकिशन : चेयर ने आज्ञा दे दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तब भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्थगन प्रस्ताव आया उस पर कहा गया कि वह जानकारी के लिये भेज दिया गया है, और उस बारे में आसन से चेम्बर में जाकर मिल लिया जावे।

श्री रामकिशन : वह यह नहीं है साहब।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तब भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस चर्चा का कोई आधार नहीं है। संविधान की दृष्टि से, रूल्स की दृष्टि से अथवा प्रिसीडेंस की दृष्टि से। फिर एक बात और है इसका अन्त आसान नहीं। चर्चा, फिर काउन्टर चर्चा। इससे सदन का समय व्यर्थ नष्ट होगा। सदन का अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम रुकेगा। फिर इसमें पर्सनल रिफ्लेक्शन एलीगेशन्स भी लगाये गये हैं, उन पर काउन्टर एलीगेशन भी आवेंगे, क्लेरिफिकेशन्स भी होंगे। इनमें कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, वे अगर प्रोसीडिंग्स में रहेंगे तो सदन के लिये शोभाजनक नहीं होंगे। मैं निवेदन करूंगा कि अब तक बहुत कुछ हो चुका है। काफी क्षुद्रता का प्रदर्शन हो चुका है। इस क्षुद्रता को और अधिक बढ़ने से रोका जाय। इसे बन्द किया जाय तो अच्छा है। इम्पोर्टेन्ट वर्क काफी पड़ा है, उसे लिया जाय। इस लिये निवेदन करूंगा कि इसे यहीं समाप्त करने की कोशिश करें तो अच्छा होगा।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो चर्चा हो रही है उसका निराकरण होना जरूरी है। अब जो एक दूसरे के प्रति हल्के शब्दों का प्रयोग हुआ वह तो लोगों की योग्यता पर निर्भर करता है। जो गाली देना जानते हैं वे गाली ही देंगे। जो दर्शन शास्त्र समझते नहीं वो इसके अलावा क्या करेंगे। यह सही है कि यह आज के बिजनेस में नहीं है। पर आज के हिन्दुस्तान की जो स्थिति है उसमें यह चर्चा ही महत्वपूर्ण बनकर रह गई है। इन सदनों का तो अब वैसे ही महत्व कम होता जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कांग्रेस दल वाले बोल चुके हैं, कुछ दूसरे दल वाले भी बोल चुके हैं। कांग्रेस के भी कुछ लोगों को और बोलना है, हमें भी बोलना है, आप सबको समय दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा फिर यह निवेदन करना है कि आप इस पर अपना रूलिंग दे दें। इस दुरूह दायित्व को भी एक सीमा तक नियमों के अन्तर्गत निभाया जाय तो उत्तम रहेगा। यही बस मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष रखा है। जहां तक वाद-विवाद में प्रयोग किये गये असंसदीय शब्दों का सम्बन्ध है उनकी उपयुक्तता के बारे में माननीय सदस्य स्वयं ही विचार कर सकते हैं। आसन की ओर से उन पर टिप्पणी करना संगत नहीं होगा। आसन, हालांकि, यह अपेक्षा अवश्य करके चलता है कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखा जाय। परम्पराओं को कायम रखा जाय।

अब चूंकि माननीय अध्यक्ष ने सभी दलों को बोलने का अवसर इस पर दिया है इसलिये अब इस स्टेज पर इसे रोकने में तो मैं असमर्थ हूं बाकी जिन को बोलने का अवसर अभी नहीं मिला उनको समय मैं दूंगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि अब तक जो वाद-विवाद इस पर हुआ है इसमें कुछ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं इनमें मंत्री भी हैं और दूसरे सदस्य भी हैं। मैं इसके लिये यह उचित समझूंगा कि जो भी ऐसे माननीय सदस्य चाहें उन आरोपों का निराकरण करने के लिये या अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये जो समय वह देना चाहें वह न्याय संगत होगा।

इसलिये इस विवाद को चालू रखा जावे। पर जहां तक समय का प्रश्न है मैं चाहूंगा कि सदस्य स्वयं इसका ध्यान रखें तो उचित होगा और जल्दी से जल्दी इसको कन्क्लूड करने में आसन को सहयोग देंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा निवेदन है कि समय मैक्सिमम दस मिनिट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे बीस मिनिट में इसे समाप्त कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कैसे होगा, एक पार्टी का केवल एक ही सदस्य है तो वह भी बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय निर्धारित कर दूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त को जो रैली दिल्ली में आयोजित की गई और राजस्थान में से जिन नौजवानों ने इसमें भाग लिया उन नौजवान विद्यार्थियों और प्रगतिशील विचार के लोगों को वहां पहुंचने के लिये विभिन्न रास्ते और साधन प्रयोग करने पड़े। इसमें यह जो आरोप लगाया कि जबर्दस्ती बसों का प्रयोग किया गया पुलिस की मदद से किया गया। यह बिल्कुल निराधार है।

श्री मूलचन्द सामरिया : सोलह आने सही है।

श्री दीपंकर : हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों नौजवान प्रगतिशील युवकों को वहां सम्बोधन किया कि इस देश को कहां जाना है। आपको कौनसा रास्ता चुनना है। देश में इस समय जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग संविधान

(श्री दीपंकर)

को इस देश में समाप्त करना चाहते हैं और जो देश समाजवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है उस रास्ते में व्यवधान पैदा करना चाह रहे हैं। हमें इस स्थिति का डटकर मुकाबला करना है।

इस आह्वान को सुनने के लिए राजस्थान से भी लगभग 25 हजार नौजवान वहां पंहुचे। उनको उन कुछ चन्द लोगों ने रोकना चाहा है जो जनतन्त्र में इस देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के नौजवान भी विभक्त हैं इस मुद्दे पर। प्रगतिशील विचार धारा के लोगों को रोकने के लिये इस आयोजना रैली को असफल करने के लिये समय पर वहां पहुंच नहीं सके इसके लिये स्थानीय लोगों ने व्यवधान डाले। रतनगढ़ देवली तथा दूसरी जगहों पर यही किया। आज कोई साधारण यात्रा में भी हम कहीं जाते हैं तो रेजगी के मामले को लेकर छोटी मोटी खाने पीने की चीजों को लेकर कोई सामान लाने ले जाने में कोई छोटी मोटी बोलचाल की बात हो जावे और उसी को तूल देकर राजनीति का रंग कोई देना चाहे तो यह उनको समझ की बात है।

श्री मनोहर लाल : आप तो तस्करी करके गेहूं की बोरियां भर कर लाये थे। आप भी उस तस्कर व्यापार में शामिल थे।

श्री दीपंकर : मैं तो 9 अगस्त की बात कह रहा हूं। तो यह सारा प्रोपेगेण्डा उस विशाल रैली के आयोजन को फेल करने के लिये किया जा रहा है। राजनैतिक कारणों से कई व्यवधान लोगों ने इसमें डाले। आज इस अड़ंगा की नीति से ही इन लोगों की बातें अब नौजवान सुनने को तैयार नहीं हैं। बदनाम करने के लिये ये सारी मनगढन्त कहानियां गढ़ी गई हैं। इनमें तथ्य बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने, साथियों ने स्टूडैन्ट्स फैडरेशन के साथियों ने कोई किसी प्रकार का लूट पाट या किसी तरह का अशोभनीय कोई कार्य नहीं किया।

रहा शराब की दुकानों पर जाने का और लूटने का सो इसका तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हर ट्रेन या बस में इतने जिम्मेदार साथी उनके साथ थे कि यह सम्भव ही नहीं हो सकता था। सारा प्रोग्राम उनके साथ था कि इस तरह से 9 अगस्त को वहां रहना है। इस तरह जाना है, इस तरह से आना है।

इस तरह वहां उनको वापिस इस गाड़ी में सवार होना है, ये सारे इन्सट्रक्शन्स थे तो यह कहना हर जगह गाड़ी रोकी और दुकानें लूटीं बिलकुल गलत है। मैं इन सब बातों को बिलकुल निराधार मानता हूं। राजनैतिक कारणों से रंगा हुआ आरोप है। मनगढन्त बातें जनसंघ ने, स्वतन्त्र पार्टी ने जो मनमाने तौर पर अपना वाद चलाने वाले हैं, करते हैं। जिस तरह की बात है मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता कोई सवाल ही नहीं है, आज बात नहीं करना चाहता जयप्रकाश जी की लेकिन इस तरह की तैयारी अगर यहां की गई या की जा रही है या की जाने वाली है। इस प्रकार का कोई चिन्तन हो तो राजस्थान का नौजवान.....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दीपंकर : सजग है। राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी

(श्री दीपंकर)
इस बात को समझता है चाहे वह कालेज में पढने वाला हो और चाहे किसी भी स्थान का हो वे जानते हैं संविधान को तोड़ना, विधान सभाओं को भंग करना और जयप्रकाश जैसी हरकतें करना चाहता है तो कांग्रेस के नौजवान जो प्रगतिशील विचारधारा के हैं, डरने वाले नहीं है और जो इस तरह के लोग वहां पर हैं वे भी मुंह की खायेंगे। यह उनको मानकर चलना चाहिये· · ·

(समय–समाप्ति–सूचक-अनवरत घंटी)

हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कांग्रेस रैली में इस तरह के लोगों को ले जाने का कतई कोई इरादा नहीं था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के प्रजा मण्डल को बदनाम किया करते हैं। यह विरोधी दलों ने साजिश करके की है। लेकिन हमारे साथी सजग हैं इसलिये यह बिलकुल तथ्यहीन और निराधार है। शराब के कोई ठेके नहीं लूटे गये। यह उन्हीं के ऊपर समर्पित है जो कुछ कहें उनकी शोभा की बात नहीं है। इसका युवक कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना है, हिन्दुस्तान को प्रगति करनी है· · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आपका समय हो गया है।

श्री दीपंकर : मेरा निश्चित मत है देश आगे बढ़ेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय 9 अगस्त की रैली को लेकर सदन में चर्चा उठी है और कई माननीय सदस्यों के आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं। मेरा स्पष्ट नम्र निवेदन है 9 अगस्त की रैली, यह कोई नई नहीं है। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ उसके लिये पहले 9 अगस्त महत्वपूर्ण तारीख थी उसको हम याद करते आये हैं। देश का हर नौजवान याद करता है। 15 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण दिन आजादी के लिये याद रखें तो वह 9 अगस्त है। हम हमेशा उसको मनाते आये हैं। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में इसे यह आपकी भ्रान्ति है। मेरा निवेदन यह भी है। हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी और जमाखोरी हो रही है इस बार ही मानकर चलते हो तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय हमारी कांग्रेस महासमिति ने, हमारी कांग्रेस कमेटी ने युवकों का आह्वान किया, स्टूडेन्ट्स रैली की–हम इस भ्रष्टाचार को और जमाखोरी को और आने वाली जितनी कठिनाइयां हैं जो समाजवाद में बाधक बन रही हैं उनको हटाना है। हमारे आह्वान पर हमारे देश का आदमी, कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता इस रैली पर–इकट्ठे हुये। हमारे देश की प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री ही नहीं हैं वह हमारे दल के नेता भी हैं इस नाते ऐड्रेस किया कि यह भ्रष्टाचारी और जमाखोरी दूर करनी है। हमें निश्चित रूप से आगे आना होगा। इतने बड़े आयोजन में कुछ गलत तत्व हो सकते हैं, अगर वे पहुंचे हों और कोई बात की हो तो आरोप-प्रत्यारोप इस प्रकार लगा दें जैसे आंखों देखा हाल हो। भाई गुमान मल जी ने जैसा कहा हो सकता है उनको किसी ने जानकारी दी हो–जानकारी अपने अपने ढंग की होती है। जुझार सिंह जी ने कोई टेलीफोन नहीं किया क्योंकि वे 8 तारीख

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

को कोटा में बैठे हुये थे और उसके बाद वे यहां पर थे--दिल्ली नहीं गये जैसा उन्होंने बताया। ऐसी गलत सूचना मिल भी जाय तो माननीय सदस्य सभी जिम्मेदार हैं खुद मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं। कोई जवाब देने से इन्कार नहीं करेगा। मैंने निवेदन किया कि कोई गलत आदमी के कारण कोई गलत काम हुये हों तो उससे इन्कार नहीं करते हैं और यह कोई उचित भी नहीं है।

9 अगस्त की रैली जन जीवन का आगे बढाने के लिए, नौजवानों को स्फूर्ति देने के लिये हमेशा से मनाते आये हैं। उसको याद रखने के लिये मनाते हैं जिसमें सब इकट्ठे हों, मैं स्वयं वहां थी। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन इतनी संख्या कोटा में देखी होगी या फिर इस 9 अगस्त को देखने में आई। उस दिन रामपुरा बाजार में लोग माये नहीं, अगर अच्छी व्यवस्था होती, राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था की होती तो–गाड़ियों की, बसों की ठीक व्यवस्था हो जाती तो कोटा शहर से 5-6 हजार लोग पहुंचते। व्यवस्था के लिये हमने स्वयं ने डीजल लिया। इसका हमारे पास हिसाब है। हिसाब लगा कर सारा खर्चा किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। हलवाई का पूरा हिसाब है, यहां खाना बनवाया एडवान्स पार्टी ने सारी व्यवस्था की है। खाना यहां से बनाकर साथ ले गये हैं वापिस यहां आकर खाना खिलाना, रास्ते में किसी प्रकार की कोई चीज न खिलाना, बसों को न रोकना इन सब बातों के लिये न्सट्रक्शन्स थे।

मेरा इतना ही निवेदन है कि यह देश के नौजवानों के लिये एक आह्वान था क्योंकि हमारी देश की दिशा अग्रसर हो उसके लिये ही सब कुछ किया गया था। माननीय सदस्यों को पूरा सन्तोष करना चाहिये और आरोपों-प्रत्यारोपों को किसी प्रकार आगे न बढायें।

श्री जयकिशनलाल (फागी): उपाध्यक्ष महोदय 9 अगस्त की रैली की सदन में विभिन्न प्रकार की चर्चायें हुई हैं। उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से यदि किसी प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है तो विरोधी पार्टियां खुले रूप से हमारे ऊपर आक्षेप लगाती हैं लेकिन इस आक्षेप लगाने से पहले व स्वयं के गिरहबान में हाथ डालकर देखें तो सारी चीज जनता के सामने प्रदर्शित हो जायेगी।

9 अगस्त की रैली इसलियें की गई थी कि हमारे नौजवान विद्यार्थी वर्ग को गलत ढंग पर लगाने की कोशिश प्रतिक्रियावादी ताकत पर कर रहे हैं। आज गुजरात में जो हालात की गई है, जितने नौजवान थे, विद्यार्थी वर्ग थे उनको गलत रास्ते पर अग्रसर किया गया। ठीक ऐसा ही वातावरण बिहार में किया जा रहा है लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं, उनको मालूम है। बिहार में आज उस विद्यार्थी को परीक्षा देने से रोका जा रहा है। उन प्रतिक्रियावादी ताकतों को पता नहीं हमारे इस देश के कर्णधार, प्रगतिशील विचारधारा के लोग देश को अवश्य आगे ले जायेंगे। भविष्य में यह देश अग्रसर होगा लेकिन ऐसे नौजवान विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा देने से रोका जा रहा है

(श्री जय किशन लाल)
यह बिलकुल गलत है उनको समझ लेना चाहिये कि आगे जाकर क्या हालत होने वाली है। आज कई प्रकार के प्रलोभन देकर, कई प्रकार की वस्तुयें देकर उनको परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुये। ऐसी स्थितियों को देखते हुए, हमारी पार्टी के अन्दर, हमारे संगठन के अन्दर हमारे भारत के प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विचारों के आदेशों के, अनुसार, हमारे हाई कमाण्ड के आदेशों के अनुसार यह रैली हुई है। आज सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे देश में अलग अलग पार्टीज हैं और वह अपने कार्यक्रमों को लेकर किस प्रकार से प्रेषित होती हैं समाज के सामने कैसे कार्यक्रम उपस्थित करते हैं और समाज किस तरह से रास्ता भूल रहा है या प्रजातन्त्र की ओर किस तरह से देश को ले जाना चाहते हैं–इसकी प्रगति में विरोधी पक्ष रोड़े अटका रहा हैं। इसके लिये हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नवयुवकों को आदेश दिया कि जो सारे के सारे गुमराह करने वाले तत्व हैं उनको किस प्रकार से खण्डित किया जाये और हटाया जाये और सही रूप से विद्यार्थियों को और नौजवानों को किस प्रकार से सही रास्ता दिया जाये और यहां से लेकर दिल्ली तक इस प्रकार की योजना बनाये और जो हमारे मुख्य नेता हैं उनके वक्तव्य और विचारों को जब नवयुवकों ने समझा तो इन विरोधी पक्ष के लोगों में घबराहट हो गयी। तो जिस प्रकार से ग़लत धारणायें लाई जा रही हैं, हम जानते हैं देश में भुखमरी है, ग़रीबी है और ऐसी ही अनेक समस्याए हैं उनको हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन साथ ही साथ समाज के विद्यार्थी वर्ग को और नौजवान वर्ग को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो इस सारी स्थिति को लेकर कांग्रेस ने रैली की है और इसका परिणाम यह उपस्थित हुआ है कि आज का विद्यार्थी वर्ग और नौजवान वर्ग स्पष्टता को समझ गया है। बिहार और गुजरात में ग़लतियां की हैं उनको आज का विद्यार्थी वर्ग और नौजवान वर्ग महसूस कर रहा है और भविष्य के अन्दर इस प्रकार की ग़लतफ़हमियों का शिकार नहीं होगा और इस प्रकार के ग़लत रास्ते की ओर नहीं जायेगा। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह जो 9 अगस्त की रैली की गई है यह नवयुवकों को और नौजवानों को सही रास्ता दिखाने के लिये की गयी थी। हो सकता है कि कहीं कुछ ग़लत काम हुए हों। आप एक परिवार को ही ले लीजिये। एक ही परिवार में दस, बीस आदमी होते हैं तो उनमें भी खींचातानी होती है और कोई लड़ता है तो कोई झगड़ता है। इस रैली में भी बहुत ज्यादा संख्या में नवयुवक थे तो उनमें आपस में झगड़े भी हो सकते हैं मनमुटाव भी हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार के आरोप रैली के ऊपर लगाये गये यह झूठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी स्वयं वहां था लेकिन इस प्रकार की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घटनाओं के आधार पर रैली को बदनाम किया जाय और दल को बदनाम किया जाये यह उचित नहीं है। इस सारी स्थिति को देखकर इन लोगों के कलेजों में भय पैदा हो गया है जब कि नौजवान हमारे साथ थे।

Page No 52

(52)

(श्री जयकिशनलाल)

आर. एस. एस. में जब लाठियों का प्रदर्शन करते हैं उस समय हम किसी प्रकार की भावना व्यक्त नहीं करते लेकिन मामूली आह्वान् देश की सच्ची भावनाओं को लोगों के दिलोदिमाग़ में बैठाने के लिए किया जा रहा है तो उनके दिमाग़ों में आतंक पैदा हो गया है और वह घबरा रहे हैं कि जिन नवयुवकों को बचपन से ग़लत विचार देकर अपने संगठन की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी जड़ें जमानें की कोशिश कर रहे थे वह जड़ें आज खोखली होती जा रही हैं इसलिये सारी की सारी स्थिति भय बन कर बैठ गयी है इसलिये आज कांग्रेस पार्टी की ओर से होने वाली किसी भी प्रकार की रैली और भावनाओं से यह लोग गुमराह करके नौजवानों को दूसरी ओर ग़लत रास्ते पर ले जा रहे हैं इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की ग़लत धारणाएं चाहे विधान सभा के प्रांगण पर चलें या आज का विद्यार्थी वर्ग जो आज प्रतिक्रियावादी तत्वों को समझ गया है वह अब कभी भी ग़लत तत्वों के साथ नहीं जायेगा। यह हम पूर्णरूप से दावे के साथ कह सकते हैं और ग़लत रास्ते पर यदि जायेगा तो यह तो आज एक रैली हुई है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम दिन प्रति दिन इस प्रकार की रैलियां नौजवानों के सामने लेकर प्रस्तुत होंगे और ग़लत रास्ते पर विद्यार्थी वर्ग को और नौजवान वर्ग को नहीं जाने देंगे।

(अनवरत समय समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहे जयप्रकाश नारायण हों या और कोई भी और किसी का भी नारा हो या कोई भी नेता हो हम ऐसे नेताओं को खन्डित करने की कोशिश करेंगे। तो हम पूर्ण रूप से कह देना चाहते हैं और एक सच्ची भावना से कह देना चाहते हैं कि इनकी इस प्रकार की हालत नहीं चलने देंगे चाहे बिहार में आन्दोलन करें, चाहे गुजरात में करें, चाहे मध्यप्रदेश और राजस्थान में करें। हम ऐसे आन्दोलनों की परवाह नहीं करते। हम जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम किस प्रकार से देश की जनता को आगे ले जाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्री जयकिशन लाल : इससे हम डरनें वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की भावनाओं को सहन नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कम से कम आसन के आदेशों की तो पालना करें।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने हैं उसमें केवल इतना मुद्दा था कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसमें राजस्थान सरकार की मशीनरी का प्रयोग हुआ और खास तौर पर यातायात विभाग ने बस वगैरह इकट्ठी करने का प्रबन्ध किया। मैं केवल इस सम्बन्ध में इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के माननीय सदस्य जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वह इस सदन में चाहे इस बात को स्वीकार नहीं करे लेकिन कम से कम वह महसूस करें कि सरकार और पार्टी जब दोनों को मिला दिया जायेगा तो देश में लोकतंत्र नही रहेगा।

(श्री रामकिशन)
जहां जहां दुनियां में लोकतंत्र समाप्त हुआ है या एक व्यक्ति की तानाशाही बनी है वहां पर पहले इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर दी गयी हैं। मैं यह कह सकता हूं कि माननीय यातायात मंत्री श्री मोहनलाल जी छंगाणी जो अभी यहां नहीं हैं और अगर वह होते तो मैं बता देता कि मैंने खुद उनसे कहा था कि आपके सब इन्सपेक्टर वगैरह बस इकट्ठी करने में लगे हुए हैं और उसके लिए डीजल वगैरह जैसा कि माननीय सदस्या नगेन्द्र बाला जी ने कहा है कि निश्चित रूप से प्रबन्ध किया गया है। जयपुर वाली बसों को सौ-सौ रुपया दिया गया है। इसलिए इस सम्बन्ध में हमारा कहना है कि वह स्वीकार करें या नहीं करें यह उनकी मर्जी की बात है। आज जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है उसमें चाहे स्वीकार नहीं करें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको लोकतन्त्र में विश्वास है और लोकतन्त्र से आपको प्यार है तो सरकार और पार्टी को आप मिलाने की कोशिश नहीं करें।

जहां तक उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त की रैली का सवाल है कांग्रेस दल ने देश के नौजवानों को आहूत किया है और मैं इसका अभिनन्दन करता हूं और यह इतना बढ़िया कदम है कि इससे लोक चेतना जागृत होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की प्रधान मंत्री जितना ज्यादा जनता के बीच में आयेंगी उतना ही परिवर्तन होना आवश्यक है क्योंकि वह जनता के बीच में आकर वायदे करेंगी और जब वायदे करेंगी तो उनको उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अतः मैं ऐसे आयोजनों का स्वागत करता हूं समर्थन करता हूं और यदि कांग्रेस दल इस प्रकार का आयोजन करती है तो और भी अच्छा है। यह लोकतन्त्र के लिए भला है। जहां तक इस संबंध में मेरा संबंध है इसका ऐतराज नहीं है क्योंकि गरीबी को मिटाने का नारा देकर देश में कांग्रेस ने हवा पैदा की है और यह नारा भी इनके खिलाफ जायेगा और यही नौजवान क्रांति के अगुवा बनेंगे और यह कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध में प्रदर्शनों से मुझे अरुचि या नाराजगी नहीं है लेकिन मेरे पुराने दो तीन साथी बैठे हुए हैं बैंचों पर उनसे मैं कहूंगा कि यह 9 अगस्त का आयोजन ऐसा था, कांग्रेस के आदमी समझा रहे थे, 9 अगस्त के आयोजन का महत्व समझा रहे थे, 9 अगस्त का महत्व वह समझा रहे हैं जिसके लिए हिन्दुस्तान में आजादी के लिए कांग्रेस दल ने प्रस्ताव पास किया बम्बई में कांग्रेस की मीटिंग कब हुई और जिन्होंने भारत छोड़ो का आन्दोलन दिया था और वह जेल में भेज दिये गये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, जब वह कहते हैं तो मुझे नाराजगी नहीं होती केवल इतना कहता हूं कि इतिहास का ज्ञान नहीं है लेकिन मुझे ताज्जुब तब होता है जब एक दल के माननीय सदस्य जो कि इन सारे तथ्यों को जानते हैं वह भी किस प्रकार से उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी का जहां तक संबंध है एक बात कह दूं कि जयप्रकाश जी जैसी अस्थिर प्रकृति का आदमी कोई नहीं है। और जयप्रकाश जी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वह हमें पहुंचाय है, समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है। ... इसलिये जयप्रकाश जी के लिए हम कोई विशेष बात सोचते हों वह बात नहीं है लेकिन हमें जयप्रकाश के पिछले इतिहास को देखना होगा, सन् 42 के पहिले के जयप्रकाश नारायण सन् 42 के

(श्री रामकिशन)

जयप्रकाश नारायण 52 के जयप्रकाश और 52 से लेकर 65 तक के जयप्रकाश नारायण का अलग 2 मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन इस संदर्भ में मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज का यह संदर्भ नहीं है। आज तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जो लोग आज ऐसी हिमाकत करें और कुछ लोग यह कहें कि जयप्रकाश गद्दार है। क्या वे गद्दार शब्द का मतलब भी समझते हैं या उनको ऐसा कहने के लिए कह दिया गया है जिससे कि प्रधान मंत्री प्रसन्न हो जावें। जयप्रकाश नारायण का आजादी के समय का रोल क्या गद्दारी का रोल था? सन् 42 के आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण ने जो आजादी के लिए ज्योति जलाई, जो जेलों में रहे और लाहोर जेल में जिनको शिलाओं पर लिटा दिया गया, जो जेल की सीखचों को तोड़ कर भाग गये, जो बिहार की जेल तोड़ कर नेपाल चले गये क्या इसको आप गद्दारी कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी ऐसा कहने वाले लोग हैं वे स्वार्थी लोग हैं, जो सही बात को सुनना नहीं चाहते हैं और उनकी यही मंशा हो सकती है कि देश में जो घटना हो रही है उसकी सही जानकारी नहीं मिले।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : यहां बिहार के आन्दोलन की बात कही जाती है। बिहार में जो आन्दोलन चल रहा है उसका एक पहलू है। यह कोई अकेले जयप्रकाश जी का आन्दोलन नहीं है और जो आदमी खास तौर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसी वैज्ञानिक पार्टी इस बात को कहती है तो वह अफसोसनाक बातें है। यह आन्दोलन जयप्रकाश जी ने नहीं चलाया बल्कि वहां के विद्यार्थियों ने चलाया जिन्होंने कहा कि तीन चार बातें पूरी हों। वहां के नौजवानों की तीन चार विशेष बातें इसमें हैं कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो, बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार एक निश्चित समय का वायदा करे। इसके अलावा भ्रष्टाचार जो बिहार में है वह अपनी तरह का है। वहां का राजनैतिक ढांचा लग तरह का है और अजीब तरह का भ्रष्टाचार है। उस आन्दोलन में जयप्रकाशजी को मिला लिया गया है। जयप्रकाशजी ने उन नौजवानों के आन्दोलन को सही माना है, वे मानते हैं कि आज की चुनाव प्रणाली भ्रष्ट हो चुकी है और कांग्रेस दल भी मानता है कि चुनाव का कानून आज भ्रष्ट हो चुका है, इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। क्या आप यह मानते हैं कि मौजूदा शिक्षा पद्धति उचित है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई भी कांग्रेसी इससे इन्कार कर सकता है? आज भ्रष्टाचार का रोग लाइलाज हो गया है जिसका इलाज कोई दल नहीं कर सकता है। इन सब सवालों को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है जिसमें एक बात को और जोड़ दिया गया है कि विधान सभा को भंग करो। आज विधान सभा भंग की बात को लेकर कहा जाता है कि वह देश के लोकतन्त्र को खत्म कर रहे हैं। एक बात की मैं यहां कांग्रेस के लोगों को सूचना दे दूं कि आज जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन ने कांग्रेस को ही फायदा पहुंचाया है और दूसरे दलों का नुक्सान किया है।

(श्री रामकिशन)
आज जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन ने सोशलिस्ट पार्टी को तोड़ दिया, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ को तोड़ दिया, संगठन कांग्रेस को तोड़ दिया और यहां तक कि सर्वोदय को भी तोड़ा है। आज अगर जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से किसी को लाभ पहुंचा है तो वह कांग्रेस को पहुंचा है और विरोधी दलों को तोड़ा है इसलिये उनको तो जयप्रकाश का अभिनन्दन करना चाहिये, उनको गाली देने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आज ख़तरा जिससे है, आज इस आन्दोलन से प्रधान मन्त्री जी इतना घबड़ा रही हैं, कांग्रेस दल घबड़ा रहा है इसका कारण कुछ और है। और उसका कारण यह है कि जयप्रकाश जिन उद्देश्यों को लेकर जन आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं उससे देश में ऐसी एकता की भावना पैदा होगी, जन चेतना की भावना पैदा होगी, क्रान्ति की लहर पैदा होगी और अगर यह आन्दोलन बिहार में सफल होता है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश भी नहीं बचेगा और फिर देहली भी नहीं बचेगी। दिल्ली को बचाने के लिए आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है वे ऐसी बात कहें तो कोई बात नहीं लेकिन श्री शिवचरणजी माथुर और माननीय हीरालालजी जैसे व्यक्ति क्या आपका ख़ून बिल्कुल ठण्डा हो गया है। आज कोई जयप्रकाश को गद्दार कहे और आप बर्दाश्त करत जायें तो यह कोई लम्बी बात नहीं है। जिस जयप्रकाश नारायण को आज आप गद्दार कह सकते हैं तो इतिहास में आपको भी गद्दार कहा जा सकता। आख़िर किसी चीज की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है कहां किस बात को कहा जाता है। शिवचरणजी साहब आप 42 की हालत को याद करें इसी हाल में हमारे सम्मेलन होते थे और यहीं पर बैठ कर चर्चा करते थे। आज जिन लोगों का आज़ादी की लड़ाई से कोई वास्ता नहीं रहा, जो आजादी की लड़ाई के अन्दर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वे लोग कहते हैं कि जयप्रकाश गद्दार है। जिन लोगों ने हमारी आजादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया वे लोग गद्दार कहते हैं। मेहरबानी करके इतिहास को बदलने की कोशिश न करें। मैं मानता हूं कि पोलिटिकल थिंकिंग आपकी भिन्न हो सकती है, एक दूसरे के विचारों में भेद हो सकता है, मैं स्वयं भी उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं हूं। अभी जयप्रकाशजी से मेरी इलाहाबाद में मुलाक़ात हुई थी, मैंने उनसे कहा····

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्षजी, आज जो जयप्रकाशजी को गद्दार····

श्री रामकिशन : आप बाद में कह दें। मैंने तो आपको यह जगह याद दिलाई है··

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयप्रकाशजी को गद्दार किसने कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ़ रखिए।

श्री रामकिशन : मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय····

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि जयप्रकाश-नारायण को ग़द्दार कहा तो ग़द्दार किसने कहा है ? किसके बारे में कहा है और किसने कहा है यह हम जानना चाहते हैं जिससे क्लियर कर सकें ।

श्री रामकिशन : आप मेरी बात धैर्य-पूर्वक सुन लीजिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम आपकी बात बिल्कुल धैर्यपूर्वक ही सुन रहे हैं लेकिन जिस सारी बात को आप कह रहे हैं हम यह जानना चाहते हैं कि जयप्रकाशजी को ग़द्दार किसने कहा है?

श्री रामकिशन : मैं कभी बीच में बोलता नहीं हूं इसलिये श्रीमान गोटेवाला साहब, आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कह लीजिये, पहले मेरी बात सुनलें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि ग़द्दार किसने कहा है जिसके लिए आप कह रहे हैं। मुझे भी बम्बई की जानकारी है और बातों की भी जानकारी है लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि गद्दार किसने कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये ।

श्री रामकिशन : श्रीमान जी किसने ग़द्दार कहा यह बात आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। जब शशीभूषण यहाँ आये थे, उनकी हैसियत क्या थी यह आप हम सब जानते हैं और वही शशीभूषण साहब उन्हें गद्दार कहें, सी. आई. ए. का एजेंट कहे और हीरालाल जी यह आपकी हमारी बात नहीं है लेकिन कांग्रेस की बात है और आप चुप बैठे रहें। क्या आप केवल गद्दीनशीन ही रहना चाहते हैं। श्रीमान शशीभूषण जयप्रकाश के मौजूदा रोल से सहमत नहीं हो, वे कांग्रेस में बैठे रहें लेकिन क्या यह उचित माना जा सकता है। अभी हांडा साहब ने कहा, मैं बीच में बोलता नहीं हूं। मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की लेकिन जय-प्रकाश के फलाने रोल के लिए गद्दार कहें, आज की राजनीति में उनके रोल को गद्दारी कहें, हान्डा साहब मुझसे ज्यादा पढे लिखे हैं, उम्र से भी शायद एक दो साल ज्यादा होंगे भले ही बाल काले करके अपने को जवान दिखलाना चाहें लेकिन उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की व्याख्या कर दी कि सोशलिस्ट पार्टी ने सुभाषचन्द्र को वोट नहीं दिया। सोशलिस्ट पार्टी कब बनी इससे हान्डा साहब को कोई मतलब नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी तो कांग्रेस में से निकल कर बनी है जिसमें अरुणा आसफ अली, आचार्य नरेन्द्र देव पटवर्धन ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप यह क्या कह रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस की क्या बात करते हैं। आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें। मैंने तो उस समय के वामपंथी कांग्रेस में ये शब्द कहे थे। यहाँ आप किसी बच्चे को पढा रहे हैं। इस तरह से आप गलत बात मत रखिये ।

श्री रामकिशन : आप प्रोसीडिंग पढ लीजिए ।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य) ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष । आर्डर प्लीज . . आर्डर प्लीज

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज के कम्युनिस्ट और वामपंथी उस समय कांग्रेस में थे जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, डा. लोहिया, एस. एम. बनर्जी...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....... माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : हाण्डा साहब को तो सदन के अन्दर अनर्गल बात कहने की आदत है। उन्होंने यह कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी ने सुभाषचन्द्र को वोट नहीं दिया...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने साफ तोर पर यह कहा था कि सी. पी. आई. और वामपंथी पार्टीज ने सुभाष चन्द्र को खडा किया लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने गद्दारी की। सोशलिस्ट पार्टी का स्पोंसर्ड कैंडीडेट है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केदारजी, इस ग्रामोलोजी का क्या मतलब है। सदन के मामूली सदस्य भी इस बात को जानते हैं...

श्री केदारनाथ : क्या कहा है यह तो सदन के मिनिट्स देख लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय ने चन्दन मलजी के बाल साफ कर दिये तो इसमें मेरा क्या दोष है और मेरी शक्ल अच्छी दिखती है...

(निरन्तर शोरगुल से अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : मिनिट्स पढ़ कर देख लीजिये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने यही कहा है और सी. पी. आई. और सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया, वामपंथ का नाम नहीं लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सी. पी. आई. का नाम नहीं लिया, वामपंथी कहा है। आप किस शब्द पर बहस कर रहे हैं...

(अनवरत शोरगुल, कई मा. सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,...

(शोरगुल)

श्री रामकिशन।

श्री गुमानमल लोढा : सुभाषचन्द्र बोस समाजवादी विचारों के कांग्रेसियों को रिप्रजेंट करते थे।

श्री रामकिशन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी। त्रिपुरा कांग्रेस हुई उसके 6 वर्ष बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नासिक में जन्म हुआ था।...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सोशलिस्ट पार्टी थी ही कब? दो पंडे और तेरह चूहे। आज भी कोई सोशलिस्ट पार्टी है क्या? सोशलिस्ट पार्टी रही कब? एक रामकिशन ग्रुप, तो दूसरा लोहिया ग्रुप, तीसरा राजनारायण ग्रुप और कहीं पर एस. एस. पी. यह आपकी सोशलिस्ट पार्टी। दो पंडे और तेरह चूहे।

श्री रामकिशन : थोडी मेहरबानी करें। मैं समझता हूं कि ज्यादा बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, बढ़िया बात नहीं है। आपकी

(श्री रामकिशन)
बातों पर लोग हंसते हैं । मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस समय सोशलिस्ट पार्टी नाम की पार्टी नहीं थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज है क्या सोशलिस्ट पार्टी ? जो उस वक्त नहीं थी । आज भी नहीं है । कहीं पर एस. एस. पी., कहीं पर राजनारायण ग्रुप, ये तो ब्रजवासी हैं । पहले इन तेरह चूहों को संभाल लो फिर बात करें ।

श्री रामकिशन : आपकी बातों का जवाब अब आखिर में दूंगा । मैं यह निवेदन कर रहा था कि जयप्रकाशनारायण के बारे में यह जो नई बात कही है, यह गलत है । यह कौनसी किताब में है, मैंने तो कहीं नहीं पढा है, न देखा है । जयप्रकाशनारायण जिस परिवार से आये हैं, जिस परिवार से उनका संबंध रहा है, वह परिवार हिन्दुस्तान की आजादी का परिवार रहा है । उनकी पत्नी पहले खुद गांधी जी के आश्रम में रहती थी । अमेरिका में वे मार्क्सवादी थे और हिन्दुस्तान में आने के बाद मार्क्सवादी का रास्ता छोडकर कांग्रेस में आये और जब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई तो कांग्रेस को छोड़ दिया । हांडा साहब ने कहा कि कोई सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। सचमुच मुझे अफसोस है कि आज सोशलिस्ट पार्टी नहीं है·······

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जयप्रकाश जी अमेरिका से आते ही बिडला परिवार के सेक्रेटरी बन गये···

श्री गुमान मल लोढ़ा : गांधी जी भी बिडला हाउस में रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अमेरिका से लौटने के बाद बिडला जी के सेक्रेटरी जयप्रकाश जी बने ।

श्री केदारनाथ : ए. आई. सी. सी. की बैठकें भी बिडला हाउस में हुआ करती थीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बैठकें होना दूसरी बात है और बिरला के सेक्रेटरी होना दूसरी बात है। जयप्रकाश नारायण एक्टेड एज ए सेक्रेटरी टू बिडला–घनश्यामदास बिडला·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज,

(शोर गुल)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि हांडा साहब ने यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी चार टुकड़ों में बट गयी है। सचमुच ही आज उसके चार टुकड़े हो गये हैं। आज की तारीख़ में सोशलिस्ट पार्टी कोई पार्टी नहीं है। परन्तु मैं हांडा साहब से पूछता हूं कि आज देश में कम्युनिस्ट पार्टी कितनी है। कम्युनिस्ट पार्टी में कितने मतभेद रहे हैं, यह सब जानते हैं । आज हिन्दुस्तान में सात कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही हैं। हांडा साहब क्या इनके नाम जानते हैं । एक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी है लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी है हैदराबादी, एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, एक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इण्डिया है। इस देश में इस प्रकार सात कम्युनिस्ट पार्टियां काम कर रही हैं । एक नक्सलवादी कम्युनिस्ट-है। इसी प्रकार इस देश में दो कांग्रेस पार्टियां हैं, जनसंघ की भी दो पार्टियां हैं, सोशलिस्ट्स् की तीन पार्टियां हैं और कम्युनिस्टों की कितनी पार्टियां हैं, सात । तो हांडा साहब आपकी कम्युनिस्ट पार्टियां ज्यादा हैं या सोशलिस्ट पार्टियां ज्यादा हैं··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आप ग़लत कह रहे हैं।

सी. पी. आई. तो एक है। मार्क्सवादियों के 32 टुकड़े हो गये तो हम क्या कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है।

(शोर गुल)

सी. पी. एम. के. 32 टुकड़े हो गये तो हो गये होंगे। सी. पी. आई. तो एक ही है। और एक ही रहेगी .... (शोर गुल)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह सी. पी. आई. कम्युनिस्ट पार्टी इन्दिरा जी की चापलूसी करने वाली पार्टी है।

श्री रामकिशन : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हांडा साहब ने लेनिन को पढ़ा होगा। लेनिन के साहित्य को पढ़ा होगा। परन्तु इनके दृष्टिकोण में फ़र्क़ रहता है। किसी भी राष्ट्रीय आन्दोलन में नेशनल बुजुर्आ क्या रोल प्ले कर रहे हैं' उसके सम्बन्ध में इन्होंने लेनिन को पढ़ा होगा। हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को लेनिन ने सलाह दी थी। 28 के आन्दोलन में, 34 के आन्दोलन में कम्युनिस्ट उससे अलग रहे। मन्त्री मण्डल से हटने का कांग्रेस ने निर्णय लिया। उस समय लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इण्डिया को सलाह दी थी कि नेशनल मूवमेन्ट में, नेशनल बुजुर्आें के साथ कम्युनिस्ट पार्टी रहे। वह राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाने में मदद करे। परन्तु उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसकी परवाह नहीं की। गांधीजी की सलाह से जयप्रकाशजी को बिडला जी के यहां पर रखा गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जब स्थापना हो गई तो वे उससे अलग हो गये। इस बारे में जयप्रकाशजी के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। आज के सन्दर्भ में आप कोई बात कह सकते हैं परन्तु पुराने सन्दर्भ में कोई बात जयप्रकाशजी के बारे में कहना ग़लत होगा। सभी सदस्य, इस सदन के सदस्य इस बात को जानते हैं। इस प्रकार की बता कह कर क्रान्तिकारियों के इतिहास को भ्रष्ट करना है। जब इतिहास लिखेंगे और इस प्रकार की बात कही जाय तो वह इतिहास ग़लत हो जायेगा। इन्दिराजी ने काफ़ी मामलों में बढ़िया काम किया है। कई ग़लतियां भी हैं। कोई इतिहास लिखेगा तो वह दूसरे ढंग से भी बता सकता है। तो आज की जो लोकतान्त्रिक मर्यादाएं हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिये। पुराने सन्दर्भ पर ग़लत बात नहीं कही जानी चाहिये। इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा ....

श्री खेतसिंह : अब कौन सा स्थगन प्रस्ताव है। मैं इस पर उपाध्यक्ष महोदय क्लोजर मूव करता हूं। बहुत समय ले लिया गया है इस पर।

श्री रामकिशन : आपने 27 साल बेकार लिये हैं। आप राज्य करने के काबिल हैं क्या? 27 वर्ष के राज्य में लोग चन्द्र लोक तक पहुंच गये हैं परन्तु आप आज भी 32 करोड़ जनता को भूखों मार रहे हैं ....

(शोरगुल)

मेरा यह निवेदन करना था ....

श्री खेतसिंह : कांग्रेस ने 27 साल में जो किया है वह आप हजारों साल में भी नहीं कर सकते हैं। आपकी हैसियत है क्या ?

श्री रामकिशन : यह तो आपकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना ही बता रही है ? . . . .

श्री दीपंकर : आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है। . . . (शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपस में बात ीत हो रही है। यह कौन सी मुहब्बत है। . . . . (शोरगुल)

श्री रामकिशन : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने ट्रान्सपोर्ट का दुरुपयोग किया है लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि यह बात राजस्थान की जनता तक पहुंच जाये और जनता यह जान ले कि यह सरकार और यह लोकतांत्रिक पार्टी आपस में मिली हुई है और जिस दल में दीपंकर जैसे लोग हों वे कुछ समझ ही नहीं सकते।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

इस विचार को यहीं पर समाप्त करके दूसरे स्थगन प्रस्ताव को लिया जाय। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री मोहर सिंह (राजगढ़) : सी.पी.एम. की तरफ से मुझे समय दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया था उसके ऊपर काफी देर से सदन के माननीय सदस्य विचार प्रकट करते रहे हैं। काफी गर्मी कुछ सदस्यों के बोलने में आई . . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री मोहर सिंह : लोगों को इतना समय दिया तो मेरे साथ ही यह अन्याय क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री मोहर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, वैसे प्रजातन्त्र के उसूल के अनुसार हर पार्टी को इजाजत है कि अपने जलसे आराम से करें और अपनी रैलियां मनायें। अतः किसी प्रकार की कोई शिकायत कांग्रेस रैली के बारे में यहां तक नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य विरोध की तरफ से जो बोलने वाले हैं उनका कहना है कि सत्ता का और शक्ति का दुरुपयोग किया गया है वहां तक है। इसमें कई प्रकार की बातें भी आई और कुछ पार्टी के मुताल्लिक कुछ खिलाफत की बातें कही गई। माननीय सदस्यों ने पार्टियों के सिद्धान्तों के बारे में भी विचार प्रकट किये। कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर और सोशियलिस्ट पार्टी के अन्दर और भी ग्रुप हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस, संगठन कांग्रेस और काम्युनिस्ट पार्टी में भी टुकड़े हुए। सोशियलिस्ट पार्टी में भी ग्रुप बने। इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ अगर पूरी तरह से विचार करके देखें तो आज की देश की परिस्थिति के अनुसार इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मेहनतकश वर्ग के प्रति देश में वामपंथी विचार धारा फैलती जा रही है चाहे व किसी पार्टी में हो। कांग्रेस के अन्दर भी अभी अभी जो अधिवेशन हुआ

(श्री मोहर सिंह)

उसके अन्दर भी कुछ नवयुवकों में यह वृत्ति दिखाई दी थी। उनके दिमाग में कुछ खुसमुसाहट पैदा हुई। वे वर्तमान व्यवस्था से खुश नहीं हैं। आज चाहे वे कांग्रेस के अन्दर हों लेकिन वे अपनी खुसमुसाहट प्रकट कर रहे हैं। समय का तकाजा है और समय की अवाज से मजबूर होकर जनता की अवाम की पार्टियां आवाज समझें। इसलिए कांग्रेस के नौजवान भी जानते हैं कि समय कहाँ जा रहा है। वह भी सच्चे समाजवादी ढांचे को समझने में लगे हुए हैं। सोशियेलिस्ट पार्टी में वहां पर भी जनवादी ढंग से वे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। काम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी जनवादी ढंग से आगे बढ़ रही है। एक दिन देश की परिस्थितियां मजबूर करेंगी कि उनका मन आगे बढ़कर देश के लिए जनवादी लोकतन्त्र की स्थापना को आगे बढ़ायेंगे। वह दिन आने वाला है। कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है चाहे वे किसी पार्टी के हों। आज देश का नवयुवक वर्ग देश की परिस्थितियों को पहचान रहा है कि देश में इस प्रकार की गड़बड़ियां ज्यादा नहीं चल सकती हैं। मंहगाई का जो रोग है, भ्रष्टाचार का जो रोग है इस बात को कांग्रेस के नवयुवक लोग भी जानते हैं। सोशियेलिस्ट पार्टी का जो प्रोग्रेसिव ग्रुप है, काम्युनिस्ट पार्टी का जो मार्क्सवादी ग्रुप है वह भी जान रहा है। इसलिए देश में जनवादी युग आने वाला है इस बात से घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी पार्टी में हो जनवादी विचारधारा आगे आ रही है। पार्टियों के टुकड़ों के बनिस्बत मुझे यही कहना है (समय समाप्ति-सूचक घंटी)। मुझे आज किसी पर आक्षेप नहीं करना है और न इसका आज विषय है। विषय था कि रैली में सत्ता का दुरुपयोग किया गया। जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का सम्बन्ध है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और इन दिनों मैंने अखबारों का अध्ययन भी ठीक से नहीं किया है। मैं तो मामूली अपने सिद्धांतों के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए कि शराब की दुकानों को लूटा जाय और गरीब आदमी खोमचे वालों को परेशान किया जावे। इस तरह की घटनाएं यदि सत्तारूढ दल की तरफ से हुई हैं तो यह शोभा की बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो जगह जगह घटनाएं हुई हैं शराब की दुकानों के लूटने की, और इस प्रकार से नाजायज प्रलोभन देकर ले जाने का वह वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। इस प्रकार से रैली में दुरुपयोग किया गया है शक्ति और सत्ता का। उसको वास्तव में मैं अत्यन्त निन्दनीय मानता हूं। जो स्थगन प्रस्ताव मेरे साथी ने रखा है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री केसरीमल : माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : नो प्लीज ! श्री गिरधारी लाल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कौन सा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो हो चुका है शायद।

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अहम मसले पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय केसरी मल : सदन को यह सूचना देना चाहते बहुत बड़ी घटना के बारे में . . .

श्री केसरीमल : माननीय उपाध्यक्ष, देश में गवर्नमेंट के ऐसे कार्यों की वजह से जिसमें सी. डी. एफ. जैसे कानून लागू वि गये और उससे देश के राज्य कर्मचारियों, [illegible]कारी कर्मचारियों, एम्प्लाईज का, मज[illegible] का और तमाम तरह के लोगों का . . .

श्री उपाध्यक्ष : दिस इज नाट दी इन्फार्मेशन मैं इजाजत नहीं देता । आप तशरीफ रखिये ।

श्री केसरीमल : माननीय उपाध्यक्ष, यह बडा अहम मसला है । हजारों लोग यहाँ पर आये हुए हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुनिये । बडा अहम मसला हैं । कल गोलियाँ चली हैं और आदमी मरे हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री केसरीमल : वे चाहते हैं कि हमारी बातें सुनी जायें । हम यह कहना चाहते हैं . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री केसरी मल : मुझे यह निवेदन करना है . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । दिस इज नो इन्फर्मेशन । आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : केवल यह सूचना है . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन : जबरदस्ती सूचना . . .

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा अर्ज करना यह है कि 3 हजार मजदूर बाहर बैठे हुए हैं और हालत यह है कि किसी भी वक्त स्थिति विस्फोटक हो सकती है । वह इसलिये आये हैं कि उनकी बात सुनी जाय, उनकी बात यहाँ पर कही जाय । अगर आप यह चाहते हों कि हम यहाँ पर बैठे रहें और वहाँ पर कोई उपद्रव नहीं हो तो यह हमारे लिये संभव नहीं है । हम यह चाहेंगे कि इस विषय के लिये थोडी बहुत इजाजत दें । हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे । हमको उन लोगों को सेटिस्फाई करना है और यहाँ पर लोगों को सेटिस्फाइड करना है इसलिये थोडा सा वक्त दीजिये यह सूचना देना चाहते थे ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास कर दें उसके बाद में जाकर हम उनसे मिलने को तैयार हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अमन में खलल पडेगा तो जिम्मेदारी खेत सिंह जी आपकी नहीं होगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाहर गोलियाँ चल सकती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जुलूस जो मजदूरों का आया है यह सुबह जब विधान सभा का सत्र आरम्भ हुआ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उस वक्त से सारे बाजारों में घूमता हुआ आया है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों का जुलूस बाजारों में से घूमता हुआ और ट्रेफिक को वियहेल्ड करता हुआ और यहां पर माननीय अध्यक्ष के चैम्बर के नीचे हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि सचेतक महोदय से और शिक्षा मंत्री जी से भी यह प्रश्न उनके दिमाग में है कि भरतपुर में गोलियां चली है, मंहगाई भी है, फीज की समस्या भी है, और यह मजदूर है। यह न हो कि कहीं इधर उधर उत्तेजना फैल जाय। विधान सभा के नीचे हैं और माननीय सदस्य भी उससे बेचेन हैं और सारा सडक का ट्रफिक रुक गया हैं। हम जायेंगे तो पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्या हल होनी जरूरी है, उसका उचित हल होना आवश्यक है। यदि माननीय सदस्य इस समस्या पर उपयुक्त ध्यान दें तो मेरा विश्वास है कि मजदूरों को शान्त करने के लिए यह एक उचित कदम होगा। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से आप बात करने के लिये जायें या उनका डेपूटेशन उनसे मिले। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि एक आतंक सा पैदा हो रहा है। माननीय सदस्यों के दिमाग में भी है। इसलिये विधान सभा के लिये यह एक अहम मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : सचेतक महोदय को सुनिये।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनका डेपूटेशन लाने के लिये हम पुलिस अधिकारी से कह रहे हैं। उनको बुलालें, उनकी जो भी बात है, वह सुनी जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शान्त तरीके से।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, ·····

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ़ रखिये।

श्री केदारनाथ : वह शान्त तरीक़े से जुलूस निकाल कर बैठे हैं। जब से यह आर्डिनेन्स निकला है, उसके तहत जो कम्पलसरी स्कीम निकाली है। उस वजह को ही यह सब दूर कराने के लिये आयें हुए हैं। उस आर्डिनेन्स से जिस नाम से वह निकला है, किसी चीज की कमी नहीं हुई है। उलट यह हुआ है कि सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। न कोई इन्फलेशन कम हुआ है। न भावों में कमी हुई है। विधान सभा में बैठकर एम. एल. एज़. भी कुछ न कहें यह भी नहीं हो सकता है। इसलिये उनकी तरफ़ से उनको सन्तोष देना है यही जानकारी भाई केसरीमल देना चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, ······

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह हाउस है: The House should proceed according to set business, and we object to it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं हाउस में 20 आदमी घुस आयें तो आप रोकेंगे।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री विशम्भरनाथ जोशी : We object to it..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप स्थिति को गम्भीर बनाना चाहते हैं । 10 हजार आदमी आयें । सारे कारखानें बन्द हों । सारा जयपुर बन्द होने की स्थिति में हो । और आपको बिजनेस सूझा है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है।··

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भरतपुर में 3 मजदूर मर गये । 10 घायल हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री खेतसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिलने के लिय तैयार हूं । डेपूटेशन को बुलाया जा रहा है। यह तो भारत सरकार का क़ानून है। मैं बात कर लूंगा उन से।

(शोर गुल—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था····

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।.... आप सचेतक महोदय को सुनिये ।

श्री गुमानमल लोढा : आपने कई बार सचेतक महोदय को सुनने के लिये कहा ।

श्री खेतसिंह : पहले मेरी बात सुन लीजिये फिर उनकी सुनने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : पहले जब दिल्ली रैली का सवाल समाप्त हो गया तो फिर इस इश्यू को लेना चाहिय था । बाहर मजदूर आये हैं । भरतपुर में जो इन्सीडेन्स हुआ है।

(शोरगुल—व्यवधान)

आप हमको इस पर विचार करने का मौक़ा दीजिये । 5-10 मिनट ही दीजिये ।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी को सुन लीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : मुख्य मन्त्री से उनके मिलाने की व्यवस्था करें। कल जैसे ही मुख्य मन्त्री जी का भाषण समाप्त हुआ, आपने कार्यवाही को समाप्त कर दिया । हमें कुछ जानकारी के लिये समय देना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री केशरीमल : मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं····

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ़ रखिये ।

श्री केशरीमल : आपने जब भी कहा है, हम बैठ गये हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि वह लोग मुख्य मन्त्रीजी से मिल चुके हैं । उन्होंने उनको सुन लिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह हमारा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप नियम को जानते हैं । आर्डर प्लीज । माननीय मंत्रीजी ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह निवेदन करता हूं कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए । यह हमारी मांग है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा: आप बोलने का अवसर तो दीजिये । आखिर यहां पर किस लिये आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप तशरीफ रखिये ।

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय· · ·

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में अभी आपके सामने माननीय मन्त्रीजी ने बताया है । मजदूर नेताओं ने माननीय मुख्य मन्त्री जी से बात कर ली है । उन्होंने ज्ञापन भी दिया है । उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, यह पूरा विवरण मन्त्री महोदय को मालूम नहीं है । अब विधायी कार्य आरम्भ करना चाहिए ।

(शोरगुल-व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम उनको सामने लायें । उनको सामने रखें । जोशी जी वहां बैठकर ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं । मगर वह बाहर नहीं निकल सकते हैं । मैं उनको चुनौती देकर कहता हूं । ताकि पता चले कि यह कहां सही है और कहां गलत है ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय· ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप मन्त्री जी को सुनिये ।

श्री गुमानमल लोढा : हमारे विचार में सुनने में क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की एक परम्परा रही है । कोई भी आदमी आये, कोई डेपूटेशन आये तो उनसे मिल लेते हैं । उनसे शुरू में ही कहा था । मुख्य मन्त्री जी ने 5-7 आदमियों

(श्री शिवचरण माथुर)

को बुलाकर उनको सुन लिया है। उन्होंने उनको ज्ञापन भी दिया है। वह ले कर गये हैं।

एक माननीय सदस्य : बातचीत क्या हुई है ?

श्री मोहर सिंह : हमें जानकारी दी जाये, कौन कौन डेपूटेशन में थे ? आये होते तो हमें बताया जाता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे सामने मोहन-पुनमिया मिल कर गये हैं।

श्री मोहर सिंह : सदन के अन्दर इस बहुत महत्वपूर्ण मसले पर वाद विवाद करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री केशरीमल : मेरा निवेदन यह है कि असेम्बली को जानकारी देना जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री केशरीमल : सूचना देना जरूरी है क्योंकि यह मसला बहुत अहम है, चाहे बात हो गई हो सरकार और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता, सरकार ने प्रतिनिधियों की बात सुनी होगी। अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने जो नीति अपनाई है, जिससे राज्य कर्मचारियों, मजदूरों, सबके वेतन में कटौती होगी, तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, इस सम्बन्ध में हम जो बात कहना चाहते हैं इस नीति के बारे में सदन को जानकारी देना चाहते हैं, सदन से निवेदन करना चाहते हैं कि प्रस्ताव पास हो ....

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेमोरेंडम देकर मजदूर वापिस चले गये। आप ख्वामख्वाह गर्मागर्मी कर रहे हैं। मजदूरों ने अपना मेमोरेंडम दिया, चीफ मिनिस्टर के रिप्लाई से सैटिस्फाइड हो गये और वे वापिस चले गये। अब ख्वामख्वाह के लिए यह क्यों कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मजदूर चले गये, लेकिन हम ....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री केशरीमल : मजदूर चले गये, तो कोई बात नहीं है। सवाल है सरकार की नीति का। सवाल है, सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या उनको आश्वासन दिया, क्या उनकी बातचीत हुई इसकी जानकारी दी जाय और हमें बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी कि बाद में इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष जी, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य सरकार की नीति पर विचार करना चाह रहे हैं तो उनको प्रक्रिया और नियम के अनुसार कई मौके मिल सकते हैं। लेकिन कोई मोशन नहीं है, और काम के बीच में सरकारी नीति की आलोचना करना चाहें तो वह ठीक

(श्री शिवचरण माथुर)

है नहीं। इस सदन की प्रक्रिया के अनुसार आपको मौका लेना चाहिए, और उसके अनुसार हर मौका हाथ में लीजिए आप बाकायदा नोटिस दीजिये, मोशन लाइये और डिसकस करिये। यह क्या कि बीच में सवाल आ गया, उस पर आप विचार करें। वैसे इसका सम्बन्ध एक तरह से राजस्थान सरकार से है नहीं, इस आर्डिनेंस से राजस्थान सरकार का ताल्लुक नहीं है। आप मौका लेना चाहते हैं तो रूल्स के अनुसार आप मोशन पेश कीजिये और बहस करने का मौका लीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : यह बात पहले उठाई गई थी। माननीय मन्त्री ने कहा कि नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये–इसमें आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस समय रैली पर विवाद चल रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना दी गई थी कि बाहर इस प्रकार से मजदूरों का प्रदर्शन हुआ है, उसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा, यह रैली के विषय के बाद में लिया जायगा। मेरा निवेदन है, सदन की परम्परा यह रही है, जब जब बड़े प्रदर्शन हुए हैं, एजेण्डा में हो या नहीं, पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय आसन का ध्यान आकर्षित करके, अपने विचार व्यक्त करके मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बतावे, क्या बात की है, क्या आश्वासन दिये हैं–यह इस सदन के सामने बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : फार माई इन्फार्मेशन, आपने कहा कि आज्ञा दी थी अध्यक्ष महोदय ने वह इस आसन से दी थी या चैम्बर में कहा था ?

श्री गुमानमल लोढा : इस आसन से। माननीय अध्यक्ष महोदय से मांग की थी कि जिस समय रली पर विवाद चल रहा था, उस समय रामकिशनजी ने, और मैंने कहा था कि यहां प्रदर्शन हो रहा है, उसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रश्न के बाद उस प्रश्न को लिया जायगा। मेरा निवेदन है कि पांच पांच मिनिट इस पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाय। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर उत्तेजना होकर भरतपुर में गोली चल गई। अन्य स्थानों पर भी यह स्कीम चालू की जा रही है। इससे वहां पर भी आक्रोश उत्पन्न होगा। इसलिये इस सदन में पांच पांच मिनिट विचार व्यक्त करने देने में, मैं समझता हूं, आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अध्यक्ष ने इस प्रकार की अनुमति, इस तरह का आदेश दिया था मेरे आने के पूर्व कि इस सम्बन्ध में वादविवाद का समय दिया जायगा, सदन में चर्चा के लिये अनुमति दी जायगी। मैंने अभी माननीय अध्यक्ष जी से मालूम कराया उन्होंने साफ तौर से कहा, मैंने इस तरह कोई अनुमति इस चर्चा के लिये नहीं दी है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सदन के कार्य संचालन के नियम हैं, प्रक्रिया नियम हैं, जो भी कार्य सदन में होता है, बिजनेस आफ डे, उसके मुताबिक होता है। यह जो प्रक्रिया या नियमों में प्रावधान है उससे संचालित होता है। आज मेरे सामने किसी तरह का कोई मोशन इस विषय पर चर्चा करने के लिये नहीं है और जहां तक मुझे मालूम है, माननीय अध्यक्षजी क

(श्री उपाध्यक्ष)

सामने भी इस तरह का कोई मोशन आज की चर्चा के लिये नहीं था, इसका बिजनेस का जो आर्डर पेपर है उसमें किसी तरह का संकेत नहीं है। जब तक इस तरह का उसमें उल्लेख नहीं हो तब तक चर्चा की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। आज का बिजनेस लिया जायगा।

श्री गुमानमल लोढा : ऐसी स्थिति में हाउस में हम बैठने में असमर्थ हैं जिसमें मजदूरों की ज्वलन्त समस्याओं पर विचार करने के लिये अनुमति न दी जाय।

कई माननीय सदस्य : पधार सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : यह नहीं कह सकते कि क्या चाहते हैं, क्या मांग है वेज स्कीम के सम्बन्ध में। भरतपुर में गोली चली इसके कारण। इस स्कीम के सम्बन्ध में हमारे क्या सुझाव हैं वह हम नहीं दे सकते··

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ़ रखिये

श्री गुमानमल लोढा : कल आसन की ओर से, जैसे ही मुख्य मन्त्री जी का भाषण समाप्त हुआ, हाउस आज के लिए एडजोर्न कर दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन से अपेक्षा है कि कम से कम ऐसा अवसर न आये कि हमें कहना पड़े कि आसन ने हमें अवसर नहीं दिया, हमारी वाणी को अवरुद्ध कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आप नियमों के अन्तर्गत इस तरह का मोशन रखिये, उस पर विचार होगा।

श्री गुमानमल लोढा : कल डिबेट हो रही थी, उसके बाद मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे, उस समय जब बीच में बोलने का प्रयत्न किया····

श्री उपाध्यक्ष : आप क़ानून के ज्ञाता हैं। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : हम शान्तिपूर्वक यह निवेदन कर सकते हैं कि हमें अपनी बात कहने का अवसर न दिये जाने पर····

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात नियमों में ही सुनी जा सकती है।

श्री गुमानमल लोढा : एज ए प्रोटैस्ट हाउस से वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार तो सुनने को तैयार हैं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र !

श्री केदारनाथ : माननीय उपाध्यक्ष जी··

श्री केसरी मल : मैं और मेरा दल भी प्रोटेस्ट में सदन से वाक आउट करता है।

(भाकपा के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री मोहरसिंह : मजदूरों के प्रतिनिधियों ने डेपूटेशन में मिल कर मेमोरेन्डम में क्या मजमून दिया है, वह इस सदन को बताना नहीं चाहते, डेपूटेशन को क्या आश्वासन दिये हैं, यह बताना नहीं चाहते। ऐसी सूरत में हम सदन में बैठना उपयुक्त नहीं समझते। और वाक आउट करते हैं। (श्री मोहर सिंह का सदन से बहिर्गमन)

कई माननीय सदस्य : पधारो ! पधारो !

श्री केदारनाथ : माननीय केशरीमल जी ने सबसे पहले वेज स्कीम के प्रश्न पर वाक आउट करने की घोषणा की है । मैं और मेरा दल भी उसमें सम्मिलित होता है ।

(संसोपा के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री मीठालाल : इस हाउस में हमने जो मांग रखी, वह एग्री की नहीं । इसलिये मैं और मेरा दल सदन में बैठने में असमर्थ हूँ ।

श्री खेतसिंह : आपका लेबर से क्या लेना देना है । आप बैठो ।

श्री मीठा लाल : आप जायज बात नहीं मान सकते दो मिनिट बात सुनने की ।

(स्वतन्त्र दल के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी जो मांग है··

कई माननीय सदस्य : आप भी पधारो !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप पधारने दें । आपकी मांग थी, स्पष्ट मांग थी यह जो वेज फ्रिज का काम किया गया है, यह तीन आर्डिनेन्स निकाले गये हैं, यह सदन प्रस्ताव पास करके उन तीनों की निन्दा करे और इसको वेज फ्रीज मानें, और ब्लेक मनी को सीज करने के लिए, हम समझते हैं कि यह उपाय नहीं है । इससे कर्मचारियों पर, मेहनत करने वाले गरीब तबके के ऊपर भार पड़ेगा । अगर ब्लेक मनी सीज करना है तो सौ रुपये के नोट को सीज करना चाहिये, बाकी और अनाप शनाप मनी है, उसको सीज किया जाना चाहिये । इस सदन को सर्व सम्मति से इसके लिये प्रस्ताव पास करना चाहिए । इन तीनों आर्डिनेन्स के····

कई माननीय सदस्य : जाइये ! जाइये !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्यों घबरा रहे हैं । पधार रहा हूं । आप भी पधारो !

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा का सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 616 (ए) की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत हाईटेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड जयपुर का 30 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है··

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य चल रहा है । आप विराजिये !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (i) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, 1972-73, (ii) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, 1972-73 तथा (iii) वर्ष 1972-73 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन रखा था, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था, मेरा अधिकार था एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलने का, उसके बारे में क्या होगा। बड़ी मुश्किल से मेरा एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार हुआ है, उस पर डिबेट हुई, तो मेरा बोलने का अधिकार है एडजोर्नमेंट मोशन पर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अवसर नहीं दे रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मेरा अधिकार है · ·

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे विचार व्यक्त करने हैं आखिरकार अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य शुरू हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह एक प्रकार से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद उस पर बोलने की अनुमति नहीं दें तो यह उचित नहीं है, न्याय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुआ। औरों पर वादविवाद हुआ मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोला नहीं, यह न्यायसंगत बात नहीं होगी कि आप मेरे स्थगन प्रस्ताव को जो बच्चों की एडमिशन से सम्बन्ध रखता है, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, 29 जुलाई को कालेज खुल गए · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बोलने की अनुमति नहीं देंगे, मैं बैठ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष ने मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया था उस पर विचार क्यों नहीं रखने देते ? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परीक्षा परिणाम घोषित हुए नहीं · · · ·

श्री उपाध्यक्ष: नाट टू बी रेकार्डेड।

श्री मीठालाल: उपाध्यक्ष महोदय, आज तक सदन की परम्परा रही है कि स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट के लिए आसन की ओर से बोलने दिया जाए। अगर गिरधारीलालजी आग्रह कर रहे हैं तो इनको दो मिनट का समय दे दें वैसे भी समय खराब होता है। माननीय सदस्य हैं, बोलने के बगैर रहेंगे नहीं।

श्री खेत सिंह (मुख्य सचेतक) : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य वाक आउट कर गए उसके बाद दूसरा बिजनेस लिया गया, अब बोलने का प्रश्न पैदा नहीं होता इसलिए व्यवधान मत डालें, चुप चाप बैठ जाइए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं मेरा अधिकार है · ·

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

(दर्शक दीर्घा में इन्कलाब जिंदाबाद के नारे)

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बोलने का अवसर आसन से आपको दिया जाए, इसमें कोई आपत्ति सदन को नहीं थी लेकिन जिस समय आज का बिजनैस लिए जाने वाला था उस समय आप मौजूद नहीं थे बल्कि उससे पहले जब पहले वाले मोशन पर डिबेट कन्क्लूड हुई उस समय मैंने निवेदन किया था। यह तो आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि आसन चाहता था कि आपको अवसर दिया जाए, मैंने आपका नाम पुकारा था कि आप अपने प्रस्ताव पर बोलना चाहें तो बोलें उसके बाद सी. पी. एम. के माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इसी प्रस्ताव पर और बोलना चाहता हूं, मुझको पहले मौका दिया जाए। जहां तक आपको मौका देने का सवाल है आसन की इच्छा थी लेकिन जब बिजनैस आगे शुरू हो रहा था उस समय आप नहीं थे। इसलिए आपका अब स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसके बाद मन्त्री महोदय से निवेदन किया सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में। उसके बाद में आप तशरीफ लाए हैं तो उस आर्डर को मैं चेंज नहीं कर सकता, आगे बढ़ गए हैं। आसन ने आगे बिजनैस ले लिया है फिर मैं वापस रिवर्स करूं और उसी पर आऊं, यह नियमानुसार नहीं है। आपको नियमों की अच्छी जानकारी है, आसन का इरादा नहीं था कि आपको मौका न दिया जाए...

श्री गिरधारीलाल भार्गव: लेकिन नियम है कि एक दिन में एक स्थगन प्रस्ताव लिया जाएगा। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया। आपने मेरा नाम पुकारा उसके बाद कम्यूनिस्ट पार्टी का। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आसन की आज्ञा देने के बाद बैठ गया, फिर वाक आउट किया, ज्यों ही बिजनैस आपने लिया मैं आ गया। यह नई व्यवस्था की गई स्थगन प्रस्ताव के बारे में कि एक दिन में एक दिया जाएगा, मैं समझता हूं ऐसी हालत में यदि कोई जनता की समस्या है, जयपुर शहर की समस्या है, आप अपने नियमों की बात बता रहे हैं, सारी बात मैंने ध्यानपूर्वक सुनी हैं, बिना बीच में व्यवधान के। मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का इंतजार करता रहा। तो आपका न बोलने देने का निर्णय प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं होगा, यही मैं कह सकता हूं। बहुमत वाले चाहे मुझे बोलने नहीं दें और नहीं देंगे लेकिन मेरे पास वह भी तरीका है कि बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए बैठ जाऊंगा, आपकी मर्यादा रखते हुए, विधान सभा के सदस्यों की मर्यादा रखते हुए, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुआ और उस पर बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो आसन की जो गरिमा है, आपका आदेश तो सर माथे पर है, मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य के नाते, जनसंघ के सदस्य के नाते, लोकतन्त्र में विश्वास रखते हुए...

श्री उपाध्यक्ष: आपका भी स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार नहीं किया है, केवल सरकार से जानकारी चाही है, जानकारी आने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आज तक यह परिपाटी रही है कि चाहे सरकार से जानकारी चाही गई है, चाहे नामन्जूर हुआ है, चाहे मन्जूर हुआ है, उस पर दो दो मिनट एक एक माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाता है...

श्री खेत सिंह: ऐसी कोई परिपाटी नहीं है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन।

श्री उपाध्यक्ष: मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) को पुरः स्थापित करने की इजाजत दी जाए ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री शिवचरण माथुर : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं। मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

श्री रामकिशन : अध्यापक और अध्यादेश एक ही चीज है या अलग अलग।

श्री खेतसिंह : अलग अलग।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक को पुरः स्थापित की स्वीकृत दी जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री खेतसिंह : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं। मैं अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई।

श्री खेतसिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। मैं अध्यादेश को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राम नारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री): मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। मैं अध्यादेश को जारी

(श्री रामनारायण चौधरी)

करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : व्यवस्था का प्रश्न है। यह राजस्थान विधान सभा है। यह कल रात्रि को लगभग 12 बजे या आज प्रातः काल 9 बजे माननीय सदस्यों को यह पुलिन्दा मिला है जिसमें 14 अध्यादेश हैं और लगभग 6 या 7 अधूरे बिल्स हैं, आखिरकार सदन की मर्यादा बढाई जा रही है यह क्या बात है ?

मैं तो समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय यह विधान सभा का सत्र सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिये ही हुआ है। 17 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव हो जायेगा फिर सत्र को समाप्त कर दिया जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर क्या हो रहा है। आपको चाहिये कि बिल जो भी आने हो पहले विधान सभा के सदस्यों के पास भेजें जाने चाहिये। आर्डिनेन्स पहले सदस्यों को भेजे जाने चाहिये। आप बिल को सदन में लाने से पहले उसको विधायकों के पास भेजें ताकि वह उस बिल को, आर्डिनेन्स को अच्छी तरह अध्ययन कर सकें। जो भी एमेन्डमेन्ट भेजने विधान सभा के सदस्य चाहें, वह भेज सकें। आज स्थिति यह है कि जो बिल आज पेश हो रहा है उसका कल रात तक बिल की कापी नहीं पहुंची, ओर्डीनेन्स नहीं पहुंचे। तो फिर सदस्य कब उसको स्टडी करेगा और कब उस पर एमेन्डमेंट देंगे। बिल आज पास होने जा रहा है और सुबह नौ बजे उसकी कापियां सदस्यों के पास पहुंची तो आप भी सोचें उपाध्यक्ष महोदय उनको स्टडी करने का समय सदस्यों को कब मिलेगा यह मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा हूं। आपके कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को भी नहीं पहुंचे हैं अगर आपका मतलब सिर्फ यही है कि आज ही एक फार्मेलिटी को ही पूरा करना हो कि बिल की कापी, आर्डिनेंस की कापी सदस्यों के पास पहुंच गयी और बिल आज ही पास हो जायेगा क्योंकि आपका बहुमत है। बिल सदन में पेश हो जायेगा और उस पर हां पक्ष जीता और ना पक्ष हारा करके आप उस पर विधान सभा की मोहर लगा देंगे। यह तो मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्यों का अपमान है। जो अधिकार आज विधान सभा के सदस्य होने के नाते विधान सभा के सदस्य को मिले हैं उस पर कुठाराघात हो रहा है आज सुबह उपाध्यक्ष महोदय बिल की कापी मिली और तीन बज रहे हैं अब क्या एमेन्डमेंट कोई सदस्य देगा इसका मतलब यह हुआ कि विधान सभा के सदस्य अपने अधिकारों से वन्चित हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कौनसे विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं विधेयक पर नहीं बोल रहा हूं मैं तो मेरे पोईन्ट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह तो बगरज बोल रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब एमेन्डमेन्ट आप एलाउ नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका कौनसा पोइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय आप चाहें तो कांग्रेसी एम.एल.एज. जो हैं उन्हें पूछ लीजिये कि उन्हें आर्डिनेन्स और बिल की कापियां कब मिली हैं। आप उन्हें कहें कि वह अपने सीने पर हाथ रख कर कहें कि उन्हें यह लिटरेचर आज सुबह नौ बजे नहीं मिला। अगर आपको हाँ पक्ष जीता और ना पक्ष हारा करना है तो फिर विधान सभा चल रही हो जब ही देकर करालो। फिर क्या फायदा अगर सदस्यों को पूरे समय पर डाक नहीं मिले तो। अगर समय पर डाक मिल जाये तो हर विधायक अपने अपने आईडोलोजी के अनुसार सदन में अपने विचार व्यक्त कर सके। सदस्यों को आर्डिनेन्स, बिल्स वगैरह को अध्ययन करने का समय तक नहीं मिलता और आप सदन की बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में एक ही दिन में चार चार बिल पास करने को रख रहे हैं। यह निर्णय आपने पहले ही ले लिया। आखिर यह क्या मखौल हो रहा है।

श्री खेतसिंह (विधि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल आज पास होने जा रहे हैं वह पहले से ही भेज दिये गये हैं और जिन लोगों को एमेन्डमेन्ट देने थे उन्होंने अपने एमेन्डमेन्ट दे भी दिये हैं। आज जब बिल डिसकस हो रहा है तो यह कहा जा रहा है कि हमें बिल की कापियां आज प्रातः मिली हैं यह गलत है। जिन माननीय सदस्यों को एमेन्डमेन्ट नहीं देना था उन्होंने एमेन्डमेन्ट नहीं दिये हैं। बाकी एमेन्डमेन्ट तो आ चुके हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (स्वास्थ्य मन्त्री) गिरधारीलाल जी ने तो अपने एमेन्डमेन्ट दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एमेन्डमेन्ट भेजने का ही प्रश्न नहीं है। यह तो सदन की प्रक्रिया का प्रश्न है आप एक दिन में चार चार बिल भेज देते हैं और वह भी ऐसे समय में कि माननीय सदस्य उनको अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने संशोधन भेजा है बिल पर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एमेन्डमेन्ट भेजने का प्रश्न नहीं है। यह सदस्यों के साथ अपमान हो रहा है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह जो बिल आज लिये जा रहे हैं और जो भी एजेन्डा है वह बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में डिसकस हो चुका है और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कि इनके दल के नेता हैं वह भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त तो कोई अपना सुझाव दिया नहीं और जब एजेन्डा बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में तय हो गया फिर क्या बात। अब यह बात अलग है कि इनको दल के नेता के अन्दर विश्वास नहीं हो और वह यहां पर ओबजेक्शन कर रहे हैं। और अपने नेता दल के कहने के अनुसार नहीं चलते हों।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आपके दल में बात होगी हमारे दल में यह बात नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय कल 3 बजे जब विधान सभा प्रारम्भ हुई तो करीब 10.45 बजे मैंने अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन किया कि विधान सभा सचिवालय से जो लिट्रेचर आता है वह रात को मुझे मिला है। यह लिट्रेचर

(श्री गुमानमल लोढा)
जिसमें कार्य सूची और कुछ बिल्स और आर्डिनेन्सेज वगैरह थे जो आज लेने वाले थे। मैंने कहा कि यह तो बहुत ही आपत्तिजनक है। अध्यक्ष महोदय ने खुद ने स्वीकार किया कि इसमें विलम्ब हुआ है। भविष्य में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो उस वक्त भी मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एसेम्बली सैक्रेटरियेट से जो लिट्रेचर आया था वह रात को एक बजे आया था और कुछ लोगों के पास तो वह लिट्रेचर सुबह पहुंचा होगा। अगर आप सुबह बिल भेज कर ही पास कराना चाहते हैं तो यह तो एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हो गया जिसमें कि सदस्यों को उन बिलों का अध्ययन करने का समय तक नहीं मिलता। वह उस पर अपने एमेन्डमेंट तक नहीं दे सकते हैं और न ही उन पर अपने विचार व्यक्त सदन में कर सकते हैं। जब माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि इस पर इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जायेगा तो इसमें यह इम्प्रूवमेंट किया गया कि वह बिल जो आज लेने वाले थे वह रात को हमारे पास पहुंचे हैं। यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। यह देखा जा रहा है कि एसेम्बली सेक्रेटेरियेट का आफिस बियरर और अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष सभी गवर्नमेंट डिक्टेट होते हैं। अगर गवर्नमेंट रात को 9 बजे बिल रखने का कहे तो वह उसको उस वक्त भी पेश करने को तैयार हैं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल पेश होने जा रहे हैं वह तो परसों ही भेज दिये गये थे।

श्री गुमान मल लोढा : XXX

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो आज बिल हैं उनको तो ग्रलाऊ कर दिये जायें।

श्री गुमानमल लोढा : XXX

(म.प. 3:00 बजे)

(अध्यक्ष, श्री रामकिशोर व्यास पदासीन)

श्री अध्यक्ष : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं सुन रहा था। सब सुन कर मुझे तकलीफ हुई। सन् 52 से मैं भी विधान सभाओं में रहा हूं। मेरी जानकारी में है कि इस तरह से आज दिन तक कभी भी सदन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटेरियट के बारे ये नहीं कहा गया। यह कहना कि XXX कतई सही नहीं है। पूरी तरह से गलत है। मैं उनके कथन को कन्ट्राडिक्ट करता हूं।

इस संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इस तरह के जो भी शब्द कहे गये हैं वे कार्यवाही में से निकाल दिये जावें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह सही है कि कल परसों जो एजेण्डा गया वह देर से गया। मुझे स्वयं को यह बुरा लगा और मैंने इसका उल्लेख कल गुमानमल जी से भी किया था। मेरे दिमाग में यह बात स्पष्ट थी कि माननीय सदस्यों को इसमें असुविधा होती है और मैंने स्वयं ने आपसे यह कहा भी था कि इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं और इसमें माकूल तब्दीली लाकर सुविधाजनक समय पर

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

(श्री अध्यक्ष)
सदस्यों को मिले इसकी व्यवस्था की जावेगी। अब इस सारे सिस्टम को बदलने में एक दो दिन का वक्त तो लगना सम्भव है। आप को एक दो दिन का सब्र तो रखना था। आज भी मैंने असेम्बली सेक्रेटरियट में मीटिंग बुलाई है और पूछा है कि अब तक क्या प्रोसीजर रहा है और अब इसमें किस तरह से सही इम्प्रूवमेंन्ट हो सकता है जिससे कि समय पर कार्यवाही सदस्यों को मिल सके। शीघ्र ही निर्णय इसमें ले रहे हैं यही बात मैंने बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में भी कही थी। आपसे विशेष तौर पर····.

इतना ही बकने के बाद में समझता था कि आपके कहने के लिये यहां कुछ नहीं रह जावेगा। पर आपने एक दो दिन भी प्रतीक्षा करना मुनासिब नहीं समझा। आप स्पीकर को हटा कर ही यह सब यहां कह सकते हैं। इसके बिना इस तरह की बातें सदन में कहना आप जैसे जिम्मेदार संजीदा गम्भीर और अनुभवी व्यक्ति से मैं आशा नहीं करता था। मैंने तो स्वयं ने आपसे यह कहा था और इस बारे में आपको दिलासा भी दिया था कि मैं इसे दुरुस्त करूंगा। इसके बावजूद भी यह सब मामला आपने सदन में रखना मुनासिब समझा। ठीक है। जो कुछ मैंने इस बारे में कहा वह पर्याप्त होना चाहिये था। आपको एक दो दिन देखना चाहिये था कि परिवर्तन आता है या नहीं।

श्री गुमान मल लोढा : आज तो और भी देर हो गई।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं। अब जहां तक आज का सवाल है मैंने इसके लिये समय भी बढ़ा दिया है। मैंने कह दिया है कि आज दस बजे तक भी जो अमेण्डमेंट आ जावें उनको ले लिये जावे। एक घंटा और बढ़ा कर 11 बजे तक कर दिया। इसमें कार्यालय को केवल घंटा सवा घंटा का समय मिलता था जिसमें माइक्लो स्टाइल कराना देखना भालना सभी था। उस समय यह तो ख्याल नहीं था कि इस डिबेट में 12॥ और पौन बजे तक का समय हो जावेगा।

अब कल के अमेण्डमेंट हैं जो आज आने चाहिये थे वे तो मिल चुके। इसमें भी असुविधा हो तो मेरे पास आ जावें। मैं उनको अकोमोडेट करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे हम हल करना चाहें और यह कठिनाई हल न हो। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है।

तो आज जो सब कुछ हुआ उसे फिर दोहराना नहीं चाहता। अब जो माननीय सदस्य कहते हैं उसके बड़े इम्पलीकेशन्स होते हैं। क्या आप कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि जब मैंने गवर्नमेंट के डिक्टेशन पर काम किया हो? अगर ऐसा होता है तो मेरे यहां बैठने का परपज भी नहीं रहता है। इसमें आपका ही नहीं मैं अपना और सदन का भी अपमान मानता हूं।

(दर्शक दीर्घा से इन्कलाब जिन्दाबाद की आवाज के साथ कुछ लोगों द्वारा सदन के प्रांगण में पर्चे फेंके गये)

श्री अध्यक्ष : आई आर्डर देम टू बी अरेस्टेड।

आप इससे तो सहमत होंगे फेयर रहने का मैंने बराबर प्रयत्न किया है। हो सकता है किसी माननीय सदस्य को मेरी

(श्री अध्यक्ष)

बात पसन्द आई हो, किसी को न आई हो। पर मैंने अपनी तरफ से फेयर रहने की बराबर हमेशा कोशिश की है। कभी कभी सख्ती भी सदन के कार्य को बराबर सुचारू रूप से चलाने के लिये करनी पड़ती है वह भी मैंने की है। पर इसके पीछे भी आप मानेंगे कि इसके अलावा और कोई भावना या उद्देश्य मेरा कभी नहीं रहा।

तो मैं हमेशा के लिये आपसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि असेम्बली सेक्रेटेरियट के बारे में डिप्टी स्पीकर के बारे में और मेरे स्वयं के बारे में भी कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें तकलीफ या असुविधा किसी माननीय सदस्य को हुई हो तो मेरे पास आप पधारें, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कठिनाई हल हो। पर उनकी चर्चा यहां लाने का विषय नहीं है और जो कुछ यहां इस बारे में कहा गया है उसके बारे में आप स्वयं अपने दिल में सोचेंगे तो स्वयं को यह अनुभव होगा कि जो कुछ कहा गया है वह ठीक नहीं था। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कुछ हमारी भी अर्ज सुन लीजिये।

(म. प. 3.10 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : चेयर के कहने के बाद में कोई प्रश्न कहने को नहीं रहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें सदन का एजेण्डा आदि प्राप्त हो सके इसके सबके निश्चित नियम हैं।

अब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में उपस्थित है कि हमें उन निश्चित नियमों के अन्तर्गत वह एजेण्डा आदि नहीं मिलता। अब जो माननीय सदस्य ने यह कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इस एसेम्बली का सेक्रेटेरियट सारे ही सरकार से डिक्टेट होते हैं, मैं इस कथन से तो सहमत नहीं हूं, पर यह एक निश्चित तथ्य है कि सदस्यों को एजेण्डा आदि मिलने में घोर असुविधा है। इस सचिवालय के कर्मचारियों को घोर असुविधा है। आधी आधी रात तक ये लोग सदस्यों के घर पहुंचते हैं। वहां इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस बारे में एक कर्मचारी ने मुझसे कहा अपना दुख रोया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी अर्ज तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज हैव योवर सीट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे भी तो अपने अधिकार के लिये मांग करने का अधिकार है। इस सदन का एक सदस्य होने के नाते मुझे भी यह कहने का अधिकार है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि मैं अपनी ड्यूटी सदन में सही तरीके से डिस्चार्ज कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आई कैननाट डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एज ए लेजिस्लेचर।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग दे दी है । इस बारे में आपको कुछ कहना है तो आप माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में जाकर कह सकते हैं । नियम और परम्परा के अनुसार इस सचिवालय के कर्मचारियों के बारे में और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में आप यहां बात नहीं कर सकते। इस बारे में कुछ कहने की पिछली साल यहां एक बार चेष्टा भी हुई उस समय भी यही व्यवस्था दी गई थी । इसलिये मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि सदन की परम्पराओं, नियमों और सचिवालय की स्वतन्त्रता को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को यहां पर उठने देने में मैं असमर्थ हूं। इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो माननीय अध्यक्ष जी के चेम्बर में जाकर कह सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपनी असुविधा के बारे में अर्ज कर रहा हूं । राज्य करने वाले कर्मचारियों पर दया न करें, उनको कोई फैसे-लिटी न दें और सुविधा न दें लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (अपना भाषण जारी रखते हुए) : उनको दो बजे तक फंसाये रखें मैं अपनी असुविधा के बारे में तो बात कर सकता हूं । मुझको जो असुविधा होती है उसके लिये अर्ज कर ही सकता हूं । जो मुझे यहां से मैटिरियल प्राप्त करने में जो असुविधा होती है उसके लिये तो अर्ज कर सकता हूं आपके कर्मचारी 2 बजे 3 तक बजे तक उनके पास प्रोग्राम लेकर जाते हैं, एम.एल.ए. के पास जाते हैं कि कहीं वे नाराज न हो जायें...

श्री उपाध्यक्ष : इन शब्दों को एक्स्पन्ज किया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मुझे जो असुविधा होती है उसके सम्बन्ध में तो मैं कह ही सकता हूं । मैं मानता हूं कि मेरे सामने अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा मंत्रीजी को काफी कहा था कि समय पर कागजात आ जाने चाहियें ताकि समय पर अमेंडमेंट भेज सकें और भली प्रकार उनका अध्ययन कर सकें । आप और अध्यक्ष महोदय, उनके किसी दबाव में नहीं हैं । कागजात लेट आते हैं तो सदन में बड़ी भारी असुविधा होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राज्य करने वाले लोगों को अनेक बार कहा गया कि इस समय पर मैटेरियल उपलब्ध करा दिया जाय आर.एस.ई.बी. का बजट आज तक प्राप्त नहीं कर सके, वार्षिक रिपोर्ट आज तक प्राप्त नहीं कर सके ।

अमेंडमेंट देने के सम्बन्ध में यह कहना है कि रात के 8 बजे तक सदन चले और रात के दस बजे तक अमेंडमेंट भेज दिये जायें यह कहा जाता है 8 बजे तक सदन चले, सुबह से मीट करें, एक मिनिट की फुर्सत नहीं यहां, इसका सब कारण यही है कि राज्य सरकार की मंशा यह है कि कम से कम दिन सदन चले और इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाय अधिक से अधिक समय तक इसको चला कर। जहां तीन महीने तक सदन को चलाया जा सकता है वहां इसको रात के दस बजे, 12 बजे तक बैठ कर चन्द दिनों में ही समाप्त करने की चेष्टा रहती है और उस सारे बिजनिस को इस प्रकार डिस्पोज आफ राज्य करने वाले करना चाहते हैं । यह सब प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है, डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिये यह अनुचित है । राज्य करने वालों का अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो कट शोर्ट किया जाय। इसके लिये चेयर से रूलिंग होनी चाहिये, हमको समय पर मेटिरियल मिले ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें और यहां उचित रूप से कार्यवाही में भाग ले सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को असुविधा के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी ने पूर्व में ही निवेदन कर दिया था कि इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी ने आवश्यक कदम लिये हैं और सरकार की ओर से भी इस सम्बन्ध में कहा गया है जो भी मेटिरियल है वह भेजा जाय और माननीय अध्यक्षजी ने अभी सदन के समक्ष विस्तृत रूप से रखा है।

जहां तक आज के बिजनिस का सवाल है कल 4.15 बजे बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग हुई और जो बिजनिस उस कमेटी ने तय किया वह आज लिया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक सीधा सा प्रश्न है। न सेक्रेटेरियट पर, न आप पर ××× मुझे भी असुविधा है। तीन बिल आज टेबल पर रखे है। कब तक अमेन्डमेन्ट दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कल 11 बजे तक।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 4.15 पर तो मिटिंग हुई। 11 बजे तक देने के लिये तय कर दिया। यह महत्वपूर्ण बिल हैं।

इस प्रकार से इन पर किसी बात का असर नहीं है। इसलिये प्रार्थना करता हूं कि सत्तारूढ दल वालों को इससे असुविधा हो या न हो, पर हमें तो इनका अध्ययन मनन करना पडता हैं और इसके लिये कुछ मनन तो चाहिये ही। अमेन्डमेन्ट का हमें समय नहीं मिलता। अब आप भले ही यहां के कर्मचारियों की बात कहकर न बोलने दें पर वे स्वयं भी दुखी हैं। रात को बेचारे भाग भाग कर डाक पहुंचाते हैं। उनके साथ कहीं कहीं बडा अभद्र दुर्व्यवहार भी होता है। अब आप भागाभाग में हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता कहकर पास कर देंगे और हमें कुछ सोचने विचारने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तो मेहरबानी करके यह तो निर्णय दे दें कि इन पर कब तक अमेन्डमेन्ट लिये जावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कल भी निर्णय लिया गया था। राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 पर राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 पर आप कल तक अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं 11 बजे तक। इसकी मैं अनुमति देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 14 अगस्त वालों के लिये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक······

श्री रामकिशन : आप यह क्या पढ़ रहे हैं। आपके सामने तो भागवत हो तो उसे भी पढ़ने लग जावें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 को

XXX ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गये।

(श्री रामनारायण चौधरी)
और संशोधित करने के लिये विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामकिशन से) इस सम्बन्ध में आपका संकल्प है ।

श्री रामनारायण चौधरी : वे विथड्रा कर रहे हैं ।

श्री रामकिशन : विथड्रा कर लिया ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप कर रहे हैं ? .

श्री रामकिशन : आप भागवत पढ़ रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 जुलाई 1974 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1974) को अस्वीकार करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल वैसे इस सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी । राज्य सरकार अपनी डेमोक्रेटिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती और मैं सोचता हूं कि कल अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद राज्य सरकार में थोडा बहुत विवेक जागना चाहिये था पर अफसोस है कि यह राजस्थान सरकार निरन्तर अध्यादेशों का उपयोग कर रही है । संविधान में अध्यादेशों का उपयोग करने के लिये स्पष्ट निर्देश है कि किन हालतों में इनका प्रयोग किया जावे । अगर उनके अन्तर्गत ये लाये जावें तो न ये अनडेमोक्रेटिक हैं और न असंसदीय ही । पर राजस्थान सरकार की तो यह एक तरह से लत सी पड गई है कि विधान सभा में चर्चा से बचने के लिये अध्यादेश लाये जावें । आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आपको वैसे तो लोकतन्त्र की बडी चिन्ता सताती है । कोई भी मामला आवेगा चट् से कह बैठेंगे कि इससे तो लोक तन्त्र समाप्त हो रहा है । कोई भी आन्दोलन होगा तो कह देंगे कि लोक तन्त्र समाप्त हो रहा है । मैं पूछता हूं कि आखिर यह है क्या ? 10।15 क्लाज जो संविधान में है क्या यही लोकतन्त्र है । यह तो एक जीवन प्रणाली है ।

(म. प. 3.20 बजे)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

आखिर आप अध्यादेशों को क्यों लाते हैं ? इनकी उपादेयता क्या है ? इस राज्य सरकार से निरन्तर अध्यादेशों का प्रयोग किया है । तो इसका एक मतलब साफ निकलता है राजस्थान सरकार के पास कानून में संशोधन करना या मौजूदा कानून को अपर्याप्त समझ कर संशोधन करने की आवश्यकता है और इसके लिये आवश्यक है विधान सभा का सत्र बुलायें और सदस्यों के विचार सुने जायं और विचार सुनकर उन पर आचरण किया जाय लेकिन राजस्थान सरकार दोनों पर चलना चाहती है । विधान सभा भी नहीं बुलाना चाहती है और अपने कार्यकलापों पर भी चलना चाहती है और यह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तो शायद यह विधान सभा भी नहीं बुलाते । माननीय छंगानी जी और माननीय जोशी जी तो डरें लेकिन आपका रामनारायणजी डरने का मतलब समझ में नहीं आता है . . . .

श्री मोहन लाल छंगानी : चाल शुरू कर दी . . . .

श्री रामकिशन : आप वाला तो आपके सामने ही आयगा। मैं माननीय राम नारायण जी, आपसे पूछना चाहता हूं आपके लिये कौनसे कारण हैं, कौनसी एमरजेन्सी है। समापति महोदय, केवल इतनी बात कही गई है कि धारा 124 के तहत अब तक जो जो मामले थे उनकी सुनवाई रजिस्ट्रार करता था और रजिस्ट्रार के पास इतना ज्यादा वर्क हो गया है कि अपील वर्क डिसपोज आफ नहीं कर सकता है। मैं, जो मंशा है उसका विरोध नहीं करता हूं। सही मायने में जो कापरेटिव मूवमेंट का विस्तार हुआ है उससे अपील का दायरा बढ गया है और रजिस्ट्रार स्वयं सुने यह सम्भव नहीं लगता, इसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर इस मंशा से लाये हैं तो कोई एतराज नहीं है लेकिन आपने यह कहा कान्स्टीट्यूशन की धारा 213 के तहत विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल सन्तुष्ट हो जाय। मेरा निवेदन है 10 साल से यह परिस्थितियां नजर में नहीं थीं। पिछली विधान सभा में अपील नहीं थी क्या, पिछली विधान सभा में भी अपीलों का ढेर था। आखिर क्या कारण होते हैं जिससे 65 के कानून में अब संशोधन कर रहे हैं। 10 साल पुराना कानून है और यह व्यवस्था 10 साल से चल रही है। कापरेटिव मूवमेन्ट का विस्तार धीरे धीरे बढता जा रहा है। राज्यपाल महोदय को रबड स्टाम्प क्यों बना रखा है। वैसे तो राज्यों में अब राज्यपाल की आवश्यकता ही नहीं है, यह अलग से एक विचार है। इस पर भी कभी विचार किया जायगा।

अभी ऐसी कौनसी परिस्थिति हो गई है जिससे अध्यादेश लाना जरूरी हो गया है। 10 साल पुराना एक्ट था। पिछली विधान सभा में कर सकते थे, आपके पास जब विभाग आया तब कर सकते थे। 10 साल में कभी भी कर सकते थे लेकिन समापति महोदय राजस्थान सरकार से कुछ भी कहा जाय, विरोधी दल कुछ भी कहें और आसन से फटकार भी मिल जाय तो भी मैं समझता हूं सुधार की कोई सम्भावना नजर नहीं आती है और जब सम्भावना नजर नहीं आती है तो सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है।

समापति महोदय, जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है मैं इसकी भावना का समर्थन कर रहा हूं और तरीके का विरोध कर रहा हूं। सदन में प्रगतिशील विचार धारा के लोग रहे हैं उनका कोई लाभ नहीं उठाया जाता है, क्योंकि इनका एक शौक हो गया है दर्शन की समझ इनमें है नहीं, कर्तव्य की समझ है नहीं, कोई सूझबूझ भी इनमें नहीं है किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो आपने उसको मान लिया और वैसे हो गये। अध्यादेश जिन कारणों से लाये उसका विरोध नहीं है लेकिन लोकतन्त्र की मर्यादा को जितना कम कर रहे हैं यह आपके लिये ही घातक होगा। विधान मण्डल जो होते हैं वह जनता की आकांक्षा का दर्पण होता है। इसमें सिद्धांतों का संघर्ष होता रहेगा तो जनता में आक्रोश कम होगा और जनता यह समझेगी कि हमारी बातों को विधान मण्डलों में उठाया जा रहा है और नहीं उठाया गया तो निश्चित रूप से जनता में निराशा होगी। यह किसी भी विधान मण्डलों में देख लीजिये और चाहे दुनिया के दूसरे देशों को देख लें जहां विधान मण्डल के महत्व को कम किया है वहीं जनतन्त्र का गला घुटा है। लिमिटेड डेमोक्रेसी की कुछ लोग बात कह देते हैं। घाना में नहीं समझते हैं और कभी इन्डोनेशिया में लिमिटेड डेमोक्रेसी

(श्री रामकिशन)

कह देते हैं, कभी क्या कहते हैं और कभी क्या कहते हैं तो सभापति महोदय इतना निवेदन है माननीय रामनारायण जी अबकी बार तो गलती कर गये सो कर गये लेकिन आप फैसला करलें यह बहुत इम्पोरटेंट काम है और विधान सभा में इसकी चर्चा होनी चाहिये। जब तक राज्य में संकट का कोई मामला न हो तब तक छोटे छोटे मामलों के लिए अध्यादेश का प्रयोग करके जो संविधान की धारा है उसको खतम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर को भी समाप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति कुछ नहीं हैं, गवर्नर कुछ नहीं हैं वे पढते नहीं हैं और रबड स्टाम्प की तरह चिपक जाते हैं। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति यहां पैदा न करें। जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है मुझे दो तीन निवेदन करना है। वैसे जब सम्पूर्ण संशोधन आयेगा तब कहूंगा। आप इस छोटे से अध्यादेश के साथ क्यों आये। आपने जब तक कापरेटिव का अध्ययन कर लिया है और राजस्थान में जो कापरेटिव मूवमेंट की स्थिति है उसमें कानून में विस्तृत संशोधन लाये होते तो मैं समझता ठीक है। आज सभापति महोदय किसी भी मिनिस्टर के पास अपने व्यवहार की देखभाल के लिये जन आकांक्षा का कानून है या नहीं यह इनको देखने की फुर्सत नहीं है। आज स्थिति यह है कि दिन भर ट्रान्सफर, पोस्टिंग के अलावा काम नहीं हैं। मैं समझता हूं आज की समाज की दिक्कतें हैं उसके बावजूद भी इस कानून का अध्ययन करना चाहिये और अगर सम्पूर्ण बिल लायें जिसमें सारे समाज की दिक्कतें दूर हों तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन सभापति महोदय आपने धारा 124 में केवल संशोधन किया है।

आपके कापरेटिव मूवमेंट की हालत राजस्थान में ऐसी बन गई है, कापरेटिव मूवमेंट जो मजदूरों का आन्दोलन होना चाहिये, कापरेटिव मूवमेंट जो पिछड़े वर्ग का आन्दोलन होना चाहिये वह न होकर निहित स्वार्थों का आन्दोलन बन चुका है। मैं समझता हूं रामनारायण जी भी मेरी बात से सहमत होंगे और यहां नहीं कहेंगे तो विधान सभा के बाहर अवश्य सहमत होंगे लेकिन जो चीज मन से सहमत करते हैं उसको बाहर भी प्रदर्शित करना चाहिये। जितना विशाल बहुमत आपको मिला है उतना अब मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इतने बडे विशाल बहुमत के बाद भी खराबी नहीं मिटा सके तो क्या आप हम पर छोडकर जाने वाले हैं। हम तो आने वाले भी नहीं हैं. यह भी आप मानकर चलें। मैं समझता हूं, आपके कापरेटिव मूवमेंट की स्थिति क्या है। दो तरीके हैं एक तो सरकारी हस्तक्षेप, एक कापरेटिव में काम करने वाले निस्वार्थ लोग। आज ट्रिब्यूनल के पास कापरेटिव एक्ट की दो धारा का काम दे रखा है। आज जो कापरेटिव मूवमेंट है यह पूरा राजनैतिक आन्दोलन है। इसका आर्थिक पक्ष क्या है यह केवल किताबों में लिखने की चीज रह गई है। सारा राजनैतिक आन्दोलन नहीं है तो आपके देखने की चीजें और बची हुई हैं और इसमें अधिक अधिकार दिये जायं। आज डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या क्या काम कर सकता है। आज सुमित्रा जी का मामला आ जाय तो मैं समझता हूं रामनारायण जी काम करा सकते हैं और जब सुमित्रा जी का मामला कमला जी के पास आये तो सारा जोर लगा दिया, काम नहीं करा सकीं। यह सब जानकारी मुझे है ...

(व्यवधान)

(श्री रामकिशन)

आपका यह मूवमेंट कितना कमजोर होता जा रहा है तो मेरा आपसे कहना है, मेरा आपसे सुझाव है जो ट्रिब्यूनल आपका है उसमें कुछ धाराओं को इस एक्ट के मार्फत जरूर दे देना चाहिये। खास तौर से धारा 34 के लिये निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कितने पावर्स हैं उतने पावर्स सैसन जज के लिये नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पावर्स नहीं हैं। वह 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की डिग्री दे सकता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जब मंत्रियों के टेलीफोन से काम हो तो वहां किसी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास नहीं रहना चाहिये। इस धारा का काम आप चाहते हैं और चाहते हैं कि कापरेटिव मूवमेंट सही ढंग से काम करे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ट्रिब्यूनल के पास यह काम जाना चाहिये। इस धारा को नहीं लाते तो हम समझते कि आपकी मन्शा इस कोआपरेटिव मूवमेंट को आगे बढाने की है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगली बार जब आप आओ तो इस बिल को सम्पूर्ण अमेंडमेंट्स के साथ लायें।

इसी प्रकार से धारा 32 को आप देखें। इसमें जो स्थिति है इसमें भी कोई जूडीशियल नेचर का मामला है। आपके जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स होते हैं उनको ज्यादा कानून की जानकारी नहीं होती और राजनैतिक दबाव से वह मुक्त नहीं हो सकते। इसलिये धारा 32 और 74 के तहत जो अधिकार असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को हैं वह निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल के पास जाने चाहियें।

इसी प्रकार से सभापति महोदय आपने धारा 13 और 14 को भी पढ़ा होगा। मैं समझता हूं कि आप स्टेट मिनिस्टर हैं-कोआपरेटिव के कोई हैं या नहीं इसका मुझे पता नहीं, अगर आपको फुरसत है तो आप अध्ययन करलें। 13 और 14 धारा में जिस प्रकार के प्रावधान हैं उसके लिये कोई भी रजिस्ट्रार इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। यह सारे मामले ऐसे हैं कि जिनकी नेचर जूडीशियल है और जिनमें असीमित अधिकार दिये हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इन धाराओं के तहत और सारे मामले को लाएं तो इस मामले का अच्छा पहलू भी होगा और दूसरी स्थितियां भी सामने आजायेंगी। यह सारे मामले जूडिशियल नेचर के हैं। आपके रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार राजनैतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सकेंगे इसमें मुझे शक है। मैं उनकी योग्यता पर शक नहीं कर रहा हूं लेकिन आज जो देश की हालत और जैसा राजनैतिक वातावरण है उसमें इन सब मामलों को सही ढंग से निपटाना होगा ऐसी संभावना नहीं है। तो रामनारायणजी आप भी छोटे से मामले को लेकर सदन में आम और गुनाह बेलज्जत होगये। आपने आर्डिनेंस भी निकाला और बदनाम भी हुए। इसके बजाय तो आप यदि सम्पूर्ण एक्ट में जो खामियां हैं उनका अध्ययन करके एक बिल सदन में लाते तो सदन आपका स्वागत करता और यह सदन समझ पाता कि आप इस मूवमेंट को मजबूत करने की सोच रहे हैं।

सभापति महोदय, यह आन्दोलन निस्वार्थ का आन्दोलन बन गया है, इसमें सब निस्वार्थ हों ऐसा मैं नहीं मानता, कुछ आस्थावान भी होंगे। यह दलितों का आन्दोलन था, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का आन्दोलन था लेकिन इस आन्दोलन के पीछे कुछ लोग इस तरह से रहते हैं जैसे पहले जागीरदार भी

(श्री रामकिशन)

नहीं रहते। उनके पास कार है, चपरासी है, और सारे ऐशो-आराम के साधन हैं, और मैं समझता हूं कि खेतसिंह जी जैसे छोटे जागीरदारों ने भी वह ऐशो-आराम नहीं किये होंगे इसके लिये कौनसी स्थिति ला रहे हैं ? इसी प्रकार से इसमें करप्शन के सैंकड़ों मामले हैं यहां पर उनकी चर्चा करना मैं आवश्यक नहीं समझता । शिकायतें आती हैं उनका निराकरण इसलिये नहीं हो पाता कि कभी एक पार्टी शिकायत करती है तो कभी दूसरा पक्ष उनके साथ आ जाता है । विरोधियों की बात तो आप सुनते ही नहीं । आपकी दलीय राजनीति चलती है, भीतर ग्रुप चलते हैं उन्होंने इस आन्दोलन को बिल्कुल जर जर कर दिया है, मृतप्राय सा कर दिया है । तो मैं चाहूंगा कि इसके अन्दर कुछ संशोधन करना है। दूसरे ढंग से संशोधन करें और जो सरकारी हस्तक्षेप बढ रहा है उसको रोकने की कोशिश करें ।

सभापति महोदय, वैसे मेरा कोआपरेटिव मूवमेंट और मजदूर आन्दोलन से बहुत कम सम्पर्क है । राजनीति का ऐसा गन्दा काम है कि इसे मुझे समझने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम भरतपुर में देखते हैं कि आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैठा रखा है और मुझे तो उसके नाम का भी नहीं पता, लेकिन यह बात सुनते हैं कि एक बोतल शराब की ले आओ और कोई भी काम करा लाओ ।

एक माननीय सदस्य : सस्ते में न्याय दे रहे हैं ।

श्री रामकिशन : दूसरा जाये तो दूसरा न्याय करा लाता है । और देशी शराब पर ही देते हैं वह तो और भी सस्ता कर दिया है । मैं कहता हूं कि आपकी नजर इन मामलों में भी जानी चाहिये । अगर आप इन मामलों की तरफ तवज्जोह नहीं देंगे तो सारा मामला बिगड़ जायेगा । आप कहते हैं कि इस अध्यादेश के लिए गवर्नर साहब सन्तुष्ट हो गये तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय तो सन्तुष्ट हो गए, लेकिन आप ठीक ठीक कहें कि आप भी सन्तुष्ट हैं या नहीं ? रजिस्ट्रार के बजाय दूसरे जो अधिकारी हैं चाहे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हो या कोई और हो उनको अपीलें सुनने का अधिकार दे रहे हैं और इस बात के लिए आर्डिनेन्स लाते हैं तो मैं समझता हू कि कोई महत्व नहीं रह जाता है । इन्हीं शब्दों के साथ जो अध्यादेश आया है यह असंसदीय है, कांग्रेस के सदस्य जो कि लोकतांत्रिक ज्यादा बन गये हैं मैं समझता हूं कि इतने जागरुक हो गये हैं कि जो मैंने संकल्प रखा है उसको स्वीकार करने में कांग्रेसी भी मेरा समर्थन करेंगे, ऐसी आशा है और मैं समझता हूं कि उनका विवेक भी जाग गया है । कल एक माननीय सदस्य ने कुछ कहा था मैं समझता हूं कि उससे आशा की किरण जागी है और बाकी माननीय सदस्य भी उसके ऊपर चलें तो अच्छा हो ।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव ; माननीय सभापति महोदय, सहकारिता मंत्रीजी को एक छोटी सी बात के लिए अध्यादेश नहीं लाना चाहिये था और वह इसलिए नहीं लाना चाहिये था कि रजिस्ट्रार के पास बहुत काम हो गया है और उस काम का बटवारा करने के लिए अन्य अधिकारियों को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अपीलें सुनने का अधिकार दे दिया जाये, मैं समझता हूं कि कोई ऐसी असाधारण परिस्थितियां इस राजस्थान में पैदा नहीं हो गयी थीं कि जिसके कारण से अध्यादेश जैसी चीज निकालनी पड़े । राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन 11 अप्रेल को समाप्त हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव होने को था, हम लोगों को भी मालूम था। मैं समझता हूं कि अध्यादेश नहीं लाकर वह इस सदन में बिल लाते तो ज्यादा मुनासिब होता। उन्होंने सन् 65 का जो पुराना 'विधेयक चला आ रहा है उसमें अध्यादेश 19 जुलाई को निकालकर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाही है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 19 जुलाई को रजिस्ट्रार महोदय के पास कुल कितने केसेज अपील के लिये पेंडिग पडे थे क्या आप बता सकेंगे ? (विराम) आपको मालूम नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : मालूम है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बता दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : बता दूंगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहा हूं कि 19 जुलाई 1974 को कितनी अपीलें पेंडिग थी यह बतादें । अध्यादेश निकालने की क्या आवश्यकता थी ? क्या लाखों करोडों अपीलें पेंडिग थीं ? यदि आप इसका जवाब दे देते तो इससे स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगा कि अध्यादेश निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी और दूसरा आप यह उत्तर दिलवा दें कि आपने किस-किस अधिकारी को कितनी-कितनी अपीलें ट्रांसफर कीं ? अगर दोनों बातों का उत्तर नहीं दे सकते तो मेरा कहना यह है कि मेरा मोशन है कि आर्डिनेंस को अस्वीकृत कर दिया जाय और मंत्रीजी कहेंगे कि आर्डिनेंस बेकार हो गया ।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने प्रश्न पूछा है, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ अपनी बात कहना चाहें आप अपनी बात कह दें । माननीय मंत्रीजी जब जवाब देंगे उसके बाद में आपको तय करना है कि आप इस संकल्प को सही वोट के लिए रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह बाद में सोचें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मतलब यह है कि आप मंत्रीजी से उत्तर नहीं दिलवायेंगे ।

फिर मेरा निवेदन यह है कि जब माननीय मंत्री जी को मर्जी आई अमेंडमेंट कर दिया और माननीय मंत्री जी ने जिस समय चाहा अध्यादेश निकाल दिया । यह कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन है कि असाधारण स्थिति पैदा होगी तब ही अध्यादेश निकाला जाएगा। मैं समझता हूं कि यह इसका दुरुपयोग है? और यह दुरुपयोग ही नहीं बल्कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के जो अधिकार हैं, माननीय सभापति जी, उन पर कुठाराघात है और सम्पूर्ण विधान सभा का अपमान है । माननीय सभापति जी, आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या और कोई अमेंडमेंट नहीं लाना चाहते हैं ? केवल रजिस्ट्रार के पास काम ज्यादा हो गया इसलिये इस काम की वजह से ही उन्होंने अध्यादेश निकाल दिया माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट में, कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट है, इसमें मैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

समझता हूं कि बहुत कमी है, उन कमियों पर विचार करके माननीय मंत्रीजी कम्प्रिहेंसिव बिल सारी कमियों को दूर करने के लिये यदि लाते, यदि कोई अध्यादेश निकालते तो मैं समझता हूं कि वह बात समझ में आ सकती थी, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर अध्यादेश निकाल दिया जाना इस प्रकार से संविधान के अधिकारों पर कुठाराघात है, राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों का अपमान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज सहकारी आन्दोलन की असफलता का कारण क्या है ? जिस उद्देश्य से सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था क्या वह पूरा हो गया। और आज मैं कह सकता हूं कि सहकारी आन्दोलन गरीबों का आन्दोलन नहीं बल्कि धन कमाने का आन्दोलन है, गरीबों को लूटने का आन्दोलन है। दूसरी दृष्टि से देखें तो राजनैतिक दुकानदारी जमाने का आज सहकारी आन्दोलन का स्वरूप हो गया है राजस्थान में, मैं निवेदन करूंगा कि यह बड़े 2 लोगों का गेंग बन गया है, और जिन लोगों का गेंग बना हुआ है उन्होंने सहकारी आन्दोलन के नाम पर बड़ी 2 हवेलियां, बड़ी 2 कोठियां, बड़े 2 जखीरे खेड़े कर लिए हैं। यही नहीं जयपुर शहर के आस पास, राजस्थान में कई स्थानों पर बड़े 2 लोगों ने अपना साम्राज्य जमा लिया है अपनी बड़ी 2 कोआपरेटिव सोसायटीज बना ली हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज कोआपरेटिव सोसायटीज, माननीय सभापतिजी, आपको मालूम होगा कि वे अगर कृषि भूमि की जमीन खरीदें और खरीद लेने के लिए जो सेल डीड होगा उसके लिए उनको सेल डीड जो तैयार करनी होगी उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का एक ओर तो नुकसान होता है, इसलिए नुकसान होता है कि कोआपरेटिव सोसायटीज जमीन खरीदती हैं, जमीन खरीदने के लिये स्टाम्प ड्यूटी देते नहीं लेकिन बेचने वाले से स्टाम्प ड्यूटी क्यों नहीं ली जाती है ? जो बेचता है उससे स्टाम्प ड्यूटी ली जाय। बड़े 2 लोग जो बहुत बड़ी 2 जमीन खरीदते हैं उनको स्टाम्प की छूट क्यों दी जाती है ? छोटों को आप रियायत दें इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। सहकारी आन्दोलन का मैं और मेरा दल समर्थक है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो बड़े 2 हैं, जो जमीन खरीदते हैं उनसे स्टाम्प ड्यूटी ली जानी चाहिए और अनिवार्य रूप से जो व्यक्ति जमीन बेचता है उससे भी इसी प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी ली जानी चाहिए। होता क्या है, सभापति महोदय, कि लोग जमीनें खरीदते हैं। सोसायटीज जमीनें खरीदती हैं। कीमत दो लाख और वे बताते हैं पांच लाख में ली और पांच लाख का सेल डीड लिखा कर जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो लोग जमीन लेते हैं उन लोगों से अधिक पैसे वसूल करते हैं। हमने पांच लाख में ली है इसलिए मंहगी बेचेंगे और उन्हें इस बात का तो डर है नहीं कि स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसका परिणाम यह होता है कि जो गरीब आदमी जमीनें खरीदते हैं उनका शोषण होता है। दो लाख की जगह पांच लाख रुपया इस प्रकार से वसूल करते हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में इस प्रकार की बात नहीं थी या उनके ध्यान में नहीं आया। उनको अध्यादेश इस सारी बात के लिए निकालना चाहिए था। आज बड़ी 2 कोआपरेटिव सोसायटीज छोटी गरीब कोआपरेटिव सोसायटीज, इनके प्रेसीडेंट, सेक्रेट्री लोगों से रकम ले ले, उनको जमीन नहीं दें,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
लोग रोते फिरते रहते है। आज इस प्रकार की सारी स्थिति है इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी आन्दोलन एक राजनैतिक दादागिरी जमाने का एक माध्यम रह गया है। जयपुर का सहकारी बाजार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जयपुर के सहकारी बाजार में किस प्रकार से सामान अनाप–शनाप खरीदा गया। खरीदने के बाद बिक्री नहीं हुई, माल सड गया और परिणाम यह निकला कि सहकारी बाजार बन्द हो गया। आज भी सहकारी बाजार की सरकारी बिल्डिग पर इन्डेन गैस का बोर्ड लगा हुआ है सहकारी बाजार के बारे में विधान सभा के अन्दर एक सदस्य द्वारा प्रश्न उठाने पर साफ कहा गया कि लोगों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा लेकिन उनको नौकरी से हटा दिया गया है। 37 आदमी आज नौकरी के अभाव में इधर उधर मारे 2 फिर रहे हैं और आज भी सहकारी बाजार की बिल्डिग पर इन्डैन गैस का बोर्ड लगा हुआ है और सहकारी बाजार बन्द है ताला पडा हुआ है और कागज चिपके हुए हैं। इसके लिए सारी रिपोर्ट है कि आज उसमें, बारह लाख का घाटा हो गया। घाटे का मुख्य कारण था कि निर्वाचित बोर्ड का गठन नहीं किया गया, राज्य के जो अधिकारी वहां पर लगाए गए उनको व्यवस्था का अनुभव नहीं था। मैनेजर, प्रशासक जल्दी 2 बदले गए। कर्मचारी सेवा नियम आर्काषित नहीं होने से असंतुष्ट थे। वहां पर प्रति नियुक्ति पर जरूरत से ज्यादा स्टाफ रखा गया। इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी बाजार के कर्मचारियों को सात साल की सेवा करने के बाद भी उनको नौकरी से हटा दिया गया। यही नहीं श्रम मंत्री श्री मोहन लाल जी छंगाणी ने इन सारे घोटालों की जांच करने के लिए शंकरन साहब को लिखा और उन्होंने कहा कि यह सहकारी आन्दोलन के लिए बडे शर्म की बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आज सरकार सहकारी आन्दोलन की बात करती है, और सरकार दो और सहकारी मार्केट खोलने जा रही है, क्योंकि सात लाख रुपया राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ है। पांच 2 हजार रुपया लगा कर दो भवन किराये पर लिए जायेंगे लेकिन वह भवन बेकार पडा रहेगा। पांच हजार में एक भवन किराये पर लिया जाएगा और पांच हजार में दूसरा भवन किराये पर लिया जाएगा। दो लाख का नया फर्नीचर उसमें लगाया जाएगा, पचास हजार विज्ञापन पर खर्च करना पडेगा इसलिए कि पुराना सहकारी बाजार तो बन्द हो गया भाइयों अब किसी प्रकार की गडबड नहीं होगी, आ जाओ नया माल देंगे। नये खरीददार नए शेयर होल्डर, पांच 2 दस दस रुपये वसूल करेंगे उनसे और इस प्रकार 84 कर्मचारी भर्ती होंगे। 37 कर्मचारी जो निकाले हैं उनको क्यों नहीं रख लिया जाता है। जब 84 नए कर्मचारी भर्ती करते है तो यह क्यों नहीं करते कि उनमें इन 37 पुराने कर्मचारियों को भी ले लें। वहां पर सवा दो लाख का फर्नीचर पडा हुआ है उसमें क्या होगा कि दीमक लग जाएगी। जैसे रविन्द्र रंग मंच की छत पर दीमक लग गई, उसी तरह से सहकारी बाजार के पुराने भवन में रखे हुए फर्नीचर में दीमक लग जाएगी। इस प्रकार से वहां के कर्मचारियों को हटा दिया गया है। वहां पर ज्वैलरी का सामान पांच हजार का, ऊनी होजरी बीस हजार की, दवाइयां करीब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पांच हजार की, अगरबत्तियां दो हजार की सूती कपडा बारह हजार का, चावल दस हजार का, लाल मिर्च पांच हजार की, ग्राइंडर्स पांच हजार के, हिंडोलियम तीन हजार का, सूती होजरी आठ हजार की, ऊनी कपडा एक लाख का, पैन दस हजार के, कंधियां तीन हजार की, शर्बत तीस हजार का, सूजी मैदा आटा पांच हजार का, काली मिर्च पिसी तीन हजार की और स्टेशनरी दस हजार की, इस तरह से माननीय मंत्री जी आप को मालूम है कि यह सारा सामान खराब हो गया है। वहां पर वेतन चुकारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर जो कर्मचारी काम करते थे उसमें से अपना सामान ले जाते थे उनके माहवारी वेतन का चुकारा भी उसी में से कर लिया जाता था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के नाम पर आखिर यह है क्या? यहां जयपुर शहर के अन्दर मंत्री लोग रहते हैं, अच्छे 2 अधिकारी रहते हैं, वे जयपुर शहर के सहकारी बाजार को नहीं बचा सके। वह लुट गया, बर्बाद हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। इसलिए मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन राजनैतिक दादागिरी जमाने का माध्यम रह गया है, सहकारी आन्दोलन के नाम पर कोई चीज नहीं रह गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, नत्थीसिंह का नाम सुना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है जिसके अण्डर में राजस्थान के 23 सहकारी भंडार हैं। उसमें कण्ट्रोल का कपडा, आयातित वस्त्र, मक्का, सूती होजरी वगैरा आते हैं। मक्का खरीदने के लिए चण्डीगढ भेजा गया चेयरमैन के पी. ए. को और उसमें 80 हजार का घाटा हो गया। वहां के ए. के. रे रिटायर हैं। उनकी पत्नी को इसलिए रखा गया है कि श्रीमान शिवचरण जी माथुर के वे प्रचारक रहे हैं। उनकी पत्नी जर्मनी की थी और जर्मन-भारत मैत्री संघ के चेयरमैन श्रीमान शिवचरण माथुर, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया गया। फिर नुकसान क्यों नहीं हो? भारत-जर्मन मैत्री संघ की अध्यक्ष श्री शिवचरणजी माथुर और ए. के. रे की पत्नी जर्मनी की। इस प्रकार वहां पर नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से 65 कपडे की गांठें 1 लाख 5 हजार रुपये की ब्लेक में बेची गई जिसमें से 35 हजार रुपया गायब हो गया। मेरा निवेदन है कि 35 हजार कोई मामूली रकम नहीं है। रजिस्ट्रार को जांच अधिकारी बिठाया गया, लेकिन उसके बाद जांच अधिकारी जब वहां पर गया, तो जांच अधिकारी को किसी प्रकार का रिकार्ड नहीं दिया गया। कारण यही है कि हमारे बडे 2 मिनिस्टर उनके सिर पर बैठे हुए हैं, वे लोग इस प्रकार से सहकारी आन्दोलन का नुकसान करना चाहते हैं, अपनी दादागिरी जमाये रखना चाहते हैं। अपने लोगों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो यही उनके दिमाग में सबसे बडा चित्रण है। यह मैंने रूपरेखा जयपुर शहर के सहकारी भंडार को जहां पर कितनी दादागिरी होती है, निवेदन की है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि आज आपको मालूम है कि राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन के नाम पर श्री नत्थी सिंह जो आज संसद के सदस्य हैं, हरिदेव जोशी का जब मंत्री-मंडल बना उस समय ये नत्थी सिंह कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे. उनको

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

वहां से हटाने का निर्णय हुआ था और उनको हटाने का नोटिस दिया गया था। फिर क्या कारण है कि उन्हीं नत्थीसिंह को जिन्होंने रामकिशनजी के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार है हरिसिंह का विरोध किया, उनको राजनीतिक दादागिरी के आधार पर संसद का सदस्य बना लिया गया, जिन्होंने हरिसिंह का विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया राजनीतिक आधार पर उनको जो हटाने का नोटिस दिया गया था, वह नोटिस वापिस ले लिया गया। इसको वापिस लेने का क्य कारण था। सहकारी आन्दोलन के बारे में हमारा यह दृष्टिकोण है। मेरा दल भी सहकारी आन्दोशन को बढाना चाहता है। आज लाखों रुपये बकाया है। आज एपेक्स बैंक की क्या हालत है। लाखों रुपयों का वहाँ पर घोटाला है। धन का दुरुपयोग हो रहा है। एपेक्स बैंक का जो पैसा है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। आडिट रिपोर्ट इसका प्रमाण है। एक यह राजस्थान हाउसिंग कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन है इसके अध्यक्ष कौन हैं श्री रामदेव सिंह उनको सदस्य बनाया गया है जो कि चुनाव हार गये हैं? क्या इस प्रकार की कार्यवाहियों से सहकारी आन्दोलन आगे बढ़ेगा? आप पार्टी के आदमी को कुर्सी पर कायम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह प्रभाव में रहना चाहिये। उसके पास गाडी चाहिये, उसको भत्ता मिलना चाहिये, बंगला मिलना चाहिये। आज सहकारिता के अन्दर इसी प्रकार की दादागिरी चल रही है, उसके उदाहरण यहां पर मैंने पेश किये हैं फिर आप सहकारिता की बात क्यों करते हैं। यह तो कुर्सी भगवान की बात करते हैं। आपकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिये। चाहे फिर कितना ही भ्रष्टाचार हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता को गाडी मिलनी चाहिये। इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं होगा। मैं चार मांग करना चाहता हूं कि आखिरकार कोआपरेटिव सेक्टर में जो बदमाशियां हो रही हैं उनको रोकने के लिये, अनियमितताओं को रोकने के लिये एक कम्प्रीहेन्सिव बिल लावे तो कोई बात समझ में आ सकती है। मामूली सी बात के लिये संविधान की धारा 213 का आपने दुरूपयोग किया है। मेरी मांग है कि इन सारी बातों का विवेचन करके इन गडबडियों को रोकने के लिए एक कम्प्रिहेन्सिव बिल लाइये। कोआपरेटिव आन्दोलन की असफलता की जाँच करने के लिए एक जाँच कमेटी का गठन किया जाये और जो खामियां, कमियां हैं उनकी यह विशेषाधिकार प्राप्त समिति जाँच करे, और चाहे फिर यह जाँच किसी मंत्री के विरुद्ध हो, किसी भूतपूर्व एम. एल. ए. के विरुद्ध हो, उसकी परवाह किए बिना हीं इस प्रकार की जाँच करके इस समिति को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिये।

तीसरी मांग यह है कि जो बोगस सहकारी समितियां हैं, जिनमें करप्शन है अधिकतर और जिनके आफिस बियरर करप्शन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। अन्तिम मांग यह है कि 10/15 वर्षों से बडी बडी कोआपरेटिव सोसाइटी के जो पदाधिकारी बने हुए हैं उनकी दस वर्ष पहले कितनी सम्पत्ति थी, उसकी जाँच की जानी चाहिये। इन चार मांगों के बारे में एक कम्प्रिहेन्सिव बिल लायें। इन सारी गडबडियों को दूर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करने के लिए आपको एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करना चाहिये, बोगस सहकारी समितियों की जाँच करना चाहिये । इस प्रकार का बडा बिल लायेंगे तो निश्चित रूप से मैं उस बिल का स्वागत करूंगा और यह छोटा सा बिल आप अपनी मर्जी के अनुसार ले आये हैं, आर्डिनेन्स के द्वारा ले आये हैं, इस प्रकार के कार्यों से आप राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के जो अधिकार हैं उनका हनन करने जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस को निकालने की कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं, इसलिए इसको अस्वीकृत किया जाये ।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ ।

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, मैं इस बिल के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आर्डिनेंस पर कुछ कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों के संकल्प हैं, वे ही इस पर बोल सकते हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सदन की सम्पत्ति है, और प्रत्येक सदस्य बोल सकता है।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द विश्नोई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को आर्डिनेंस मेकिंग के जो पावर्स हैं, उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वैसे आर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर साहब को है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि इसका उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है और कोई विशेष परिस्थितियां नहीं होते हुए भी, काफी कारण न होते हुए भी आर्डिनेंस निकाले जा रहे हैं । आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य का कानून बनाने का अधिकार इस सभा को है । इसके और कई काम हैं परन्तु मुख्य काम कानून बनाना है । इसीलिये इस सभा का नाम विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेम्बली रखा गया । क्योंकि विधान सभा साल भर सेशन में नहीं रहती इसलिये कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाये, विशेष परिस्थितियां पैदा हो जायें तो जनहित में राज्यपाल महोदय को यह अधिकार दिया हुआ है कि वे आर्डिनेन्स के द्वारा कानून बना सकें । लेकिन इसमें शर्त यह है कि कि ज्यों ही विधान सभा हो, या 42 दिन के अन्दर अन्दर इस कानून की इस सभा को पुष्टि करनी होगी वरना वह कानून रद्द समझा जायगा । यह बहुत ही अल्प-कालीन अधिकार राज्यपाल महोदय को विशेष परिस्थितियों में दिया हुआ है । लेकिन हम देखते हैं कि अभी 12–13 आर्डिनेंन्स पिछले तीन-चार महीनों में राज्यपाल महोदय ने निकाले हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसे आर्डिनेन्स निकले थे, जिनका कोई कानून नहीं बनाया गया, उनका इस सभा ने भी कोई कानून नहीं बनाया और वे यों के यों ही लैप्स हो गये । जब इस सभा को अधिकार है और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय को जनहित में अधिकार दिया हुआ है, तो उसका इस तरह से उपयोग

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नहीं किया जाना चाहिये, यह मेरी दृढ़ मान्यता है। लोक आयुक्त के बारे में पिछले साल एक आर्डिनेन्स निकला। जोर शोर से ऐलान हुआ, आज तक कोई अर्जी पेश नहीं हुई। ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ऐसा क्या पृथ्वी पर प्रलय हो रहा था कि यह आर्डिनेंस निकालना पड़ा। सभा कानून को बनाती है तो सभा की एक प्रक्रिया है और वह काफी विस्तृत है। कानून विभाग है वह कानून पेश करता है। उसके बाद जनमत जानने हेतु यह सभा चाहे तो उसको परिचालित कर सकती है। यह सभा चाहे तो उस कानून को प्रवर समिति को सौंप सकती है। उसके बाद सभा में बहस होती है। लेकिन आर्डिनेन्स से जो कानून बनता है उसका दायरा सीमित होता है। बीस में से एक आदमी को अधिकार दें कि वह सौदा कर ले तो उस सौदे से आमतौर पर वे बीस आदमी बंध जाते हैं। यह जो आर्डिनेंस होता है उससे भी सत्तारूढ़ दल के सदस्य बंध जाते हैं और फिर उसको वैसा ही पारित करना होता है। बहुत से सदस्य यह महसूस करते हैं कि यह कानून पास करना वाजिब नहीं है। परन्तु बंधे होने के कारण बोल नहीं सकते। मैं समझता हूं कि इस अधिकार का कम से कम उपयोग होना चाहिये। एक छोटा सा मामला है। शेर के पेट में चूहिया चली गयी। डाक्टर ने बताया कि छोटी सी बात है। कोई नुकसान नहीं है। शेर ने कहा इस चूहिया से मैं मरता नहीं हूं किन्तु यह रास्ता गलत है। कल पेट में सांप निकलेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि यह प्रिन्सीपल का सवाल है। डेमोक्रेसी के अन्दर सभी इकाइयों को अलग अलग अधिकार दिये हुए हैं और उनको जागरूक रहना चाहिये और हकों के लिए लड़ना चाहिए। एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर डोमीनेट करने लग जायं या उसके अधिकारों पर एन्क्रोचमेंट करने लग जायं तो यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है और यह आदत में शुमार हो जाता है कुछ अर्से के बाद मान लें कि किसी व्यक्ति को किसी समूह को, किसी समाज को टेम्पोरेरी किसी काम के करने से रोक ही दिया जाता है आर्डिनेन्स से आर्डिनेन्स को वापिस पारित न करायें तो आपने अपना मकसद तो पूरा कर लिया और जिसको नुकसान पहुंचाना था उसको नुक्सान पहुंचा दिया और लेजिस्लेचर को विश्वास में नहीं लिया। मैं समझता हूं कि इसका उपयोग कम से कम होना चाहिये। खास तौर से मंत्रिमंडल के सदस्य यहां पर कानून पारित करवाने आये हैं उनको सदन को उदाहरण देते हुए यह बताना चाहिए कि आर्डिनेन्स पारित करने के बाद यह कार्यवाही इस इस तारीख को कर दी, 17 को कानून पास हुआ, 18 को तार द्वारा भेज दिया और 19 को यह हुआ। तो सब मंत्रीगण यदि सदन का सम्मान करते हैं तो उनको चाहिए कि विस्तृत जानकारी के साथ सदन में आयें कि यह चीज थी इसलिये एकदम इसको किया गया। पहले दिन में ही ड्राफ्ट किया गया यह नहीं कि ड्राफ्ट में दो महीने लगे हों और विधान सभा खत्म हुई तो ड्राफ्ट हुआ। उसके बाद एक आर्डिनेन्स कर दिया और उसके बाद उसको पटक दिया और रूल्स बनने थे वे भी नहीं बनें। आप इस सदन से कानून का स्वरूप लेने के लिए आये हैं तो मैं चाहता हूं कि हरेक माननीय मंत्री जी कानून पास करवाने आये हैं वह विस्तृत जानकारी बता दें कि इस दिन इनिशियेट किया गया, ताकीद से किया है और ताकीद से करने की जरूरत

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

थी नहीं तो यह अहित हो जाता। यह सामने रखें वर्ना तो आर्डिनेन्स की बात हुई। आर्डिनेंस आम तौर से लाये नहीं जाने चाहिएं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अन्याय होने की भी सूरत बनी रहती है। इसमें जो विचार कर सकते हैं उसके मुताबिक जो अपनी तरफ से कहना चाहें वह कह दें। इससे साफ थोड़ा सा बन्ध जाते हैं। आर्डिनेन्स प्रस्तुत कर दिया और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि डेढ़ दो घन्टे में एमेंडमेंट देना हैं तो कानून को पढ़ना पड़ता है, उसके कन्टेक्सट को देखना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार आयन्दा ध्यान रखेंगी और माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि उसके मातहत कुछ केसेज ट्रान्जेक्ट हुए हैं या यों ही पड़ा हुआ है?

श्री सभापति : प्रोफेसर केदारजी आप बोलना चाहेंगे?

माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारी मंत्री) : माननीय सभापतिजी, आज सदन के सामने आर्डिनेन्स बनाकर बिल के रूप में कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अन्दर संशोधन लाया गया है, उस संशोधन का माननीय सदस्यों ने स्वागत तो किया है और यह कहा है कि संशोधन आवश्यक था और उपयोगी था·······

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह किस ने कहा है?

एक माननीय सदस्य : आपने।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने नहीं कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय श्री रामकिशनजी ने यह माना है, और उसके साथ साथ उन्होंने काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं, और मैं यह मानता हूं कि उनका सहकारिता में दिलचस्पी है और कोआपरेटिव एक्ट को इस दृष्टि से उन्होंने पढा है और अध्ययन किया है। इसका स्वागत करते हुए जब कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अन्दर विभिन्न धाराएं--73, 32, 13 और 14 के अन्दर भी संशोधन करने के सुझाव दिये हैं। आपने यह कहा और माननीय श्री गिरधारी लालजी व्यास ने भी यह कहा है कि:....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गिरधारीलाल भार्गव।

श्री रामनारायण चौधरी : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने भी यह कहा कि एक कम्प्रिहेन्सिव बिल लाया जाय। तो, माननीय सभापतिजी, सदन की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 के अन्दर मैं स्वयं मानता हूं कि काफी संशोधनों की आवश्यकता है, और वे संशोधन इस दृष्टि से होना लाजिमी है कि बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक और सहकारी आन्दोलन को किस प्रकार से सक्रिय बनाया जाय, इसको किस तरह से जन आन्दोलन का रूप दिया जाय इसके लिए कानून के अन्दर परिवर्तन आवश्यक है, और सरकार ने इसको महसूस किया है कि किस प्रकार के और कैसे संशोधन हों और किस तरह से इस संगठन को मजबूत बनाया जाय, तो सरकार ने श्री शोभारामजी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी को कोआपरेटिव मूवमेंट के अध्ययन के लिए और सुझाव देने के लिये बनाई है। वह कमेटी अध्ययन कर रही है, और उस कमेटी की रिकमन्डेशन्स के बाद सरकार उन सिफारिशों

(श्री रामनारायण चौधरी)
पर विचार करेगी, और उन सिफारिशों पर विचार करने के बाद कानून के अन्दर आवश्यक संशोधन लाने के लिए सदन के सामने सरकार आयेगी।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : शोभारामजी कौन से हैं ? यहां पर सहकारिता का अध्ययन करने के लिये भी राजनैतिक दादागिरी।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : गुमानमल जी कौन हैं ?

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : मेरे दल के लीडर हैं।

श्री **दीपंकर** : शोभारामजी हमारे दल के हैं।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : मेम्बर कौन कौन हैं नाम बता दें।

श्री **मोहर सिंह** (चूरू) : यह आदत रही तो पागलखाने की शरण लेनी पड़ेगी।

श्री **रामनारायण चौधरी** : यह बहुत छोटा सा संशोधन दिखने में नजर आता है लेकिन अपने आप में बड़ा महत्त्वपूर्ण है। आप जानते हैं सभापतिजी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हिन्दुस्थान के अन्दर दूसरे नम्बर का प्रदेश है। जैसलमेर से चलकर व्यक्ति सहकारी समिति की अपील के सिलसिले में जयपुर आये और रजिस्ट्रार साहब के पास अपील करें और रजिस्ट्रार साहब आप जानते हैं राजस्थान के कोआपरेटिव मूवमेंट का एकमात्र अधिकारी हमारे कानून के मुताबिक है तो उनके पास में काम की अधिकता है औरता लोगों की असुविधा को ध्यान में रखकर यह जरूरी समझा गया कि अपील के पावर्स वाला एक ही अपील अधिकारी सारे सम्पूर्ण राजस्थान के लिए है। यह किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहता है। तो यह सोचा गया कि इसका डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो, डेलिगेशन पावर को दूसरे को हो तो कानूनी रूप से इसका परीक्षण किया गया तो यह बात सामने आई कि यह जो अधिकार 124 के अन्दर रजिस्ट्रार साहब को हैं यह डेलिगेट नहीं हो सकते, तो फिर यह सोचा गया कि धारा 124 के अन्दर जो एक्स्प्लेनेशन दिया गया है इसको हटा दिया जाय तो फिर सरकार कोआपरेटिव एक्ट की धारा 3 के तहत दूसरे अधिकारियों को भी यह अधिकार दे सकती है और लोगों को इससे सुविधा होगी और विशेष तौर से कोआपरेटिव मूवमेंट में काम करने वाले अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इससे सुविधा होगी। तो माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने इसकी उपयोगिता तो बताई लेकिन आर्डिनेंस के रूप में इसको लाकर सदन के सामने बिल के रूप में लाये, इसका उन्होंने विरोध किया है। मैं यह मानता हूं कि इस संशोधन की इस दृष्टि से अत्यन्त आवश्यकता थी कि पिछले 6 महीने से रजिस्ट्रार साहब के पास अत्यधिक काम रहने के कारण, बहुत कागज पेंडिंग होने के कारण काम नहीं हो पाया है। मैंने जानना चाहा तो पता चला कि काम की अधिकता के कारण नहीं हो पाया। तो जब तक 124 में संशोधन नहीं होगा, तब तक यह नहीं हो सकता है। दूसरे सिविल ला के अण्डर में केसेज वर्षों से पेंडिंग पड़े हुये हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं इसमें फर्क समझता हूं। कोआपरेटिव के मामले लम्बित कर देंगे तो कोआपरेटिव से संबंधित मूवमेण्ट और जो समस्यायें हैं, उन दोनों को क्षति पहुंचती है। अविलम्ब

(श्री रामनारायण चौधरी)

होंगे, तुरन्त होंगे तो कोआपरेटिव में मदद मिलेगी। एक सोसाइटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर गड़बड़ी के लिए 74 की कार्यवाही हो गई तो और वह जल्दी हो गई तो उसका बड़ा असर पड़ता है। नहीं तो लोगों में यह एक खराब भावना फैलती है कि क्या हुआ अमुक व्यक्ति इतना रुपया खाकर बैठ गया। इस प्रकार की एक गलत धारणा फैलती है। 1 लाख 20 हजार सोसाइटीज हैं। 74 की कार्यवाही हो रही है। इसमें माननीय सदस्यों ने व्यग्रता दिखाई है। इन तथ्यों और व्यग्रताओं को ध्यान में रखकर यह सोचा गया है। यह संशोधन देखने में बहुत छोटा है लेकिन यह जनहित में है और सरकार के हित में है। इससे न कोई अहित हुआ है, न होने वाला है। प्रश्न यह है कि यह आर्डिनेंस के रूप में आया है। यह ठीक है कि आर्डिनेंस अधिक नहीं निकलने चाहिये। लेकिन अच्छे काम के लिए मैं समझता हूं कि कोई अहित नहीं है। यह सम्पूर्ण रूप में सहकारी आन्दोलन के हित में है। अब यह आता है कि आप के अधिकारों का एन्क्रोचमेण्ट किया है। इससे मैं सहमत नहीं हूं। आपकी सहमति और स्वीकृति लिये बिना कोई कानून नहीं बन सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले दिन लाये।

श्री रामनारायण चौधरी : सबसे पहले जो आर्डिनेंस लाये, वह लाकर आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हमारी कोई ऐसी मन्शा नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्यों ने जो दलील दी है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह आर्डिनेंस जनहित में है। इसलिये इस कानून को आपके सामने लाये हैं। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 19 जुलाई को कितने पेंडिंग थे?

श्री रामनारायण चौधरी : 240 केस पेंडिंग थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किस किस अधिकारी को दिये गये हैं। जब बिल लेकर आये हैं तो आर्डिनेंस को निरस्त कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : जुलाई में 240 पेंडिंग थे।

श्री सभापति : राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1974 पर जो संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं, क्या उन्हें वापिस लेना चाहेंगे?

श्री केदारनाथ : इनकी जो सहकारिता में आस्था है, उसको मानते हुये इजाजत देते हैं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है, मा.स. श्रीरामकिशन, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री केदारनाथ ने जो संकल्प प्रस्तुत किये हैं, उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाये?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सभापति : विचारार्थ लिया जाये ।

श्री रामनारायण चौधरी : विचारार्थ लिया जाये ।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : सभापति महोदय, मैं बातों को दुहराऊंगा नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदय, एक सदस्य एक ही समय में दो प्रकार की बातें कैसे कर सकता है ।

श्री सभापति : वह तो कहते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तरफ तो आप इसका अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं । दूसरी तरफ आप उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं । ये दो बातें साथ साथ कैसे चलेंगी ।

श्री सभापति : बोलेंगे तब आप सुनिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मेरा अधिकार है । पहले वह आर्डिनेंस के बारे में था ।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, 240 केसेज की दलील दी है । और इसके आधार पर 11 अप्रेल को सैशन चल रहा था । आपको यह 11 अप्रेल के पहले पहले लाना चाहिए था । 19 जुलाई को लाये हैं तो क्या होता, दो चार केसेज और बढ जाते । इस प्रकार से जो अध्यादेश निकालने का अधिकार राज्यपाल महोदय को दिया गया है, उसका यह दुरुपयोग किया गया है । अभी भी मंत्री महोदय मानने के लिए तैयार नहीं हैं । पेंडिंग केसेज की बात करते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसी कोई आवश्यक बात नहीं है । दूसरे ऐसा कोई अधिकार नहीं है । किन किन अधिकारियों को अपील सुनने का अधिकार दे दिया है । इसकी सफलता और विफलता की जांच करने के लिये कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री और एम. एल. ए. ही मिले हैं । मैं समझता हूं कि कुछ और लोगों को मिलाकर उनकी बात सुनते तो अच्छा होता । तो पता चलता कि सहकारी विभाग के बारे में और सहकारी आन्दोलन के बारे में क्या ओपीनियन है ।

इसके अन्दर लेबर भी हैं जो कि सहकारी बाजार में काम करते थे । उन्होंने 35–36 आदमियों को हटा दिया । 25 सितम्बर, 1972 को––

"Dear Shri Sankaran

You are aware that the normal functioning of the Sahkari Bazar has been dislocated. There are several charges against the management. One set of charges has also come to me. The same list of charges I am submitting to you for immediate action and high level enquiry"

यह लिखा था उन्होंने । मेरा निवेदन है, 8,000 रु. चावल की खरीद बेचान में नुकसान, 8 हजार की सूजी मैदा सड़ गई, 25 हजार ऊनी कपड़े में, रेक्स शरबत के खरीद बेचान में 5,000 रु. का नुकसान हुआ । बहुत लम्बी सूची है । मोहन छंगाणी द्वारा घोटालों की जांच के लिये जो मांग की गई उसका क्या हुआ ? कौन अधिकारी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दोषी है। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? मैं पुरानी बातें नहीं लाऊंगा। सहकारी बाजार की कई शाखायें खोली गई थीं। एक जौहरी बाजार में ढढ्ढा मार्केट में थी। एक पुरानी बस्ती में भी थी। दस, दस रुपये जिनसे लिये गये उनका नुकसान हुआ। कर्मचारियों को हटा दिया। जिन लोगों ने 10-10 रु. दिये उन्होंने एक दो बार इरेस्मिक ब्लेड खरीदने के अलावा और कुछ लिया नहीं। अब उन्हीं लोगों को 50-50 रु. और जमा करने होंगे। मेरा निवेदन है कि इस सारी बात में मंत्री महोदय ने लिखा है :

"The way Sahkari Bazar has been run by the management, has brought shame." "S H A ME and......dishonour to the cooperative movement

यह लिखा है और वह आज मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। पूछ लिया जाए उनसे कि उनके क्या विचार हैं। मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी है, परसरामजी मदेरणा कहते थे कि हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। Parasram Maderana means whole Mantri Mandal

वह कहते हैं कि इस प्रकार से सहकारी आंदोलन पर एक शर्म की बात है, डिसआनर की बात है। यह भी लिखा है :

'I charge that the management, from its very beginning has never seriously tried for democratic functioning nor the shareholders meeting was ever called.

याने कभी भी शेयरहोल्डर्स की आजीवनकाल में कभी मीटिंग नहीं हुई।

It is being managed by the departmental officers with a proved record of mismanagement. मेरा निवेदन है कि यहां तो हां पक्ष जीता ना पक्ष जीता होगा बिल पास हो जाएगा लेकिन श्रम मंत्रीजी जिन्होंने कहा है कि सहकारी आंदोलन बिल्कुल निकम्मा है जो उनकी राय है तो मंत्रिमंडल की राय में वह अपनी राय शामिल करते हैं। यह सारा जो संशोधन आपने किया है कोई आवश्यकता नहीं थी 240 केसेज के आधार पर। सारे बिल को यदि जनमत जानने के लिये प्रसारित करें तो उचित होगा।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, सहकारिता एक ऐसा विषय है और जरिया है कि हम समाज में कुछ पिछड़े हुए लोगों को, साधनहीन लोगों को साधन सम्पन्न लोगों के साथ जोड़कर सामुहिक रूप से समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिये यह अच्छा तरीका है समाज की माली हालत सुधारने के लिए। परन्तु जिस तरह का यह अच्छा सिद्धांत है और इसको सरकार ने समाज में प्रतिपादित किया है और जैसा प्रचार हुआ है उसके आधार पर बड़े शहरों और ग्रामों में इनका गठन हुआ परन्तु इसकी गत वैसी हुई जैसे प्रसव काल में ही शिशु की मृत्यु हो जाए। लोगों ने इसको चलाकर जिंदा नहीं रहने दिया। कुछ लोग जो समझे हुए थे कि इसके जरिए सरकार, समाज तक कुछ साधन पहुंचाना चाहती है, लोगों को आवश्यक वस्तुएं समय पर मिलें, अच्छी मिलें, इस तरीके से लाभ उठाना चाहिए। इससे जो वेस्टेड इन्टरेस्टस थे, वे लोग इन सोसाइटीज में घुसे, हालांकि इस

(श्री दीपंकर)

कानून में मनाई है कि कोई ऐसा व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं बन सकता जो व्यापारी हो, फिर भी चोरी छिपे ऐसे व्यक्तियों ने अपने रिश्तेदारों को फंसाया और गलत काम कराया। इसलिये इस अन्दोलन के प्रति जितनी श्रद्धा और विश्वास की मात्रा समाज में जमनी चाहिए वह नहीं जमी तो इस मूवमेंट को फैल करने में जहां परम्परागत दुकानदार थे जिनका धंधा था कि सस्ती से सस्ती चीज लाकर महंगे से महंगे भाव पर बेची जाए, यहां तक कि 5 रुपये मन वाली चीज 50 रु. मन तक बेच देते हैं। व्यापारी ही ऐसी चीज को जानते हैं। समाज को लाभ मिले वह अलग बात है और एक विशेष व्यक्ति लाभ उठाये, वह अलग बात है। इस महत्वपूर्ण कडी में जहां दुकानदार ने षडयंत्र किया, वहीं सरकारी मशीनरी भी उनके साथ सांठगांठ कर रही है। सरकार ने जब ध्यान दिया, समाज में जब इसका प्रचार किया, बहुत बडा विभाग रजिस्ट्रार से लगा कर जिला स्तर तक सहायक रजिस्ट्रार और तहसील स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, सहकारिता इन्सपैक्टर न मालूम कितने प्रचार अधिकारियों द्वारा प्रचार किया गया, परन्तु इन सब का क्या किया? वही किया जो दुकानदार कर सकता है। उनके साथ वह भी मिल गये हैं। अध्यक्ष और सेक्रेटरी सोसाईटी का मिल बैठा, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी मिल बैठा। सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सोसाइटी को डूबो दिया। धीरे-धीरे लोगों में भावना आने लगी कि यह चोरी का धंधा है इसके नजदीक न जायं। तो सरकार ने इस आंदोलन को समाज के हित में प्रचारित किया उसके विपरीत इसका असर आया जिस तरह का संशोधन किया उसको जन हित में माना है तो जरूरी है कि विकेंद्रीकृत स्वरूप जितना अच्छा किया जा सकता है उतना अच्छा है परन्तु आपका जो अमला है उसको कम से कम कसम खिला कर भेजें कि वह इस आंदोलन के प्रति ईमानदार रहेगा नहीं तो चाहे सोसाइटी को कितनी पावर दें लेकिन होगा वही जो एक पटवारी से तहसीलदार तक होता है। इस तरह का धंधा ये कर्मचारी और सोसाइटी के पदाधिकारी करते हैं। आज सहकारी समितियों के जरिये सरकार चाहती थी कि आज महंगाई के जमाने में चीनी मिले, कपडा मिले, समय पर अनाज मिले, परन्तु किसी गांव में चले जाइये, यह सारे राजस्थान भर में ऐसी बात है, कोई 2-4 ईमानदार बचे हों तो वह अलग बात है नहीं तो कपडा, चीनी, पूरी नहीं देते। उसके साथ में गेहूं सरकार कैसा ही देती है, दुकानदारों से दूसरे किस्म का लेकर अपने दुकानों पर वह रद्दी माल रख देते हैं। इससे न सरकार की नीति पूरी होती है न समाज की आवश्यकता पूरी होती है और अजीब तरह का वातावरण समाजवादी रचना के लिए, लोकतंत्रीय राज्य के लिये इस व्यापारी द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको रोका जाना बहुत जरूरी है।

जहां तक सहकारी समितियों का संबध है न केवल सहकारी समितियां बल्कि जो आपके भूमि बंधक बैंक्स हैं, सहकारी बैंक्स हैं, किसके नाम पूंजी होती है, यह लेखा जोखा देख लिया जाए तो मालूम होगा कि इसमें विशेष तरह के लोग हैं।

(श्री दीपंकर)

सभापति महोदय, इसमें एक वर्ग विशेष के लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है। आज उन बैंकों से उन लोगों को ऋण मिलता है जो कि धनी लोग हैं या जिनके पास ताकत है, जो घूम सकते हैं और उस्ताद लोग हैं। बेचारे गरीब आदमी को वहां पर किसी प्रकार का ऋण नहीं मिलता है। सभापति महोदय आज गांवों में एक विशेष वर्ग तैयार हो गया है जिन्होंने इन सहकारी बैंकों पर अपना अपना कब्जा कर लिया है। इन बैंकों से पैसा लेकर यह लोग पंचायत समितियों के चुनाव जीतते हैं, विधान सभा के इलेक्शन लडते हैं और उस धन को अपने निजी काम में लेते हैं। अगर इसके लिये मैं यह कहूं कि इन सहकारी बैंकों के रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि हमारे जो सहकारिता मन्त्री हैं वह काफी हिम्मत वाले और ईमानदार व्यक्ति हैं। जो सहकारिता के बारे में काफी अनुभव रखते हैं। हमारी भी उनमें अटूट श्रद्धा है। वह एक कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को वहां से हटाया जाना चाहिये। आज जो इन बैंकों में अपना कब्जा किये हुए बैठे हैं और बैंकों की पूंजी को अपने निजी उपयोग में ला रहे हैं।

सभापति महोदय, आज सबसे बडी बात तो यह है कि इन लोगों में कई तो सहकारिता बैंक्स के चेयरमैन बने हुए हैं कई लोग बैंक्स के डाइरेक्टर्स बने हुए हैं। इन लोगों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये लेकर वापिस इन बैंकों में जमा नहीं करवाये हैं। जहां तक ऐसे लोगों का सवाल है जिनके नाम आज इन बैंकों का रुपया बोल रहा है वह उनसे तुरन्त वसूल किया जाना चाहिये। सभापति महोदय ऐसा भी देखा गया है कि जब कभी कोई बैंक में ऐसा आफिसर आ जाता है और इनसे पैसे वापिस करने की मांग करता है तो यह लोग उस अधिकारी को वहां से हटा देते हैं। यह लोग इतने प्रभावशाली हैं कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति वहां पर इनसे रुपया वसूल नहीं कर सकता है। ये लोग राजनैतिक प्रभाव काम में लेकर उन्हें वहां से हटा देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कार्यवाही को रोका जाना चाहिये।

सभापति महोदय, जहां तक सवाल हाउसिंग कोआपरेटिव फाईनेन्सिंग सोसाइटीज का है उसके बारे में भी बजट में उल्लेख किया गया था। यह एक अच्छा काम है। इसमें ऐसा था गांवों में ऐसे लोग जो कि 25-30 प्रतिशत होते हैं बेचारे गांवों में किनारे पर कच्चे मकानों में रहते हैं, झोंपडियों में रहते हैं उन्हें पक्के मकान बनाने के लिये ऋण देने की योजना थी।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

सभापति महोदय मैं थोडा सा और निवेदन करना चाहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सभापति महोदय, एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि हम उनको संरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन हो यह रहा है कि वह बेचारे आज भी उसी हालत में हैं जैसे कि पहले थे। सभापति महोदय, यह ऐसे लोग हैं जो पैदा भी उन्हीं कच्ची झोंपडियों में होते हैं और मरते भी उन कच्ची झोंपडियों में हैं। आज भी उनकी कुटिया वहीं है। उनका सभापति महोदय प्रसव भी वहीं पर होता है। सभापति महोदय जब बजट में

(श्री दीपंकर)

इनके लिये प्रावधान रखा तो गांवों के कई लोगों ने कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायीं । सैंकडों की तादाद में सोसाइटीज इन गरीब लोगों द्वारा बनायी गयीं और वह लोग बडे ही खुश हुए कि हमें पैसा उधार मिल जायेगा जिससे कि हम छोटा सा पक्का मकान बना लेंगे । सभापति महोदय सोसाइटीज बन गयीं, समाज कल्याण विभाग से जो पैसा उनको मिलता है वह भी मिल गया । यहां तक तो काम ठीक हो गया लेकिन जब तक वह लोग हाउसिंग फाईनेन्सिग सोसाइटीज के दफ्तर में आते हैं तो यहां पर दफ्तर की हालत बहुत ही खराब है । मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी दिन बिना इत्तला किये वह वहां पर अचानक जावें और वहां कि हालत देखें । अगर यह वहां पर जायेंगे तो उनको सैंकडों की तादाद में लोग मिलेंगे जो कि कोई तो रैगर है, कोई भंगी है, कोई चमार है आज वहां पर महीने-महीने भर से, दो महीने भर से चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनको पैसा वहां से नहीं मिल रहा है । उन्होंने उसमें कोई कानूनी अडचन ऐसी रख दी है कि पट्टे यहां पर रखो तो आपको लोन मिल सकता है । यह वह कर नहीं सकते और उनको लोन मिल नहीं सकता । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन किया जाना चाहिये ताकि उन लोगों को पैसा मिल सके । सभापति महोदय आज उन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है । हम लोग भी उनके पास उस वक्त जाते हैं जब कि हमें वोट लेने होते हैं उस वक्त वही लोग हमें सीधे वोट देते हैं । जब हम उनके पास वोट लेने जाते हैं तो वह लोग हमें इस बारे में कहते हैं । मैं सहकारिता मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह जाकर दफ्तर में देखें तो पता चलेगा कि वहां उस दफ्तर के बाबू लोग बेचारे गरीब हरिजनों से 15-15 दिन तक सिनेमा देखते हैं । जो लोग हरिजन वहां पर जाते हैं उनसे कहते हैं कि हमें फलां-फलां जगह लेजा कर होटल में खाना खिलाओ और भी कई फरमाईशें करते हैं और यही लोग बेचारे गवर्नमेन्ट होस्टल में आकर सारी हालत अपनी बयान करते हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब उनको मकान के लिये समाज कल्याण विभाग से पैसा मिलता है, एल. आई. सी. से लोन मिल सकता है लेकिन उनको बेचारों को इस फाईनेन्सिग सोसाइटीज से पैसा नहीं मिलता तो फिर इन सोसाइटीज को क्यों बनाई गयी । इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार की सही मायने में इन गरीब तबके के लोगों को फायदा पहुंचाने की मर्जी हो तो पहले हाउसिंग फाईनेन्सिग सोसाइटीज के दफतर से वहां के डाईरेक्टर से लेकर छोटे छोटे कर्मचारी को आप तुरन्त बदल दें और वहां पर ईमानदार व्यक्तियों को रखें । अगर ऐसा करेंगे तो ही इस तबके के लोगों को फायदा पहुंच सकता है ।

(समय. सामाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने यह घन्टी मुझे बैठने के लिये बजायी है क्या ?

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है ।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, थोडा सा और निवेदन करना चाहता हूं । आज सोसाइटीज बनी हुई हैं उनका कई वर्षों तक आडिट नहीं होता है । इसके कई कारण हैं ।

(श्री दीपंकर)

एक तो यह कि उन सोसाइटीज में बहुत से प्रभावशाली लोग रहते हैं जिन्होंने लोन ले रखा है और उन्होंने अभी तक चुकाया नहीं है। आडिट नहीं होने से उसमें क्या गोलमाल है पता नहीं लग सकता। वह लोग रिकार्ड को गायब कर देते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इनका समय पर आडिट होना चाहिये। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि इन सोसाइटीज का समय पर चुनाव होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से भी चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि इन सोसाइटीज के चुनाव जिस प्रकार हमारे यहां पर नगर-पालिकाओं और पंचायतों के एक ही दिन चुनाव होते हैं उसी प्रकार पूरे राजस्थान में एक ही दिन इन सहकारी समितियों के चुनाव होने चाहिये। इससे मैं समझता हूं कि जो इन सोसाइटीज में वर्षों से ठेकेदार बने हुए बैठे हैं उनकी ठेकेदारी समाप्त हो जायेगी। यही लोग गडबडी करते हैं जिसके कारण यह लोग आज दस दस वर्षों से बैठे हुए हैं। आज इन लोगों ने लाखों रुपया ले रखा है और देने का नाम नहीं करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सोसाइटीज का आडिट समय पर होना चाहिये तथा इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव एक ही दिन होने चाहिये।

इसके अलावा थोडा मैं न्यायाधिकरण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज जो हमारे यहां पर न्यायाधिकरण है उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। हर डिवीजनल हैडक्वार्टर पर यह कायम होना चाहिये। इसके साथ-साथ ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर जो न्यायाधीश हो वह गांव जाकर अपनी कार्यवाही करे। आज तहसीलों में, एस. डी. ओ. के दफ्तर में इतना लेन-देन होता है कि वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पैसा देकर ही आप अपना काम करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको पुख्ता सबूत पेश कर सकता हूं। आज न्यायाधिकरण में ऐसे वकील हैं जो वहां पर पैसा लेकर न्यायाधीश को देते हैं।

अगर किसी व्यक्ति को अपना काम करवाना है तो उनके वकील बन्धे हुए हैं। वही लोग काम करा सकते हैं। यह वकील लोग कई बार ऐसी परिस्थितियां पैसा खिला कर पैदा कर देते हैं कि जिससे कोर्ट में फैसला नहीं हो सकता और जो दोषी व्यक्ति होता है उसके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट न्यायाधिकरण लोगों को तुरन्त हटाया जाना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री दीपंकर : इसी तरह सभापति महोदय आज जो चीनी की और गुड व गेहूं की सहकारी समितियां बनी हुई हैं कपडे की सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उनमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। अगर उन्हें अच्छे ढंग से चलाया जावे तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने से लोगों को लाभ पहुंच सकता है।

जब हम एक स्कूल में बच्चों की कोओपरेटिव सोसाईटी बना कर किताबें, पेन्सिलें, कागज बना कर लाभ से उसको चला सकते हैं तो क्यों नहीं दूसरी को

(श्री दीपंकर)

श्रोपरेटिव सोसाइटीज भी लाभ में चल सकती हैं ? यदि वे सही प्रकार से अपना लेखा-जोखा रखें तो लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन भ्रष्ट लोग हैं उनको सही प्रकार से लाभ अर्जन नहीं करने देते हैं। इसलिये ऐसे भ्रष्ट लोगों को विभाग में इधर-उधर परिवर्तित करके, उनके ऊपर एक्शन लेकर उनमें इस प्रकार का भय पैदा किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि कोग्रापरेटिव मूवमेंट सफल हो सकता है। किन्तु चाहिये ठीक प्रकार की निगरानी। कोग्रापरेटिव सोसाइटीज समाजवादी समाज की रचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको सफल करने के लिये सरकारी मशीनरी को शुद्ध किया जाना चाहिये। जो कार्यकर्ता इसमें और जो व्यापारी इनको भ्रष्ट करते रहने के लिये आ घुसे हैं उनको वहां से दूर किया जाना चाहिये, उनको हटाया जाना चाहिये ताकि कोग्रोपरेटिव मूवमेन्ट सफल होकर उससे समाज को यथेष्ट लाभ मिल सके।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाईटी (संशोधन) विधेयक, 1974 को मैंने जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

पहले तो मैं ऑर्डिनेन्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस ऑर्डिनेन्स को 19 जुलाई को जारी किया गया और यह सेशन 12 अगस्त को शुरू हुआ। इस आर्डिनेन्स की इसलिये आवश्यकता बतायी कि 240 केसेज पेन्डिग हैं जैसा कि मंत्री महोदय ने लिस्ट बतायी। एक महीने में यही ऐसा कौनसा परिवर्तन हो जाता है ? कौन से केसेज डिस्पोज ग्राफ हो जाते ? अब मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक महीने में कितने केसेज का डिस्पोजल हो चुका है ?

मैं समझता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसको इस प्रकार लाकर के, जैसा कि अपोजिशन पार्टी भी विरोध करती है कि कोन्स्टीट्यूशन की जो मंशा है उसका हम दुरुपयोग करते हैं। 213 आर्टिकल हैं। आर्टिकल में भी क्लीयरली यह कहा गया है कि इसको विशेष परिस्थितियों में ही काम में लाया जाय। ऐसी कौनसी विशेष परिस्थिति थी ? अगर एक महीने के बाद उन केसेज का डिस्पोजल होना शुरू होता तो क्या कठिनाइयां पैदा हो जाती ? यद्यपि यह कानून जन हित के लिये भी है, आवश्यक भी है परन्तु सदन जब 12 अगस्त को मीट कर रहा था तो नाइनटिंथ जुलाई को इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता नहीं थी और राज्य सरकार को चाहिये था कि जब कि वह कांग्रेस की सरकार है और जब हम डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स पर चलते हैं और सदन की प्रतिष्ठा को मानते हैं तो उसको ऑर्डिनेन्स का कम प्रयोग करना चाहिये और उसके रीजन्स बताने चाहिये थे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे रीजन बतायें कि यदि 19 जुलाई को ऑर्डिनेन्स नहीं निकालते और इसको असेम्बली में ही 12 अगस्त को प्रस्तुत कर देते तो क्या बडा भारी नुकसान हो जाता।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बिल पर ही बोलें तो अच्छा है क्यों कि ऑर्डिनेन्स पर तो कल बहस हो चुकी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऑर्डिनेन्स पर बताना भी आवश्यक है ।

बिल के सम्बन्ध में यह है कि जो भी अमेन्डमेन्ट रखें वह सारे के सारे एक साथ में रखने चाहिये । यह महसूस करते हैं आपकि जिस प्रकार से परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए इस सोसाईटीज एक्ट 1955 में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये । यह मंत्री महोदय भी महसूस करते हैं । सदन में शोभारामजी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी हुआ है । मैं यह चाहता हूं कि कमेटी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि जब सदन फरवरी में हो, उस समय जितने भी अमेन्डमेंट्स हों, रिकमन्डेशन्स हों, उनके आधार पर 75 का अमेन्डमेन्ट बिल प्रस्तुत करें ।

ये सोसाईटीज आज असफल हो रही हैं । श्रमिक सहकारी समितियां हैं या जितनी भी समितियां हैं वे अधिकांश असफल हो रही हैं । विधान सभा में प्रश्न पूछा था कि इन्डस्ट्रियल सोसाईटीज हैं उनके बारे में क्या स्थिति है तो बताया गया कि अधिकांश सोसाईटीज असफल हो रही हैं ।

इन सोसाईटीज के जरिये हम गरीबों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो हमें यह देखना होगा कि हम इसमें किस प्रकार से परिवर्तन करें, किस प्रकार से अमेन्डमेन्ट एक्ट को लाया जाय ताकि जो औद्योगिक समितियां हैं और अन्य समितियां हैं वह अच्छी प्रकार फंक्शन कर सकें । श्रमिक सहकारी समितियों के अन्दर बिलकुल दुरुपयोग किया गया है। एक ही फेमिली के मेम्बर बन जाते हैं । सोसाईटी कानून का तो उनको लाभ मिल ही जाता है, किन्तु जिस प्रकार एक इन्डिविजुअल कान्ट्रेक्टर काम करता है उसी प्रकार ये करप्शन करते हैं और सोसाईटी को बदनाम करते हैं ।

शुगर के बारे में भी यह हाल है । जो सोसाईटीज शुगर का धन्धा करती है, जो व्यापारी शुगर का धन्धा करते हैं मैं यह कहता हूं कि जो भी शुगर का धन्धा करें जो कन्ट्रोल का हो, वह ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता ।

एक माननीय सदस्य : सोसाईटीज खुद खा जाती हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : व्यापारी या कोई करे उसको कमीशन मिलता है, ट्रान्सपोर्ट चार्जेज मिलते हैं, मैंने पूरा हिसाब लगाया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई भी ईमानदार आदमी उस कन्ट्रोल रेट पर, उस ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज के आधार पर उस शक्कर का काम कर नहीं सकता और सोसाईटीज को यह कार्य सौंपते हैं उसका स्पष्ट मतलब यह है कि करप्शन को एन्करेज कर रहे हैं । बिना करप्शन के ये शक्कर का धन्धा कर नहीं सकतीं ।

गांवों में सोसाईटीज शक्कर का काम करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो अनाज का बहुत ही कम काम है और यह शहरों में ही है, वे सोसाइटीज बिलकुल करप्शन का काम करती हैं । इस प्रकार की सोसाइटी जिनमें करप्शन फैल रहा है, इस प्रकार की सोसाइटी कुछ व्यक्तियों की सोसाईटीज हैं, इस प्रकार की सोसाईटीज जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों की हैं उनके जरिये से हम किस प्रकार समाजवाद को ला सकते हैं यह सोचने का विषय है । इसलिये आवश्यक है और जरूरी है कि जब हम समाजवाद लाना चाहते हैं ।

(श्री वृद्धिशन्द्र जैन)

जब गरीबी को मिटाना चाहते हैं, जब आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो कोआपरेटिव मूवमेन्ट को हमको सुदृढ़ करना चाहिये और इसके लिये जल्दी से जल्दी नया कानून असेम्बली में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

अब प्रश्न उठता है चुनावों के बारे में। चुनावों के बारे में जिस प्रकार की धांधली बाजी इन संस्थाओं में चलती है वैसी धांधलीबाजी मैंने किसी में नहीं देखी। इन्सपेक्टर असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर चुनाव कराने चले जाते हैं। इफोर्मेशन नहीं देते कुछ लोग जाते हैं और चुनाव हो जाता है, कुछ को पता ही नहीं पडता है। इस प्रकार के चुनाव होते हैं वे बिलकुल फाल्स हैं। इसलिये चुनाव की प्रणाली के बारे में भी सोचने को बात है। कोओपरेटिव डिपार्टमेन्ट ही चुनाव कराना चाहता है तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये कुछ आधार सोचें। मैं तो यह सोचता हूं कि और मैंने गहराई से मनन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोओपरेटिव सोसाईटीज़ के चुनावों को भी इलेक्शन डिपार्टमेन्ट को देना चाहिये किन्तु ऐसी स्थिति न हो जाय कि जिस प्रकार पंचायतों के चुनाव को हुए 11 साल हो गये हैं उसी प्रकार इलेक्शन डिपार्टमेन्ट भी 11 साल तक इनके चुनाव न कराये और ये जो कोआपरेटर्स हैं अन्याय करते रहें तो इसके लिये भी समय चाहिये। समय पर अवश्य ही चुनाव करा दिये जाने चाहिये।

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस छोटे से संशोधन को ही लाकर वे संतोष न करें बल्कि एक कन्सोलिडेटेड बिल फार्म में इसे लावें। शोभारामजी की रिपोर्ट भी जल्दी लावें। उनकी सारी रिकमन्डेशन्स को मान कर फरवरी 75 के सेशन में इसको प्रस्तुत किया जावे।

श्री प्रजीतसिंह : (टोंक) : सभापति महोदय, इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के संबंध में मेरा भी संशोधन प्रस्ताव है। इसमें बहुत से अमेन्डमेंट्स होने चाहिए थे। काफी कन्सोलिडेटेड रूप में इसे सरकार लावे ताकि गरीब लोग जो इससे संबंधित हों उनको लाभ मिल सकें।

आज जब सरकार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चीनी, मिट्टी का तेल, कपडा अनाज आदि नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण कराना चाहती है तब इन पर कडा नियन्त्रण होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि यह भ्रष्टाचार का अड्डा न बन पावें। आज तो ये सही माने में भयंकर भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं जिनकी ऊपर तक भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई कठोर चैकिंग की व्यवस्था होती तो उत्तम था।

इसके साथ ही जो आजकल बडे बडे शहरों में कोआपरेटिव स्टोर्स, भण्डार या सुपर-बाजार खोल रखे हैं वे भी भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कलेक्टर का न वहां कोई दखल है। न रजिस्ट्रार का। इस भ्रष्टाचार के बारे में अधिक नहीं कहना ही ठीक रहेगा सब जानते हैं।

तो इन सब चीजों को देख कर इसे व्यापक बनाया जाना जरूरी है। और इसके लिये जनमत जानने के लिये इसे प्रचारित किया जावे यह मेरा कहना है।

श्री मीठालाल : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इसमें एक संशोधन प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। यह बात सत्य है कि यह 19 जुलाई, को अध्यादेश निकल गया। पर फिर भी ऐसी कोई जल्दी थी नहीं। विधान सभा के इस सत्र में भी इसे पास कराया जा सकता था।

आज की परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। यह सब मन्त्री महोदय और इस कानून की देखभाल करने वालों की नीयत पर निर्भर है। अगर मन्त्री अपने प्रभाव से इसका दुरुपयोग करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता उसको। अपील का अधिकार अधीनस्थ अधिकारी को दिया जा रहा है। वे कोई आई. ए. एस. के स्तर के अधिकारी नहीं तो उन पर दबाव लाकर इस अधिकार का दुरुपयोग करा सकते हैं, जैसा आज भी चल रहा है और धडल्ले से चल रहा है। इसलिये नीयत ठीक रहेगी और इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा इसको तो अधिक आशा करके नहीं चला जा सकता। आखिर तो आज भी तो वे ही लोग हैं जो प्रभाव डालते चले आ रहे हैं। इस दृष्टि से मैं इसका विरोध करता हूं।

जहाँ तक भ्रष्टाचार, गबन और घोटालों का प्रश्न है, मैं समझता हूं, अन्य किसी भी विभाग में इतना नहीं होगा जितना इसमें है।

प्रारम्भ में इस विभाग को जिस नीयत से बनाया गया था इसकी नींव रखी गई थी वह अच्छी थी पर आज तो स्थिति यह है कि इसकी चर्चा करते हुए भी शर्म सी महसूस होती है। आज यह स्थिति है कि हजारों लाखों के गबन घोटाले इसमें हर रोज हो रहे हैं न दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का या उनसे तत्काल प्रभावी रूप से वसूल करने का भी कोई प्रभावी कानून या प्रावधान इसमें नहीं है। आज किसी भी सोसायटी को किसी भी पैसे के लेन-देन के मामले को ले लीजिये सब में हजारों लाखों का घोटाला स्पष्ट नजर आवेगा।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय यह बिल पारित हो तब तक के लिये बढा दिया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय बढा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढाया गया।

श्री मीठालाल : जो ऋण बकाया है ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों में है कि जिनसे वसूल करने में सरकार स्वयं असमर्थ है।

आज जो सोसाइटियाँ बनती हैं उनकी प्रारम्भ में ही यह नीयत रहती है कि बेई-मानी से किसी तरह से सरकार का पैसा खाया जाये। उनकी नीयत सहकारिता की तरफ नहीं रहती। यह इसलिये कि जानबूझ कर इस कानून को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे रुपया आसानी से हड़पा जा सके। इसमें वसूली का कोई प्रभावशाली तरीका नहीं है। आज तक भी किसी भी प्रभावशाली आदमी से ऋण वसूल नहीं किया जा सका है। एक भी ऐसा नमूना नहीं मिलेगा जिसको पाँच पचास हजार लाख रुपया मिल गया उसने अपने बाप का समझ कर खा लिया। इस

(श्री मीठालाल)

के बाद एक प्रतिशत के भी खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं कर सकी है। क्यों भी क्यों? ज्यादातर तो बकाया ऐसे व्यक्तियों में हैं जो सत्तारूढ़ को वोट के समय साथ देते हैं। तन, मन, धन से उनको सहयोग देते हैं। गांव में वे उनके आगे पीछे घूमते हैं। अब उनके खिलाफ बेचारा मन्त्री कैसे क्या एक्शन ले सकता है। मन्त्रीजी को भी दसों तरह की सिफारिशें सुननी पडती हैं। ऐसी स्थिति में जब तक आप ऐसा कुछ व्यापक वसूली कानून नहीं बनावेंगे तब तक इसका काम ठीक से नहीं चल सकता, यह लूट रुक नहीं सकती। वसूलियां हो नहीं सकतीं। और जब तक यह नहीं होगा सहकारिता के नाम पर आज जो कलंक लगा है वह कलंक का टीका कभी मिट नहीं सकता। इसकी जिम्मदारी मन्त्रीजी की है और इस राज्य सरकार की है।

मैं एक दिलचस्प वाकया सुना कर अपना कथन समाप्त करता हूं धौलपुर बाडी की एक समिति में 60 से गबन करना लोगों ने प्रारम्भ किया बहुत छोटे पैमाने पर बहुत थोडी-थोडी रकम का डरते-डरते। उन्होंने जैसे-जैसे देखा कि उन गबन करने वालों का कुछ नहीं बिगड रहा है, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला इस विभाग में है ही नहीं, तो उसी अनुपात में लोगों की हिम्मत बढती गई और उसी अनुपात में गबन की राशि भी बढती गई समय के साथ-साथ और चलते-चलते, 70–71 की मुझे मालूम है, यह राशि लाखों तक पहुंच गई और इसमें बहुत बडे-बडे आदमी सम्मिलित हो गये। जहां 60–61 में सैकडों से यह गबन प्रारम्भ हुआ वहां 70–71 तक पहुंचते-पहुंचते लाखों पर पहुंच गई यह राशि। सीधी सी बात है। सरकार की ओर से कार्यवाही जब पहले मामले में नहीं हुई तो रोग बढता गया, उनकी हिम्मत बढती गई।

इसी तरह सवाई माधोपुर जिले की मिसाल दूं। वहां यह गबन की राशि 91 लाख 70 हजार तक है। पन्द्रह लाख की राशि तो ऐसी है जिसका कोई रिकार्ड ही कहीं नहीं मिलता। एक कागज का टुकडा तक नहीं रखा उन लोगों ने सबने ऊपर से लेकर नीचे तक आपस में मिल कर यह कार्यवाही की। उन्होंने तो इसे अपनी बपौती समझकर डकार कर बैठ गये। उन्होंने अपने बाप का माल समझ लिया। आपने उनको खुली छूट दे रखी है। यही हाल सभी जिलों में है।

सभापति महोदय, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, प्रधान, प्रमुख, एम.एल.ए. उनकी बात छोडिये मिनिस्टरों में से भी कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ भी इन सहकारी संस्थाओं की रकम के गबन घोटालों के केस हैं। आप पहले उनके खिलाफ तो कार्यवाही कर लीजिये। दूसरों पर अंकुश लगाने के लिये बैठे हैं पहले आप अपने बारे में कुछ कर लें, अपने बारे में भी कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों के खिलाफ क्या कर सकते हैं। यह हर कोई जान सकता है, किसी से छिपा कुछ नहीं है।

वास्तव में अगर आप जनता को इनसे बचाना चाहते हैं सहकारिता के नाम को बट्टा नहीं लगाना चाहते, इसके द्वारा गरीब किसानों को वास्तविक रूप से राहत पहुंचाना चाहते हैं तो आप सहकारिता के नाम पर भविष्य में आप तब तक एक भी पैसा मत दीजिये जब तक कि पुरानी एक-एक पैसे की वसूलियां न हो जायें और गबन और घोटाले के सारे केसों में निर्णय न हो जाय

(श्री हीरालाल)

आज यह स्थिति है कि जिनके लाखों बकाया है उन्हीं की तरफदारी करके उनको आगे भी ऋण दिया जा रहा है। इसके लिये रास्ता यह निकाल लिया है कि नये ऋण की राशि स्वीकृत करके उसमें से पिछले ऋण की किश्त और व्याज की रकम काट देते हैं और कर्ज प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोगों को मरे हुए बीस-बीस साल हो गये पर फिर भी उनके नाम से ऋण लेकर लोग हड़प गये हैं। इसके विपरीत जिन गरीबों के नाम पर ऋण लेकर जो ऊपर वाले और पहुंच वाले लोग खा गये उन ऋणों को वसूली उन गरीब किसानों से हो रही है जिन्होंने वास्तव में ऋण का एक पैसा नहीं लिया। सत्ताधारी और प्रभावशाली नेता लोगों के ये काले कारनामें हैं।

तो आप जब तक ऐसा कोई सक्षम कानून न बनायें जिससे कि ऐसी हरकतें करने वालों पर तेजी से और शीघ्रता से तुरन्त कदम उठाये जावें, सख्त एक्शन लिया जाय, कानून की गिरफ्त में लेकर जेलों में न भेजा जावे तब तक यह कोआपरेटिव सोसायटी का मरा मुर्दा जी नहीं सकता।

फिर आप यह भी करें कि हर माह की वसूलियों को इतला आप लेते रहें। यह भी दें कि नीचे वालों ने आपके आदेशों की किस सीमा तक पालना की। यह आपने नहीं किया तो यह विभाग सरकार को तो ले ही डूबेगा साथ ही साथ जनता की गाढी कमाई का पैसा अपने बाप की बपौती समझ कर वे खाते रहेंगे और जनता उनको रोती रहेगी।

श्री रतिराम यादव: सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1974 के लिये मैंने अपना एक संशोधन प्रस्ताव रखा है इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संबंध में।

सबसे पहले तो प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पडी? मैं समझता हूं कि बजाय इसको यहाँ लाने के आप इसकी गहराई में जाते कि आखिर यह अपीलें जो रजिस्ट्रार महोदय के पास इकट्ठी होती हैं इसका कारण क्या है? अगर इस विभाग में दूसरे विभागों की तरह से धांधली बाजी चलती रही तो इसका उद्देश्य विफल हो जावेगा।

सभापति महोदय, इस सहकारिता आन्दोलन को जब प्रदेश के स्तर पर ही नहीं सारे देश के स्तर पर लिया गया तो इसके पीछे एक भावना थी कि इस सहकारिता के आन्दोलन के द्वारा जो हमारे समाज में गरीब तबका है जो छोटे छोटे लोग हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनका सामाजिक स्तर ऊपर उठे। इसी आधार पर इसका कानून देश भर में बना। जगह जगह सहकारी समितियों का जाल फैला।

सभापति महोदय, इसी भावना से प्रेरित होकर हमने भी अपने जिले में एक सहकारी संस्था खडी की। राजस्थान सरकार ने भी कानून बनाये जिनके अनुसार जगह जगह सहकारी समितियां बनीं, क्रैडिट सोसायटियां बनीं, इण्डस्ट्रियल क्रैडिट सोसायटियां भी बनीं, जिनके अन्तर्गत कई जगह डेरी फार्म बने। क्रय विक्रय सहकारी समितियां बनीं और अच्छे स्तर पर सारे काम चालू किये। अब उनको सब कर्जा कहां से मिले तो इसके लिये सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और

(श्री मंटालाल)

उनकी शाखाएं भी खुलीं। इसके अलावा किसानों को उनकी भूमि गिरवी रखकर लोन देने के लिये भूमि विकास बैंक और भूमि बन्धक ऋण दात्री बैंक बनाये। इसी तरह से हमने अपना क्षेत्र और बढाया सहकारी आधार पर मकान बनाने के लिये हमने हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटियां भी बनाई जिनसे छोटे आय वाले लोगों को भी मकान मिल सके।

अब इस सारे ढांचे के नीचे काम किस तरह से चला और आज किस शक्ल में वह चल रहा है वहां क्या हो रहा है इसका मुझे खुद को बडा कडुआ अनुभव है। मैंने इसमें काम भी करके देखा है।

जिस समय जिला स्तर पर जिला सहकारी संस्था का निर्माण किया गया तो उस समय हमारे अलवर जिले में यह काम हमारी पार्टी के लोगों के पास आया। मैं वहां उस समय इस संस्था के मन्त्री पद पर काम करता था। हमारी पार्टी के असेम्बली ग्रुप के नेता रामानन्दजी अग्रवाल उसके अध्यक्ष थे। उस समय हमें कडुआ अनुभव हुआ कि इस आन्दोलन में गडबडियां, गबन-घोटाले आदि होते हैं यह विकार उस समय प्रारम्भ ही हुआ था जो बढते-बढते आज इतना व्याप्त हो गया है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह इस सारे ढांचे के लिये एक संक्रामक रोग होगा और इस सारे ढांचे को ही ले डूबेगा। उस समय तो फिर भी कुछ कुश हम लोगों ने अपने निजी स्तर पर रखा। इन के मार्फत बहुत अच्छी दाद में गरीब लोगों को पैसा ऋण के रूप मिलता था और उसका एक सीमा तक बहुत अच्छा उपयोग भी होता था, उगाही भी होती थी, सारा काम ठीक ढंग से चल भी रहा था। पर धीरे धीरे स्थिति बदलती गई और आज तो वह स्थिति आ गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। और चूंकि जिला सहकारी संस्थान सारी सोसाइटियों का एक संगठन होता है इसलिये हमारे कार्यालय के अन्दर, सहकारी संस्थान के कार्यालय के अन्दर, सोसाइटियों की अनेक इस तरह की शिकायतें बार-बार आती थीं कि जिनका निपटारा व्यक्तिगत तौर से सोसाइटियों में जा जा कर करना पडता था तो हमको यह देखने को मिलता था कि जिस उद्देश्य को लेकर सहकारी समितियां बनाई, छोटे लोगों की हालत सुधरे और उनको कम ब्याज के ऊपर पैसा मिले उसका दुरुपयोग सब जगह देखने को मिला। जितनी भी सोसाइटियां हैं, मैं कह सकता हूं कि उस समय तो अलवर जिले के अन्दर सारे राजस्थान के पैमाने पर सबसे अधिक कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं, जो राजस्थान के दूसरे जिलों में कहीं भी नहीं थीं और आज भी स्थिति वैसी ही करीब-करीब है। लेकिन हमने देखा और प्रैक्टिकल देखा, सोसाइटियों में जाकर देखा कि अधिकतर सोसाइटियां डिफंक्ट पडी हैं। केवल पेपर सोसाइटीज हैं और बाकी उनमें लेना देना कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन सोसाइटीज के अन्दर वास्तविक रूप में जिनको मेम्बर होना चाहिए था, जिन गरीब लोगों जो आर्थिक रूप से कम आमदनी वाले लोग थे को सदस्य बनाया जाना चाहिए था, उनको थोडे ब्याज पर पैसा मिल कर उनका विकास होना चाहिए उसके बजाय गांवों और शहरों के अन्दर [illegible] सोसाइटियों में ऐसे-ऐसे लोग घुस आये कि उनके पास बडी बडी पूंजी थी।

(श्री मीठालाल)

गांवों के अन्दर जो सूदखोर हैं और जो अपना पैसा ब्याज के ऊपर चलाते हैं ऐसे लोग सोसाइटियों के अन्दर अधिकारी बन बैठे, सदस्य बन बैठे और यहां तक देखने को मिलता है कि पैसा गरीबों के नाम पर मिला और आज लोगों को पता नहीं लगता है कि कितना पैसा किस समय सोसाइटियों को बैंक से मिला और कब उस सोसाइटी ने बैंक को पैसा वापिस दिया। यहां तक हालात देखने को मिलते हैं कि यही पता नहीं लगता कि कब लोन मिलता है और कब वापिस किया जाता है। और उसका तरीका यह है कि उस सारे पैसे को इसी तरह के लोग ले आते हैं, उनके नाम से झूठे दस्तखत भी बना लेते हैं क्योंकि अधिकतर लोग गांवों में अनपढ़ मिलते हैं जो अंगूठा टेक देते हैं और धोखा देने में तो लोग बहुत माहिर हैं—वह हाथ के ही नहीं बल्कि पैरों की उंगलियों के निशान लगा देते हैं जिसकी आज तक इन्क्वायरी किसी भी स्तर पर नहीं हुई क्योंकि जो नौकरशाही राज्य सरकार ने स्थापित कर रखी है उससे इस तरह के लोग मिले हुए होते हैं और उनकी सांठ-गांठ होती है। उस आधार पर वह लोग अपना बिजनेस चलाते हैं क्योंकि सहकारी विभाग से बहुत कम रेट पर पैसा मिलता है और जो गांवों के अन्दर लोग सूदखोर हैं वह खुद किसानों के नाम पर पैसा बैंक से ले आते हैं और उन्हीं को दे देते हैं और उन्हीं लोगों से तिगुना और चौगुना ब्याज ले लेते हैं फसल आने पर इसी प्रकार से जो सहकारी समितियां उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी, जिनके लिए इतना बडा भारी पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना बडा डिपार्टमेन्ट राज्य सरकार ने बनाया हुआ है उसका नतीजा इस रूप में देखने को मिलता है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सहकारी आन्दोलन के पीछे तो बहुत पवित्र भावना है जिसके आधार पर इसको स्थापित किया गया सही माने में वह बात तो सही है और उस आधार के ऊपर अगर हम अच्छे ढंग से इसको चलायें तो समाज का बहुत बडा हित हो सकता है। जो समाज के अन्दर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछडे हुए हैं उनकी उन्नति हो सकती है, उनका विकास हो सकता है लेकिन उसका परिणाम एकदम विपरीत देखने को मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो अमेन्डमेन्ट इसमें लाया गया है उसके बजाय उन चीजों की पकड होनी चाहिए। ईमानदारी तो इस बात में है कि राज्य सरकार या इस विभाग के मन्त्री महोदय इस बात के ऊपर अपनी तवज्जोह लगायें यदि वह सचमुच गरीब जनता का हित करना चाहते हैं, यदि वह ग्रामीण दलित वर्ग का हित करना चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं तो आज उनके विभाग के अन्दर जो घोटाले हैं, जो जगह-जगह भारी गबन की शिकायतें हैं, उसके कारण इतनी अपीलों का ढेर रजिस्ट्रार महोदय के पास है। वह कोई और अपीलें नहीं हो सकती और मैं जहां तक समझता हूं मुझे

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

ज्ञान है उन सोसाइटियों में झगडे हैं और केवल इसी बात के हैं कि जिन गरीबों के लिये सोसाइटियों का निर्माण हुआ उनको सही माने में वक्त पर कर्जा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता दूसरा सामान जो आज सहकारी समितियों के माध्यम से मिलता है वह जनता को उपलब्ध नहीं होता इसलिए सोसाइटीज में झगडे हैं और उन झगडों के आधार पर अपीलें रजिस्ट्रार

(श्री मीठालाल)

महोदय के पास पहुंचती है; इसलिए इन चीजों की गहराई में जाना चाहिए और उनका इलाज सोचना चाहिए । वह इलाज यही हो सकता है कि एक इस तरह की व्यवस्था वह अपने विभाग के अन्दर करें कि जिसके आधार पर जो इस तरह की शिकायतें आयें उनका निपटारा किया जा सके और जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायें उनको उचित दण्ड दिया जाये । जो आज तक देखने में नहीं आता है । इसलिये मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है इसको तो जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये लेकिन जो इसमें खामियां हैं उनके प्रति आंख बन्द नहीं की जाये और उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाये । उन बातों की भी पकड़ की जाय जिससे सहकारी आन्दोलन, जो अच्छी निगाह से देखा जाना चाहिए, आज दुर्भावना से देखा जाता है । मुझे खेद होता है कि इतनी पवित्र चीज को गिरी निगाह से देखा जाने लगा है सिर्फ करप्शन के कारण । तो मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और विशेष रूप से इस विभाग के मन्त्री महोदय की जिम्मेदारी है कि इस कलंक के टीके को वह अपने विभाग से शीघ्र से शीघ्र धो डालें ।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: सभापति महोदय, आज जो सहकारी आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाला विधेयक है उसके ऊपर मैंने भी एक अमेन्डमेन्ट मूव किया है ।...

(5.18 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन)

जो अमन्डमेन्ट चाहा गया है वह कोई बहुत इम्पोरटेन्ट नहीं है और उसकी कोई मुखालफत भी नहीं की जा सकती लेकिन इस सिलसिले में जो मुझे निवेदन करना है वह यह है ..

सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

मैं सदन को सूचना देता हूं कि सदन की कार्यवाही के मध्य में क्रमशः अपराह्न लगभग 2.44 और 3.10 बजे दर्शक दीर्घा से रमेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर उम्र 25 वर्ष एवं केदार नाथ पारीक पुत्र मदनलाल पारीक उम्र 37 वर्ष ने नारे लगाये और पर्चे फेंके, नारे इस प्रकार के थे "इन्कलाब जिन्दाबाद, चोरी का माल बरामद करो ।"

इन दोनों व्यक्तियों को मेरी आज्ञा से तुरन्त ही प्रहरियों द्वारा अपनी सुरक्षा में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की गई । उनके बयान अभिलिखित किये गये । इन से श्री केदारनाथ पारीक ने गत सत्र में दि 7-11-73 को इसी प्रकार से दर्शक दीर्घा से नारे लगाये थे और पर्चे फेंके थे परन्तु इसके द्वारा खेद व्यक्त करने व क्षमा याचना करने से क्षमा कर दिया गया था । उनके कथनों से मालूम होता है कि वे किसी चोरी की तफतीश की कार्यवाही की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और दोनों ही रिश्ते में भाई हैं तथा अपनी कठिनाइयों को सदन के समक्ष रखना चाहते थे । उन्होंने यह बताया कि उनकी मन्शा सदन का अपमान करने की नहीं थी और वे अपने इस कृत्य पर खेद प्रकट करते हैं, सदन से क्षमा याचना करते हैं ।

मैं चाहता हूं कि सदन इस विषय पर उचित निर्णय ले ।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यदि उनके घर पर चोरी हुई थी तो चोरी के लिए उनको राज्य सरकार के पास में जाकर चारा जोरी करनी चाहिए थी, गृह मंत्रीजी से मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं करके सदन के प्रांगण का उपयोग करके

(श्री खेतसिंह)

उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली है और इसके लिए मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको श्री रमेशचन्द्र शर्मा और श्री केदारनाथ पारीक कहते हैं, जिन्होंने आज अपराह्न दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और पर्चे फेंके, जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।"

"यह सदन आगे संकल्प करता है कि श्री रमेश चन्द्र शर्मा को आज सदन की बैठक समाप्त होने तक और श्री केदारनाथ पारीक को कल दिनांक 14 अगस्त, 1974 तक के लिये साधारण कैद की सजा दी जाय और जेल भेजा जाय।"

श्री मोहम्मद गफ्फार (हरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम यह गुजारिश करेंगे कि यह छोटा वाकया है जिसको यह गम्भीर बताते हैं। इसमें तो कोई शुबाह नहीं है कि हमारी कुछ परम्परायें हैं, कुछ सीमायें हैं और उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिये और उनका पालन किया जाना चाहिये और इसमें किसी को कोई एतराज भी नहीं करना चाहिये उन तमाम कानूनों का जो इस सिलसिले में बनाये गये हैं। यह भी मानते हैं कि जो चीफ व्हिप साहब ने थोड़ा बहुत सुझाव रखा है कि एक व्यक्ति को इस सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक की सजा दी जाय, इसको मैं उचित मानता हूं, यह बहुत कठोर नहीं है। लेकिन दूसरे को प्रिवियस कन्विक्शन की वजह से एक आधार बनाया गया, उसको मैं गलत मानता हूं। इसलिये कि पहले के हालात और परेशानियों से जो गुजर रहे थे उससे कहीं ज्यादा कठिनाइयों से आज गुजर रहे हैं। जब हम उन सब वजूहात को मद्देनजर रखते हैं तो वे लोग जो आज बेरोजगार हैं, परेशान हैं, चोरी की रिपोर्ट कराने जाते हैं तो सबसे पहले जो लोग यह कहते हैं कि हम हमारे योग्य सेवा करेंगे वे ही सबसे पहले कम्प्लेनेंट के चांटा रसीद कर देते हैं या उसके साथ इस किस्म का व्यवहार करते हैं कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि रिपोर्ट लिख कर दे। शायद मंत्री महोदय का इतफाक इन थानों में जाने का और पुलिस स्टेशन जाने का नहीं पड़ा होगा। मंत्री महोदय तक पहुंचने की बात तो अलग है, मैं मानता हूं कि उनको प्रोपर वे से परस्यू करना चाहिये था, मंत्री महोदय के पास पहुंचना चाहिये था लेकिन मंत्री महोदय तक पहुंचने का तब फायदा हो जब कि पुलिस के छोटे अधिकारी हैं, जो थाने पर बैठे हैं वे उनकी सुनवाई करें, उनको उचित राहत दें, मदद दें। माननीय अध्यक्ष, अर्ज करना यह है कि यह कहना कि वह यह करता, वह करता, आप इस सदन में बैठ कर इस चीज को तय नहीं कर सकते और जो कठिनाइयां हैं, जितनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जो चोरियां बरामद नहीं होतीं, माल गायब हो जाता है और इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे अगर कोई नौजवान बच्चा प्रभावित होकर प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ कहता है और उसके साथ-साथ वह यह भी कहता है कि हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जो एक आदमी को सजा दी गई है उसी सीमा तक दूसरे को भी महदूद रखी जावे और उसको भी यह आज की जो बैठक है, जिसमें हम भी कैद हैं, वह भी कैद रहे, कोई हर्ज नहीं है, इसको रखा जावे और यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा।

श्री राम नारायण चौधरी : आप कैद कैसे हैं ?

श्री लूणा राम : सदन कैद नहीं है। आप कैद होंगे।

श्री मनोहर लाल : कोई गल्ती नहीं की है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कोई अपराध किया या नहीं....

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : हम कैद हैं तो आप जमानत पर रिहा हैं।

श्री लूणाराम : हमारी जमानत की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पर्चे फेंकने में युवकों का अपराध नहीं है। इनसे भी संगीन अपराध मौजूदा हालात में हो रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं और मैं चाहूंगा कि इसमें यह सिर्फ रख दिया जावे कि आज की बैठक तक ही सजा देना काफी है, कल तक का कोई सेंस नहीं है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : एक अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष : आप पीछे कह दें।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : अपराध किया है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन जैसा कि कहा गया है, दोनों को एक समान ही ट्रीट किया जावे।

श्री गुमान मल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा और सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चले और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो इसमें समस्त सदस्य इस ओर या उस ओर बैठने वाले, सारे ही दल के माननीय सदस्यों के विचारों में कोई किसी प्रकार का अन्तर नहीं है और इस कारण से, अध्यक्ष महोदय, आज दो व्यक्तियों ने व्यवधान उपस्थित किया सदन की कार्यवाही के अन्दर, यह निश्चित रूप से जो संसदीय परम्परायें हैं उनके अनुकूल नहीं है। इसके साथ में एक मानवीय पहलू है, अध्यक्ष महोदय, जिसको ओर भी हमें ध्यान रखना होगा। आज इन दो व्यक्तियों ने किसी भी राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर के अथवा सदन के कार्य में व्यवधान उपस्थित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने चोरी के मामले में लम्बे समय तक छानबीन न होने के कारण एक दुःख, एक टीस, एक वेदना रखी। और विधान सभा के प्रांगण में यदि इस प्रकार की घटना हुई तो हमें राहत मिल जाएगी, हमारी चोरी का माल बरामद हो जाएगा, पुलिस एक्टिव हो जाएगी, पुलिस जोरों से जांच करेगी और सालों से जो मामला पडा हुआ है उसमें हमारा माल किसी प्रकार से बरामद होकर हमें वापस मिल सकेगा, इसी भावना से प्रेरित होकर यह कार्य किया है। साथ में, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करूंगा कि यह भी एक प्रश्न विचारणीय है कि उन्होंने आपके सामने क्षमा भी मांग ली और इस कारण से यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा किसी प्रकार का इरादा नहीं था कि सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की रुकावट या व्यवधान पैदा करें या सदन का अपमान करें। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस मानवीय पहलू को भी हम अपनी आंख से ओझल न करें। आज के युग में जो समस्यायें हमारे साथ में लगी हुई हैं और आम जनता के साथ में लगी हुई हैं उन समस्याओं का कहां पर जाकर निराकरण होगा यह प्रश्न-वाचक चिन्ह हमेशा बना रहता है। और इस कारण से यहां भी सदन में इस प्रकार की समस्याओं को लाकर के व्यवस्थित रूप से रखा जाता तो वह उचित होता। परन्तु मेरा निवेदन है कि इस सारी परिस्थिति के अन्दर उदार मनोवृत्ति से काम लिया जाय। आपने एक व्यक्ति के लिए आज सदन के उठने तक की सजा का सुझाव दिया है उसको स्वीकार कर लिया जाय और

(श्री गुमानमल लोढा)

दूसरे व्यक्ति के बारे में भी मेरा निवेदन है कि जो आपने दो दिन का रखा है कल तक का, उसकी जगह एक दिन का प्रावधान उसके लिए भी रख दिया जावे और इसके साथ ही जो समस्या उनकी है उस समस्या का समाधान भी करवाने का प्रयत्न मंत्री महोदय, राज्य मंत्री गृह, जो पुलिस से सम्बन्धित हैं, करें तो मैं समझता हूं कि आज जो व्यवधान उपस्थित हुआ है उसका निराकरण भी हो जाएगा और सदन की गरिमा और मान मर्यादा भी साथ में रह जाएगी।

श्री केशरी मल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से बोल चुके हैं।

श्री केशरी मल : कुछ अलग से बात कहना चाहूंगा, दो मिनिट में।

माननीय अध्यक्ष, यह कहा गया है अभी कि दो युवकों ने कुछ पर्चे–वर्चे फेंके और पर्चे फेंक कर युवकों ने सदन की गरिमा को तोड़ा है और इसलिए इन दो युवकों में से एक को तो आज सदन के उठने तक और एक को कल तक के लिए सजा दी जाय। जहां तक एक आदमी को आज शाम तक सदन उठने तक की सजा दी गई है वह तो मैं स्वीकार करता हूं। इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए, अगर कोई ऐसा कार्य करता है, तो जरूर उस आदमी को इस तरह की सजा मिलनी चाहिये। दूसरे व्यक्ति के बारे में जिन लोगों ने अभी कहा है मैं उससे सहमत हूं, उस पर विचार करना चाहिये और उसके बाद आज मेरी दलील, अध्यक्ष महोदय, यह है, मेरा कहना यह है कि इस आदमी ने थोड़े अर्से पहले इसी सदन के अन्दर पर्चे फेंके और पर्चे फेंक कर नारे लगाने के पीछे उसकी मंशा यह थी कि उसके साथ जो ज्यादती हुई है, माल बरामद नहीं हो रहा है उसकी ओर पुलिस का ध्यान दिलाया जावे, सरकार का ध्यान दिलाया जावे। इस बात पर सदन के लोगों ने उस वक्त बड़ी हमदर्दी पूर्वक विचार किया, यह सोचा गया था कि जरूर गलती है, इसलिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि ध्यान आकर्षित करना कोई बदनीयती नहीं है इसलिये उसको मेरे ख्याल से माफी मांगने पर छोड दिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जिसने पहले भी सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उस पर ज्यादतियां हो रही हों, अन्याय हो रहा हो उसी व्यक्ति ने यह कोशिश की है, डबल जुर्म किया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उन लोगों का जुर्म है, उस विभाग की गलती है जो उसको राहत नहीं दे सके। लगातार वह व्यक्ति पीडित रहा और अपनी बात को दुबारा इस सदन में आकर रखने की कोशिश की है और इस कार्य के लिये वह सजा भुगतने को भी तैयार हो गया है। मेरी दलील यह है कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिये जिन्होंने कि उसकी पीडित आवाज को नहीं सुना और असेम्बली में भी यह मसला उठा। मैं जानना चाहता हूं कि संबंधित मंत्री महोदय ने क्या किया? मुख्य सचेतक ने उस समस्या पर क्या रुख अपनाया? क्या उन्होंने इस मसले की इन्क्वायरी कराई? वस्तुतः इस मामले के असेम्बली में उठने के बाद उस व्यक्ति को पहुंचाई गई? सदन के अन्दर जोखिम लेने के बाद, अपनी जान को खतरे में डालने के बाद

(श्री केशरी मल)
भी उस व्यक्ति को राहत नहीं मिलती है तो राजस्थान की पुलिस की ज्यादतियां और बढेंगी और उनके भ्रष्ट कार्यों का कोई पर्दा-फाश नहीं कर सकेगा । और न कोई दुखी राहत प्राप्त कर सकेगा । यह सदन की आंख खोलने के लिये बहुत बडी बात है कि जिसने दुबारा ऐसा जुर्म किया है फिर भी उसको राहत नहीं पहुंचाई गई । कडी से कडी सजा तो उन लोगों को देनी चाहिये जिन्होंने कि उसकी सुनवाई नहीं की है । जैसा कि यह प्रश्न, यह प्रस्ताव मुख्य सचेतक महोदय ने उठाया है, इसलिय है कि सदन की गरिमा बनी रहे परन्तु इसके दूसरे पहलू को भी इसके साथ साथ देखा जाना चाहिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, वह इसलिये रखा है कि उससे इस सदन की गरिमा बनी रहे और आपकी अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही में किसी तरह का व्यवधान न हो और सभी माननीय सदस्यों को आपनी राय स्वतन्त्रतापूर्वक जाहिर करने में किसी प्रकार के व्यवधान का सामना न करना पड़े। इसके आधार पर उन्होंने तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचेतक महोदय ने इस प्रस्ताव को रखा है । मूलतः वह ठीक है लेकिन जिन परिस्थितियों में जुर्म किया गया है, उसकी नेचर; चूंकि वह जुर्म विधान सभा में, हाउस में, किया गया है उस लिहाज से गंभीर है। लेकिन जिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर जुर्म किया गया है उसके पीछे उसकी नीयत सदन का अपमान करने अथवा सदन की कार्यवाही में किसी तरह से विघ्न पैदा करने अथवा किसी तरह से अपमानित करने की बिल्कुल नहीं थी बल्कि अपनी दर्द भरी अवाज को इस सदन के अन्दर, जो कि राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि राजस्थान के लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने की बात करता है, उनको सुख-सुविधा और जन धन को सुरक्षा की गारन्टी दिये जाने की बात करता है, इस सदन को वह अपने अधिकारों के लिये संरक्षक के रूप में समझता है, अपनी बात को पेश किया और इस संदर्भ में खास तौर से इस बात पर गंभीर मसला बनता है कि जिस व्यक्ति ने एक बार अपनी बात, आवाज यहां पर उठायी है उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है । मेरे से पूर्व के वक्ता ने जो बात इस संबंध में यहां पर उठायी है उससे सहमत होते हुए भी यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ सजा एक दिन, दो दिन की दें उससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है । मैं इसके लिये हिमायत नहीं करूंगा कि सजा कितनी मिले । परन्तु मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो पीडित लोग हैं जिनके साथ पुलिस वाले ज्यादतियां करते हैं, उस पर सरकार क्या एक्शन लेने का विचार रखती है । पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन सरकार लेगी ? इस आफेन्स में पुलिस भी एक भागीदार है क्योंकि सुनवाई न होने के कारण मजबूर होकर वह इस सदन में आया है । यह उसकी मजबूरी थी तो उस विभाग के खिलाफ क्या एक्शन लेने का आप सोचते हैं ? आपका यह लोक शासन है इसमें पुलिस का क्या यही माकूल इन्तजाम है जो जन धन की रक्षा नहीं करती है । आप इसकी सजा के साथ यह क्लाज भी जोड़ दीजिये कि विदिन 15 डेज इसकी चोरी बरामद होगी और बरामद नहीं हो सकी तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी । उनके ऊपर भी किसी प्रकार का एक्शन लिया जाय, यह तो मैं

(श्री मूल चन्द सामरिया)

वाजिब समझता हूं वरना जुर्म की जड़ खतम नहीं होगी। मर्ज का सही निदान नहीं होगा और बरकरार बना रहेगा। इसलिये मैं पूर्ववक्ता की बात का समर्थन करता हूं। 24 घंटे, 48 घंटे या साधारण कैद की सजा भुगतने के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं निकलता है तो यह विचारणीय प्रश्न है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन परिस्थितियों को भी देखा जाय बल्कि हमें दया आनी चाहिए कि पहले भी इस व्यक्ति ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और उसके बावजूद भी यह निकम्मी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकी और फिर मजबूर होकर यह एक्शन करना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के उठने तक सजा दी जाय और इसके साथ ही पुलिस को वारनिंग दी जाय कि इतने पीरियड में इसकी चोरी बरामद की जाय। अगर उसकी समस्या हल नहीं हुई और उसने आत्महत्या कर ली तो उसका दोष इस विधान सभा को होगा।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव दिया है और उसमें सजा की जो तजवीज की है वह बिल्कुल उपयुक्त है। एक को सदन के उठने तक की सजा है और दूसरे को कल तक के लिये सजा है। दूसरे व्यक्ति को इसलिये सजा ज्यादा दी गई है कि वह पहले भी इस तरह की कार्यवाही इस सदन में कर चुका है। विपक्षी सदस्यों का यह कहना है कि चूंकि उसकी सुनवाई नहीं हुई इसलिये उसे बाध्य होकर ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या गारन्टी है कि उसके साथ ही अन्याय हुआ है? दूसरा पक्ष भी होगा। हो सकता है कि यह सच्चा होगा। परन्तु यह तरीका दूसरा व्यक्ति भी अपनावे और यह झूठा हो। तो आपको हमको इस बात की जानकारी नहीं है। हो सकता है कि यह सच्चा हो किन्तु यह कोई गारन्टी नहीं हो सकती है। पहले सुनवाई नहीं हुई तो दूसरी दफा भी यह रास्ता अपना लिया, यह उचित नहीं है। पहले आ गया। सुनवाई नहीं हुई तो दूसरी दफा आ गया। इस तरह से 10।20 या 30।40 व्यक्ति और आ जायेंगे। तो यह बात नहीं चल सकती है। यह जरिया नहीं है। अगर कोई खराबी है तो सरकार देखे। शिकायतें आती रहती हैं यह उसका इलाज नहीं है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके अन्दर कुछ शब्द अटपटे से हैं। एक जगह 'घोर अपराध' है और सजा है एक दिन की। 'घोर अपराध' और सजा यह? इसलिये इस शब्द को विलोपित कर देना चाहिये 'घोर' को और बाकी यह संकल्प ठीक है।

श्री अध्यक्ष : 'घोर' शब्द को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय, क्या सदन की सहमति है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय सदस्य श्री खेतसिंह ने रखा है और जिसके द्वारा श्री रमेश चन्द्र शर्मा को आज सदन की बैठक समाप्त होने तक के लिये और दूसरे श्री केदारनाथ पारीक को कल दिनांक 14 अगस्त तक के लिये साधारण कैद की सजा दी जाय, यह प्रस्ताव रखा है, क्या वह अब संशोधन के स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव मय संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

(5.40 म. प.)

(श्री रामसिंह, यादव उपाध्यक्ष पदासीन)

विधायी कार्य -

राजस्थान सहकारी (संशोधन विधेयक), 1974 पर विचार एवं पारण

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सहकारिता आन्दोलन हमारे देश भारत की रीढ़ की हड्डी है, और इस सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देना और इसको आगे बढाना इस कौम और इस मुल्क के लिये बहुत आवश्यक है । समाजवादी देश जहां पर हैं, वहां पर प्राईवेट प्रापर्टी की कोई जगह नहीं है । इसलिये वहां पर इस किस्म की कठिनाइयां जो कि यहां पर केपिटेलिस्ट या बुर्जुआ सोसाइटी में होती है वह पैदा नहीं होती हैं । हमारा मुल्क जो डेवलपिंग कन्ट्री है, विकासशील देश है उसके अन्दर सहकारिता को एक खास जगह हासिल है । लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इसके सिलसिले में जो कुछ यहां पर कहा गया है उससे एक चीज साफ उभर कर आई और जो आंकड़े, पहले जो मंत्री महोदय थे उन्होंने सदन में पेश किये थे उनसे स्पष्ट हुआ है कि सहकारिता जो बोगस अक्सीरियत के साथ बनी है उनमें उन अधिकारियों का हाथ है जो 10 पर्सेन्ट और 20 परसेंट पैसा हासिल कर रिकमण्डशन्स कर देते हैं और उनका समर्थन देते हैं । उसके फलस्वरूप यह नतीजा निकलता है कि जो रकम उनको दी जाती है वह वापिस नहीं आती है और जिस मकसद के लिये सहकारी समितियां बनाई जाती हैं वह भी पूरा नहीं होता है । तो सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आप यह जानने की कोशिश करें कि जो कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं और अभी तक जिनका निर्माण किया गया है, और निर्माण करने के बाद वह असफल रही हैं तो उसके क्या कारण हैं, और उनके लिये कौन जिम्मेदार हैं । मेरी मान्यता यह है कि राज्य सरकार की या मंत्री महोदय की उस तरफ कोई तवज्जह नहीं हुई, और उन लोगों ने जिन्होंने बोगस सहकारी समितियां बनाई और जिनका निर्माण करके उनके खिलाफ, मेरी जानकारी में, आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है । यह आज तक ऐसा रेग्युलर प्रोसेस रहा है कि आये दिन हम सुनते हैं कि सहकारी समिति की रकम फलां व्यक्ति खा गया, फलां सहकारी समिति डिजाल्व हो गई और उसका वह मकसद पूरा नहीं हुआ, और इससे राज्य सरकार जिस उद्देश्य से करना चाहती है उसकी पूर्ति नहीं होती है । तो सबसे पहले मैं चाहूंगा य कि इस सिलसिले में सहकारी मंत्री एक कमीशन नियुक्त करें और वह इस बात की छानबीन करें कि जो इस वक्त कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं, सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है उनमें से कितनी बोगस सोसाइटीज थीं और उनके निर्माण में किनका हाथ था और उनकी नाकामयाबी का, उनके फेल्योर की किसकी जिम्मेदारी है ? उसको फिक्स अप करके सुचारु रूप से इनका संचालन किया जाय । यह तो सहकारी समितियों के निर्माण कार्य के ताल्लुक का है ।

दूसरी चीज जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि यह जो आज देश संकट के

(श्री मो. गफ्फार अली)

अन्दर से गुजर रहा है और जो खाद्य स्थिति है और जो जिन्दगी की बहुत सी चीजें हैं उनको हम बांटते हैं तो पब्लिक सिस्टम से काम किया जाय, और उसमें सहकारी समितियों को इस बात को करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमको इस काम में बडी सावधानी से कदम उठाना चाहिये हमको सहकारी समितियां बनानी चाहिये लेकिन उसके साथ साथ हमको यह देख लेना चाहिये कि जो उसके पर्सोनल्स हैं जो उसके अन्दर आये हैं उनके एन्टिसिडेन्ट्स क्या हैं । यह आप अपनी जिम्मेदारी मानकर नहीं चलते हैं कि बहुत सी सहकारी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई जिन्होंने जमीनें बोगस बेच दी हैं और कानून के खिलाफ काम किया और लाखों रुपयों का नुकसान हो गया और बहुत से मकानात बुलडोजर से गिरा दिये गये । मैं आपको तवज्जह दिलाना चाहूंगा कि 14 ऐसी समितियां हैं जिनको टीन और लोहे का कोटा रेग्युलर दिया गया, उनके बारे में अखबारों में कुछ सूचनाएं प्रकाशित हुई थीं, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया वह तो हमें आज तक पता नहीं चला है, मगर हमको जो मालूमात हुए हैं कि सहकारी समितियों में जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि उनको कोटा वगैरह कुछ नहीं मिला, और 200 रुपये सालाना बडे-बडे उद्योगपति छोटे काम करने वाले लुहारों को दे देते थे और जितना कोटा उनको देने थे उसको अपने काम में लाते थे । इस किस्म की 14 सोसाइटीज हैं जयपुर में और इस तरह से और जगह भी हो सकती हैं । यह जो चीजें स्पष्ट रूप से आई हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अखबारों से जितनी सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर मैं अर्ज करना चाहता हूं । यह जो चीजें होती हैं जिन्दगी की जरूरियात की उनके वितरण के अन्दर हमें बडा काशंस होना चाहिए । मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि न तो कोई रेग्युलर मीटिंग की केयर की जाती है और न आडिट की कोई केयर की जाती है । यह रेग्यलर काम होना चाहिए । और इस सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा, यह ऊटपटांग बात महसूस हो सकती है लेकिन आज हमें यह तय करना है कि सहकारी आन्दोलन के सिलसिले में जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जो कर्मचारी इसमें काम करते हैं उनका बाकायदा स्कूलिंग होना चाहिये । उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पढाया जाना चाहिये, उनको जिम्मेदारी समझाई जाना चाहिए । यह इतनी इम्पोर्टेन्ट चीज है, हमारी यह रीढ की हड्डी है हमारे आर्थिक ढांचे की । इसमें खामियां क्यों रहती हैं इसके बारे में मैं यह चाहूंगा कि आप उनको ट्रेन्ड करें । खाली डिग्री लेकर आ जाते हैं और आप उन पर जिम्मेदारी का काम लाद देते हैं । समाज की हालत, यहां की फिजां और वातावरण से कोई ताल्लुक नहीं होता है । वहां बैठकर कर देत हैं । एक इन्सपेक्टर जाता है, 11 आदमियों की मीटिंग बुलाई और यह सहकारी समिति और वह सहकारी समिति । अक्सर यह चीज होती है कि एक हलके में एक ही कारोबार की 5 सहकारी समितियां बन जाती हैं । दूसरा जिम्मेदार वह अधिकारी है क्योंकि उसको लाभ हासिल होता है, फायदा प्राप्त होता है करप्शन के जरिये । जो लोग ईमानदार भी हैं हमारा यह कर्तव्य है कि उनका ट्रेनिंग दें, उनको भी तालीम दें । ऐसी इन्स्टीटयूशन हो तो वहां पर उनको भेजा जाय । अगर नहीं हो तो अपने इकानामिस्ट्स के

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
द्वारा तालीम दिलायें ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो ।

एक चीज और मैं निवेदन करूंगा वह यह है कि समाजवादी देशों का जहां तक ताल्लुक है वहां पर या तो गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर लैण्ड होती है या फिर कलेक्टिव फार्मिंग होता है । हमारे इस मुल्क के अन्दर कन्सोलिडेशन एक्ट बनाया गया । उसका उद्देश्य यह था कि फ्रेगमेन्टेशन यह जो छोटे छोटे टुकड़े हैं काश्तकारों के पास उसको यकजाई करके कन्सोलिडेट किया जाय ताकि उपज में काफी वृद्धि हो और वह मसला हल हो । आज जो हमारे यहां पर खाद्य का संकट चल रहा है तो पैदावार और उपज करने की हमारी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया है तो कलेक्टिव सिस्टम आफ फार्मिंग से हमको परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं यह सुझाव रखूंगा कि किसान जिनके ट्रैक्टर्स बराबर हैं उनकी कोआपरेटिव बनाकर, उनको प्रोत्साहन देकर बड़े बड़े ट्रैक्टर्स बनाये जांय, और उनको यह सहूलियत दी जाय । पैसा देने के बजाय बीज दिया जाय, ट्रैक्टर्स दिये जायं और गवर्नमेन्ट के द्वारा काश्त कराई जाय

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

ताकि जो उपज थोड़ी होती है उसमें वृद्धि हो । जो जरूरियात जिन्दगी की है वह लोगों को पहुंचानी होगी, ईमानदारी के साथ पहुंचानी होगी । इसलिये यह सुझाव मैंने रखा है और जहां तक इस एमेंडमेंट का ताल्लुक है मैं इसको इसीलिये प्रसारित कराना चाहता था कि इसके बारे में लोगों का रद्दोअमल मालूम हो जाय, लोग इसके लिये क्या फीलिंग रखते हैं, लेकिन मेरी मन्शा यह है कि वह अगर नहीं भी किया जाय तो कोई बहुत बड़ी बात होने वाली नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सहकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 पर मेरे सामने तीन प्रस्ताव हैं । माननीय प्रभारी मंत्री ने विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा है, कुछ माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है और कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । मैं ऐसा समझता हूं कि सदन का समय ज्यादा न जाय इसलिए तीनों प्रस्तावों को एक साथ लिया जाय और मंत्रीजी इसका एक साथ जवाब दे दें । क्या सदन की यह अनुमति है ।

(स्वीकृत)

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1974 के बारे में ......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम का मुलाहिजा फरमा लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बडा नाजुक कोरम है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मजबूत बनाइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसके लिए इतनी चर्चा मन्त्री महोदय सुनते । बडी नाजुक सी और कोमल सी बात है । कोई कठिनाई नहीं है लेकिन जो दलील मन्त्री महोदय ने दी है कि मुकदमों के ढेर लग गये हैं, इसलिए सबोर्डिनेट अधिकारियों को अधिकार दिये जायं ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मुकदमों की तादाद 240 बताई है । यह तो सोचा होता आखिर सहकारी क्षेत्र में किस प्रकार के मुकदम हैं । वैसे को-आपरेटिव सोसाइटी में डिस्प्यूट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । रजिस्ट्रेशन नहीं होना । रजिस्ट्रार के दफ्तर में बहुत से पड़े हुए हैं । आज कुछ और अधिकारियों को अधिकार दिये जायें तो मैं समझता हूं कि यह वकीलों के लिए प्रसन्नता की बात है । आम तौर से मेरी वकीलों से मुलाकात होती है तो वह कहते हैं कि आजकल क्रिमनल केसेज में क्या रखा है । सहकारी मुकदमें ही आजकल महत्वपूर्ण हैं । इस प्रकार के डिस्प्यूट्स रजिस्ट्रार के पास आ रहे हैं । किस प्रकार के आ रहे हैं । उनके जिलों में क्या चीज है । उपाध्यक्ष महोदय, आप को-आपरेटिव बैंक्स के खाते देखें, मोर्टगेज बैंक के खाते देखें तो न केवल राजस्थान स्तर पर, भारतवर्ष के स्तर पर जिसको प्लानिग कमीशन ने भी स्वीकार किया है, वह यह है कि हमारी सहकारी समितियों द्वारा जो ऋण वितरित किया जा रहा है, वह केवल धनी किसानों के पास ही पहुंचता है । वह मार्जिनल किसानों के पास वितरण नहीं हुआ है । उनके पास बहुत ही कम हुआ है । यह गैप बहुत बडा है । आज हम सहकारी समितियों के द्वारा देश का विकास करना चाहते हैं । इसको सेल्फ जनरेटिंग बनाना चाहते हैं । उसके विपरीत यह स्थितियां पैदा हो रही हैं । फिर जहां तक गबन और घोटाले की बात है, हमारे पास ऐसे अनेक कन्क्रीट केसेज हैं । जिसमें को-आपरेटिव के गम्भीर मामले हैं गम्भीर आडिट रिपोर्ट्स हैं । उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं है । जहां तक सहकारी समितियों का प्रश्न है, वह भी गम्भीर है । जितने गबन घोटालों का प्रश्न है, वह भी गम्भीर है । उनके ऊपर एक्शन का प्रश्न है, वह भी गम्भीर है । क्या आज मुकदमों के डिस्पोजल से सारी समस्या हल हो जायेगी । यह ठीक नहीं है । राजस्थान नहर से 32 लाख एकड भूमि सिंचित होने वाली है । 80 लाख एकड एग्रीकल्चरल लैण्ड है । 90 प्रतिशत राजस्थान सरकार की धरती है । 10 प्रतिशत में दूसरे कई प्रकार के लोग मालिक बने बैठे हैं । मैं समझता हूं कि वर्ल्ड म ऐसी नहर का निर्माण नहीं है । अगर हो जाये तो इसकी सबसे ज्यादा इण्टेंसिटी है । इतना बडा क्षेत्र है जिसमें को-आपरेटिव फार्मिग का प्रयोग किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि सबसे कमजोर अंश है तो वह सहकारी आन्दोलन है । मैं इस बात की सराहना करूंगा कि मिनिस्टर महोदय ने कुछ कदम उठाये हैं जिससे कि कुछ हरिजनों को भी कुछ जमीन राजस्थान कैनाल म एलाट हुई है । लेकिन क्वैण्टम बढ रहा है । इसके साथ साथ मैं को-आपरेटिव मिनिस्टर का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि हरिजनों को दूर दराज जो जमीन देते हैं, जो जाकर जमीन को तैयार कर नहीं सकते हैं । वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । इन ऋणों में हमको बांध कर रख दिया है । ये इण्टरनेशनल ऋण हैं । पूंजीपति देशों के साथ में हमें बांध कर रख दिया है । को-आपरेटिव मूवमेंट के जरिये से हम हरिजनों को उसी क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं । जी.डी.आर. में, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में मैंने फार्म इस प्रकार के देखे है । वहां पर हमने 3 प्रकार के फार्म देखे । वह लोग अब कलेक्टिव फार्मिंग की ओर बढते जा रहे हैं । इतना बडा क्षेत्र आपको प्राप्त हुआ है ।

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सही माने म भूमिहीन किसानों को, विशेषकर हरिजनों को इसकी प्राप्ति की व्यवस्था कर सकते हैं। उपाध्यक्ष- महोदय, इतना समय नहीं है कि गबन और घोटालों के मामलों को डील करूं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पीलीबंगा की मार्केटिंग सोसाइटी, जिसकी ग्राडिट रिपोर्ट साफ है। लाखों रुपयों का गबन वहां किया गया है। वहां के बीरबल, जो कि सूरतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान हैं पर को-आपरेटिव सोसाइटी के गबन के केसेज हैं। उनके संबंध में अनियमितताओं के केसेज हैं। ग्राप छोटे-मोटे केसेज को नजरन्दाज कर सकते हैं वह तो कोई बात नहीं लेकिन समिति के विशिष्ट लोग गबन करते हैं। ग्राडिट रिपोर्ट चिल्ला कर कहती है। वह रिपोर्ट मौजूद है। उसके बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए अन्त में एक चीज गम्भीरता से कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि ग्राज कोपरेटिव "मूवमेंट के अन्दर जो धनी किसान का, विशिष्ट लोगों का वर्चस्व हो गया है, मैं सहकारी मंत्री से ग्राशा लेकर चलता हूं, जिस वर्ग से वे ग्राते हैं, जिस समाज से वे ग्राते हैं मैं समझता हूं, उस समाज ग्रौर उसकी सारी पीडाग्रों को वह समझते हैं, शुरू से इस बात को ग्रच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि वह इस दृष्टिकोण को समझगे ग्रौर सहकारी मूवमेंट, जिसमें कि ग्राज कुछ सहकारी समितियां निश्चित रूप से कोटा ड्रा करने के लिए हैं, मझे याद हैं, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के भारत सरकार के सैक्रेटरी ग्रलेक्जेंडर साहब का भाषण मैंन सुना था, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, जो राजस्थान के ग्रन्दर हैं, के बारे में उन्होंने कहा था, वह बहुत ही लज्जाजनक था। सारे देश की उन्होंने एक पिक्चर प्रोजेक्ट की थी, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के सिलसिले के ग्रन्दर ग्रौर उस पिक्चर के ग्रन्दर उन्होंने बोगस सोसाइटीज के ग्रांकडे बताये थे क्लासिफाई किया था, वह बोगस सोसाइटी जो एक्सपोर्ट पर डिपेन्ड करती है, वह बोगस, सोसाइटी जो इम्पोर्ट ग्राइटम्स पर डिपेन्ड करती है, वह बोनस सोसाइटी जो कोटा पर डिपेन्ड करती हैं, राजस्थान के ग्रन्दर यह ग्रांकडे ग्रपने ग्रापके ग्रन्दर गम्भीर ग्रांकडे हैं, जिसमें विशेष तौर पर कोपरेटिव सोसाइटी के जरिये स्टील का कोटा, ग्राइरन वार का कोटा, वायर गैज का कोटा, कोयले का कोटा-इस प्रकार के कोटा बोगस कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर प्राप्त किये गये हैं। इस सदन के पिछले सत्र में इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर को बोगस सोसाइटीज जिन्होंने कोयले का कोटा प्राप्त किया था, की लिस्ट दी थी। मुझे खेद के साथ कहना पडता है, ग्राज तक उस पर एक्शन नहीं हुग्रा है ग्रौर कोग्रापरेटिव सोसाइटी उसी प्रकार से कोटा ड्रा कर रही हैं, हालांकि बेनामी सोसाइटी हैं, वनमैन फंक्शन उनमें है। इसलिए ग्रावश्यकता इस बात की है, जो केसेज की तादाद बढ रही है, कैटेगोरीकली ग्राप कन्सीडर कीजिये। ग्रावश्यकता इस बात की है कोआपरेटिव मूवमेंट को ग्राप बड़े बडे भूमिपतियों, वडे वडे इंडिस्ट्रीयलिस्टस से, वडे बडे प्रिविलज्ड लोगों के हाथ से निकाल कर सहकारिता के ग्रान्दोलन को ग्राप झोंपडियों में ले जाय, खेत-खलिहानों में ले जायं। जो बड़े वडे रिसोर्सेज प्रकृति ने प्रोवाइड किये हैं, उनको एक्स्प्लोइट

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

कीजिये। आपके यहां कोलोनाइजेशन का बडा प्रोसेज चल रहा है। राजस्थान केनाल की योजना है, वह अपने आपमें कोई बडी बात नहीं है, उसके अन्दर कोलोनाइजेशन है वह अपने आपके अन्दर स्पेसिलाइज्ड चीज है। उस कोलोनाइजेशन के प्रोसेस के अन्दर आपको इन्डस्ट्रीज कायम करनी पडेगी। हमारा यह इंडस्ट्रीज का रा-मैटेरियल सारा वह ड़ा करती हैं। उस सारी इन्डस्ट्रीज के प्लानिंग के अन्दर आपकी कोआपरेटिव सोसाइटी का महत्वपूर्ण रोल है। आप बेस्ड इन्डस्ट्रीज कोआपरेटिव मूवमेंट का विशेष अंग है और विशेष कर ऐसे क्षेत्र के अन्दर हमारे यहां कोलोनाइजेशन में केवल धरती एलाट कर देना ही एक मुद्दा नहीं है, इसमें एनीमल हसबेन्ड्री का विशिष्ट स्थान है। मैं समझता हूं, राजस्थान में, न केवल हिन्दुस्तान बल्कि सारे विश्व के अन्दर वाइट रिवोल्यूशन लाने के लिए इसका बडा पार्ट है। मैं आपके रिवोल्यूशन की बात नहीं करता हूं। कोलोनाइजेशन की साइंटिफिक स्टडी हो, और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह से स्टडी करे तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत बडे पास्चर लैण्ड क्रियेट किये जा सकते हैं। आज लिफ्ट इर्रीगेशन सारी अनइकानामिक है, 300-400 पर बीघा कोस्ट आफ इर्रीगेशन है। इतनी महंगी सिंचाई करके किसान क्या कमा सकता है? यह लिफ्ट इर्रीगेशन से पास्चर लैंड की बहुत बडी बैल्ट क्रियेट कर सकते हैं और उसके अन्दर कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये एनीमल हसबैन्ड्री का काम्प्लेक्स क्रियेट कर सकते हैं। उसके साथ स्टडी करें, विश्व के देशों की, जी. डी. आर. एक विशिष्ट स्थान रख सकता है, वहां सारे एनीमल हसबैन्ड्री को स्टडी कर सकते हैं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए इसके सम्बन्ध में पक्ष में राय देते हुए माननीय सहकारी मंत्री से नम्र निवेदन करूंगा कि वह सहकारी आन्दोलन के इस गम्भीर पक्ष को गहराई से देखें और सहकारिता को झौंपडियों के अन्दर ले जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरी मल।

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह आर्डिनेन्स बिल के रूप में आया है, इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन उसका महत्व बहुत बडा है। वैसे यह आर्डिनेन्स के रूप में न आता तो अच्छा होता। जब सदन सामने था, होने की जानकारी थी तो फिर यह आर्डिनेन्स लाकर कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। खैर, उस तरफ बहुत लोगों ने कह दिया है। मैं इस बात के लिए तो स्वागत करता हूं कि आपने ठीक व्यवस्था करने की बात सोची। बहुत से केसेज ऐसे पडे हुए हैं, जिनका फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि एक रजिस्ट्रार इस बात को सुनते थे, अधिक कार्य के कारण इतनी क्षमता नहीं रहती थी कि वह फैसला कर सके। अब व्यवस्था की जा रही है उसमें थोडा भिन्न मत रखता हूं। मैं यह चाहता हूं कि जितने ऐसे नीचे से फैसले होकर आये या आदेश हों, उनकी अपील में जहां आते हैं, यह अपील सुनने का मामला किसी अलग अदालत, न्यायालय, जज या ट्रिब्यूनल को देना चाहिए। ऐसे ट्रिब्यूनल में एक दो ऐसे व्यक्ति को मुकर्रर करना चाहिए; जिनका काम यह हो, जो पूर्णतया काम करने वाले अधिकारी हों। उनको ट्रिब्यूनल में मौका दें ताकि ठीक से काम कर सकें। अभी इन अधिकारियों में कमी है कि प्रशासन का काम तो अच्छा कर

(श्री केसरीमल)

सकत हैं लेकिन जज का काम अच्छा नहीं कर सकते । इसी तरह एक जज अच्छा हो सकता है लेकिन प्रशासक अच्छा नहीं हो सकता। इनका काम दूसरा रजिस्ट्रेशन करने का । जो सही व्यक्ति हैं वह ट्रिब्यूनल में आये, उनका काम फैसला देने का हो । उनको जज बना दीजिए ताकि वह फैसला कर दें । मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का ट्रिब्यूनल उनको बनाना चाहिए । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो अच्छे स्तर के अधिकारी हैं उनको आप इसमें से जज बना दीजिए, एक अथवा दो को, उनको इस काम के लिये आप रखिये । इसके अलावा जो कानून के ज्ञाता हैं उनको रखिये। जो एल.एलबी. और कानून पढे लिखे हैं उनको इस काम के अन्दर लगाईये, दूसरे काम में न लगाइये । इस काम को आप करेंगे तो काम सुचारू ढंग से होगा । मैं कहने को तैयार हूं कि अभी देश की जो हालत है इसमें राजनैतिक, नेताओं का दबाव, अधिकारियों का दबाव बहुत होता है, उस दबाव से न्याय को भ्रष्ट किया जाता है । मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा अच्छा करने के लिये ज्यादा अच्छा होगा, आप अलग से न्यायालय मुकर्रर कर दें, वह मामले सुने और फैसला कर दें तो अच्छा होगा । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है ।

कोपरेटिव सोसाइटी के मामले में कमी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोपरेटिव सोसाइटी को बनाने- और चलाने की स्कीम थी वह नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि कोआप- रेटिव सोसाइटी बनाने की स्कीम यह थी कि सोसाइटी बनाने से बीच के बिचौलिये समाप्त हो जायेंगे और माल को लेने वाले समाप्त हो जायेंगे । प्रोड्यूसर माल बनाये, तैयार करें और बेचें, वही खुद बनाने वाला और बेचने वाला हो और प्राफिट उसके पास रहे । इन बिचौलियों के कारण इन कर्मकारों को, कृषकों को और मेहनत करने वाले जो होते हैं उनको उतना पैसा नहीं मिलता है, जो उनको मिलना चाहिए और बिचौलिये उसको मिलने वाले पैसे से कई गुना ज्यादा पैसा ले लेते हैं । इस एक्स- प्लोइटेशन को खत्म करने के लिये, इस शोषण को खत्म करने के लिये कोआपरेटिव आदर्श साधन था और है, अगर ठीक से काम किया जाय । आप लोग इस बात से डरते जायेंगे, राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो फलां हो रहा है । यह सरकार उस ओर जा रही है, उस ओर ले जाने का प्रयास था । दवा कडवी थी लेकिन कोट कर के देने का प्रयास था । लेकिन जिन लोगों के हाथ म यह काम गया, उन्होंने लक्ष्य को, स्कीम को और उसको भावना को नष्ट कर दिया । अब यह कहूंगा, मंत्री महोदय को उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज कोआपरेटिव को, चलाने वाले लोग ऐसे हो गये हैं जैसे गांवों में किसान को कर्जा देने की बात अच्छी है, लेकिन वह कर्जा देने वाले खुद मनी लैन्डर हैं, वह कोआपरेटिव में मालिक बने बैठे हैं. व पैसा लें लेते हैं और किसानों से अंगूठा लगवाते हैं और उस पैसे को अपना बना कर वापिस किसानों को कर्ज देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कई माननीय सदस्य कह चुके हैं ।

श्री केसरीमल : मैं उनको दोहराना नहीं चाहता लकिन इस तरह से जो हो रहा

(श्री केशरीमल)

है उसको सरकार रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है। सोसाइटीज में चुनाव न हो, तो क्या कर रही है ? सोसाइटीज के अन्दर घोटाला और गबन है तो उसको ठीक करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो बेनाम हैं, फर्जी हैं उनका क्या मूल्यांकन किया जाता है ? उनको नहीं देखा जाता है और यही कारण है कि पैसों का दुरुपयोग होता है और गांवों में भी या तो बडे खेतीहर लोग या जमींदार लोग पैसे का उपयोग करते हैं और शहर में भी ऐसे पैसे वाले उपयोग करते हैं। तो इससे मन्शा समाप्त हो गई है। इसलिये इसको ठीक करें और साथ साथ मशीनरी को ठीक करने की व्यवस्था करें। इसलिये यह जरूरी है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : मंत्रीजी।

श्री **रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं माननीय सर्वश्री दीपंकर, रत्तीराम, गफ्फारअली, योगन्द्रनाथ हांडा, केशरीमल आदि ने अपने प्रस्तावों के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल सदन के सामने मैंने विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, वह बहुत मामूली है। कोआपरेटिव एक्ट के क्लाज 124 में यह एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको डिलीट करने का बिल मैंने सदन के सामने रखा है। यह एक्सप्लेनेशन क्यों हटाया जाना जरूरी है, यह भी शुरू में मैंने निवेदन किया है और पुनः निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों ने इसको हटाये जाने के पक्ष में अपनी राय दी है लेकिन दूसरी ओर और बातें जो सहकारिता विभाग से संबंधित हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जहां तक इस बिल का सवाल है सिद्धांत रूप से और व्यावहारिक रूप से किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ कुछ सुझाव ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिए हैं कि इस प्रकार के कसेज को सुनने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल हों तो प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र से इन कसेज को निकालना अच्छा होगा। माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र नाथ हांडा ने सहकारी समितियों को ऋण वितरण के संबंध में आरोप लगाया कि मार्जिनल और छोटे फार्मर्स को ऋण नहीं मिलता आडिट रिपोर्ट का आपने हवाला दिया। इसी प्रकार माननीय सदस्य श्री दीपंकर श्री रत्तीराम आदि ने चुनाव समय पर ही हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, चुनाव निष्पक्ष हों, वसूलियां शीघ्रता से हों और इस प्रकार कसेज अपील्स में न आयें उन कारणों को खोजा जाए और दूर किया जाए, ऐसे सुझाव दिए।

मैं मानता हूं कि सहकारी समितियों को ऋण आदि मिलने में और लोगों के पास ठीक समय पर ऋण पहुंचे, वर्तमान में कुछ कठिनाईयां भी हैं, कुछ जगह ठीक समय पर प्राप्त हो जाता है और कुछ जगह पर नहीं हो पाता है। सहकारिता विभाग की ओर से और सरकार की तरफ से इस बात का पूरा पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि मार्जिनल और छोट फार्मर्स को भी यह लोन मिले और सहकारी

(श्री रामनारायण चौधरी)

समितियों के माध्यम से उनके हित सुरक्षित रहें। मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में जिक्र किया गया, उसकी आडिट रिपोर्ट को मैं स्वयं देखूंगा और आवश्यक हुआ, उसके संबंध में कुछ करने की चीज होगी तो निश्चित रूप से किया जाएगा।

माननीय केशरी मल जी के सुझाव के संबंध में निवेदन है कि यह बात सिद्धान्त रूप से बढ़िया महसूस होती है और देखने में अच्छी लगती है लेकिन ट्राब्यूनल कायम किए जायं और सहकारी समितियों के विवाद उनको सुपुर्द किए जायं, प्रशासनिक अधिकार से सहकारिता मूवमेंट को वापस लिया जाए, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि वह समय नहीं आया है और सहकारिता मूवमेंट के आधार पर खड़ा नहीं हुआ है, सोलिड ग्राउंड जब हो जाएगा तब यह व्यवस्था उचित रहेगी लेकिन फिलहाल सहकारिता मूवमेंट अपने बाल्यकाल में चल रहा है, हम इसको मजबूत करना है, सहकारिता आंदोलन बने और साधारण किसान, छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोगों को फायदा पहुंचे और स्वार्थी लोग इस मूवमट से नाजायज फायदा नहीं उठायें, यह प्रशासन का काम है इसलिए सहकारिता विभाग में काम करने वाले अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है कि वह देखें कि किस प्रकार सहकारी आंदोलन-जन-आंदोलन बने, इसकी जड़ें गहरी हों और जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यह उस एजेन्सी के मारफत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये अधिकारी उन डिस्प्यूट्स से ठीक प्रकार से एसोसिएटेड रहें ताकि सही निर्णय हो, और सहकारिता मूवमेंट को आगे बढाया जा सके, मजबूत किया जा सके। इस दृष्टि से यह रखा जाए कि यह जो एक्स-प्लेनेशन क्लाज 124 के बाद है वह ऐसा है कि उसमें सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले कोआपरेटर्स और संस्थाओं को लाभ मिले और इस एक्सप्लेनेशन को हटाने से उन संस्थाओं को मजबूती मिलेगी और जो विवाद पड़े हुए हैं वे तुरन्त हल होंगे। हल इसलिए जरूरी है कि आज कुछ इस किस्म के विवाद हैं कि कुछ लोगों ने सहकारी संस्थाओं म लाखों रुपये की गड़बड़ी कर रखी है, कोर्ट्स से स्टे आर्डर ले रखे हैं और 4-4 साल तक उन मामलों में निर्णय नहीं होगा तो सोचा गया कि किस प्रकार से इन विवादों की तुरन्त सुनवाई हो और निर्णय हो ताकि सहकारी बंधुओं को दिक्कत न हो। इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को डिलिट किया जाए। तो मैं समझता हूं और माननीय सदस्य भी मानते हैं कि यह उपयोगी है। माननीय सदस्यों के इस प्रस्ताव से मेरी सहमति नहीं हो सकती क्योंकि वे कहते हैं कि स्वागत योग्य है तो फिर जनमत जानने के लिए और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए औचित्य नहीं रहता है। मेरा निवेदन है कि इस बिल को विचारा लें और पारित करें और जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने जनमत जानने और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए दिए हैं, वे उनको वापस ले। यदि नहीं लेते हैं तो सदन से निवेदन करूंगा कि इन प्रस्तावों का अस्वीकार कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाईटीज (संशोधन) विधेयक, 1974 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने के लिए जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किये जायें।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाईटीज, (संशोधन) विधेयक 1974 को प्रवर समिति को सौंपा जाय । इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाईटीज (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । मंत्री जी ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाईटीज (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाईटीज (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री जी ।

श्री मोहन लाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय म प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो दूसरा भी पेश करदूं छोटा सा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भागव

(अनुपस्थित)

क्या आप (श्री दीपंकर) जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए पेश कर रहे हैं ?

श्री दीपंकर : मैं तो मेरा प्रस्ताव वापिस ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा

(अनपस्थित)

श्री केशरीमल : आप प्रवर समिति में विधेयक को जाने के लिये प्रेस कर रहे हैं? आप कुछ कहेंगे ?

श्री केशरी मल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान मोटर व्हीकल्स टेक्सेशन (एमेंडमेंट) बिल 74 पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं । यह मंत्री महोदय ने बिल लाकर एक अच्छी कोशिश की है । लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय आज जो राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है । आज लोगों को वहां पर किसी भी प्रकार की सहुलियतें नहीं मिल रही हैं । वह मिलनी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें निवदन करना चाहता हूं ।

(1) बात तो यह है कि आप पीस-मील इस प्रकार के छोटे छोटे संशोधन क्यों लाते हैं एक साथ ही पूरे संशोधन क्यों नहीं

(श्री केशरीमल)

ले आते। अगर एक साथ आप संशोधन ले आते हैं तो काफी राहत मिल सकती है। आज जिस तरह से यातायात विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे जनता में काफी परेशानी है। इसके अलावा वसों की हालत यह है कि लोग बसों के ऊपर नीचे भरे हुए रहते हैं। पहले तो प्राईवेट बसों में लोग जब ऊपर नीचे बैठते तो पुलिस वाले उनका चालान करते थे या उनसे रिश्वत लेते थे। अब जब से रोडवेज हुई है पुलिस वाले तो इनका चालान करते नहीं हैं और लोग बसों के अन्दर बुरी तरह से भरे हुए रहते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे बन्द किया जाना चाहिये। आज अजमेर, ब्यावर या और कहीं के आप अगर बस-स्टेशन देखें तो आपको पता लगेगा कि वहां कितनी भारी परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ती है। वहां पर यात्रियों को पेशाब करने की जगह नहीं मिल पाती है। यात्रियों के निवटने की कोई व्यवस्था नहीं है। अजमेर में तो यह हालत है कि पुलिस कोतवाली के पीछे की तरफ एक पेशाब घर बना हुआ है जहां पर लोग निवट लेते हैं। जिससे वहां की हालत ऐसी खराब है कि अगर आप नर्क देखना चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा औरतों के तो निवटने की जगह ही वहां पर नहीं है। माताओं और बहनों को काफी परेशानी होती है उनको सहुलियतें दी जानी वहुत जरूरी है।

श्री मोहन लाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जो निवेदन कर रहे हैं वह बसों के बारे में कह रहे हैं।

श्री केसरी मल : उपाध्यक्ष महोदय बसों की हालत खराब है। मंत्री महोदय तो इम्पाला गाड़ियों में घूमते हैं उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होती है।

श्री मोहन लाल छंगाणी : अब मोटर गैरेज में कोई इम्पाला गाड़ी नहीं है।

श्री केसरी मल : इम्पाला गाड़ियां नहीं होंगी लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप लोग बैठ कर जाते हैं आपको तो तकलीफ नहीं होती क्योंकि उन गाड़ियों के दरवाजे बड़े बड़े हैं यह दरवाजे जो वसेज के हैं वह छोटे हैं मंत्री महोदय के लिए वह दरवाजे छोटे रहेंगे।

श्री मोहन लाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को बसों के बारे में कोई शिकायत हो तो वह आकर मेरे से बात करलें या अपने कुछ संशोधन देना चाहें वह दे दें। उनको बाद में देख लिया जायेगा। लेकिन अभी तो यातायात विभाग से संबंधित बिल पर बहस हो रही है। यह रोडवेज से संबंधित नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस बारे में जो सुझाव देना चाहें रोडवेज के बारे में वह मुझे बाद में दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप (श्री केसरीमल की तरफ देखकर) प्रवर समिति को विधेयक को भेजा जाये उसके लिये प्रेस कर रहे हैं।

श्री केसरी मल : मुझे तो यही कहना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहियें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय मैंने दो प्रस्ताव दिये थे इस बिल पर··

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम बोला तब आप अनुपस्थित थे।

श्री खेत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह परम्परा रही है कि जब नाम बोला जावे सदस्य का और वह अनुपस्थित हो तो बाद में उन्हें मौका नहीं दिया जाय ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय मैंने जब दो संशोधन प्रस्ताव दिये हैं तो मुझे बोलने का अधिकार मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा फरमाइये ।

श्री खेत सिंह : जाओ रहम किया, बोलो ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मोटर व्हीकल्स के टैक्सेशन के लिये अलग अलग आथोरिटीज थीं उनकी संख्या अब घटा दी गयी है जैसे पहले रजिस्ट्रेशन का कार्य आर. ए. द्वारा किया जाता था। आर. ए. का मतलब है कलैक्टर के द्वारा किया जाता था वह अब कार्य इस बिल के अनुसार आर. टी. ओ. के द्वारा किया जायगा । इस प्रकार से उनको लाईसेन्स देने की जो पावर थी पहले एस. पी. द्वारा दिया जाता था वह अब एस. पी. द्वारा न किया जाकर आर. टी. ओ. द्वारा ही किया जायेगा । तीसरे टैक्स लेने का भी अब आर. टी. ओ. द्वारा किया जायेगा । तो इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं मन्त्री महोदय को । इसके लिये मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यनल थी उसका यह काम जो पहले एस. टी. ए. के पास था वह काम आपने अब डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दिया । उपाध्यक्ष महोदय पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज के पास काम ज्यादा है अगर आप यह काम डिस्ट्रिक्ट जज को न देकर एस. टी.ए. के पास दें तो डिस्ट्रिक्ट जज को तो काम से राहत मिलेगी उसके साथ साथ आपको भी लाभ होगा । मैं यातायात मन्त्रीजी से यह खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट में बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार है बग़ैर पेपरवेट रखे आगे कागज सरकता नहीं है । पेपरवेट का मतलब है बग़ैर रिश्वत दिये काम नहीं होता । तो जिस प्रकार आपने थोड़ी हालत मैडीकल विभाग की सुधारी है उसी तरह अगर आप यहां पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिये क़दम उठायें तो लोगों को राहत मिलेगी । वैसे तो भ्रष्टाचार देश में सभी जगह है यह तो तुमम मुझ में, खडग खम्भ में सभी जगह घुसा हुआ है । फिर भी इसम सुधार होना चाहिये फिर उसके बाद ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर उनके बारे म निवेदन करना चाहूंगा कि आप बनाते हैं इसमें आई. ए. एस. ऑफ़िसर को । इसका मतलब यह हुआ कि एक्ज़ीक्यूटिव का आदमी होता है किन्तु इस सारे कार्य को ईमानदारी पूर्वक करने के लिये एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का अधिकारी होना चाहिये । क्योंकि आख़िर उसक फ़ैसलों की अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। आई. ए. एस. अफ़सर का राज्य को चलाने के लिये अनुभव हो सकता है किन्तु फ़ैसले करने पड़ते हैं यहां तो, वकील साहबान को सुनना पड़ता है, इसलिये कौन है और कौन नहीं है, इसके अन्दर न जाते हुए म यही निवेदन करूंगा कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के आदमी को इसमें रखना चाहिए ।

इसी प्रकार ट्रान्सपोर्ट के ट्रिब्यूनल का सम्बन्ध है । मान लीजिये कि न्याय मिलने में कमी आ रही है । वैवाहिक कार्य के लिए

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

बस चाहिये किराये पर। वह रोडवेज के पास जावेगा। वह ना कर देगा। फिर वह प्राईवेट बस आपरेटर के पास जावेगा कि यात्रा के लिये कोई गाडी चाहिये, वह कहेगा कि रोडवेज से या ऊपर से जाकर परमीशन ले आओ, रोडवेज के पास जाओ, रोडवेज वाले कहेंगे कि हमारे पास नहीं है। और नहीं उसको परमिशन मिलेगी, इस प्रकार जनता को इधर से उधर फिरते रहने में कितनी असुविधा होगी इसका आप ही अन्दाजा लगाईये। कोई गाडी सस्पेन्ड हो गयी। महीने भर के लिये। कोई आदमी ट्रिब्यूनल के पास जावेगा और कहेगा कि एक महीने के बाद की तारीख डाल दी, उसको न्याय मिलना चाहिये एक महिने में, लेकिन जनता को जो राहत मिलनी चाहिये वह मिलेगी नहीं और बस ओपरेटर्स को भी राहत नहीं मिलेगी।

ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन में भी आपने आई.ए.एस. अफसर की व्यवस्था कर रखी है। जिस प्रकार की आज व्यवस्था है, मामूली परमिट लेने के लिये भी लोगों को काफी परेशानी का मुकाबला करना पडता है। जनता का राज्य है, जनता आपके पास आये और आपको बडे प्रेम से निवेदन करे और आप उसको राहत न दे सकें। यदि आपन सारे एक्ट को लाकर जगह जगह आई.ए.एस' अफसरों को बिठा दिया तो सब जगह लाल फीताशाही चलेगी और जनता को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है। जनता की कोई सुनने वाला नहीं होगा।

उदाहरण के लिये, मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में आज सी.टी.एस.की व्यवस्था है। लडके नीचे लटके हुए जाते हैं और ऊपर बस की छत पर बैठ कर जाते हैं। सदन में माननीय मंत्रीजी ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था जब मैंने सीधा उनसे प्रश्न किया था कि 16 बस ओपरेटर्स हैं जिनकी बसें चल रही थीं, उन सबको बन्द कर दिया, 7 को परमिट दिया वह भी ऐसी जगह की आना जानी खाली, सवारी मिलती नहीं और खाली आती हैं। शरणार्थियों की सिन्धियों की बसें थी, भारत का नागरिक भी होता तो उसको धन्धा देने का आपका फर्ज था, लेकिन आपने पुच्छल तारा चलाया। धीमी गति नहीं रोड पर एक्सीडेन्ट होने की स्थिति रहती है। आज भी उपनगरीय बस है, उपनगर में बजाजनगर, सांगानेर, गांधीनगर आते हैं। सांगानेर टोंक रोड पर एग्रीकल्चर में काम करन वाले हैं वे इनके लिये खडे रहते हैं, सांगानेर जाने वाले खडे रहते हैं, बसों में यह हालत है कि लोग छत पर बैठ कर जाते हैं, लटकते हुए जाते हैं। लोग टिकिट लेते नहीं क्योंकि कन्डक्टर उनके तक पहुंच नहीं सकता। विद्यार्थी आपको टिकिट देते नहीं। ऊपर बैठा हुआ कौन पैसा देगा। जो आदमी असुविधा से बैठा हुआ है क्यों पैसा देगा और तब ही जब कि कन्डक्टर उसके पास पहुंच जावेगा। आपके सी.टी.एस. की व्यवस्था निकम्मी है। कालेज खुल गये हैं और विद्यार्थियों का एडमिशन हो रहा है कई कालेज से आवेंगे जावेंगे। 8 बजे रात्रि के बाद आपकी कोई बस चलती नहीं। सांगानेर से आने वाले के लिये और कोई व्यवस्था नहीं। सांगानेर जयपुर के पास है। आप इस पर थोडा तो विचार करिये।

मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट वाले, जैसा आश्वासन दिया था कि

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

प्राईवेट बस ओपरेटर्स के कन्डक्टर और ड्राईवर्स को रोडवेज में प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता दी नहीं। कल परसों ही लोग मिलें हैं। कई लोगों को सर्विस में लिया नहीं, कईयों को लिया तो दो माह के लिये टेम्परेरी रखा। मेरे पास ऐसे लोगों की एप्लीकेशन्स मौजूद हैं, कई विधायकों को स्थगन प्रस्ताव रखने के लिये कहा लेकिन रख नहीं सकते क्योंकि एक दिन में एक ही स्थगन प्रस्ताव दे सकते हैं। रोडवेज में बगैर टिकिट लिये बैठ गये, भीड के कारण कन्डक्टर टिकिट दे नहीं सके, हालांकि यह नियम था कि बस तब चलती जबकि टिकिट लेकर यात्री उसमें बैठ जाते जिससे कन्डक्टर को दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोगों ने कहा कि अन्दर ही टिकिट दे देना और इस प्रकार मान लीजिये कि वह लोगों को टिकिट नहीं दे सका और इसी बिना पर उनको निकाल दिया और आपने रिमार्क लगा दिया, और आज वे लोग बे घरबार होकर सडकों पर मारे मारे फिर रहे हैं। मैं उनको कई बार रोडवेज में ले गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहे कोई आई.ए.एस. आफिसर हो विधान सभा से कोई बडा नहीं है। कोई अधिकारी आपका कहना न माने यह बात भी समझ में नहीं आती। कोई न माने तो आपको इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

वे कन्डक्टर बस ड्राईवर कहां जावेंगे? विधान सभा में पर्चे फेंके? मैं तो इसको पसन्द नहीं करूंगा। लेकिन वे आज बडे दुखी हैं। सडकों पर पडे हैं। इन गरीबों को जो बेघरबार हो गये हैं आप काम दें।

एक आर.टी.ओ. के पास चार महत्वपूर्ण कार्य हो गये। अध्यादेश निकाले हैं व मेरे विरोध करने के बावजूद भी आप पास करवायेंगे। अच्छी बात करने जा रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। आर.टी.ओ. के पास काम बढ गया है तो उनके काम का विभाजन करिये। मैं यह विश्वास करता हूं कि सरलीकरण होगा। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

आपने सारा काम एक के जिम्मे छोड दिया और उनकी संख्या नहीं बढाई।

श्री मोहनलाल छगाणी : टास्क बोर्ड ने जो रिकमण्डेशन की उसके अनुसार इन सारी चीजों का एक जगह प्रबन्ध किया गया। उससे पहले कलेक्टर के पास एक काम था तो लाइसेन्स का काम पुलिस के पास था। टक्स का एक्साइज वालों के जिम्मे था तो सैल्सटैक्स का अलग था। उन सबको एक जगह किया गया। इसके पीछे एक ही ध्येय था हमारा कि जनता को सहूलियत मिले उसे अलग अलग जगहों पर जाने की परेशानी से बचाया जाय। उनका ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित सारा काम एक ही जगह पर हो जाय। और उसी आधार पर यह अमेण्डमेन्ट लाया गया है। और कोई बात इसमें नहीं है।

अब जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर में चलने वाली रोडवेज की बसों का जिक्र किया उसके बारे में तो मैं अलग से देखूंगा। वह इससे सम्बन्धित नहीं है। फिर भी निवेदन इतना सा कर देता हूं कि जब से यहां सरकारी बसें लगीं है थोडा सा सुधार और आराम जनता को

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मिला है। हालांकि मैं मानता हूं कि आज के बढते हुए ट्रैफिक की आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत थोडा है। यहां ट्रान्सपोर्ट की हालत खराब है। यह मानने में मुझे झिझक नहीं है। पर यह भी हम वित्तीय संकट के कारण बढा नहीं पा रहे हैं। यह हमारी मजबूरी है। फिर भी निवेदन करूंगा कि पहल प्राईवेट बस ओपरेटर्स की जहां 17 बसें थीं वहां आज रोडवेज की 47 बसें चल रही हैं फिर भी प्रेशर बहुत अधिक है, यह मैं मानता हूं और इस दिशा में हमारे प्रयत्न जारी हैं। यह मैं उनको भरोसा दिलाता हूं।

वैसे अरबन ट्रान्सपोर्ट के लिये हम केन्द्रीय सरकार के पास भी गये। उन्होंने एक्साइज की अलग मद रखी है उससे हम भी चाहते थे कि हमें पैसा मिले ताकि हमारी ट्रान्सपोर्ट की समस्या हल हो किसी तरह। इस बारे में हम पूरे प्रयत्नशील हैं यह आश्वासन मैं सदन को देना चाहूंगा।

बाकी ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के रोडवेज के सम्बन्ध में प्रश्न थे। यह सही है कि हम वित्तीय कठिनाइयों के कारण सामान्य सी पेशाब घर, प्याऊ आदि की सहूलियतें भी नहीं दे पाये। पर अब कर रहे हैं वह व्यवस्था। सोचते हैं कुछ इस साल में और कुछ अगले साल में कर दें ताकि जहां जहां राष्ट्रीयकरण हो चुका है वहां वहां सहूलियतें जो जरूरी हैं वे तो दे दें।

अब आज जो अमेण्डमेंट मैंने प्रस्तुत किया है और जिस विधेयक को मैंने विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसमें दिये हैं उद्देश्य के विवरण उनको समझते हुए इसे लिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं।

श्री केशरीमल : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी जाती है।

श्री केशरीमल : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि इसे विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

माननीय मन्त्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसे पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान यात्री एवं माल कर संशोधन विधेयक, 1974 पर चर्चा

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे अस्वीकार किया जाय ।

निवेदन यह है कि 29 जून 74 को यह अध्यादेश प्रसारित किया गया । अब केबिनेट की स्वीकृति के बिना कोई अध्यादेश लागू नहीं होता, एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने यह कब फैसला किया ।

दूसरा यह जानना चाहूंगा कि 1959 से यह व्यवस्था चल रही है । फिर ऐसा क्या कहर बरपा हो रहा है जब कि 12 अगस्त से यह सेशन होने वाला था तो 1।। महीना और यह व्यवस्था चल सकती थी इतने समय के लिये और इन्तजार कर सकते थे, तो तब तक के लिये क्यों नहीं रोका गया ? छोटी मोटी बातों के लिये अध्यादेशों का सहारा लेने की परम्परा गलत है । यह सदन का अपमान करने सरीखी बात है । इसमें आप भी शामिल हैं जो जब मेम्बर थे तब कहा करते थे कि अपमान नहीं किया जाना चाहिये इस तरह से अध्यादेश लाकर ।

श्री रामकिशन : अब उनका पुनर्जन्म हो गया है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ब्राह्मणवाद के आधार पर ?

श्री रामकिशन : जी हां, कैसे भी समझ लीजिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप एक दो महीना और इन्तजार कर लेते तो पृथ्वी फटी नहीं जा रही थी फिर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आज भी लाखों रुपया बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों में पैसेन्जर टैक्स का बकाया है इसको वसूल करने के बारे में आप क्या प्रबन्ध कर रहे है, क्या प्रयत्न कर रहे हैं । यह बता दें । आज कई प्रभावशाली लोगों की बसें चल रही हैं । वे सारा टैक्स सरकार का हजम कर रहे हैं । डबल टिकिट सिस्टम उनका है । पिछली बार भी निवेदन किया था और निवेदन कर देता हूं एक हैं मुखी गोरधन उदयपुर के रहने वाले । लाखों का टैक्स बकाया है इनमें । आपका विभाग कहता है इनका कहीं अता पता ही नहीं चल रहा है किससे वसूल करें । जब कि ये सज्जन अपना काच का महल बनाकर उदयपुर में ही विराजमान हैं । आप कहते हैं वह कांच का महल आपको नहीं दिखता । ऐसे ऐसे आपके अनेकों चहेते लोग हैं जिनमें लाखों रुपया बकाया है । उनके लिये विभाग को मजबूर कर दिया है आपने भी और आपके इन चहेतों ने कि विभाग यह कह दे कि इनका अता पता ही नहीं है । आपको अपनी रकम वसूल करने की चिन्ता नहीं है । इसी प्रकार से एक सज्जन और हैं बसन्तकुमारजी । सुखाडियाजी के भतीजे । लाखों रुपया यह भी डकार कर अन्तर्धान हो रहे हैं । विभाग भी अदम पता में यह रकम बट्टे खाते डालने की तैयारी करने को आमादा है । मैं समझता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
हूं कि आप जैसे व्यक्ति के लिये ये बात शोभाजनक नहीं है। इसी प्रकार से एक सज्जन और हैं पुरुषोत्तमदासजी चौधरी। लाखों से कम की इनमें भी बकाया नहीं है। इनका भी विभाग को अता पता नहीं लग रहा है। गायब हो गये हैं ये साहब। मैं बता दूं आपको। आप खूब जानते हैं इन्हें। ये सज्जन चित्तौड नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमैन हैं। अब भूतपूर्व के भूत समझ कर आपको अगर इनका पता नहीं है तो यह आश्चर्य ही है। आप इनसे वसूली की चिन्ता नहीं करते। एक और है खींवसरा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी। वे अब नाम परिवर्तन की चिन्ता कर रहे हैं। लाखों रुपया सरकार का बकाया हजम करने की चाल चल रहे हैं। आप इन वसूलियों की चिन्ता नहीं करते। आप को चिन्ता है अध्यादेश लाने की। यह लाखों रुपया बडे बडे लोगों में है। छोटों में नहीं है। छोटों के पास इतनी ऊंची एप्रोच कहां कि वे अदम पता हो सकें। अन्तर्धान हो गये। मैं पूछता हूं कहां चले गये। क्या समुद्र में चले गये, आसमान में उड गये।

एक माननीय सदस्य : केवल इनके ही नाम याद हैं आपको कि और भी हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पिछली बार मैंने और भी नाम दिये थे। यह लिस्ट तो बहुत लम्बी है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार आपने सुझाव स्वीकार किये थे इसलिये उन्हीं को चाहता हूं कि इम्प्लीमेंट हों। प्राइवेट बस वालों के यहां से आपने 600 के लगभग कण्डक्टरों को लिया नेशनेलाइजेशन जिनकी बसों को किया उनमें से। उनको आपने मामूली से चार्जेज लगा कर नौकरी से निकाल दिया है। मैं चाहता हूं कि आप उनको वापिस ले लें। चार्जेज जो आपने उन पर लगाये हैं वे बहुत हल्के से हैं। चलती बस में टिकट काटते हैं तो कारबन लगता है, नहीं लगता है, लिखा हुआ पढा जा सकता है, नहीं भी पढा जा सकता। फिर भी सम्भव नहीं है कि गाडी को एक दम रोक कर सभी को पहले टिकट दें और फिर उनको गाडी में बैठने दें। इसमें समय बहुत लगता है। क्योंकि आपका टिकट काटने का और उनकी नकल रखने का सिस्टम बहुत कठिन है। उसमें समय बहुत लगता है। इधर बस में बैठे दूसरे मुसाफिर जल्दी मचाते हैं। अब यदि वह बस में चढे हुओं का टिकट काट रहा है और बस भी चल रही है और आपके आदमी ने चैक कर लिया और उस पर टिकट नहीं काटने का इल्जाम लगाएं तो यह उचित नहीं होगा। आपने इस तरह के बेईमानी आदि के आरोप लगा कर उनको निकाला है यह उचित नहीं है। आपने उनको बेरोजगार कर दिया है बहुत वेग चार्जेज लगा कर। मैंने पिछली बार भी आपको सुझाव दिया था कि आप हरियाणा पंजाब की तरह टिकट सिस्टम रखें। टिकट में नम्बर लगे होते हैं यात्री जहां जाना चाहता है वहां के नम्बर को पंच करके वह दे देता है। इसमें कारबन लगाने की और नकल रखने की और लिखने की तवालत नहीं होती। समय भी बहुत कम लगती है और बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहती। इससे आपकी चैकिंग की परेशानियां भी बच जावेंगी। टिकट न बनाने के बारे में उन पर इल्जाम लगा और न उन बेचारे कन्डक्टर्स को काम पर लगाया गया, वह बेरोजगार हो गए। व्यवस्था के लिए आपने कहा था कि सुझाव अच्छा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं हरियाणा वाला कि टिकट छपे हुए होंगे, स्टेशन के नम्बर होंगे और उनको पन्च कर देंगे और काट देंगे तो उससे न तो कार्बन लगाना पड़ेगा और न कुछ होगा। तो उस व्यवस्था की ओर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस योजना को आप तुरन्त ही कार्य रूप में परिणित करायेंगे। इससे रोडवेज की आय भी बढ़ेगी और लाखों रुपयों का नुकसान भी नहीं होगा और यात्रियों को भी सुविधा होगी और जो कन्डक्टर्स, जिनको बार बार बेघरबार कर देते हैं वह भी इस सुन्दर व्यवस्था होने के बाद बेरोजगार नहीं होंगे।

मैं समझता हूं कि इतना ही निवेदन करते हुए यही कहूंगा कि छोटी सी बात के लिए अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से धारा 213 जो संविधान की है उसका राज्यपाल महोदय के द्वारा दुरुपयोग करवाना, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन करवाना उचित नहीं है। इसलिए इस अध्यादेश को अस्वीकृत करें।

श्री मोहन लाल छंगाणी (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारीलाल जी ने जो कुछ सुझाव दिये हैं उन पर तो विचार किया ही जायगा पर मैं उनसे निवेदन आप के द्वारा करना चाहूंगा कि सिर्फ अधिकारियों के नाम का ही अमेन्डमेंट है और यह निश्चित रूप से, जो अध्यादेश के बारे में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर काफी बहस चल चुकी है और अगर हम इस टास्क फोस की रिकमन्डेशन्स को लागू करना चाहें और जिसके लिए आर. पी. जी. टी. में जो भी परिवर्तन हैं उनके लिए रुक नहीं सकते थे। उसकी बहुत आवश्यकता थी और आर्टीकल 213 के बारे में कल भी बहस हो चुकी है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता और इसीलिए इन परिस्थितियों के कारण, क्योंकि सेपरेट डिपार्टमेंट बन चुका है, टैक्सेशन की वसूली अच्छी तरह से करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं। मैं थोडा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि इस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में टैक्सेशन की वसूली का विभाग अलग बन जाने के बाद जो प्राइवेट परमिट्स देते थे रोज की 12 हजार से 15 हजार की इन्कम हो सकी है। इस प्रकार के परिवर्तन लगातार आ रहे हैं, उसके लिए जरूरी था कि उन अधिकारियों को अधिकार दिये जायें। उसी को मद्दे नजर रखते हुए यह सारे अमेन्डमेन्ट्स लगाये गये हैं और उसी आधार पर बिल बना है। माननीय सदस्य ने कहा था कि केबिनेट में एप्रूवल नहीं हुआ तो मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर के एप्रूवल के आधार पर हम अमेन्डमेंट ला सकते हैं और उसके बाद 10 अगस्त, 1974 को केबिनेट एप्रूवल हो चुका है। इसलिए जो माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया उसका आधार सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि इन सब बातों को देखते हुए माननीय सदस्य ने और भी रोडवेज के सवाल उठाये थे वह तो रोडवेज पर बहस होगी उस समय निश्चित तौर पर जवाब दूंगा। वैसे टिकट के बारे में आपने कहा था उसकी व्यवस्था हो रही है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है हम जल्दी से जल्दी उस व्यवस्था को लागू करेंगे और जो कन्डक्टर्स वगैरह का सवाल है वह इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होने की वजह से कहता हूं कि 60 पर्सेन्ट के करीब

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
हमने प्राइवेट बसेज के कन्डक्टर्स को रोडवेज की नौकरी में रखा है। यहां तक कि मोटर आपरेटर्स जो कि प्राइवेट थे उन्होंने 10 की जगह 50 कन्डक्टर्स को सर्टिफिकेट्स दिये हैं कि वह भी नौकरी करते थे। उसकी छान बीन करना मुश्किल है। उसके बावजूद ऐसे प्राइवेट कन्डक्टर्स को नोकरियों पर लगाया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह साधारण सा अमेंन्डमेन्ट है और इस बिल को पारित किया जाय।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य ने अमेन्डमेंट्स दिये हैं उनको वापिस लिया जाय और प्रवर समिति वाला भी वापिस लिया जाय और इसको पारित किया जाय।

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीजी ने एक ही लाइन में सब को बराबर कर दिया। रिज्योल्यूशन है उसको अस्वीकार किया जायेगा। आपने कहा कि इसको भी कर लो उसको भी कर लो, लगता है घर जाने की जल्दी हो रही है।

श्री फूलचन्द जैन : यह तो आपकी सुविधा के लिए कहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी: आपका प्रश्न यह था कि इसका केबिनेट एप्रूवल है या नहीं मैं आपको तारीख दे चुका हूं। 10 अगस्त 1974 को इसका एप्रूवल हो चुका है। एज मिनिस्टर कह रहा हू इसलिए मान लेना चाहिए अगर इसके बारे में और कोई प्रूफ चाहें तो आप कहीं से पता लगा सकते हैं। दूर की कौडी की बात लाते हैं। केबिनेट के एप्रूवल के बिना हम बिल को उपस्थापित ही नहीं कर सकते इसलिए केबिनेट एप्रूवल हो चुका है और उसके बाद ही बिल बना और इसलिए पेश हुआ है।

श्री रामकिशन : आप यह कह रहे थे कि सी. एम. की एप्रूवल है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप बिजनेस रूल्स से वाकफियत रखते हैं। इसलिए कि आप अंग्रेजी कम जानते हैं लेकिन हिन्दी काफी अच्छी जानते हैं। मैं आपको बता दूं एप्रूवल हो चुका है।

श्री रामकिशन : यह आप कैसे भ्रम में हो गए कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। खूब जानता हूं लेकिन इसका उपयोग नहीं होने देना चाहता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदय ने सब बातों का जवाब दे दिया लेकिन बकाया रकम के बारे में कुछ नहीं कहा ..

श्री उपाध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं निवेदन करूंगा कि लाखों रुपया लोगों में बकाया है उसका क्या हुआ?

श्री मोहनलाल छंगाणी: उसमें कार्यवाही हो रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि एक जलाई से ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के पास बकाया की वसूली का और पैसेंजर टैक्स का काम आया है और जो भी बकाया होगी उसके लिए निश्चित रूप से कह सकता हू कि उसके लिए रफ्तार तेज की जायेगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: प्राइवेट कन्डक्टर्स थे उनका क्या हुआ।

श्री मोहनलाल छंगाणी: मैं यह कहता हूं कि जहां कन्डक्टर्स ने टिकट नहीं काटे उनके लिए मैं मददगार नहीं हो सकता। इस आधार पर हटाया ··

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मेरा कहना यह है कि आखिरकार उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गयी, उनसे काम नहीं लिया तो आपने पिछली बार कहा था कि कई ऐसे कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स ह जो कि नोटोरियस हैं उनके लिए शिविर लगाये जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि···

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि करप्शन के चार्जेज पर किसी कन्डक्टर को हटाया गया है उसकी तादाद बहुत बडी हो सकती है क्योंकि हमको भी बहुत तकलीफ होती है कन्डक्टर्स के बिहेवियर से तो उनको हटाया गया इस आधार पर उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जो प्रभावशाली लोग हैं वह तो काम करें और गरीब 600 लोग हैं, जिनका कोई धनी धोरी हीं, जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गयी और जिनको केवल टिकट के आधार पर कि आपने बस चलते ही क्यों नहीं काटे मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे हो सकता है। यात्री लोग खुद कहते हैं कि बाद में टिकट लेना पहले बस चलने दो। ऐसे लोग जिन्होंने एक पैसे की बेईमानी नहीं की ऐसे 600 लोगों के लिए आपका सहानुभूतिपूर्वक रुख होना चाहिए। वरना नेशनलाइजेशन होने से वह प्राइवेट नौकरी से भी गये और उनको यहां भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आखिरकार जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया और बेरोजगार हो गए मैं समझता हूं उनके प्रति सहानुभूति का रुख अपनाना चाहिए और ऐसा आश्वासन आप देंगे ऐसी मुझे आपसे आशा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई कण्डक्टर हैं जिन्होंने टिकट जानबूझ कर नहीं काटे। यह सही है कि माननीय सदस्य भावावेश में बोल रहे हैं। उनको खुद को एक एक केस को एग्जामिन करना चाहिए। आज साढे तीन–चार सौ, पांच सौ कण्डक्टरों के केसेज ले आए और कह दिया कि सबको ऐसे ही निकाल दिया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इण्डीविजुअली एग्जामिन कीजिए अपने लेवल पर और जब आप खुद कन्विन्स हो जावें कि इस केस में ज्यादती हुई है, यह ईमानदार रहा है तो फिर आप मेरे पास लाइये। हम यह मानकर चलते हैं कि कई कण्डक्टर्स को हमने पकडा है, मैंने खुद ने कई कण्डक्टर्स को बरखास्त किया है और देखा है कि वह कण्डक्टर्स किसी न किसी बहाने से टिकट नहीं देते थे। कभी कहते कि ऐसे ही किसी अफसर ने बिठा दिया, उसने बिठा दिया, इसने बिठा दिया, ऐसे कण्डक्टर्स को निकाला गया है, डिसमिस किया गया है। ऐसे लोगों की मैं कभी भी मदद नहीं कर सकता, इसके बारे में मैं क्षमा चाहता हूं जिस पर आप विश्वास करें और आप संतुष्ट हो जावें तो मझे इंडीविजुअल केस दीजिए मैं जरूर उस पर विचार करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ···

(विराम)

माननीय प्रस्तावक महोदय, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना उचित समझेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: लेना ही पडेगा।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: वापिस लिया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष: जनमत जानने वाला प्रस्ताव है। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दीपंकर ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: वे नहीं-बोलेंगे उनको घर जाने की जल्दी है।

श्री दीपंकर : वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री अजीत सिंह ।

श्री अजीतसिंह (टोंक): ऐसा है कि जो अमेंडमेंट नया आया है, नया बिल आया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे टोंक जिले के अन्दर जो पहले पावर्स कलेक्टर और एस. पी. को थी वह खत्म होने की वजह से बडी दिक्कत पैदा हो गई है क्योंकि आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट को जयपुर के साथ लगा दिया है। अब छोटे 2 काम के लिये जयपुर आना पडता है। उनसे सारी पावर्स हटा कर हमारे यहां का जो यातायात विभाग का सारा काम था वह मेरे जिले से हटा दिया है और छोटे 2 कामों के लिए बडी भारी परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दें और ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे जिले का काम सुचारु रूप से चल सके। या तो आप क्षेत्राधिकारी आर. टी. ओ. रख दें या किसी दूसरे अधिकारी को पावर्स दें ताकि हमारे जिले का काम सुचारु रूप से चल सके।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सबसे बडी समस्या और पैदा हो गई है और वह यह है कि और तो आपने कोआर्डीनेट कर दिया है लेकिन पुलिस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस छीन लेती है उस पर आप विचार करें। मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करके कोई रास्ता निकालें। हर गाडी का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन पुलिस वाले छीन लेते हैं, इसमें बडा भ्रष्टाचार होता है, इसलिए इस पर आप विचार करके कुछ व्यवस्था करें।

तीसरा जो चालान होता है वह भी बडे भारी खर्चे का काम है चालान के अन्दर जो भी जुर्माना हो उसको आप यातायात विभाग में या आर. टी. ओ. वगैरह को कह दें कि वहां पर जमा हो जावे तो ज्यादा उचित होगा। एक का चालान होता है और उस पर जुर्माना अगर दस रुपया होता है तो उस पर खर्चा पचास रुपये का हो जाता है। आप जुर्माने की राशि आइटमवाइज तय कर दें कि किस किस अपराध के लिए क्या क्या जुर्माना होगा और वह उनसे सीधा वसूल कर आर. टी. ओ. के आफिस में जमा हो जाय इसकी व्यवस्था करा दें तो उचित हो जाएगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ।

श्री मोहन लाल छंगाणी: उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
है, यह सही है कि कुछ तकलीफ हुई है। खास तौर से हमने 26 डिस्ट्रिक्ट्स से 20 कर दिए और छः जिले रह गए हैं जिसमें टोंक भी एक है। वैसे टोंक में अलग डी. टी. ओ. का आफिस रखने का प्रोग्राम था लेकिन में, आपको वहां के व्हीकल की जानकारी दे दूं कि सिर्फ 965 हैं और मासिक पंजीकरण का औसत जो है वह आठ है। फिर भी जो छः जिले बच गये हैं उनके लिए मैं व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन, मोटर चार्जेज, मोटर व्हीकल के अंदर वर्क्स में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। फिलहाल तो दिन मुकर्रर कर दिए हैं, जिनको पैसा जमा कराना हो, लाइसेंस, फिटनेस रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो बाहर जाना पडता है वह नहीं जाना पडे और उन दिनों में वहीं पर काम हो जाय, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दूसरी व्यवस्था करने की। अभी यह तो मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता कि उस संगठन का स्वरूप क्या होगा लेकिन हम इस बारे में जल्दी ही निर्णय लेकर आपको अवगत करा देंगे।

दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया कि जो भी जुर्माना वगैरह हो वहीं पर हो जावे तो तकलीफ न हो। इसके बारे में विचार करेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जितनी भी व्यवस्था हो सके और लोगों को सहूलियत मिल सके इसकी कोशिश करेंगे।

यहां पर मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं और आप यह मान कर चलें कि छः जिले बच गए हैं जहां पर यह फैसेलिटी नहीं मिल रही है उसके लिए किस तरह से वहां पर ही फैसेलिटी अवेलेबल हो जावे, उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, इस बारे में जल्दी से जल्दी हम कदम उठायेंगे और इसके बारे में कोई भी तकलीफ या शिकायत नहीं रहेगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान यात्री एव माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो विचारार्थ लिया जाएगा।

माननीय सदस्य (श्री अजीत सिंह की ओर मुखापेक्ष) क्या मंत्री महोदय को सुनने के पश्चात् आप अपना प्रस्ताव वापिस लेना उचित समझेंगे ?

श्री अजीत सिंह : हां।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री अजीत सिंह : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974 विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा ··

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक बात निवेदन करना चाहता हूं । मैं आपके श्री मुख से ही यह सुनना चाहता हूं । आपने यह कहा कि सी. टी. एस. की 48 बसें चलीं । यह तो आपने जयपुर शहर के भीतरी भाग की बात कही है, मैंने आपसे जयपुर सांगानेर की बात कही थी····

श्री मोहन लाल छंगाणी : मैंने टोटल जयपुर शहर की बात कही है । जब वहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलती थी उस वक्त कितनी बसें थीं और आज कितनी हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव: 17 थीं ।

श्री मोहन लाल छंगाणी: अब कितनी हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव: छः हैं । जयपुर-सांगानेर की बसें छः हैं कुल ।

श्री मोहन लाल छंगाणी : मैंने जयपुर शहर की बात कही है । मैं जयपुर से सांगानेर की ही नहीं सारे जयपुर शहर की बात कह रहा हूं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जयपुर शहर की सी. टी. एस. की हालत तो बिलकुल निकम्मी है ही, मैं तो जयपुर सांगानेर बस की बात कह रहा हूं कि पहले 17 बसें सिंधी शरणार्थियों की चलती थीं, आपने उनको बन्द करके केवल छः बसें चलाई हैं जिसमें ऊपर नीचे, टायर के चिपक कर, छत पर बैठ कर लोग जाते हैं । आफिसेज हैं उधर, भले आदमी, महिलाएं और लड़के भी जाते हैं । मेरा निवेदन यह है कि जयपुर से लेकर सांगानेर तक अभी जो कुल छः बसें चलती हैं उनकी संख्या बढाई जाय । आपके हुक्म से पहले छः से सात हुई, सात से फिर छः हुई और अब छः से पांच हो गई है यह मैं आपको सूचना देना चाहूंगा··

श्री मोहन लाल छंगाणी : यह आप गलत सूचना दे रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बिलकुल सही बात है । आपने जयपुर शहर की बात कही है, भीतर की व्यवस्था तो बिगडी हुई है ही लेकिन मैं आपसे जयपुर सांगानेर की बसेज के बारे में आश्वासन चाहता हूं । जब आप प्राइवेट बसेज, जिनकी संख्या 17 थीं उनको बन्द कर दिया तो आपको भी उसके बदले में 17 बसें ही चलानी चाहिए थीं आपने स्वयं ने इस सदन के प्रांगण में, असेम्बली के इस पवित्र मंदिर में यह आश्वासन दिया था लेकिन आज सात के बजाय पांच बसें ही चल रही हैं जिनमें भी एक की हालत खराब है । पांच में एक पुच्छल बस चल रही है । कभी आप स्वयं वहां जाकर देख लीजिये । मेरी बात तो भले आप असत्य मान लें लेकिन प्रेक्टिकल देख लीजिए । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जयपुर-सांगानेर बसेज की व्यवस्था बिलकुल निकम्मी है, लोगों को बडी असुविधा होती है । बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, महिलाएं चलती हैं, सबको बडी परेशानी होती है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए आज आप यहां यह आश्वासन दें उन शब्दों को याद करते हुए तो आपकी बडी कृपा होगी वरना लोग आपकी रोडवेज की बसों, जो जयपुर सांगानेर चलती हैं, उससे बहुत दुखी हैं, गाली देते हैं, त्राहि 2 करते हैं।

श्री मोहन लाल छंगाणी : जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसमें एक पुच्छल बस है उसको मिलाते हैं तो 8 बसें हो जाती हैं ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

यह पुच्छल बस दो बसों की सवारियां लेती हैं। परन्तु माननीय सदस्य ने तो इसकी संख्या घटाकर 5 ही रख दी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि जयपुर शहर में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने पहले भी आश्वासन दिया है। परन्तु ज्योंही हमारी वित्तीय स्थिति सुधरेगी, मैं शहर की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करूंगा। परन्तु अभी मैं कोई कमिटमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं कि 10-15 बसें और बढ़ा दूं और यह रोडवेज के बस में भी नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर से सांगानेर के लिए आपने पिछले सदन में आश्वासन दिया था। वह पूरा कर दीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी: परन्तु आपने तो संख्या घटा दी है। मैंने अभी निवेदन किया है कि ज्योंही वित्तीय स्थिति सुधरेगी हम जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी चाहता हूं कि इस स्थिति में सुधार हो परन्तु हमारी मजबूरियां हैं। वैसे मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शहर की जो बस व्यवस्था है उसमें सरकार को प्रतिवर्ष दस लाख का घाटा हो रहा है और इस घाटे के बावजूद भी हम इस व्यवस्था को बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य इसमें सहयोग करेंगे कि टिकिट बराबर बंट सकें तो हमें इस घाटे में उनका सहयोग मिलेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप 15-16 बसें चला दीजिये इससे यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और आपके टिकिट भी बिक सकेंगे। आपकी व्यवस्था भली प्रकार से नहीं है इसलिये टिकिट नहीं बिकते हैं। मैं वफादारी के साथ इसके लिये प्रयत्न करूंगा और सरकार को पूरा सहयोग दूंगा पहले बसें पूरी चलाइये।

श्री मोहन लाल छंगाणी : माननीय सदस्य ने सरकार के प्रति जो वफादारी जाहिर की है उसके लिये धन्यवाद। जब भी इसके लिये व्यवस्था करूंगा उनका सहयोग लेने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप नमक खिलाइये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: यह तो मेरा धर्म है।

श्री मोहन छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

कृषि मंत्री महोदय।

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय यह प्रवर समिति को भेजने वाला मामला रह गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन लोगों ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये अमेन्डमेन्ट दिये हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन से अमेन्डमेंट की बात है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह दूसरी सूची है जिसमें रतिराम यादव, मोहम्मद गफ्फार-अली, वृद्धिचंद जैन हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विधेयक तो पारित हो चुका है ।

राजस्थान कृषि उपज विपणि संशोधन विधेयक, 1974

श्री राम किशन ।

क्या आप संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

(श्री रामकिशन द्वारा निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया गया)

संकल्प:––"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 14 मई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 9 सन 1974) को अस्वीकार करता है ।"

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रोमलगेट किया है उसको अस्वीकार करने के लिये मैंने यहां पर एक प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा । सदन में बार बार इसकी चर्चा हो चुकी है और यह चर्चा दो-तीन दिन और रहेगी । राज्य सरकार ने अधिकार का दुरुपयोग किया है । जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया है । लेकिन छंगाणी ने दुरुपयोग किया यह बात तो समझ में आ सकती है। जिस तरीके का अमेन्डमेंट वे लाये थे वह लोकहित में था लेकिन माथुर साहब आपको यह क्या सूझी ? आप कैसे इस अध्यादेश को ले आये ? आपने क्या सोचा ? आपने सोचा कि बोर्ड का गठन होना है । बोर्ड के गठन करने के लिये ऐसी कौनसी संकटपूर्ण स्थिति थी जिसके लिये अध्यादेश लाना पडा । माननीय कृषि मंत्रीजी आप तो डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं । फिर आपको डेमोक्रेटिक तरीका क्यों नहीं सूझा ? राज्यपाल महोदय को आपने ऐसी क्या परिस्थितियां सुझाईं ? ऐसी क्या संकटपूर्ण स्थितियां हैं ? यह एक ही स्थिति है कांग्रेस का संकट है और नाहर साहब को चेयरमैन बनाना है । लढ्ढा साहब से न मिल जायें इसलिये यह अध्यादेश लाया गया । इसके अलावा समझाने के लिये आपके पास और कुछ नहीं है । वरना क्या कारण थे ? आपको बोर्ड का गठन करना था वह बाद में भी हो सकता था । लेकिन जिस तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के आन्तरिक संघर्ष को हल करने के लिये, जो कि बढता ही जा रहा है, जैसे जैसे यह संघर्ष बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह सरकार मर्यादाओं को तोडने को तत्पर हो रही है। कांग्रेस दल का आपस में झगडा है । यह दल नीति हीन, आस्था-हीन और सिद्धांतहीन है । यह संगठन एक तरह से भीड है····

श्री दीपंकर : यह गलत चार्जेज आप लगा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज ।

श्री दीपंकर : ऐसे चार्ज आप नहीं लगा सकते हैं ।

श्री रामकिशन : आप इस अध्यादेश को सुधार करने के लिये नहीं लाये हैं

(श्री रामकिशन)

और आप यह चाहते भी नहीं थे। कांग्रेस दल की दलबंदी और नाहर साहब आपके साथ रहें, आपके पास एक वोट रहे और नाहर साहब की यहां पर चर्चा हो और उनकी जो स्वतंत्र हैसियत है वह रुक सकती है, उनके बारे में यहां पर चर्चा चले, अगर यही आप की मंशा है, इसको लाने में, तो आपकी इस मंशा के लिये बधाई है। आप यह बिल लाये हैं, किस तरह से बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन होगा, इसका कोई प्रावधान आपने नहीं बताया है। यह बात इसमें नहीं है। आप कोई अज्ञानी नहीं हैं। इतनी बात तो आप समझते हैं। काफी सम्पर्क में रहा हूं। यह मैं जानता हूं कि आप सूझबूझ वाले हैं। किस तरह का अध्यादेश आपने यहां रखने की कोशिश की है, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप तो यह चाहते थे नाहर साहब विरोध नहीं करें। नाहर साहब से मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरे अच्छे सम्बन्ध हैं परन्तु आप मर्यादाओं को तोड रहे हैं। आपकी मर्यादा तोड़ने की भी कोई सीमा होनी चाहिये। आपके बोर्ड के क्या फंक्शन होंगे इतना ही कह सकते हैं कि कृषि उपज मंडी में किस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसमें आपको थोडा दुबारा सोचना होगा। आज हालत क्या है कृषि उपज मंडियों की? इसके चुनाव का जो सिस्टम है वह डिफेक्टिव है। एक आदमी सात सात वोट दे देता है। कोपरेटिव के सदस्य को वोटिंग का अधिकार है। कोआपरेटिव मूवमेंट का असर भी इसमें पहुंच गया है और उसको आप जानते होंगे। खुद जाली सदस्य बना लेते हैं और कृषि उपज मंडी पर अपना कब्जा कर ले हैं। 200-250 सदस्य जाली बना लिये और उनका कब्जा हो गया। मेहरबानी करके आप इसके चुनाव कानून में परिवर्तन कीजिये। एक आदमी को सात वोट देने का जो अधिकार है उसको समाप्त कीजिये। एक आदमी को

(रात्रि 7.18)

(श्री फूल चन्द, सभापति, पदासीन)

एक ही वोट देने का अधिकार होना चाहिये। जो कृषि के मामले में रुचि रखते हों, जो कृषि ऊपज मंडी के मामले में रुचि रखते हों उनको मौका मिल सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा कोपरेटिव मूवमेंट की तरह यह मूवमेंट बन जायेगा। उसी किस्म के लोग यहां पर आरहे हैं। नई प्रतिभाएं नहीं आ रही हैं। तरह तरह के लोग ऐसे लोग हैं जो आन्दोलन के नाम पर जम कर बैठे हैं।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि मंडियों के पास पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। इसका उपयोग ठीक ढंग से किया जाये। मंत्री महोदय अपने जवाब में कह सकते हैं कि पैसे का उपयोग ठीक ढंग से हो इसलिये ही बोर्ड बनाया है। लेकिन बोर्ड अगर बनाते हैं तो उसका सदुपयोग हो सकता है यह मैं नहीं समझता हूं। सभापति महोदय, हमारी मंडी कमेटियों के पास में पैसा है। यह पैसा हरियाणा किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, यह मैं नहीं कहता कि हरियाणा के पैटर्न को स्वीकार करें या न करें लेकिन जो मंडी कमेटियों के पास में पैसा है उससे गांवों की लिंक रोड बनाने में और मंडियों में आने-जाने वाले लोगों की सुविधा के लिये पैसा खर्च किया जा रहा है। हमारी मंडी कमेटियां जो पैसा खर्च कर रही हैं वह दूसरी तरफ कर रही हैं। अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। जीपें ले रखी हैं। मैं चाहूंगा कि हरियाणा ने यह व्यवस्था की है कि कृषि उपज मंडी के

(श्री रामकिशन)

लिये सडकें बनानी होती हैं, पैसा तो होता है मंडी कमेटी का और उस पैसे को खर्च करने का और उससे काम करने का काम पी. डब्ल्यू. डी. को दे रखा है। मैं समझता हूं कि आपने जो नई व्यवस्था की है उससे आपका खर्च बढ जायेगा । वैसे ही हमारे देश पर आर्थिक संकट है । उसको मिटाने के लिए हम मजदूरों का भत्ता जमा कराने की योजना बनाते हैं । हमारे देश पर संकट है तो बजाय मजदूरों के लिए कोई नया कार्यक्रम बनायें हम उनसे 5-6 अरब रुपया बाजार से खींच लेंगे लेकिन 25 साल से विदेशी कर्जा और विदेशी धन हमारे देश में है उसकी वजह से हमारे पैसें का प्रोडक्टिव वर्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है । मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितनी मंडी कमेटियां हैं, मुझे नहीं मालूम है कि कितनी हैं, उनके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया है, लेकिन सडकें बनाने के लिये पैसा नहीं है । हमारे यहां कि सडकों की कितनी हालत खराब है । यह नया क्राइसिस देश में पैदा होने वाला है । राजस्थान में कोई काम नया नहीं हो रहा है । आप मिडिल स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हाई स्कूल खोलने की सम्भावना नहीं है, विकास के लिये अस्पताल नहीं खोले गये हैं । उनके लिये पैसा नहीं है, सडकों के लिए पैसा नहीं है । उपाध्यक्ष-महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे स्वायत्त शासन संस्थाए हों उनके पैसे के नियोजन की व्यवस्था प्रोडक्टिव कामों में होना चाहिये। यह व्यवस्था आज की राज्य सरकार की होनी चाहिये। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि मंडी कमेटियों के पास में जो पैसा है उसका उपायोग करने के लिये निश्चित आदेश होने चाहिये और उसकी ठीक ठीक देखभाल होना चाहिये ताकि बोर्ड उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करे, और अगर बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो जो हरियाणे ने व्यवस्था की है कि हर गांव को सडक से जोडा है तो बंसीलालजी ने कोई चमत्कार नहीं किया है । जिनका पैसा था उनको उसी दिशा में लगाया है । उन्होंने हरियाणा में गांवों की लिंक रोड्स बनाई हैं और मंडी कमेटियों ने पैसा दिया है और काम पी. डब्ल्यू. डी. ने किया है । यहां पर जो भी प्रस्ताव गये तो एग्रीकल्चर विभाग में पडे रहे । एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसको इस काम को देखना चाहिये वह या तो दकियानूसी दृष्टिकोण अपनाता है इसलिये आपका काम नहीं हो पा रहा है ।

जिस उद्देश्य से आपने अध्यादेश निकाला है उससे आप भी कन्विन्स्ड नहीं हैं । आपकी मजबूरी हो सकती है । मैं किसी विभाग के बारे में चर्चा नहीं करता हूं लेकिन यह आपका एक टेस्ट है । यह अध्यादेश गलत था । इसकी जरूरत नहीं थी । बिल के मारफत ही इसको कर सकते थे । नाहर साहब को बनाना था इसलिए बोर्ड का गठन करना था उसको वाइंड कर दिया और दो मेम्बर और बढा दिये । इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था कि इस काम के लिये कोई अध्यादेश लाया जाय और आप जैसी वृत्ति वाले मंत्री लायें । यह आपका सोचना नहीं लेकिन यह जाहिर है कि भीलवाडा की कांग्रेस आपके खिलाफ जा रही थी और वह लढ्ढा साहब से मिल जाते तो इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं था ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह चापलूसी की बात कर रहे हैं ।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री रामकिशन : आप बोल गये क्या ? वह व्यवस्था टूट गई क्या कि आप नहीं बोलेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय सभापतिजी, यह अध्यादेश 14 मई, 1973 को लागू किया गया···

श्री रामकिशन : आप तारीख बता रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य सरकार ने अध्यादेश निकालने का फैसला कब किया ? 6 तारीख को असेम्बली समाप्त हुई और उसी दिन कर लिया····

श्री दीपंकर : गिरधारीलालजी, दोनों बातें साथ बोलते जायं ताकि दुबारा नहीं बोलना पड़े ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अप्रेल में विधेयक ला सकते थे, पर जो भाई रामकिशन जी ने बात कही उसका समर्थन करते हुए मैं उस बात को उस रूप में नहीं लूंगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह फैसला संविधान वाला, 213 वाला, अपने आप पर आये हुए संकट को टालने के लिये इस आर्डिनेन्स को आपने बनवाया है। मैं यहां पर यह भी नहीं कहना चाहूंगा कि नाहर साहब जिनकी मैं इज्जत करता हूं उनकी कोई ईमानदारी पर, उनकी कोई योग्यता पर मैं संदेह कर रहा हूं। दो महीने पश्चात् भी यदि यह बिल के रूप में आ जाता तो मैं समझता हूं कि कोई गजब नहीं हो जाता। ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी । ऐसा लगता है कि जो बात भाई रामकिशनजी ने कही कि जो राजनैतिक विरोध था, मेवाड़ की राजनीति में जो उथल-पुथल आने वाली थी, राजनैतिक इम्बैलेन्स आफ पावर जो होने वाला था, मैं समझता हूं कि उसके लिये यह जरूरी था । तो जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि नाहर साहब····

श्री पूनमचंद विश्नोई : कोई असाधारण परिस्थिति होगी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माथुर साहब या कांग्रेस पार्टी के लिये होगी । इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता आपके लिये थी राजस्थान के लिये नहीं थी । फिर मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं नाहर साहब के बारे में सम्मान रखते हुए कि आपने जो बोर्ड का गठन किया तो नाहर साहब को ही खाली नियुक्त क्यों किया ? क्या कोई कांग्रेसी हारा हुआ विधायक नहीं था क्योंकि आपको उसको काम देना ही था या कोई किसान विधायक हो सकता था क्योंकि यह किसानों से सम्बन्धित प्रश्न है । यदि किसी किसान कार्यकर्ता विधायक को लगाते तो भी मैं समझता हूं कि आप पर शकशुबहा नहीं करता। वह किसान हैं नहीं । बैलेन्स आफ पावर बनाने के लिये, अपने संकट का निवारण करना था इसलिये आपको आर्डिनेन्स निकलवाना था और आपने असाधारण परिस्थिति आपके कारण पैदा कर दी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो पद है उसका भी दुरुपयोग करवाया है और यह विधान सभा का तो अपमान है ही । निवेदन करना मेरा यह है कि भीलवाडा के राजनैतिक विरोध का आपको शमन करना था इसलिए माननीय मंत्रीजी ने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसके नाते यह आर्डिनेन्स निकाला है। टाइम बढ़ाने का अधिकार भी लिया गया है। और आज तो यह हालत है कि कृषि उपज-मंडियों की कि ज्यादातर पक्षपात और कुनबापरस्ती का घर बनी हुई हैं। पदधारी लोग अपने-अपने लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पर नौकरी दे रहे हैं। नौकरी देकर उनको वहां पर काम दे रहे हैं उनको वहां पर काम दे रहे हैं कि तुम यहां पर बने रहो और बने रह कर किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस का प्रचार करते रहो।

मंडियों ने 25 पैसा टैक्स लगा रखा है और आपने एक रुपया टैक्स वाली बात कर दी और आपने यह बात कर दी कि टैक्स लगाने का अधिकार होगा आपको। आपने कहा कि एक रुपया आपको लेना पड़ेगा। टैक्स हम लगा रहे हैं और वसूल तुम करो। एक रुपया वाला विधेयक अब आ रहा है। 25 पैसे से एक रुपया करने की बात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से आपने कर दी। यह भी एक प्रकार से बहुत बडा अन्याय हो रहा है। आखिर में यह बिल पास हो जाता है और कम्पलसरी टैक्स करते तो बात समझ में आ जाती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि-उपज मंडियों के पास खूब पैसा पडा है। न सडकों की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न दुकानों की व्यवस्था है और न किसी प्रकार की व्यवस्था है। निवेदन करना यह है कि वहां पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कृषि उपज मंडियां जो बनी हुई हैं उनके सेक्रेटरीज का केवल ट्रान्सफर हो जाय इन सारी बातों में लगे हुए हैं। और हालत यह है कि दो पब्लिक मैन जो इसमें लेने हैं और अब पब्लिक मैन नियुक्त करना है, अब पब्लिक मैन में और भी लोग हो सकते हैं। पर आपके सामने तो कोई पैमाना नहीं है। सेवाधारी वही होगा जो आपकी कांग्रेस पार्टी का आदमी होगा। और कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी दृष्टि में वह कांग्रेस कार्यकर्ता होना चाहिए। उसको आप नियुक्ति देकर रोजगार दे रहे हैं। पंचायत में तो आपके आदमी बैठे हैं। कृषि उपज मंडी एक दादागिरी का केन्द्र बना दी है। हर क्षेत्र में कांग्रेस के लोग आने चाहिएं। दूसरा नहीं आना चाहिए। *मैं समझता हूं कि यह राजनीति कब समाप्त होगी? सडा गला अनाज मिलता है। यहां के जो पदाधिकारी हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। मैं ससम्मान कहूंगा कि उस पद पर आपने नाहर साहब को बैठाया है। यह उनके लिए उपयुक्त तो नहीं है। जो भी दलील देंगे आप उससे भी बडी दलील देंगे। उससे भी बडी दलील देकर बिल को पेश करेंगे। आप अपने दामन को साफ रखने के लिये कहेंगे कि मेरे पर कोई संकट नहीं था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको अस्वीकार किया जाय। मैं तो यह कहूंगा लेकिन अगले सत्र में आ जायेगा।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली।

(अनुपस्थित)

प्रो. केदारनाथ (अनुपस्थित) : माननीय मन्त्रीजी।

---

* ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) रामकिशनजी गये क्या ?

श्री रामकिशन : फरमाइये, मैं बैठा हूं । (अन्य सीट से)

श्री शिवचरण माथुर : मैं ही पूछा आप दिखायी नहीं दिये, इसलिये सभापति महोदय, कृषि उपजमंडी में जो संशोधन किया गया है····

श्री रामकिशन : सत्य निष्ठा से कहियेगा ।

श्री शिवचरण माथुर : यह कहा गया है कि ऐसी क्या असाधारण परिस्थिति थी । इसे सदन में लाया जा सकता था । मैं निवेदन करूंगा कि कृषि उपज मण्डी के बारे में गम्भीरता से चिन्तन करेंगे तो आपको इस बारे में पता चलेगा । वैसे तो इस पर श्री रामकिशनजी ने कह दिया है विनोद में, उसका मैं कोई बुरा भी नहीं मानता हूं ।

श्री रामकिशन : विनोद में कहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो कोई बुरा नहीं मानता । भार्गव साहब ने भी कोई बुरी भावना से नहीं कहा है । लेकिन विरोध में कहा है । मेरा खयाल है, राजस्थान में 10 साल पहले अगर समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग इसका विरोध नहीं करता तो राजस्थान इस आन्दोलन में कहीं आगे होता । 10 वर्ष पिछड़ गया है ।

एक माननीय सदस्य: मैं निवेदन करूंगा···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें । आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : कुछ लोग हमारे देश में तरक्की पसन्द नीतियों का विरोध करने के आदी हो गये हैं। वह हमेशा सरकार की अच्छी नीतियों के बीच में आया करते हैं । लगातार कोर्ट में लोग घसीटते रहे, नतीजा यह हुआ है कि 10 साल पीछे पड गये । उसका नतीजा यह हुआ कि आज पंजाब और हरियाणा के अन्दर यह आन्दोलन जिस तेजी से बढा है, उसके कारण वहां पंजाब में इस वर्ष बजट में नया टैक्स इन मण्डी कमेटीज पर लगा दिया है। वहां पर 1 रु. 25 पै. से बढ़ाकर 2 रु. 50 पै. कर दिया है । जिसने वहां 25 करोड रुपया मण्डी कमेटियों को दिया है । जिससे वहां पर उनका और विकास किया जायेगा बोर्ड बनाने के बाद मेरा दिमाग उधर गया है । सबसे पहले मैंने यह देखा कि राजस्थान के अन्दर इस महत्वपूर्ण आन्दोलन की पोजीशन क्या है । मेरी यह इच्छा रही, जिस समय कि बजट सैशन चल रहा था, किसी न किसी प्रकार इसको पेश करता । लेकिन बजट के समय हैवी एजेण्डा था जिससे कि यह पेश नहीं किया जा सका तथा फाईनेंस ईयर की शुरूआत हो गई । फिर भारत सरकार द्वारा यह कहा गया था कि जब तक कोई एजेन्सी नहीं बनाई जायेगी तब तक सैन्ट्रल असिस्टैंस मिलने में हमें दिक्कत होती है । भारत सरकार ऐसी बोडी को जिसका कोई स्वरूप है, जो सबको कोआर्डिनेट करके चल सके । हमने लॉ डिपार्टमेंट को यह भेजा था । असेम्बली के सामने उस समय बहुत बडा एजेण्डा था । इसलिये उस समय नहीं आ सका । मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार यह चाहती थी कि एक सैण्ट्रल बोडी बनाई जाये । ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके । इस बोर्ड को बनाने का प्रस्ताव मूल एक्ट में है । बोर्ड का प्रावधान उसमें था । लेकिन बोर्ड को बनाने में कई

((श्री शिवचरण माथुर)

दिक्कतें सामने आती थीं। बहुत सी मण्डी-कमेटियों का चुनाव नहीं हुआ था। मण्डी-कमेटियां जो सबसे पहले बनाई हैं काम चलाने के लिहाज से, उन्हीं को कमेटी का रूप दे दिया जाता है। मैंने सोचा ऐसी एक व्यवस्था बोर्ड के संबंध में भी कर दी जाये तो निश्चित रूप से बाद में इलेक्टेड बोर्ड बन जायेगा। अब जैसा कि माननीय रामकिशन जी ने और माननीय गिरधारीलाल जी ने कहा है, मण्डी कमेटियों के पास अनयूटिलाइज्ड पैसा पड़ा हुआ है। सही बात यह है कि अनयूटिलाइज्ड सरप्लस मनी के रूप में करीब 2 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है। और, अगले साल से 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इकट्ठा हो जायेगा। इस प्रकार से 40 करोड़ रु. मिल सकता है। इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी करने के लिए यह जरूरी था। सही तौर से मण्डी कमेटी का निर्माण करने के लिए, सही उपयोग करने के लिए, यह सेन्ट्रल एसोसिएटेड बॉडी हो। जिसके पास विशेषज्ञों की टीम हो। जो इसके आधार पर कार्य कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यह जरूरी बात है गंगानगर के लोग आते हैं और कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केनाल के ऊपर ब्रिज बना दीजिये, ठीक रोडस बना दीजिये ताकि हमारा सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडियों में आ जाय। कई प्रकार की बात दूसरी आती हैं। उन बातों को प्राथमिकता के आधार पर काम करने वाला बोर्ड होना चाहिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि वैज्ञानिक तरीके से, साईन्टिफिक तरीके से राजस्थान में काम करेंगे, बोर्ड बनने के बाद। हमारी इच्छा यह है, इसके अन्दर में सुव्यवस्थित इंजिनियरिंग सेल क्रियेट किया जाय, जो मंडियों में निर्माण कार्य है, उस कार्य को करवाये। अभी रामकिशन जी ने कहा कि हरियाणा में पी. डब्ल्यू. डी. को देकर नया पैटर्न कायम किया है। मैंने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पी. डब्ल्यू. डी. को देते हैं तो पी. डब्ल्यू. डी. में पहली प्रायोरिटी इस काम की नहीं रहती है क्योंकि उनके पास लम्बा चौड़ा काम है, उसमें कार्य के हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं। मैं यह भी बता दूं कि पी. डब्ल्यू. डी. कोई कन्स्ट्रक्शन का काम करता है तो 17 पर्सेन्ट सुपरवीजन चार्जेज के लेता है। औसतन 2 करोड रुपये का काम प्रति वर्ष मंडी कमेटी करवाये तो 35 लाख रुपये पी. डब्ल्यू. डी. को सुपरवीजन चार्जेज के देने पड़ेंगे उसके मुकाबले में, जैसा प्रस्तावित किया है सुझाया है बोर्ड को, बोर्ड के पास इंजिनियरिंग सेल हो, जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजिनियर के केडर का आदमी हो, वह सुपरवीजन के लिए उपलब्ध हो, और इंजिनियर्स की टीम हो असिस्टेन्ट इंजिनियर्स हो तो सबका मिला कर 4 लाख रु. खर्चा रहेगा, और इससे 2 करोड के काम का सुपरवीजन वह कर सकेगा। उसके मुकाबले पी. डब्ल्यू. डी. को काम देते हैं तो 35 लाख रुपये सुपरवीजन चार्जेज देने पड़ेंगे और प्रायोरिटी का सवाल नहीं है। इस बोर्ड के पास अगर इंजीनियरिंग सेल होता है, तो कम खर्चा होगा और काम के लिए वह बोर्ड को आन्सरेबल होगा, और बोर्ड जो चार्जेट देता है, जो प्राथमिकता निर्धारित करता है, उसके अनुकूल काम होगा। यह बात साफ थी हमारे दिमाग में।

रही नाहर साहब को चेयरमैन बनाने वाली बात, नाहर साहब को मेरे से जोड़ने

(श्री शिवचरण माथुर)

वाली बात। नाहर साहब मेरे पुराने मित्र हैं, इसमें बैलेन्स आफ पावर का सवाल नहीं था। ठीक बात है. नाहर साहब का नामीनेशन हो गया। मैं कहता हूं कि पहले बोर्ड में नामीनेट करने के लिए नाहर साहब से उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सकता। उनकी भूमिका पुरानी है। मार्केटिंग के आन्दोलन को आगे बढाने के लिये उन्होंने सारे आन्दोलन का अध्ययन किया है इस आन्दोलन को पूरी तरह से देखा है। हम जानते है कि नाहर कमेटी के रूप में उन्होंने एक्ट को देखा और देख कर नई सिफारिशें सरकार को की और उसके अनुकूल बहुत से परिवर्तन एक्ट में लाये हैं। उन्होने बेसिस इस आन्दोलन में दिया है और बहुत गहरा सम्बन्ध 1967 से लेकर आज तक इस आन्दोलन से रहा है। मैं समझता हूं यह बात, ठीक है, विरोध की दृष्टि से कह सकते हैं कि नाहर साहब को बैलेंस आफ पावर के लिए जो इधर से उधर हो रही है, उसको ठीक करने के लिए रखा है। आप हृदय से समझ सकते है कि नाहर साहब का नामीनेशन उपयुक्त काम था। मैं समझता हूं, उनसे बढ कर अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता है। यदि सही दृष्टिकोण से सही परिप्रेक्ष्य से सोचें। आलोचना की दृष्टि से आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं मानता हूँ, नाहर साहब को इस पद पर नामीनेट किया जाना, इस पद को प्रतिष्ठा देने वाली बात है और इस काम को आगे ले जाने वाली बात है ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किसान हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : किसान का सवाल नहीं है। पहले नामीनेटेड बोर्ड में किसान आये और वह चलायें—यह जरूरी नहीं है। बहुत बडे पर्सपेक्टिव में सारा काम जमे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसान हो। अगली दफा किसान आ सकता है, क्या बात है ! प्राथमिक भूमिका के रूप सारे मंडी आन्दोलन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था और इस भूमिका के रूप में नामीनेशन किया है—यह उपयुक्त था। इसके वाजिब कारण उपलब्ध थे, जिनके अन्तर्गत हमको दो असेम्बली के बीच आर्डिनेन्स लाने की बात कही गई। मैं बताऊं, जैसा मैंने निवेदन किया मेरी इच्छा थी कि पिछली असेम्बली में यह बिल आ सकता लेकिन वह नहीं आ सका। अब अगस्त में बिल के रूप में आता, तो इससे पहले तीन चार-माह का बहुमूल्य समय था, जिसमें इस काम को करवाना था, वह निकल जाता तो एक साल का पूरा कार्यक्रम आधा रह जाता क्योंकि असेम्बली इसको पास करती, उसके बाद में बोर्ड का गठन होता, उसके बाद में सारी तैयारी होती उसके पहले जो आवश्यक कार्य थे, वह हो चुके हैं, कई प्रोजेक्ट राजस्थान के तैयार हो चुके हैं, तो कई होने को हैं। राजस्थान में बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनको तैयार करके फाइनेंसिंग के लिए सबमिट किया है। मैं समझता हूं कि बोर्ड के पास ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की सेवा मिलती है तो यह काम आसानी से हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जहां जहां मैं गया हूं, कृषि उपज मण्डी के लोगों ने इसका स्वागत किया है और सही दृष्टिकोण से इस कदम को सराहा है ...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : किस बात को सराहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : इस बोर्ड के नामीनेशन को।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नाहर साहब को बनाया है वह ?

श्री शिवचरण माथुर : नाहर साहब को सराहा है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपकी दृष्टि से इस बोर्ड के चेयरमैन के नाते वह उपयुक्त हैं । आपकी दृष्टि से मंत्री मण्डल में लेने के उपयुक्त हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता था आप लोग इस आन्दोलन को गति देने के लिए इस कदम का समर्थन करके यह कहते कि जो पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, प्रतिक्रियावादियों ने इस आन्दोलन को पीछे ले जाने के लिए जो रोड़े अटकाये हैं, उनको मिटाने के लिए ताकत देते और कहते कि इस आन्दोलन को आगे बढ़ायें। इसी आशा के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आपने इस अध्यादेश को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में कृपा करके वापिस लेने का कष्ट करें ।

श्री रामकिशन : इस प्रस्ताव पर मैं विशेष दलील नहीं देना चाहता और उसके बिना ही कह देता हूं कि आपने अध्यादेश को अस्वीकार करने का विरोध किया है । वह सवाल यह नहीं है कि नाहर साहब क्यों हैं । आपने इस आन्दोलन के सिलसिले में प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी लोगों की बात कही । लेकिन असली बात यह है कि वह स्थितियां क्या थीं जिनके कारण यह हुआ । नाहर साहब को बनाया, मैं कह सकता हूं कि मुझे इसका विरोध नहीं है ...

एक माननीय सदस्य : यह कहिये, नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं आपके प्रगतिशील आन्दोलन का समर्थक रहा हूं । नाहर साहब उपयुक्त व्यक्ति हैं या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या मैं मेम्बर नहीं हूं । पब्लिक मैन का मतलब क्या केवल कांग्रेसी से है । अगर ऐसा है तो आप लिखें कि पब्लिकमैन का मतलब कांग्रेसी मानेंगे । आपने अधूरी बात कही है, आपने पूरी बात नहीं कही । भीलवाड़ा का झगड़ा था आपका; इसलिए नाहर साहब को चुन करके दबाव डालने की कोशिश की है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अध्यादेश को अस्वीकार कर देना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रामकिशन जी को चेयरमैन बना देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी के विस्तृत विचार सुनने के बाद आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना पसन्द करेंगे ?

श्री रामकिशन : हम तो वापिस जा रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : भार्गव साहब आप ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं, जब कहा है वापिस लेने को ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति मांगी है, वह दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं ।

श्री खेत सिंह : वह बाहर चले गये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप वापिस लायें। आप मुख्य सचेतक हैं, आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : गिरधारी लाल जी बोलेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं बोलूंगा!

श्री उपाध्यक्ष : दीपंकर जी बोलेंगे?

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1974, जो ग्राडिनेन्स के बाद विधेयक का रूप देने के लिए उपस्थित किया गया है, वह राज्य सरकार द्वारा ग्राज की परिस्थिति में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कदम से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में, जहां काश्तकार बसते हैं, न केवल विकास होगा बल्कि काश्तकार को उपज मण्डियों का विकास करने में बहुत बड़ा उत्साह मिलेगा ग्रौर योगदान होगा।

इस बोर्ड का गठन इस तरीके से किया गया है, उसके लिए यह मेरा निवेदन है कि ग्रभी यह नामीनेटेड है, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया परन्तु इसके चेयरमैन ग्रौर वाइस चेग्ररमैन नामीनेटेड रहेंगे---ऐसा नहीं रह कर ग्रौर इनका चुनाव होना चाहिए, यह चुनिन्दा बोर्ड रहे तभी यह ग्रच्छा होगा ग्रौर इसके ग्रभी जो इन्टेग्रिटी में कई तरह के सन्देह व्यक्त किये जा रहे हैं, वह नहीं रहेंगे। ग्रभी नामजदगी रखी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लम्बे ग्रर्से से नाहर साहब माननीय सदस्य रहे हैं, उनका प्रभाव है ग्रौर जब कि डेमाक्रेसी है ग्रौर पार्टी का रूल है, उनकी निगाह में पार्टी का ग्रादमी हो, जिनका जहां उपयोग किया जा सकता हो वहां ग्रगर कर लिया गया हो, उसको दूसरी राजनीति से जोड़ना, मैं समझता हूं, कांग्रेस के विरोध म झूठा इल्जाम लगाना है, मंत्री महोदय पर छींटा कसी की गई है। मेरा निवेदन है कि इससे बढ़ कर कोई सही काम है नहीं कि नाहर साहब को चेयरमैन बनाया गया है। जहां तक मंडियों का सवाल है, इसको ग्रौर व्यापक बनाना चाहिए ग्रौर मंडियों से इसका संबंध ग्रौर ग्रधिक जोड़ा जाना चाहिए। केवल चुनाव हो जाना, पैसा इकट्ठा करना ग्रौर पड़े रहना कोई मंडियों का काम नहीं है। मंडियों में जिस तरह से व्यापारी लोग घुसे हुए हैं ग्रौर मंडी कमेटियों को काम नहीं करने देते, कोई व्यापार सही तरीके से कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं होने देते, इस सबकी निगरानी के लिए बोर्ड सक्षम रहेगा लेकिन इसके मार्गदर्शन में मंडियां ग्रच्छा विकास कर सकेंगी, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पी. डब्ल्यू. डी. किसी तरह से ग्रगर ग्रपने बजट में व्यवस्था नहीं कर पाती कि वह लिंक रोड्स बना सके तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में मंडियों की ग्रोर से इस तरह की सड़कें बनेंगी तो विकास होगा परन्तु इनके जो चुनाव होते हैं, इनके लिए जितना बड़ा दायरा है ग्रौर पदाधिकारियों के चुनाव करवाए जाते हैं, यह एक खर्चीली पद्धति है, इसको किसी तरह से इस बोर्ड के साथ सम्बन्ध जोड़ कर एक ऐसी इकाई बनाई जानी चाहिए जिससे कम लोग इकट्ठे हों ग्रौर कम समय में प्रतिनिधियों के चुनाव हो सकें ग्रौर ग्रच्छी मंडियों का निर्माण हो सके। इस दिशा में मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। चुनाव का इस समय जो खर्चा बैठता है वह पंचायत समितियों

(श्री दीपंकर)

के चुनाव के खर्चे से कहीं ज्यादा है। एक मंडी में एक आदमी 7-7 वोट्स देता है और दो-दो सौ तीन-तीन सौ आदमियों की बरात आती है, इकट्ठे होते हैं, उनके ठहरने आदि की व्यवस्था में खर्च होता है, उस खर्चे से बचा जाए और सही चुनाव हों, ऐसी व्यवस्था करे।

जहां तक खर्चीले चुनाव हैं इसके पीछे दुकानदार हैं। चाहे किसानों के द्वारा चुनने का बहाना बना दें लेकिन वास्तव में वही दुकानदार होते हैं, वही अपने समर्थकों को खड़ा करते हैं और मंडियों पर कब्जा करते हैं। इसलिए ज्यादा फर्क नहीं होता है व्यापारियों में और मंडियों में। इस तरह मंडियां व्यापारियों के हाथ में चली जाती हैं और इससे जो व्यापार का दर्जा बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ता। इसलिए इनको उनसे मुक्त रक्खा जाए। जहां तक व्यापारियों का मार्केटिंग सोसाइटीज में या मंडियों में घुसने का सवाल है, उसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय काम में लेना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो सही मायने में वह किसानों की सभा होगी। जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि काश्तकार किसी तरह का उत्सव करते हैं तो उसके खर्चे में कमी नहीं है। उसके खुद के विकास का सवाल आएगा, सुविधा का सवाल आएगा तो जिस तरह से दूसरे राज्यों के बारे में मंत्री महोदय ने बताया, अगर आप और बढ़ाकर टैक्स की बात करेंगे तो लगा सकेंगे। ऐसी हालत में जो बोर्ड का गठन किया गया है, यह बहुत अच्छा कदम है और इस कदम को और अधिक प्रगतिशील बनाए जाने के लिए जरूरी है कि जिस तरह से प्रतिनिधि औरों के भी लिए जा रहे हैं व्यापारियों के भी लिया जाना तय किया है। मैं नहीं समझता व्यापारियों के प्रतिनिधि लिए जाने के बाद व्यापारी लोग अपने तरीके से रोल अदा करेंगे इस बोर्ड में परन्तु किसी तरीके से मंडियों के प्रतिनिधि इस बोर्ड में बनाएं सरकारी अधिकारियों के अलावा तो अच्छा होगा और जितना कदम उठाया है वह सराहनीय है और ग्रामीण क्षेत्रों और काश्तकारों के लिए बहुत अच्छी चीज है।

चुनाव पद्धति में कमी यह है कि एक आदमी एक साथ 7 वोट दे देता है, इस तरह से उलझन हो जाती है और गलत वोट भी पड़ जाते हैं . .

कुछ माननीय सदस्य : लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री दीपंकर : बहुत सी जगह मंडियां बनाए जाने की व्यवस्था है। एक मंडी में चुनाव भी हुए हैं परन्तु मंडियों का कार्य क्षेत्र शुरू नहीं हुआ। बहुत सी जगह मंडियां बनाई हैं जहां पर दो-दो तीन-तीन तहसीलें शामिल हैं। इससे बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को आने जाने में पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, समय की बरबादी होती है इसलिए जिस जगह पर जहां ज्यादा उपयुक्त है वहां एक छोटे दायरे में करना चाहिए, उपज मंडी का दायरा ठीक किया जाना चाहिए। मेरा इस प्रस्ताव को जनता की जानकारी के लिए रखने के लिए उद्देश्य यह था कि जितने प्रगतिशील कदम उठाने की मंत्री महोदय कह रहे हैं उससे कहीं और व्यापक स्तर इसको बनाया जाना चाहिए तो अच्छा था। फिर भी जितने कदम उन्होंने उठाए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं और जिन परस्थितियों में उन्होंने इस अध्यादेश को जारी करवाया उन

(श्री दीपंकर)

परिस्थितियों को उपयुक्त मानते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचंद जैन, (अनुपस्थित) ।
श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है उस संबन्ध में मैंने अपना प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए रखा है । मेरा आरोप है कि सरकार धीमी गति से चल रही है । इसको अपनी गति तीव्र करनी चाहिए और पीसमील में जो संशोधन आ रहे हैं, ये समुचित तौर पर कभी के आने चाहिए थे । मैं कुछ प्रगतिशील संशोधनों के लिए सुझाव पेश करूंगा और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र आप उन चीजों का समावेश करें अन्यथा हम राजस्थान में 10 वर्ष पीछे रह गए हैं और मुझे भय है कि हम और पीछे न धकेले जायं । राजस्थान ज्यादातर कृषि प्रधान प्रदेश है क्योंकि यहां की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । यदि वर्तमान मूल्यों का मूल्यांकन किया जाए कि राजस्थान की इस वर्ष राज्यीय आय क्या होगी तो लगभग 2400 करोड़ । उसमें से 1200 करोड़ लगभग कृषि उपज से प्राप्त होगी । 1200 करोड़ में से किसान अपने उपयोग के लिए अनाज पैदा करता है और सरप्लस बाजार में बेचता है । मेरे अनुमान से इस वर्ष किसान 750 करोड़ की कृषि उपज का वितरण करता है ।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रोसेस्ड और सेमी-प्रोसेस्ड कमोडिटीज हैं जैसे गुड़ है, शक्कर है, उनका भी अगर मूल्य को आंका जाय तो करीब एक हजार करोड़ रुपया होगा । राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक के होने से कृषि उपज का सारा विक्रय इन मन्डियों के द्वारा होगा । सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम इस मामले में काफी पिछड़े हुए रहे हैं । अब हम इसके लिये कोशिश कर रहे हैं यह अच्छा है । सभापति महोदय किसानों के लिये एक अंग्रेजों के जमाने में सन् 1930 में यानी कि बीसवीं शताब्दी के थर्ड डिकेड में, तीसरे दशक में एक रोयल एग्रीकल्चर कमीशन भारत में आया था । उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिये एक एक्ट बनाया था । यह एक्ट सिर्फ किसानों को प्रोटेक्शन देने के लिये था । अब यह जो बिल सदन में आया है यह किसानों को लाभ देने वाला है । अंग्रेजों के जमाने में इस एक्ट के तहत कुछ कदम उठाये गये थे । जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां पर कृषि उपज का विक्रय करीब एक हजार करोड़ रुपये का होता है । कृषि वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि इसमें पांच प्रतिशत कृषि उपज का वैज्ञानिक स्टोरेज नहीं होने की वजह से नष्ट हो जाता है । इसका कारण यह है कि हमारे पास साईन्टिफिक स्टोरेज नहीं हैं । हमारे पास ऐसे गोदाम नहीं है जिससे कि उनका वेस्टेज बचाया जा सके । सभापति महोदय, यह अनाज व्यर्थ ही नष्ट होता है । अगर हमारे पास साईन्टिफिक ढंग से रखने के गोदाम हों तो काफी अनाज बच सकता है । आज हमारे गोदाम साईन्टिफिक नहीं है । इसके अलावा यह भी है कि व्यापारी वर्ग ने होर्डिंग कर रखे हैं । उन्होंने गली गली में अपने गोदाम रख रखे हैं । एक गोदाम इस गली में है तो दूसरा गोदाम उस गली में

(श्री अमृतलाल गहलोत)

इससे काफी अनाज नष्ट होता है । इसके अलावा यह भी है कि आज शहरों में नगर नियोजन ठीक ढंग से नहीं होने से भी काफी नुकसान होते हैं । आज बैटर टाउन प्लानिंग नहीं होने से तथा माल बेचने की जगह नहीं होने की वजह से मन्डियां नहीं होने की वजह से भी किसान को काफी नुकसान होता है । आज छोटे छोटे व्यापारी उसका अनुचित लाभ उठाते हैं । इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि नयी मन्डियों का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि किसानों का हित हो । इसके अलावा सभापति महोदय आजकल एक बात और शुरू हो गयी है वह है खाद्यान्न में मिलावट आजकल फूड एडल्ट्रेशन काफी मात्रा में पाया जाता है । सभापति महोदय, हालांकि हमारे यहां पर प्योर फूड एक्ट बना हुआ है पर फिर भी आज हमारे देश में खाद्यान्न में काफी मिलावट पायी जाती है । इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि ठोस कदम उठाय । अगर राज्य सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाये तो मैं समझता हूं काफी लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है । इस पर अधिक नियन्त्रण रखने की जरूरत है । सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि जो संशोधन किया जा रहा है वह स्वागत योग्य है। सभापति महोदय फिर भी हमारे इसमें काफी खामियां हैं । उनको दूर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आज हमारे प्रदेश में मन्डियां बहुत ही कम हैं इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है सभापति महोदय, कि नयी मन्डियों का निर्माण होना चाहिए । आज प्रदेश में जो मन्डियां हैं वह नहीं के बराबर हैं । हमारे यहां पर करीब 90 या 100 प्रोजेक्ट होने चाहिये । इसके लिये 400-500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक हजार करोड़ रुपये का विक्रय होता है एक परसेन्ट के हिसाब से हमको एक वर्ष में दस करोड़ रुपया मिल सकता है । और हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से चला सकते हैं । हमारे यहां पर इसके लिये सेन्ट्रल कोर्डिनेशन बोर्ड बनाया जाना चाहिये । और यहां पर इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे कि एन्टी होडिंग और साईन्टिफिक बेसिस पर अनाज का स्टोरेज किया जाय । बैटर टाउन प्लानिंग किया जाय जिससे कि इन मन्डियों से कृषकों को लाभ पहुंचे । आज अभी मैं टाउन प्लानिंग में सड़कों के बारे में नहीं निवेदन करूंगा। सड़कों को आज हमारे यहां पर बहुत हालत खराब है । वह मैं कल सदन में बोलूंगा । सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रफ्तार से हम इस ओर चल रहे हैं यह बहुत ही धीमी चाल है । आज इसमें बहुत से सुधार करने की जरूरत है क्योंकि इसमें काफी खामियां हैं । इसलिये मैंने यह सुझाव दिया कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि इस बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें । चूंकि हम काफी पिछड़े हुए हैं और कहीं आगे और नहीं पिछड़ जांय इसलिये हमें इस ओर ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है । मेरा इसीलिये यही निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय ताकि इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करके एक नये बिल की शेप में हाउस में प्रस्तुत किया जाय ।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, आज सदन में एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के निर्माण के संबंध में एक बिल पेश हो रहा है उसका मैं तो स्वागत करता हूं। सभापति जी, मैं और मेरी पार्टी के सदस्यों की तो हमेशा से ही यह राय रही कि मन्डियां कायम की जायं और इन मन्डियों को रेग्यूलेट करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये। जिससे कि आज जो किसानों का शोषण हो रहा है और खास तौर से यह शोषण उस वक्त होता है जब कि काश्तकार की फसल कटने के बाद जो उनके उचित लाभ पहुंचाने के लिये जो हर प्रकार के रोड़े चाहे व्यापारी वर्ग के द्वारा हों, या और किसी तरहं से हों, अटकायें जाते हैं उन्हें समाप्त किये जायं। आज कानूनी कई खामियां होने की वजह से इसमें काफी डिले हुआ है। फिर भी ठीक है देर आयद दुरुस्त आयद। अब हमारे यहां पर वैटर हाउसिंग कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया है, उनके गोदाम भी हैं और वे अच्छी तरह से एक एजेन्सी की तरह इसमें काम कर सकते हैं। इसके लिये एक कोर्डिनेटेड बोर्ड बनाना चाहिये। और उस बोर्ड के पेटर्न के लिये इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज जो स्थिति चल रही है वह ठीक नहीं है। लोग होर्डिंग कर रहे हैं उन्हें रोका जाना चाहिये। आज हमें जरूरत है बफर स्टोक क्रियेट करने की। और बहां पर साईन्टिफिक तरीके से अनाज को रखा जाना चाहिये। सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले बी. बी. सी. लन्दन से वर्ल्ड फूड आर्गेनाईजेशन से फूड की स्थिति के बारे में रिले हुआ था उसमें कहा था कि आगे आने वाला समय अनाज के मामले में बहुत ही खराब है। इसके लिये जिन देशों में फूड की शोर्टेज है उन्हें इस क्राईसेज से बचने के लिए जरूरी है कि वहां पर बफर स्टोक अनाज का क्रियेट किया जाय। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में और यू० पी० में गवर्नमेन्ट ने बहुत ही अच्छा कार्य यह किया कि लेवी की वसूली की गयी। सभापति महोदय, लेवी की वसूली का जो निर्णय लिया था वह सराहनीय कार्य है। इस अनाज में बफर स्टाक क्रियेट करने से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि अभी सदन में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री अमृतलाल जी गहलोत ने फरमाया कि आज जो होर्डिंग वगैरह हो रही है उसे तुरन्त रोका जाना चाहिये। आज जो एडल्टरेशन हो रहा है उसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है तथा इसके साथ में जो उन्होंने यह कहा कि कृषि उपज के लिये मन्डियां कायम की जानी चाहिये। यह बात बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे यहां तो राजस्थान कैनाल तैयार हो रही है और इन मन्डियों के लिये बहुत ही सुन्दर अवसर है। बहुत ही सुन्दर भविष्य है जो एक्साईट कर रहा है आखिर हमारे यहां पर अभी तक मन्डियां क्यों नहीं गठित की गयीं। साइन्टिफिक मंडियां क्यों नहीं बनाते? पुरानी मण्डियों को त्रिस्क स्पीड से, उनकी पर्चेजिंग स्पीड को, क्यों नहीं डेवलप करते हैं? गंगानगर तो उस स्थिति में एंड-वान्स स्टेज पर था। मंडियों का सिस्टम टर्न ओवर हुआ तो बहुत बडा गैप इनके बीच में था। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में मार्केटिंग प्रोसेस को देखें, पिछडे हुए क्षेत्र में जहां आज भी सागडी प्रथा मौजूद है और भयंकर ब्याज की स्थिति में है, भूमिहीन किसान, आदिवासी आज भी गुलामी की बेडियों में जकडे हुए हैं, वहां पर मार्केटिंग प्रोसेस नहीं है। बहुत आवश्यक है। बहुत बडा बैंक लोग है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वहां साइन्टिफिक मंडियों का क्रीएशन करें और जहां कोलोनाइजेशन के प्रोसेस का आधार है, मैं कहता हूं कि 32 लाख एकड़ में जहां इर्रीगेशन होने वाला है वहां पर दो तीन हजार करोड़ का सेल और पर्चेज तो मामूली बात है। गंग केनाल के अन्दर जब बीकानेर स्टेट थी तब दो करोड़ का था। 25 लाख से उठा कर 3।। करोड़ की रेवेन्यू को डेवलप कर दिया शोर्ट पीरियड में। इस प्रकार एग्रीकल्चर मार्केट की नितान्त आवश्यकता है जैसा कि माननीय गहलोत साहब ने कहा हमारा बहुत बडा बैंक लाग है। बहुत समय पहले ही बोर्ड को आ जाना चाहिये। देर आयद दुरुस्त आयद। हम सब मिल कर उस बैंक लाग को पूरा करेंगे।

लेकिन, सभापति महोदय, बेसिक तौर पर हमारी कृषि उपज मंडी के पैटर्न में डिफेक्ट्स हैं और वे डिफेक्ट्स रहेंगे जब तक मार्जिनल किसान को, गरीब किसान को उसका पार्ट एन्ड पार्सल नहीं बनाते। इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है उसके पीछे जो आइडियोलोजी है कि किसान का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, पंचायत समिति का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। मार्जिनल किसान हैं, जो भूमिहीन हैं उनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। इस प्रकार हमें आगे बढ कर इस प्रकार का पैटर्न इन्वोल्व करना होगा। कुछ कांस्टीट्यूएन्सीज बनाते हैं रायसिंह नगर मार्केटिंग सोसाईटी की बात करूं। केवल एस्टेब्लिस्ड मंडी रायसिंहनगर है। मेरे पास ही में गर्जासिंहपुर में मंडी है। उसमें दिक्कतें हैं। पीलीबंगा कृषि उपज मंडी के वोट्स को देखें कोई प्रोसेस नहीं है। एक एक व्यक्ति के तीन तीन जगह पर वोट बने हुए हैं। मनफूलसिंहजी के बने हुए हैं। कलेक्टर ने माना कि चुनाव हो रहे हैं उनमें 50 परसेन्ट वोट्स बोगस हैं। कोई प्रोसेस नहीं है कि सारे इलक्ट्रोल्स को ठीक किया जा सके। मैं समझता हूं कि बेसिकली कृषि उपज मंडी समिति की कोन्स्टिट्यूएन्सीज को करेक्ट करना चाहिये और बहु संख्यक के आधार पर बनानी चाहिये ताकि आम आदमी को एक्टीवाइज कर सकें। उन के सारे सिस्टम को पार्ट एन्ड पार्सल बना सकें।

दूसरी अर्ज यह है कि यह जो पैटर्न आपके पास मौजूद हैं दस आदमी तो चुन लेंगे प्रेसिडेन्ट्स, फिर प्रोड्यूसर कहां गया? प्रेसिडेन्ट को प्रोड्यूसर मान कर चलेंगे तो बडा डिफेक्टिव होगा। उसी प्रकार कृषि उपज मंडी समितियां हैं। पंचायत समितियों के रिप्रजेन्टिटिव, किसान सेक्शन के रिप्रजेन्टिटिव उन सबको इसमें लेना चाहिये। मैं मान कर चलता हूं कि ये माइनोरिटी में हैं। लेकिन जिस प्रकार का पेटर्न है, कृषि उपज मंडी में प्रेसिडेन्ट्स आने वाले हैं उनसे पूरा रिप्रजेन्टेशन नहीं होगा। मामूली बोर्ड को लेकर चल रहे हैं उसके बाद इलेक्टेड बोर्ड को बनायेंगे और सारों के रिप्रजेन्टेशन को लेना चाहते हैं यह चीज करना चाहते हैं तो मार्जिनल प्रोड्यूसर का भी इसमें रिप्रजेन्टेशन होना चाहिये और स्टिफन तरीके से करना चाहिये।

इकोनामिस्ट को लिया है। यह बढिया किया है। मैं समझता हूं कि आप वाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं। एनीमल हस्बन्ड्री की बात करते हैं। हाई ब्रीड वैराइटीज की बात करते हैं। हाई ब्रीड और दूसरी वैराइटीज में हम तेजी से आगे बढते

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

जा रहे हैं। हम मांग कर सकते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की वेराइटीज इन्वोल्व की गयी हैं। हमारी इन्स्टीट्यूशन्स हैं। दुर्गापुरा इन्स्टीट्यूशन है। हम इन्वोल्व कर रहे हैं। एग्रोनोमिस्ट कहां हैं? पैथोलोजिस्ट कहां हैं। सीड कहां है। एग्रीकल्चर डाईरेक्टर को इसमें दिया। सारे पैटर्न को इम्पोर्टेन्स देंगे। इन लोगों को इसमें इनकोरपरेट करेंगे। करना चाहिये। फिर प्लान्स हैं। प्लानिंग बनाते हैं। नयी मंडियां हैं। मार्केटिंग बोर्ड की करनी चाहिये। कोलोनाइजेशन के टाउन प्लान्स कहां हैं। यह सब कोलोनाइजेशन को करना चाहिये ताकि सारे प्रोसेस को समझ सकें। एक कोम्पैक्ट बोर्ड बनाना चाहिये तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिये यह बोर्ड काफी उपयोगी होगा।

प्रेसिडेन्ट्स के नोमिनेशन का जहां तक सवाल है, नाहर साहब की काबलियत के बारे में दो राय नही हो सकती है। कृषि उपज मंडी समिति के अन्दर नाहर कमेटी के अगुआ रहे हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी है। उनके काफी इम्पार्टेन्ट सजेशन्स हैं। अमृतलालजी गहलोत हैं। उनकी प्रेक्टीकल चीज है। उन्होंने एक फार्मूला इवोल्व किया है। नम्रता के कारण वे अपने इन गुणों को स्वीकार न करें। लेकिन यह फैक्ट है कि उनका एक कान्स्टीट्यूशन है। इस नोमिनेशन से किसी का उद्धार हुआ हो या नहीं लेकिन 2 हरिजन मंत्रियों का उद्धार हो गया। उनको केबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जा रहा है। मुंशीलाल-महावर और बनवारीलालजी कहीं पड़े हुए थे। उनको राज्य मंत्री का पद दे दिया। डेफिनेटली यह अचीवमेंट हुआ है। यह भी एक चीज है। आप मार्केटिंग बोर्ड बनायें मैं इस क्रिया को उचित नहीं समझता। एग्रो-इन्डस्ट्रीज कमीशन है और दूसरे कमीशन हैं। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन है। कोई कहीं फिट नहीं हुआ तो इन कारपोरेशन का चैयरमैन बना दिया और केबिनेट रैंक दे दिया। कोरपोरेशन बना कर इन को बिठा दिया गया। नाहर साहब की सर्विसेज हैं। इनको केबिनेट रैंक दे करके चैयरमैन नियुक्त करें, मैं समझता हूं, यह नाहर साहब की योग्यता का अपमान है। आखिर इसके लिये नाहर साहब आगे आयेंगे। इसके लिये उसके चेयरमैन बनेंगे। आपको चाहिये मशीनरी जील से काम करने वाला आदमी जिसको थ्योरेटिकल और प्रेक्टिकल दोनों तरह के एक्सपीयरेन्स हों। इसके चैयरमैन अमृतलालजी गहलोत हो सकते थे और दूसरे लोग हो सकते थे, जिन्होंने इस मामले में स्ट्रगल की हो और इसके साथ ही साथ जिनको इकानामिक्स और दूसरे सबजैक्ट्स का पूर्ण ज्ञान हो। यह तरीका तो एक सही तरीका नहीं होगा।

मैं बहुत अधिक नहीं कहता हुआ अंत में सभापति महोदय इतना ही अर्ज करूंगा कि मैं और मेरी पार्टी तो इन मार्केटिंग एक्सप्लाइटेशन से ग्राम किसान को मुक्त कराने के लिये, देश के विकास के लिये, डीहोर्डिंग के लिए, एन्टी अडल्ट्रेशन के लिए और इस सारे पैसे को पूरी तरह से विकास की दिशा में यूटिलाइज कराने के लिये और इस प्रकार से यूटिलाइज कराने के लिए, इस प्रकार के मार्केट्स क्रियेट करवाने के लिये कि जिसके द्वारा हमारी इकेनामिक्स सैल्फजनरेटिंग बने, के पक्ष में हूं। इतना कहते हुए मैं इस विधेयक के साथ में हूं।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं तो वाइस-चेयरमैन की पोस्ट के लिए इन्कार कर चुका हूं। मेरे पास शहर का काम पहले ही बहुत है।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक के समर्थन में अपनी राय यहां व्यक्त की और अपनी राय व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने बहुमूल्य सुझाव जो भी प्रस्तुत किये। खासतौर से यहां पर इन कृषि उपज मंडियों के चुनावों के संबंध में जो आशंकायें व्यक्त की गयी हैं और जो कठिनाइयां बताई गयी हैं मैं समझता हूं वह काफी वाजिब हैं और उनमें सुधार किया जाना चाहिये। मैं इस मौके पर माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं और काफी हद तक चुनावों की पद्धति में परिवर्तन लाने के लिये तैयारियां भी कर ली हैं। बहुत बडा इलेक्टोरल है और सात सात जगह एक आदमी वोट दे और कई तरह की खराबियां हैं उनको एक साथ कन्सोलीडेटेड तरीके से इसमें परिवर्तन लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र ही इस पद्धति में परिवर्तन करने की हम लोग कोशिश करेंगे।

जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि इस आन्दोलन को आगे बढाने में सरकार की गति तीव्र होनी चाहिए मैं उनसे सहमत हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिला तो मेरी इच्छा है कि इस आन्दोलन को राजस्थान में बहुत तेजी से बढाया जाये। आज भी सब तरफ से निराश होने के बाद भी राजस्थान में प्रतिक्रियावादी ताकतें इस कोशिश में है कि तरह तरह के रोडे लगा कर इस काम को रोका जाय। मैं आप को बताऊं जयपुर की कृषि उपज मण्डी के निर्माण के समय लोगों ने बहुत विरोध किया लेकिन सरकार ने साहस से जो मैं समझता हूं कि इस आन्दोलन को रोडा अटकाने वाली शक्तियों का अन्तिम प्रहार था उसको समाप्त किया और राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अब हम यह कह सकते हैं कि एक बहुत बडा प्रोजेक्ट तैयार होकर अच्छी मण्डी हम राजस्थान की राजधानी को दे सकेंगे। अभी माननीय गहलोत साहब ने बताया कि इसके बहुत से मैनीफोल्ड आस्पेक्ट्स हैं और मैं समझता हूं कि हर पहलू पर जितना अधिक सोचें उतना ही लाभ दिखता है। इसमें हानि का तो सवाल ही नहीं है। यह आन्दोलन प्रगतिशील बने, बहुत तेजी से काम करे तो यह बहुत पोटेन्शल है। मैंने 40 करोड की बात की लेकिन माननीय गहलोत साहब ने आंकडों से सिद्ध करने की कोशिश की कि सही भाव से जितनी एग्रीकलचर मार्केट प्रोड्यूस है उसको मण्डी कमेटीज के जरिये से उनका नियमन कर सकें तो 10 करोड रुपये की प्रति वर्ष आमदनी हो सकती है और 10 करोड रु. की आमदनी से यदि हम फाइनेंस इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये से 100 करोड प्राप्त करें तो मण्डी कमेटीज का निर्माण हो सकता है। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस ओर सजग और सक्रिय रहेंगे कि जो आमदनी 4 करोड की है वह अधिक से अधिक बढे और इसके अन्दर और दूसरी कमोडिटीज भी आयें। आज जितनी कमोडिटीज शिड्यूल में हैं उनको मण्डी कमेटीज पर लागू करके अधिक से अधिक आमदनी बढे और नियमित मार्केट की तौर पर सारा काम चले यह प्रयास होगा।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि आज जहां जहां भी इस प्रकार से एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस का नियमन रहा है उन मण्डियों को एक प्रकार से सारे आन्दोलन के बीच में लाया जाय और मण्डियां कायम की जायें। आज राजस्थान में करीब 90 मण्डियां हैं और करीब 70 के आसपास सब-यार्ड्स हैं। हमारी कोशिश है कि एक फेस प्रोग्राम के तहत अधिक से अधिक मण्डियों को लें। हमारी यह भी कोशिश है कि सारी मण्डी कमेटीज को एक वायबल यूनिट बना कर बैंकों के जरिये से ए. आर. सी. के जरिये से अधिक से अधिक इसमें रुपया लगाने की कोशिश करें। मैं कहना चाहता हूं कि आज करीब 15 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं जो पूर्ण रूप से तैयार हैं और जिनको ए. आर. सी. ने अपनी तौर से देख लिया है और बहुत जल्दी ही उनको फाइनेंस अवेलेबिल हो जायेंगे। 7 प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति मिल चुकी है और राजस्थान सरकार ने उसकी गारन्टी भी दे दी है और वह भी बनने के लिए तैयार है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जोधपुर की जो मण्डी कमेटी है मैं तो राजस्थान की बात कहता हूं, आज जिस स्थिति में जोधपुर की मण्डी कमेटी है वह शायद देश के लिये उदाहरण है और वह एक व्यक्ति की निष्ठा का प्रतीक है। मैं गहलोत साहब के सामने उनकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं लेकिन कोई भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को देखें तो कहेगा कि एक निष्ठावान व्यक्ति जिसके पीछे हो तो उसके और क्या परिणाम आ सकते हैं।

अभी माननीय रामकिशनजी कह रहे थे कि इस काम को पी. डब्लू. डी. से कराया जाये। मैं कहता हूं कि जोधपुर में मण्डी को देखें और जहां तक मेरी जानकारी है सारे कास्ट का 3 परसेन्ट सुपरवीजन चार्जेज लगा कर ऐसा आदर्श उपस्थित किया है जो कि न केवल राजस्थान के लिये बल्कि सारे देश के लिए आदर्श है। आज भी बावजूद विरोध के उन्होंने विरोध को सहा है और मैं समझता हूं कि यदि कोई विरोध करता है तो उसका मुकाबला करेंगे। आज भी जोधपुर मण्डी कमेटी की आमदनी 12 लाख रुपया साल की है और जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ने की बात की है मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसकी आमदनी 18-20 लाख हो जायेगी। अपने आप में उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है। शायद जो भी पैसा बैंक से लिया जायेगा या ए. आर. सी. से लिया जायेगा उसको समय से पहले ही पे करने की स्थिति में हैं। जैसा मैंने निवेदन किया कि यदि 100 करोड रुपया प्रति वर्ष ही इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सिग मिले तो मार्केट यार्ड्स का निर्माण हो सकता है। आज सड़कों का अभाव है वहां हम लिंक रोड्स बना सकते हैं और सारे के सारे गांवों को इकानामी से शहरों से जोड सकते हैं। आज किसानों को अच्छा भाव दिला सकते हैं, अच्छा स्टोरेज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि बडी बडी दुकानें बना दी हैं इनका क्या होगा। इनमें व्यापारी लोग नहीं आयेंगे तो कैसे चलेगी? मैं कहता हूं कि व्यापारी तो इतनी तेजी से आयेंगे और नहीं भी आयेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में और देश में मण्डी कमेटियों के जरिये से हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढेगी। आज 50 हजार टन की स्टोरेज कैपेसिटी अकेले जोधपुर मण्डी कमेटी में हो सकती है जितना हम अधिक से अधिक बफर स्टाक बनाने में इस देश में और प्रदेश में सफल होते हैं उतना ही इन जमाखोरों

(श्री शिवचरण माथुर)

शोषण करने वालों से लोगों को मुक्ति दिला सकेंगे । मैं आपसे कह सकता हूं कि इस कृषि उपज मण्डी के आन्दोलन के जरिये जैसा कि अभी गहलोत साहब ने कहा कि पांच प्रतिशत अनाज तो अन–साइंटिफिक स्टोरेज के कारण बर्बाद हो जाता है जिसको बचा सकते हैं साइंटिफिक स्टोरेज के जरिये से । हमारा डेफिशिट भी बहुत बडा नहीं है । आज की तारीख में भी अनाज के डेफिशिट में खराब से खराब वक्त में दस प्रतिशत से ज्यादा की कमी नहीं होती । हम अनसाईंटिफिक तरीके से हट कर साईंटिफिक स्टोरेज कर लें तो भी इतना अनाज बचा सकते हैं । आज हम ऐसा समझते हैं कि अच्छी मण्डी बन जाय तो वहां पर एग मार्का का प्रबन्ध भी कर सकते हैं जिससे लोगों को अच्छी चीजें मिल सकें । वहां पर अच्छी चीजें आवें, लोग खरीदें और कंजूमर को भी सेटिस्फेक्शन हो । वहां खाद आता है वह भी अच्छी किस्म का आता है, सस्ते भाव से आता है, अच्छे भाव से आता है । किसान भी अनुभव करे कि उसको अपनी पैदावार का अच्छा भाव मिला है । इस प्रकार की व्यवस्था से जो बीच के लोग हैं वे भी समाप्त हों और यही एक प्रकार का इस आन्दोलन का उद्देश्य है, मंशा है । मैं समझता हूं कि कमियां तो आज भी हैं, सारा का सारा फुल प्रूफ है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं और भी कमियां हो सकती हैं । इसके लिए और भी परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है और उसके लिए और भी आगस्ट तरीके से, कंसोलिडेटेड तरीके से हम इस बिल को लाने की बात कह सकते हैं । लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की, परिस्थितियों में और उसी परिप्रेक्ष्य में यह छोटा सा अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है उसकी दो लिमिटेड मंशा है और वह मंशा यह है कि ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर और भूमिका प्रस्तुत करें जिससे इस आन्दोलन को गति मिल सके । इसके अलावा इसमें बोर्ड बनाने की बात कही गई है ।

लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य दीपंकरजी ने कहा कि इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने हुए होने चाहिये । आपने देखा होगा कि इसमें प्रावधान यह है कि जो इस बोर्ड के मेम्बर्स होंगे वे सब चुने हुए हैं लेकिन इन चुने हुए मेम्बर्स में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी, इसलिये चुने हुए बिल्कुल ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है । और जो कुछ चुनाव के सम्बन्ध में बातें कही गई हैं उनकी एक एक बात को नोट किया गया है । आवश्यकता पडने पर बहुत शीघ्र ही चुनाव की पद्धति में जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि परिव लाने की हम लोग कोशिश करेंगे ।

[मुझे दरअसल हांडाजी ने जो बात कही, पहले भी कहीं और फिर उसको दोहराया इसलिये मुझे जवाब देने की जरूरत पड गई है । गवर्नमेंट नाहर साहब और माननीय अमृतलालजी गहलोत में कोई भेद करके नहीं चलती । मैं नहीं समझता कि इस बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता है । दोनों के अपने 2 गुण हैं, अपने काम करने की शक्ति है । मुझे तो स्वयं गहलोत साहब ने कहा कि आज कल तो मेरे पास एक काम है, एक प्रोजेक्ट है उस पर निष्ठा से, पूरी तौर से काम करना चाहता हूं, उसके अलावा कोई इच्छा नहीं है । मैं मानता हूं कि जो काम हाथ में ले रखा है, जिस काम पर लगे हुए हैं वह

(श्री शिवचरण माथुर)

अपने आप में बडी महत्वपूर्ण बात है। सारे राजस्थान के अन्दर इस आन्दोलन को गतिशील बनाने के अन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिये मैं उनके बारे में, उनके गुणों के लिये कोई अनादर की भावना रखते हों और नाहर साहब से कम मानते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है और न ही गहलोत साहब के दिमाग में ही ऐसी कोई बात है। नाहर साहब और गहलोत साहब के बीच में भेद करने की बात बनावटी बात है। इस तरह की बात कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिये थी, फिर भी हाण्डा साहब आवेश में इस बात को कह गए हैं। मैं समझता था कि वे विनोद में यह बात कह गए हैं लेकिन फिर उन्होंने जिस गम्भीरता से इस बात को रखा इसलिए मुझे स्पष्टीकरण करना पडा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो मेरे चोइस की बात है।

श्री शिवचरण माथुर : कैबिनेट रैंक देने की बात कही गई है। जो रैंक दिया गया है उससे नीचे रैंक देने की भावना हमारे दिमाग में नहीं थी और रैंक जो उन्हें दिया गया है, एक साधारण तौर पर एक आदमी को उसके व्यक्तित्व को महसूस करते हुए हमने उनको बोर्ड का चेयरमैन नोमीनट किया है। बोर्ड अपने आप में स्वतंत्र है। बोर्ड के अन्दर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का नहीं है। एक पैसा भी गवर्नमेंट का उसमें नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है। बोर्ड भी अपने आप में सैल्फ जैनेरेटिंग इकोनोमी है, मण्डी कमेटी से पैसा कमायेंगे और अच्छे काम के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। बोर्ड अपने आप में सक्षम होगा। इसलिए जो सुविधा दी गई है, जो रैंक दिया गया वह कोई नाहर साहब की वजह से ही दिया गया हो ऐसी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि इस बात को उस दृष्टि से कहना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, उन्होंने कहा इसलिए मैंने उचित समझा कि स्पष्टीकरण कर दूं।

इसी भावना और विश्वास के साथ मेरी इच्छा है कि इस आन्दोलन को हम ज्यादा से ज्यादा गति दें और यह जो नोमिनेटेड बोर्ड बना है उसको हम यह ताकत दें, सुविधा प्रदान करें। हम जहां पिछड गए हैं उस पिछडेपन को मिटाने के लिए सक्रिय बनायें और यह आन्दोलन किसानों के हित में, कंजूमर के हित में और आज देश में जो हालात फैली हुई हैं उसको सुधारने में सहायक हो सकें, इसी आशा के साथ मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है या जिन्होंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य दोनों तरह के प्रस्तावों को वापस ले करके इस विधेयक को पारित करने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव प्रवर समिति और जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के लिये माननीय सदस्यों ने रखा है उसको वापस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृति)

इजाजत दी जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं भी अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : पहले विचारार्थ लिया जाएगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री अमृतलाल गहलोत की ओर मुखापेक्ष) आप मूव कर रहे हैं अमेंडमेंट।

श्री अमृतलाल गहलोत : नहीं कर रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री मनोहरलाल : सभापति महोदय . . .

श्री सभापति : आप बोल रहे हैं?

श्री मनोहरलाल : हां।

श्री सभापति : आप बोलना चाहें तो तृतीय वाचन पर बोल सकते हैं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि मंडियों के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है और इसके अन्दर हम कुछ बड़ी रकम दे रहे हैं और इससे कुछ काश्तकारों को कुछ लाभ हो सकता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हो सकता है कि उनकी नियत साफ हो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मण्डियों के फण्ड्स का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं चैयरमैन, कहीं सेक्रेट्री उनको अपने व्यापार में लगा रहे हैं फण्ड्स को और हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि कई बार तो जो उनमें कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन तक नहीं चुकाया जाता है। अगर ऐसी हालत न हो, अगर ऐसी बात न हो, तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए एक उदाहरण कामां का ही काफी है। कामां कृषि उपज मण्डी के सेक्रेट्री का तबादला हो गया अभी दो महीने पहले। उसने चार्ज नहीं दिया। वहां पर दूसरा सचिव चला गया। उसने चार्ज तक नहीं लिया और उस पर आरोप लगा दिया गया कि अच्छा सचिव नहीं आया है इसलिए इसको यहां पर चार्ज नहीं दिया जाय। खैर, किसी तरह से चार्ज हुआ। दूसरे दिन राजबहादुरजी और पहाड़ियाजी ने दिल्ली से टेलीफोन किया कि पुराने सचिव को रखा जाय और नए सचिव को वहां से फौरन भगा दिया जाय। उसको वहां से हटा दिया गया। कारण क्या था कि वह सचिव वहां के फण्ड का दुरुपयोग करता था और नेताओं को मिलाए रखता था। अगर ऐसी बात नहीं थी तो क्या दिक्कत थी। वह बयाना में रह सकता था, डीग में रह सकता था, जयपुर में रह सकता था। मैं जानता हूं कि मंत्रीजी पर भी दबाव आया है और उनको

(श्री मनोहर लाल)

दबाव के वशीभूत हो करके उस पुराने सचिव को बराबर वहां पर रखा है। जो नया सचिव वहां पर गया उसको चार्ज तक नहीं दिया और उसको वहां से हटा दिया गया। एक दिन काम किया और दूसरे दिन तबादला कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा कोई आशय नहीं है कि उसको रखा जाये, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस सेक्रेटरी के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वहां पर थे। फण्ड्स का गबन वह करता था, पैसे को काम में लेता था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका ट्रांसफर केन्सिल कर दिया गया और वह वहीं पर रह गया ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

एक बात चुनावों के बारे में है। चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। एक वोट, सात वोट यह सिस्टम डिफेक्टिव है। एक बात मैं निवेदन कर दूं कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तहसीलदार, विकास अधिकारी मनोनीत सदस्य होते हैं। इनको चुनावों में भाग लेने दिया जाता है। वे चेयरमैन के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे सारे के सारे अधिकारी वहां पर होते हैं और तहसीलदार, एस. डी. एम. का दबाव दूसरे लोगों पर होता है और दबाव में आकर वोट दिये जाते हैं। इस प्रकार चुनाव ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। इसलिये इस बात का ध्यान रखा जाये कि जो अधिकारी या मनोनीत सदस्य हैं उनको मत देने का अधिकार न हो और चुनावों में भाग लेने का भी उन्हें अधिकार न हो। प्रधान भी उसका मेम्बर होता है। तहसीलदार भी उसका मेम्बर होता है परन्तु विधायक को उसका मेम्बर रखना आप जरूरी नहीं समझते हैं। तहसीलदार काश्तकारों का रिप्रजेन्टेटिव माना जाता है और प्रधान भी काश्तकारों का रिप्रिजेन्टेटिव माना जाता है। और विधायक क्या काश्तकारों के दुश्मन हैं? हम क्या यह बात मान कर चलें कि विधायक काश्तकारों के विरोधी हैं इसलिये उनको मेम्बर नहीं रखा जाता है?

मंडियों के विकास के लिये आपने बोर्ड का गठन कर दिया है। बेरोजगार नेताओं को रोजगार से लगा दिया है। एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज हर कामोडिटी की रेट बढ गयी है। पिछले एक साल में कितने पैसे बढे हैं, लेकिन पल्लेदारों की वही रेट है। तीस पैसे में वे बोरी उठाते हैं। मंहगाई के साथ रेट बढ रही है। भत्ते और वेतन बढ रहे हैं। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय प्रगतिशील भी हैं परन्तु उन्होंने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा। उनके दिमाग में पल्लेदार, मजदूर है ही नहीं। आज पल्लेदार, मजदूर भूखों मर रहे हैं। क्या वे इन्सान नहीं हैं? उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार यह आश्वासन दिया गया था कि पल्लेदारों का रिप्रिजेन्टेटिव इन कृषि उपज मंडियों में लिया जायेगा। परन्तु उनका प्रतिनिधि इनमें कहीं देखने को नहीं मिला। यह कागज ही पर है या किसी ने इसको दबा रखा है। यह हमारे समझ में नहीं आता है या मंत्री महोदय ने ही इसको दबा रखा है।

उत्तर प्रदेश में फीस लगाई गई और उसका विरोध हुआ। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टैक्स तो

(श्री मनोहर लाल)
सरकार लगा सकती है उसका हिसाब दे या न दे, चाहे खा जाये टैक्स देना जरूरी है, लेकिन फीस के बारे में यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है फीस लगे तो आपको सर्विस देना चाहिये। आप व्यापारियों से फीस लेते हैं, पल्लेदारों से, दलालों से फीस लेते हैं, आप सब से फीस लेते हैं और क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। आपका यह फीस लगाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। आपका कानून हाईकोर्ट में पिटेगा। इसलिये अगर आप कोई फीस लेते हैं तो आप को बदले में सेवा करना पड़ेगी। वरना आपका कानून पिट जायेगा।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पल्लेदारों के लिये बात कही है, वह दरअसल में मंडी कमेटी के परव्यू में आती है। यह स्टेट लेवल पर तय करने की बात नहीं है। दरअसल हरेक मंडी में ऐसा किया जाता है। यह कानून इसलिये बनाया गया है कि उनको सुविधा प्रदान की जाये। जो मंडी कमेटी है अगर फीस लेती है वह सुविधा भी प्रदान करती है। किसान आता है तो वहां का डेवलपमेन्ट होना चाहिये। उसके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिये। उसकी गाड़ियों के खड़े रहने की जगह होनी चाहिये। यह सारी व्यवस्था सर्विस में ही आती है। जितनी अधिक मार्केटिंग कमेटीज आगे बढ़ेंगी तो सर्विसेज भी आगे बढ़ेंगी। जहां तक उन्होंने रुपये के बढने वाली बात कही है, यह तो सब स्वीकार करते हैं कि उसमें जितना होगा, पैसा इकट्ठा करेंगे और उतनी ही अधिक सुविधाओं का विकास होगा और जायज तौर पर जितना भी पैसा आ रहा है उससे मार्केटिंग यार्ड का विकास होगा, किसान को और दूसरी सुविधाएं प्रदान करायी जायेंगी। इसलिये यह साफ है कि मार्केट फी लेने के बाद यह मंडी कमेटियां सुविधाएं नहीं देती हैं, यह निराधार है। यह फीस इसीलिये है कि किसान को उचित सुविधा मिले, उनकी पैदावार सही तौर पर बिक सके और स्टोर करने का समय आवे तो वे स्टोर की जा सकें। यह बात इसीलिये की जा रही है और इसी भावना से इस बात को लेंगे और इस विधेयक को पारित करेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14 अगस्त, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 8 बजकर 48 मिनिट पर दिनांक 14 अगस्त, 74 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गयी)

162

323

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 33 की सूची)

List of District Agricultural Offices.

1. Alwar
2. Ajmer
3. Bharatpur
4. Jaipur (East)
5. Jaipur (West)
6. Sikar (For Sikar-Jhunjhunu)
7. Sawai Madhopur
8. Sri Ganganagar
9. Anupgarh
10. Chhatargarh (Bikaner H.Q.)
11. Churu (for Churu-Bikaner)
12. Jalore (for Jalore-Barmer)
13. Jodhpur (for Jodhpur-Jaisalmer)
14. Nagaur
15. Pali
16. Sirohi
17. Kota (Two D. A. Os.)
18. Bundi
19. Jhalawar
20. Tonk
21. Banswara
22. Bhilwara
23. Dungarpur
24. Chittorgarh
25. Udaipur (Two D. A. Os.)

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला झालावाड में राशन की व्यवस्था

36. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत तहसील क्षेत्र में अति-वृष्टि व शीतलहर के प्रकोप से दोनों फसलें क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्तमान में अन्न संकट व्याप्त है और जनता भूख से अत्यन्त पीड़ित है ?

(2) क्या यह भी सच है कि जनता व जन प्रतिनिधियों के कई बार मांग करने के उपरान्त भी सरकार की ओर से राशन का अनाज क्षेत्र में समय पर नहीं पहुंचने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है और भुखमरी और बेरोजगारी से जनता में असन्तोष है ?

(3) क्या यह भी सच है कि राशन के अनाज की शीघ्र ही व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र में भुखमरी से मौतें होने का अन्देशा हो गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अब शीघ्र राशन के अनाज की व्यवस्था कर क्षेत्रीय जनता को भूख से बचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील अकलेरा, खानपुर, झालरापाटन तथा गंगधार में संम्वत् 2030 में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल तथा शीत लहर से रबी की फसल नष्ट होने के परिणाम स्वरूप अभाव की स्थिति बताई जाती है।

(2) परिस्थिति के अनुसार आवश्यक आवंटन समय पर किया जाता रहा है।

(3) उपलब्धि के आधार पर राशन की व्यवस्था की जा रही है। यह सत्य नहीं है कि भुखमरी से मौत होने का अन्देशा हो गया है।

गंगनहर क्षेत्र में शीत लहर से फसलों को हानि

37. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शीतलहर व नहर में पानी की कमी के कारण गंगनहर क्षेत्र में रबी 1974 की फसल नष्ट हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा के बजट अधिवेशन के समय सरकार ने किसानों को फसल नष्ट हो जाने के कारण मालगुजारी, आबियाना आदि माफ करने का विश्वास दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि किसानों से मालगुजारी, सिंचाई दरें आदि वसूल कर ली जा चुकी हैं जब कि किसान इन्हें देने में असमर्थ था ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त वसूली किसानों को वापिस करेगी और तकावी कर्जे आदि की वसूली बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) सिंचित क्षेत्र में 7-1/2 प्रतिशत और असिंचित क्षेत्र में 20 प्रतिशत नुकसान हुआ था।

(राजस्व मंत्री)

(ख) आश्वासन यह था कि क्षति के अनुसार क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिये सहायता विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(ग) जी हां, वसूली स्थगित करने का प्रश्न नहीं उठा ।

(घ) वापिस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर महाराजा को घोडों को घासहेतु दी गई भूमि

38. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दौसा वंडाना रोड पर बीड़ रानी का बास में 700 बीघा व ग्राम बैरवा में 1900 बीघा भूमि जयपुर महाराजा को घोड़ों के घास के लिये दी गई थी ? यदि हां, तो अब उक्त भूमि किस किस के कब्जे में है और क्या क्या पैदावार किन की इजाजत से की जा रही है ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि लीज पर अन्य व्यक्तियों को दी जा चुकी है जिस पर वे खेती आदि करते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त भूमि को भूतपूर्व महाराजा जयपुर से वापस लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस भूमि को अनधिकृत रूप से अन्य व्यक्तियों को लीज पर दिये जाने के फलस्वरूप महाराजा जयपुर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि 5 साल के लिये 340 रुपये बीघा के हिसाब से श्री गोविन्दसिंह को लीज पर दे दी है ? यदि हां, तो क्यों और कितनी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन सेटलमेन्ट रेकार्ड पर ग्राम फार्म दर्ज है और उक्त भूमि की कीमत 5000) रुपये बीघा के लगभग है ।

(स्थगित किया गया)

लेवी की वसूली

39. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में लेवी वसूली अभियान सम्पन्न हो गया अथवा नहीं ?

(2) राज्य में लेवी के रूप में कुल कितना गेहूं वसूल किया गया ? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) लेवी वसूली के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कितने हैक्टर पर लेवी की छूट की घोषणा की थी ? क्या लेवी की वसूली इस छूट की घोषणा के अनुसार ही की गई है ?

(4) लेवी देने वाले किसानों को अब राज्य सरकार ने किन किन सुविधाओं को प्रदान करने की घोषणा की है ?

उत्तर

(1) लेवी का सघन अभियान तारीख 31-7-74 को समाप्त हो गया है परन्तु जिन बड़े किसानों ने अभी तक लेवी नहीं दी है उनसे लेवी वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(2) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(3) असिंचित भूमि पर एक हैक्टर तक की भूमि पर लेवी से छूट की गई थी । लेवी वसूली छूट की घोषणा के अनुसार ही की गई है ।

(4) लेवी देने वाले किसानों को खाद, सीमेन्ट, कपड़ा आदि निर्धारित दर पर उपलब्धि क अनुसार देने की व्यवस्था की गई थी ।

(165)

विधान सभा प्रश्न संख्या 51 क्र. सं. द्वारा श्री केशर नाथ, सदस्य विधान सभा के प्रश्न 2 के भाग की सूची

क्र सं.	नाम जिला	व्यापारियों से लेवी	उत्पादकों से लेवी	कुल प्राप्त लेवी
(1)	अजमेर	1326.5	1359.8	2686.3
(2)	अलवर	232.4	8189.5	8421.9
(3)	बाड़मेर	84.1	10.0	94.1
(4)	बूंदी	1445.2	3677.3	5122.5
(5)	भीलवाड़ा	1557.8	7390.5	8948.5
(6)	बांसवाड़ा	3.7	506.0	509.7
(7)	भरतपुर	7.7	9000.0	9007.7
(8)	चित्तौड़गढ़	642.1	4738.0	5380.1
(9)	डूंगरपुर	..	700.0	700.0
(10)	गंगानगर	11008.0	20452.0	31460.0
(11)	जयपुर	1.8	821.3	823.1
(12)	जोधपुर	22.0	..	22.0
(13)	जालोर	624.0	6720.8	7344.8
(14)	झुंझुनूं	..	326.7	326.7
(15)	झालावाड़	18.0	1282.0	1300.0
(16)	कोटा	1847.9	10675.6	12523.5
(17)	नागौर	..	470.0	470.0
(18)	पाली	524.8	6870.0	7394.8
(19)	सिरोही	9.2	952.5	961.7
(20)	सवाई माधोपुर	15.0	7700.0	7715.0
(21)	टोंक	471.0	5184.0	5655.0
(22)	उदयपुर	257.3	1681.0	1938.3
	योग ..	20023.5	98707.0	118731.5

नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

40. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नगर विकास न्यास जयपुर ने गत 5 वर्षों में कितनी योजनायें बनाई ? नगर विकास न्यास, जयपुर ने गत 5 वर्षों में कितने कितने भूखण्ड आवंटन, नीलामी तथा रिजर्व्ड प्राइस पर लोगों को दिये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

पाली जिले में केरोसिन, डीजल व पेट्रोल का वितरण

41. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में जनवरी, 74 से जुलाई 74 तक केरोसिन, डीजल व पेट्रोल का कितना माल कब किस-किस एजेन्सी के मारफत किसको प्राप्त हुआ और उसका वितरण किस प्रकार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पाली जिले के लिये इन वस्तुओं की आवश्यकता की मिकदार प्रति माह कितनी है और वास्तव में कितना माल प्राप्त हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केरोसिन व डीजल जो प्राप्त हुआ की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। किस किस एजेन्सी के मारफत प्राप्त हुआ इसकी सूचना एकत्र की जा रही है। पेट्रोल का वितरण आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होने के कारण नियमन नहीं किया गया। वितरण का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) केरोसिन की प्रति माह आवश्यकता 5,00,000 लीटर की है। प्राप्ति की सूचना प्रश्न के भाग 1 की तालिका में अंकित है। डीजल एवं पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है।

तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग 1 की सूची

केरोसिन माह जनवरी, 74 से माह जुलाई, 74 तक का विवरण (जिला पाली)

नाम माह	भारतीय तेल निगम द्वारा कोटा फिक्स्ड	प्राप्त हुआ (लीटर में)
जनवरी	1,45,000	1,45,000
फरवरी	1,45,000	1,40,000
मार्च	1,33,000	98,300
अप्रेल	1,10,000	1,13,600
मई	1,10,000	1,05,000
जून	1,10,000	95,100
जुलाई	1,08,000	1,21,800

डीजल माह जनवरी, 74 से जुलाई, 74 तक का ब्योरा (जिला पाली)

माह	प्राप्त मात्रा (लीटर में)
जनवरी, 74	7,95,550
फरवरी, 74	5,92,420
मार्च, 74	6,36,300
अप्रेल, 74	7,78,100
मई, 74	6,88,300
जून, 74	7,72,300
जुलाई, 74	7,86,400

(167)

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 1974)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति सख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
19	अन्तिम से 6	सीमट	सीमेंट
20	ऊपर से 1	से	को
	अन्तिम से 11	करूंगा	करूंगा कि
21	„ 9	डेडे	डेड
45	ऊपर से 6	इम्पोरटेंट	इम्पार्टेन्ट
46	„ 4	(13।क्र.सं.)	—
81	„ 3	वाया	वाकिया
106	अन्तिम से 7	पहुंचाय	पहुंचाया
109	„ 1	संकता	सकता है
119	„ 4	(राजगढ़)	(चूरू)
121	ऊपर से 14	काम्युनिस्ट	कम्युनिस्ट
148	शीर्ष	विधायों	विधायी
	अन्तिम से 1	पुरःस्थापित	पुरःस्थापित करने
177	ऊपर से 12	क्य	क्या
182	ऊपर से 13	ने	में
209	„ 18	जिग्मदारी	जिम्मेदारी
213	अन्तिम से 5	कुश	अंकुश
	„ 3	दाद	तादाद
	„ 2	—	में
215	ऊपर से 4	बैठ	बैठे
219	„ 4	संक प	संकल्प
	„ 18	गफ्फार हरी	गफ्फार अली(जौहरी
223	ऊपर से 17	चके	चुके
224	„ 8	बात बडी	बात पर बड़ी
226	„ 3	ात	बात
226	अन्तिम से 4	रामद	बरामद

168

2

1	2	3	4
227	ऊपर से 13	ाबजूद	बावजूद
	,, 14	ए शन	एक्शन
	अन्तिम से 1	सक ा	सकता
236	ऊपर से 10-18	म	में
237	,, 3	म	में
	अन्तिम से 2	मभे	मुझे
255	,, 1	ो	दोखो
276	ऊपर से 13	श्री मोहन छंगाणी	श्री मोहन लाल छंगाणी
278	अन्तिम से 5	महोदयों	—
285	ऊपर से 5	मंडियां की कि	मंडियां
292	,, 3	रूप सारे	रूप में सारे
301	,, 21	उठाय	उठाये
307	अन्तिम से 13	इम्पाटन्ट	इंपोर्टेन्ट
309	ऊपर से 9	जो	—
314	अन्तिम से 11	दौहराया	दोहराया
320	ऊपर से 12	कामोडिटि	कमोडिटी